हदीस
حديث
हदीस के माध्यमसे इस्लामका अध्ययन...
- रामस्वरूप
A View of the Islamic World 632-1258
SPAIN
Cordoba
Qayrawan
Cairo
EGYPT
ARABIA
PERSIA

विशेष निवेदन

Understanding Islam through HADISH नामक पुस्तक आदर्णीय स्व. श्री रामस्वरूपजी ने लिखा था। उसी पुस्तक की हिन्दी आवृत्ति भी उन्होंने तैयार की थी। मूल अंग्रेजी पुस्तक का प्रकाशन **'वॉईस ऑफ इन्डिया'** - नई दिल्ली द्वारा किया गया था।

उस अंग्रेजी पुस्तक के कुछ अंशों और पैराग्राफ्स का विरोध दिल्ली राज्य सरकार ने किया था। दिल्ली सरकार द्वारा इस संदर्भ में एक पत्र दिल्ली उच्च न्यायालय को १७ अप्रैल, २००१ को दिया गया। परिणाम स्वरूप वे सभी विवादित अंश और पैराग्राफ्स प्रकाशक ने पुस्तक में से निकाल दिये। पुस्तक की चौथी आवृत्ति में से सभी विवादित अंश निकाल दिये गये हैं, इसका निवेदन ११ मई, २००१ को लिखित स्वरूप में न्यायालय को दे दी गई।

इस घटना के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने जो आदेश दिया वह इस पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक : ३ : पर प्रकाशित किया गया है।

इस पुस्तक के जिन पृष्ठों पर से उक्त अंश हटाये गये हैं वे इस प्रकार हैं :

पृष्ठ : ३७, ४३, ७५, ७६, ७७, ७८, १११, १८२, १८३, १८४.

- **प्रकाशक**

अनुक्रम

अनुक्रम	अध्याय का शिर्षक	अनुक्रम

Bibliography

HADĪS

Sahīh Muslim. English translation by Abdul Hamid Siddiqi in four volumes. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1973-1975.

Tirmizī Sharīf. Urdu translation in 2 vols. Lal Kuan. Delhi: Rabbani Book Depot, 1980.

Sahīh Bukhari. Only partial translations in English available in India. Abridged Urdu translation, *Sahīh Bukhāri Sharīf*. Churiwalan, Delhi: Kitab Khana, Ishaitu'l Islam.

Mishkātu'l-Masbīh [Niche of lamps]. Seven-hundred-year-old collection of *Hadīs*, very popular and much in use. Reprint of English translation by Dr. James Robson. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1973. Urdu translation in 2 vols.; Delhi: Rabbani Book Depot.

QURĀN

The Korān. Translation by E. H. Palmer. London, New York, and Toronto: Oxford University Press.

Glorious Qurān. English translation with the original Arabic text by Abdullah Yusuf 'Āli. Cairo: Daral-Kitab al Masri.

Qurān Majeed. Hindi and English translations with original text in Arabic; English translation by M. Pickthall. Rampur: Maktab Al-Hasnāt.

BIOGRAPHIES OF MUHAMMAD

Sīrat Rasūl Allah by Ibn Ishāq. The very first definitive biography and the source of subsequent ones. English translation, *The Life of Muhammad*, translated and edited by A. Guillaume. Oxford, New York, and Delhi: Oxford University Press, 1980.

Tabaqāt Ibn Sa'd. The next most important source on the life of the Prophet and the Companions. Ibn Sa'd, popularly known as Kātib al-Wāqidī, composed fifteen volumes on different classes (*tabaqāt*) of Muhammad's Companions and Successors, and the history of the Khalīfas up to his own time. Urdu translation in 8 vols., vols. 1 and 2, *Sīras: The Biography of the Prophet*. Karachi: Nafees Academy.

Tārīkh Tabarī, or *Annals*, by Tabarī. The first volume, *Sīrat al-Nabī*, is a biography of Muhammad. At-Tabarī died in A.H. 310 (A.D. 922), and his *Sīrat al-Nabī* is an authoritative source of Muhammad's subsequent biographies. Urdu translation in 11 vols. Karachi: Nafees Academy.

The Rauzat-us-Safa by Muhammad b. Khavendshah b. Mahmud, popularly known as Mirkhond. A fifteenth-century Persian biography which takes into account many preceding traditions. English translation under the title *The Garden of Purity*, trans. E. Tehatsek. London: Royal Asiatic Society, 1893. Now being reprinted by Idarahi Adbiyati Delhi, Delhi-6, India.

The Life of Mahomet by Sir William Muir. Scholarly and pioneering study. 4 vols. London: Smith, Elder & Co., 1861.

Mohammad by Maxime Rodinson. Scholarly. Pelican Books, 1973.

Shiaism

Nahj al-Balāghah. Selections from sermons, letters, and sayings of 'Alī; trans. by Syed Ali Raza. Tehran: World Organization for Islamic Services.

Shiaism by S. Ghaffari. 3d ed. Tehran: Shahpur Square, 1976.

General Reference

Dictionary of Islam by Thomas Patrick Hughes. 1885; reprinted, New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation, 1976.

Encyclopaedia of Religions and Ethics, edited by James Hastings. Edinburgh and New York: T. & T. Clark.

General

The Mohammedan Controversy and Other Indian Articles by Sir William Muir. 1st ed., 1897; reprinted, Allahabad: R. S. Publishing House.

Qurān Parichaya by Deva Prakash. Hindi publication in 3 vols. The author was a great scholar of the Arabic language and Islamic religious literature. The volumes are badly printed and lack modern critical aids. Books available at Arya Samaj Dayanand Marg, Ratlam (M.P.)—India.

The Word as Revelation: Names of Gods by Ram Swarup. Among other things, discusses monotheism vis-à-vis polytheism. New Delhi: Impex India, 1980.

भूमिका

इस्लाम केवल एक पंथमीमांसा अथवा अल्लाह के बन्दों के साथ उसके रिश्तों का एक बयान भर नहीं है। उसमें सिद्धान्त–संबंधी और पंथ–संबंधी सामग्री के अलावा सामाजिक, दण्डनीति–विषयक, व्यावसायिक, आनुष्ठानिक ओर उत्सवसमारोह–संबंधी मामलों पर विचार किया गया है। वह हर विषय पर विचार करता है। यहां तक कि व्यक्ति की वेशभूषा, उसके विवाह और सहवास जैसे निजी क्षेत्रों में भी उसका दखल है। मुस्लिम पंथमीमांसकों की भाषा में, इस्लाम एक 'सम्पूर्ण' और 'समापित' मज़हब है।

यह मज़हब समान रूप से राजनैतिक एवं सामरिक है। शासनतंत्र से इसका बहुत ताल्लुक़ है और काफ़िरों से भरे हुए संसार के बारे में इसका एक बहुत ख़ास नज़रिया है। क्योंकि अधिकांश विश्व अभी भी काफ़िर है, इसलिए जो लोग मुसलमान नहीं हैं, उनके लिए इस्लाम को समझना बहुत जरूरी है।

इस्लाम के दो आधार हैं—कुरान और हदीस ('कथन' या 'परम्परा') जिन्हें सामान्यतः सुन्ना (रिवाज) कहा जाता है। दोनों का केन्द्र हैं मुहम्मद। कुरान में पैग़म्बर के 'इलहाम' (वही) हैं और हदीस में वह सब है जो उन्होंने किया या कहा, जिसका आदेश दिया, जिसके बारे में मना किया या नहीं मना किया, जिसकी मंजूरी दी या जो नामंजूर किया। एकवचन 'हदीस' शब्द (बहुवचन अहादीस) पंथ की समस्त परम्परा प्राप्त प्रथाओं के लिए इकट्ठे तौर पर भी इस्तेमाल होता है। यह शब्द सम्पूर्ण पवित्र पंथपरम्परा का द्योतक है।

मुस्लिम पंथमीमांसक कुरान और हदीस के बीच कोई भेद नहीं करते। उनके लिए ये दोनों ही इलहाम या दिव्य प्रेरणा की कृतियां हैं। इलहाम की कोटि और मात्रा दोनों कृतियों में एक समान है। सिर्फ अभिव्यक्ति का ढंग अलग है। उनके लिए 'हदीस' व्यवहार रूप में कुरान है। वह पैगम्बर की जीवनचर्या में उतरे इलहाम का मूर्त रूप है। 'कुरान' में अल्लाह मुहम्मद के मुख से बोलता है, 'सुन्ना' में वह मुहम्मद के माध्यम से काम करता है। इस तरह मुहम्मद की जीवनचर्या कुरान में कहे गए अल्लाह के वचनों की साक्षात अभिव्यक्ति है। अल्लाह दिव्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है, मुहम्मद उसकी मूर्त बानगी प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए यह अचरज की बात नहीं कि मुस्लिम पंथमीमांसक कुरान और हदीस को परस्पर पूरक अथवा एक को दूसरे की जगह रखे जा सकने लायक़ भी मानते हैं। उनके लिए हदीस "वही ग़ैर मतलू" अथार्त् "बिना पढ़ी गई वही"

है। वह कुरान की तरह आसमानी किताब से नहीं पढ़ी गई, पर उसी तरह दिव्य प्रेरणा से प्राप्त है। और कुरान "हदीस मुतवातिर" है अर्थात वह पंथपरम्परा जो सभी मुसलमानों द्वारा शुरू से ही प्रामाणिक और पक्की मानी गई है।

इस प्रकार, कुरान और हदीस, एक समान पथ–प्रदर्शन करती है। अल्लाह ने अपने पैगम्बर की मदद से हर स्थिति के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत किया है। मस्जिद में जा रहा हो या शय्याकक्ष में या शौचालय में, वह मैथुन कर रहा हो या युद्ध–सभी स्थितियों के लिए एक आदेश है और एक अनुकरणीय बानगी दी गई है। और कुरान के मुताबिक, जब अल्लाह और उसका रसूल कोई मार्ग मुक़र्रर कर दें, तो मोमिन के लिए उस मामले में अपनी किसी निजी पसंद का हक नहीं रह जाता (33 : 36)।

इस पर भी ऐसी स्थितियां सामने आ जाती हैं जिनके बारे में मार्गदर्शन का अभाव है। इमाम इब्न हंबल (जन्म हिजरी सन् 164, मृत्यु हिजरी सन् 241/= ईस्वी सन् 780 – 855) के बारे में यह कहा गया है कि उन्होंने कभी भी तरबूज नहीं खाये, यद्यपि वे जानते थे कि पैगम्बर तरबूज खाते थे। कारण यह था कि इमाम तरबूजों को खाने का पैगम्बर का तरीका नहीं जानते थे। यही किस्सा उन महान सूफी बायजीद बिस्ताम के बार में सुना जाता है, जिनकी रहस्यवादी शिक्षाएं कुरान की कट्टर मीमांसा के विरुद्ध जाती हैं ।

यद्यपि गैर–मुस्लिम संसार सुन्ना या हदीस से उतना परिचित नहीं हैं, जितना कि कुरान से, तथापि इस्लामी कानूनों, निर्देशों, एवं व्यवहारों के लिए सुन्ना या हदीस कुरान से भी कहीं ज्यादा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है। पैगम्बर के जीवनकाल से ही, करोड़ों मुसलमानों ने पोशाक और पहनावे में, खान–पान और बालों की साज–संवार में, शौच की रीति तथा यौन और वैवाहिक व्यवहार में, पैगम्बर जैसा होने की कोशिशें की है। अरब में देखें या मध्य एशिया में, भारत में या मलेशिया में, मुसलमानों में कतिपय समानुरूपताएं दिखेंगी, जैसे कि बुरका, बहुविवाह–प्रथा, वुजू और इस्तिंजा (गोपनीय अंगो का मार्जन)। ये सब सुन्ना से व्युत्पन्न तथा कुरान द्वारा समर्थित है। ये सभी, परिवर्तनशील सामाजिक दस्तूर के रूप में नहीं, बल्कि दिव्य विधान द्वारा विहित सुनिश्चित नैतिक आदेशों के नाते स्वीकार किये जाते हैं।

हदीस में विवेचित विषय बहुत से और बहुत प्रकार के हैं। उसमें अल्लाह के बारे में पैगम्बर की सूझबूझ, इहलोक और परलोक, स्वर्ग और नरक, फैसले का आखिरी दिन, ईमान, सलात, जकात, सॉम तथा हज जैसे मज़हबी मामलों के रूप में प्रसिद्ध विषय शामिल हैं। फिर उसमें जिहाद, अल–अनफाल (युद्ध में लूटा गया माल) और ख़म्स (पवित्र पंचमांश) के बारे में पैगम्बर की घोषणाएं भी

शामिल हैं। साथ ही अपराध और दंड पर; खाने, पीने, पहनावे और व्यक्तिगत साज–सज्जा पर; शिकार और कुराबानी पर; शायरों ओर सगुनियों पर; औरतों और गुलामों पर; भेंट–नजराना, विरासत और दहेज पर; शौच, वजू और गुस्ल पर; स्वप्न, नामकरण और दवाओं पर; मन्नतों क़समों और वसीयतनामों पर; प्रतिमाओं और तस्वीरों पर; कुत्तों, छिपकलियों, गिरगिटों और चीटियों पर, पैगम्बर के फैसले और घोषणाएं वहां हैं।

हदीस का साहित्य विपुल है। उसमें पैगम्बर के जीवन के मामूली ब्यौरे तक है। उनके होंठों से निकला हर शब्द, सहमति या असहमति में उनके सिर के हिलने का हर स्पन्दन, उनकी प्रत्येक चेष्टा और व्यवहार–विधि, उनके अनुयाइयों के लिए महत्वपूर्ण था। पैगम्बर के बारे में उन्होंने सब कुछ याद रखा और पुश्त–दर–पुश्त उन यादों को संजोते गये। स्वभावतः, जो लोग पैगम्बर के अधिक सम्पर्क में आये, उनके पास उनके बारे में कहने के लिए सबसे ज्यादा था। उनकी पत्नी आयशा, उनके कुलीन अनुयायी अबू बकर और उमर, दस साल तक उनका नौकर रहा अनस बिन मालिक जो हिजरी सन 93 में 103 वर्ष की बड़ी उम्र में मरा, और पैगम्बर का भतीजा अब्दुल्ला बिन अब्बास, अनेक हदीसों के उर्वर स्रोत थे। किन्तु सर्वाधिक उर्वर स्रोत थे। अबू हुरैरा जोकि 3,500 हदीसों के अधिकारी ज्ञाता थे। वे पैगम्बर के रिश्तेदार नहीं थे। पर उन्होंने पैगम्बर के दूसरे साथियों से सुन कर हदीसों का संग्रह करने में विशेषता हासिल कर ली थी। इसी तरह, 1540 हदीस जाबिर के प्रमाण से व्युत्पन्न हैं। जाबिर तो कुरैश भी नहीं थे, वरन् मदीना के खजरज क़बीले के थे जोकि मुहम्मद से सहबद्ध था।

हर एक हदीस का एक मूलपाठ (मत्न) है और एक संचरण–श्रृंखला (इस्नाद) है। एक ही पाठ की अनेक श्रृंखलाएं हो सकती हैं। मगर हर एक पाठ का स्रोत मूलतः कोई साथी (अस–हाब) होना चाहिए–कोई वह शख्स जो पैगम्बर के निजी सम्पर्क में आया हो। इन साथियों ने ये कथाएं अपने अनुयाइयों (ताबिऊन) को बतलाई, जो उन्हें अगली पीढ़ी को सौंप गये।

शुरू में हदीस मौखिक रूप में संचारित हुई। शुरू के वर्णन–कर्ताओं में से कुछ ने जरूर किसी तरह के लिखित विवरण रखे होंगे। फिर, जब असहाब और ताबिऊन और उनके वंशज नहीं रहे, तब लिखित रूप देने की जरूरत महसूस की गई। इसके दो अन्य कारण थे। कुरान के आदेश–निर्देश शुरू के अरब लोगों के सरल जीवन के लिए सम्भवतः पर्याप्त थे। पर जैसे–जैसे मुसलमानों की ताकत बढ़ी और वे एक विस्तृत साम्राज्य के स्वामी बने, वैसे–वैसे उन्हें नई स्थितियों और नये रीति–रिवाजों के अनुरूप प्रमाण का एक पूरक

आधार खोजना पड़ा। यह आधार पैगम्बर के व्यवहार में अर्थात सुन्ना में पाया गया, जोकि शुरू के मुसलमानों की जनर में पहले से ही बहुत ऊंचा सम्मान पा चुका था।

एक और भी अधिक अनिवार्य कारण था। अप्रामाणिक हदीस उभर रहीं थीं, जो प्रामाणिक हदीसों को अभिभूत कर रही थीं। इसके पीछे अनेक तरह के इरादे और प्रेरणाएं थीं। इन नई हदीसों में से कुछ सिर्फ पाखण्ड-पूर्ण थीं, जिनका उद्देश्य उन बातों को प्रोत्साहन देना था जो इनके गढ़ने वालो के विचार में मजहबी जीवन का मर्म थीं या फिर जो उनके विचार से सही पंथमीमांसा प्रस्तुत करती थीं।

साथ ही कुछ व्यक्तिगत मनसूबे भी इनके पीछे थे। हदीस अब सिर्फ शिक्षाप्रद कहानियां नहीं रह गई थी। वे प्रतिष्ठा और लाभ का स्रोत भी बन गई थीं। अपने पुरखों का मुजाहिर या अन्सार में शुमार किया जाना, अल-अक़ाबा की प्रतिज्ञा के समय उनकी मौजूदगी, बद्र और उहुद की लड़ाइयों के योद्धाओं में उनका शामिल होना-संक्षेप में, पैगम्बर के प्रति वफ़ादारी और उपयोगिता के किसी भी सन्दर्भ में उनका उल्लेख होना-बहुत बड़ी बात हो गई थी। इसलिए ऐसे मुहद्दिसों की मांग बढ़ गई थी, जो यथायोग्य हदीस प्रस्तुत कर सकें। शुरहबील बिन साद जैसे हदीस के संग्रहकर्ताओं ने अपनी क्षमता का असरदार इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने स्वार्थानुसार किसी की पीठ सहलाई, किसी को डरा-धमका कर धन हड़प लिया।

गुट-स्वार्थो की पूर्ति के लिए भी जाली हदीस गढ़ी गई। मुहम्मद की मौत के फौरन बाद विभिन्न गुटों में सत्ता के लिए जानलेवा भिड़ंतें हुईं। विशेषकर अलीवंशियों, उमैया-वंशियों और बाद में अब्बासियों के बीच। इस संघर्ष में प्रबल भावावेग उमड़ा और उसके प्रभाव में नई-नई हदीस गढी गईं तथा पुरानी हदीसों को उपयोगी दृष्टि से तोड़ा-मरोड़ा गया।

मजहबी और वीर-पूजक बुद्धि ने मुहम्मद के जीवनवृत्त के चतुर्दिक अनेक चमत्कार जोड़ दिए, जिससे मुहम्मद का मानव व्यक्तित्व पुराकथाओं के पीछे छुपने लगा।

इन परिस्थितियों में यह प्रयास गम्भीरतापूर्वक किया गया कि मौजूदा सभी हदीस संग्रहीत की जाएं, उनकी छान-बीन हो, अप्रामाणिक हदीस रद्द कर दी जायें और सही हदीसों को लिखित रूप दिया जाय। मुहम्मद के एक-सौ वर्ष बाद खलीफा उमर द्वितीय के शासन में ऐसे आदेश दिये गये कि सभी मौजूदा हदीसों का बकर इब्न मुहम्मद की देख-रेख में संग्रह हो। पर इस के लिए मुस्लिम संसार को और सौ साल इन्तजार करना पडा। मुहम्मद इस्माइल अलबुखारी (हिजरी सन् 194—256 = ईसवी सन् 810-870), मुस्लिम इब्नुल हज्जाज (हिजरी सन् 204-261 = ईसवी सन् 819-875), अबू ईसा मुहम्मद अत-तिरमिजी (हिजरी सन् 209-279 = ईसवी सन् 824-892), अबू दाउद अस-सजिस्तानी (हिजरी सन् 202-275 = ईसवी सन् 817-888), तथा अन्य हदीसकारों की विशिष्ट मंडली ने इन हदीसों की छानबीन का काम हाथ में लिया था।

बुख़ारी ने प्रामाणिकता के सिद्धान्तों का सविस्तार प्रतिपादन किया और उनको दृढ़ता से लागू किया। कहा जाता है कि उन्होंने 6 लाख हदीस संग्रहीत कीं, पर उनमें से सिर्फ सात हजार को प्रामाणिक माना। अबू दाउद ने 5 लाख संग्रहीत हदीसों में से केवल 4800 को मान्य किया। यह भी कहा जाता है कि संचरण की विभिन्न श्रृंखलाओं में 40 हजार नामों का उल्लेख किया गया था, पर बुख़ारी ने उनमें से सिर्फ 2 हजार को प्रामाणिक माना।

इन हदीसकारों के श्रमसाध्य कार्य के फलस्वरूप, हदीसों के अस्तव्यस्त ढेर को काटा-छांटा जा सका और उनमें कुछ सिलसिला तथा सामंजस्य लाया जा सका। 1000 से अधिक संग्रह, जो प्रचलन में थे, कालक्रम में विलुप्त हो गये और सिर्फ 6 संग्रह, जो "सिहा सित्ता" कहे जाते हैं, प्रामाणिक "सही" यानी संग्रह मान्य हुए। इनमें से दो को सर्वाधिक महत्व प्राप्त है, ये "दो प्रामाणिक" कहे जाते हैं-एक इमाम बुखारी वाला ओर दूसरा इमाम मुस्लिम वाला। उनमें अभी भी चमत्कारिक एवं असम्भाव्य सामग्री खासी मात्रा में है, पर तब भी उनका अधिकांश तथ्यात्मक और ऐतिहासिक है। मुहम्मद की मौत के बाद तीन-सौ साल के अंदर हदीस को बहुत हद तक वह शक्ल प्राप्त हो गई थी जिसमें वह आज पाई जाती है।

उस काफिर को जिस की बुद्धि सही-सलामत है, हदीस किंचित् अशोभन-सी कथा-वार्ताओं का संग्रह लगती है-एक ऐसे व्यक्ति की कथा जो कुछ ज्यादा ही मानव-सुलभ स्वभाव वाला है। किन्तु मुस्लिम मानस को उसे एक अलग ही ढ़ंग से देखना सिखाया गया है। मुसलमानों ने श्रद्धायुक्त विस्मय एवं पूजा की भावना से ही हदीस के विषय में लिखा-बोला है, उसका वाचन और अध्ययन किया है। मुहम्मद के एक सहचर और एक महान हदीसकार (जो 305 हदीसों के अधिकारी वक्ता हैं और जिनका हिजरी सन् 32 में 72 बरस की उम्र में देहावसान हुआ) अब्दुल्ला इब्न मसूद के बारे में यह कहा जाता है कि हदीस बांचते समय वे थरथराने लगते थे, और अक्सर उनके पूरे माथे पर पसीना छलछला उठता था। मोमिन मुसलमानों से अपेक्षा की जाती है कि वे हदीस को उसी भाव और उसी बुद्धि से पढ़ें। समय का अंतराल इस प्रक्रिया में सहायक बनता है। समय बीतने के साथ-साथ नायक उत्तरोत्तर महान दिखने लगता है।

अपनी इस पुस्तक के लिए हमने भी सही मुस्लिम को मुख्य मूलपाठ के रूप में चुना है। वह हमारा आधार है, यद्यपि अपने विचार–विमर्श के क्रम में हमने बहुधा कुरान से उद्धरण दिये हैं। कुरान और हदीस परस्परावलंबी एवं एक दूसरे पर प्रकाश डालने वाले हैं। कुरान में मूलपाठ मिलता है, हदीस में उसका सन्दर्भ। वस्तुतः हदीस की मदद के बिना कुरान समझ में नहीं आ सकता। क्योंकि कुरान की प्रत्येक आयत का एक सन्दर्भ है, जोकि हदीस से ही जाना जा सकता है। कुरान के इलहामों को हदीस साकार–सगुण रूप देती है, उनका लौकिक अभिप्राय व्यक्त करती है और उन के ठेठ घटना–प्रसंग बतलाती है।

कुछ मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए हमने यहां–वहां पर पैगम्बर की परम्परागत जीवनियों से भी उद्धरण दिये हैं। ये जीवनियों पैगम्बर के जीवन की घटनाओं के इर्द–गिर्द कालानुक्रम में व्यवस्थित हदीसों से अधिक कुछ नहीं। उसके पूर्व कई मगाजी किताबें (पैगम्बर के अभियानों संबंधी किताबें) मिलती हैं। पैगम्बर की प्रायः पहली प्रौढ़ जीवनी है इब्न–इसहाक की, जो मदीना में हिजरी सन् 85 में जन्में और जिनकी मृत्यु हिजरी सन् 151 (ईस्वी 768) में बगदाद में हुई। उनके बाद कई अन्य उल्लेखनीय जीवनीकार हुए जिन्होंने उनके श्रम का प्रचुर उपयोग किया। वे थे–अल–वाकिदी, इब्न हिशाम, और अत–तवरी। इसहाक की "सीरत रसूल अल्लाह" का ए॰ गिलौम कृत अंग्रेजी अनुवाद "द लाइफ आफ मुहम्मद" (आक्सफोर्ड 1958) शीर्षक से उपलब्ध है।

इसके पहले कतिपय हदीस–संग्रहों के आंशिक अंग्रेजी अनुवाद ही उपलब्ध थे। इस कमी को पूरा करने और "सही मुस्लिम" का परिपूर्ण अनुवाद (लाहौरः मुहम्मद अशरफ) प्रदान करने के लिए डा॰ अब्दुल हमीद सिद्दीकी को धन्यवाद मिलना चाहिए। एक प्राच्य ग्रंथ के एक प्राच्य बुद्धि द्वारा किये गये अनुवाद का एक लाभ है–उसमें मूल का आस्वाद सुरक्षित रहता है। उनकी अंग्रेजी क्वीन्स इंग्लिश भले ही न हो और जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है उन्हें यह अंग्रेजी भले ही कुछ–कुछ परदेशी सी लगे, पर यह अनुवाद अविकल है और मूल के मुहावरे को दोहराता है।

डा॰ सिद्दीकी का काम मूल कृति के अनुवाद से कहीं ज्यादा है। उन्होंने प्रचुर मात्रा में व्याख्यात्मक टिप्पणियां दी हैं। 7190 अहादीस वाली "सही" में उन्होंने 3081 पाद–टिप्पणियां दी हैं। अस्पष्ट मुदों ओर सन्दर्भों को स्पष्ट करने के अतिरिक्त, ये टिप्पणियां हमें पारम्परिक मुस्लिम विद्वत्ता का प्रामाणिक आस्वाद प्रदान करती हैं। वस्तुतः एक सुप्रतिष्ठित और विद्वज्जनोचित रीति से व्यवस्थित ये टिप्पणियां अपने–आप में विचार का एक महत्वपूर्ण विषय बन सकती हैं। इनसे यह प्रकट होता है कि इस्लाम में विद्वत्ता की भूमिका गौण है–वह कुरान

ओर हदीस की अनुचर है। उसकी स्वय की कोई जिज्ञासा या गवेषणा नहीं है। तथापि स्पष्टीकरण और पक्ष–मंडन की जो भूमिका उसने अपने लिए चुनी है, उसकी परिधि में प्रवीणता, और यहां तक कि प्रतिभा, की सामर्थ्य भी उस विद्वता में विद्यमान है। इसलिए हमने इन टिप्पणियों से भी उदाहरण दिये हैं। लगभग 45 बार, ताकि पाठक को इस्लामी विद्वत्ता की बानगी मिल जाय।

अब कुछ शब्द इसके बारे में कि प्रस्तुत पुस्तक लिखी कैसे गई। जब हमने डा॰ सिद्दीकी का अनुवाद पढ़ा, तो हमें लगा कि इसमें इस्लाम–विषयक महत्वपूर्ण सामग्री है, जो बहुत लोगों के लिए जानने योग्य है। कई शताब्दियों तक प्रसुप्त रहने के बाद, इस्लाम पुनः गतिशील है। योरोपीय जातियों के उत्थान से पहले दुनिया को सभ्य बनाने का भार इस्लाम ने सम्हाल रखा था। उसका यह भार "श्वेत मानव के भार" का ही रूपान्तर था। उसका मिशन तो और भी अधिक आडम्बर–युक्त था, क्योंकि वह खुद अल्लाह की ओर से मिला था। मुसलमानों ने बहुदेववाद को निर्मूल करने, अपने पड़ोसियों के उपास्य देवताओं को सिंहासन से हटाने और उनकी जगह अपने देवता, अल्लाह, को स्थापित करने के लिए तलवार चलाई। यह और बात है कि इस सिलसिले में उन्होंने लूट भी की और साम्राज्य भी स्थापित किये। ये तो दिव्य परलोक की साधना में तल्लीन लोगों द्वारा अनचाहे लौकिक पुरस्कार मात्र थे।

अरबों की नई तेल–संपदा की कृपा से पुराना मिशन पुनर्जीवित हा उठा है। जिद्दा में एक तरह का "मुस्लिम कॉमिन्फॉर्म" रूपायित हो रहा है। तेल–धनिक अरब लोग हर जगह के मुसलमानों का भार अपने ऊपर ले रहे हैं, उनकी आध्यात्मिक और साथ ही दुनियावी ज़रूरतों की देखभाल कर रहे हैं। अरब धन मुस्लिम जगत में सर्वत्र सक्रिय है–पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, मलेशिया में, हिन्देशिया में, और बड़ी मुस्लिम आबादी वाले भारतदेश में भी।

सैनिक दृष्टि से अरब अभी भी दुर्बल हैं और पश्चिम पर निर्भर हैं। लेकिन उनकी दस्तंदाजी का पूरा प्रकोप एशिया और अफ्रीका के उन देशों में दिखाई दे रहा है, जो आर्थिक रूप में गरीब और वैचारिक रूप में कमजोर हैं। इन देशों में वे निम्नतल पर भी काम करते हैं और शिखर पर भी। वे स्थानीय राजनीतिज्ञों को खरीद लेते हैं। उन्होंने गेबन एवं मध्य अफ्रीकी साम्राज्य के राष्ट्रपतियों का मतान्तरण मोल–तोल से किया है। उन्होंने "दारूल हरब" यानी उन देशों के मुसलमानों को गोद ले रखा है, जो अभी भी काफिर हैं और मुसलमानों द्वारा पूरी तरह अधीन नहीं किये जा सके हैं। वे इन अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल इन देशों को "दारूल इस्लाम" यानी "शांति के स्थान" में रूपांतरित करने के लिए कर रहे हैं। अर्थात इन को ऐसे देश बना डालने के लिए जहां इस्लाम का आधिपत्य हो।

सर्वोत्तम परिस्थितियों में भी, मुसलमान अल्पसंख्यकों को किसी देश की मुख्य राष्ट्रीय धारा में सम्मिलित कर पाना मुश्किल है। अरब हस्तक्षेप ने इस काम को और ज्यादा मुश्किल बना डाला है। फिलिपीन्स में मोरो मुसलमानों के विद्रोह के पीछे यही हस्तक्षेप था। भारत में लगातार एक मुसलमान–समस्या बनी हुई है, जिसका समाधान देश–विभाजन के बावजूद सम्भव नहीं हो पा रहा। अरब दस्तंदाजी ने मामले को और ज्यादा उलझा दिया है।

मुस्लिम जगत में एक नया कठमुल्लावाद पनप रहा है जिससे खुमैनी और मुअम्मर कद्दाफी जैसे नेता उभर रहे हैं। जहां भी वह विजयी होता है, वहीं उसके परिणामस्वरूप तानाशाही आ जाती है। कठमुल्लावाद और अधिनायकवाद जुड़वां संताने हैं।

कतिपय विचाराकों के अनुसार, यह कठमुल्लावाद मुसलमानों द्वारा की जाने वाली अपने ऐतिह्य तथा अपनी आत्मनिष्ठा की तलाश के सिवाय और कुछ नहीं है, पश्चिम की पदार्थवादी एवं पूंजीवादी आस्थाओं के खिलाफ अपनी संस्कृति में उपलब्ध प्रतीकों के सहारे आत्मरक्षा का एक अस्त्र है। किन्तु ध्यानपूर्वक देखें तो यह कुछ और भी है। यह पुराने साम्राज्यवादी दिनों के वैभव को फिर से पाने का सपना भी है। इस्लाम स्वभाव से ही कठमुल्लावादी है और यह कठमुल्लापन आक्रामक प्रकृति वाला है। इस्लाम का दावा है कि उसने हमेशा–हमेशा के लिए मनुष्य के विचार एवं आचार को निर्धारित–निरूपित कर दिया है। वह किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है और वह अपनी आस्थाओं और आचरण–प्रणालियों को दूसरों पर थोपना उचित मानता है।

यह तो अपने–अपने दृष्टिकोण पर निर्भर है कि इस कठमुल्लावाद को पुनरुत्थान माना जाए या प्रतिगामिता एवं एक पुराने साम्राज्यवाद के फिर से उभर आने का खतरा। किन्तु समस्या के किसी भी पहलू पर प्रकाश डालने वाली कोई भी बात बहुत सहायक समझी जायेगी।

हम हदीस साहित्य को इस विषय में सर्वथा उपयुक्त पाते हैं। वहां हमें इस्लाम के उद्गम–स्रोतों का और इस्लाम के निर्माणकाल का अन्तरंग चित्र मिलता है जिससे कि उन तत्त्वों के साथ घनिष्ट परिचय हो जाता है, जो प्रारम्भ से ही इस्लाम के अवयव रहे हैं। दरअस्ल, इस्लाम के ये तत्त्व ही मुसलमानों को सर्वाधिक सम्मोहक लगते हैं और इस प्रकार, अपने पूर्वजों जैसा बनने को बाध्य कर देने वाली प्रचंड प्रेरणा से भरकर, बारम्बार उन तत्त्वों का आह्वान करते हैं और उधर ही लौटते रहते हैं।

इसीलिए हमने सही मुस्लिम को मार्गदर्शक के रूप में चुना है। उसका अंग्रेजी अनुवाद भी सुलभ है। क्योंकि ज्यादातर हदीस संग्रहों की सार–सामग्री

एक ही है, इसलिए हमारा यह चुनाव भ्रान्तिकारक नहीं है। दूसरी ओर, यह चुनाव हमारे अध्ययन एवं हमारी जिज्ञासा के क्षेत्र का सार्थक सीमांकन कर देता है।

इस चुनाव में एक कमी है जिसके लाभ भी है, और हानियां भी। इस रीति से यद्यपि हमने बहुत से मुद्दों पर चर्चा की है, किन्तु विस्तृत वर्णन एक का भी नहीं हो सका है। कुछ महत्वपूर्ण मसले इसीलिए अधिक विवेचन किये बिना छोड़ दिये गये और कुछेक का तो इस लिए विचार ही नहीं बन पड़ा कि वे मसले सही मुस्लिम में उठाये ही नहीं गये हैं। हमने सही मुस्लिम को ही सामने रखते हुए विवेचना की है। इसलिए यह स्थिति अपरिहार्य थी। तब भी हमने यत्र–तत्र इस सही की सीमाओं से परे जाकर इस स्थिति से पार पाने की कुछ कोशिश की है।

हमारे द्वारा अपनायी गई विवेचना–पद्धति की सीमाओं के बावजूद, सही मुस्लिम इस्लामी विश्वासों एवं व्यवहारों पर एक अत्यधिक व्यापक जानकारी देने वाला स्रोत तो है ही। और हमने उसमें से यथातथ और बड़े पैमाने पर उद्धरण दिये हैं। उसमें 7,190 अहादीस हैं, जो 1243 पर्वो में विभक्त हैं। कई बार एक ही पाठ अनेक पर्वो में थोड़े रूप–भेद से किन्तु भिन्न संरचरण–श्रृंखलाओं के माध्यम से आया है। इसीलिए, कई मामलों में, एक हदीस अनेक अहादीस की प्रतिनिधि जैसी है और ऐसी एक हदीस को उद्धृत करना यथार्थतः एक पूरे पर्वको उद्धृत करने के समान है। इस पुस्तक में हमने ऐसे प्रतिनिधि रूप वाली लगभग 675 अलग–अलग हदीसों को उद्धृत किया है। हमारे द्वारा उद्धृत अन्य 700 अहादीस समूह–अहादीस या उनका सार–संक्षेप हैं। वे अंश जो सिर्फ रस्मों और अनुष्ठानों से सम्बद्ध हैं तथा गैर–मुसलमानों के लिए कोई विशेष महत्व नही रखते, हमने पूरी तरह छोड दिये हैं। पर हमने ऐसी हर हदीस जिसका साथ ही कोई गहरा'तात्पर्य हो, सहर्ष शामिल की है। यद्यपि ऐसे उदाहरण विरले ही हैं। उदाहरणार्थ, तीर्थयात्रा से सम्बद्ध "किताब अलहज्ज" एक लंबी किताब है। उसमें 583 हदीस हैं। पर उनमें एक भी ऐसी नहीं, जो उस "आंतरिक तीर्थयात्रा" की ओर किसी भी तरह इंगित करती हो, जिसके बारे में रहस्यवादियों ने इतना अधिक कहा है। इसी तरह "जिहाद और सैनिक अभियानों की किताब" में 180 हदीस हैं। पर वहां भी बमुश्किल कोई बात मिलेगी, जो "जिहाद अल–अकबर" अर्थात अपनी खुद की अधोगामी प्रवृत्तियों (नफ्स) के विरुद्ध "महान संग्राम" की भावना का संकेत करती हो। अधिकांश विचार–विमर्श अर्न्तमुखी भाव से रहित है।

अन्य हदीस–संग्रहों की ही भांति, सही–मुस्लिम भी पैगम्बर की जिन्दगी की अत्यन्त अन्तरंग झलकें प्रस्तुत करती है। पैगम्बर की जो छबि यहां उभरती है वह उन की विधिवत् लिखी गई जीविनयों में चित्रित उन के रूप की अपेक्षा अधिक मूर्त और मानवीय है। उसमें उनको दम्भपूर्ण विचारों और व्यवहारों के माध्यम से नहीं बल्कि उनकी सहज–साधारण जीवनचर्या के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कोई साज–सज्जा नहीं, कोई कांतिवर्धक अवलेप नहीं, भावी पीढ़ियों के लिए कोई विशेष दिखावा नहीं। उसमें पैगम्बर के जीवन की साधारण चर्या की यथार्थ प्रस्तुति है। वहां वे हमें सोते हुए, खाना खाते हुए, मैथुन करते हुए, इबादत करते हुए, नफरत करते हुए, फैसले करते हुए, दुश्मनों के खिलाफ सैनिक अभियानों की और बदला लेने की योजनाएं बनाते हुए, मिलते हैं। इस प्रकार जो तस्वीर बनती है, उस को मनोहर तो नहीं माना जा सकता। हम विस्मय से भर कर अव्वल तो यह सोचने लगते हैं कि ये बातें आखिर लिखी–बताई ही क्यों गई और फिर यह कि ये बातें उनके प्रशंसकों ने लिखी हैं या विराधियों ने। यह भी विस्मय का ही विषय रह जाता है कि मोमिनों की पीढ़ी–दर–पीढ़ी यह कथा इतनी प्रेरणापूर्ण क्यों लगती आई है।

इसका उत्तर यही है कि मोमिनों को इन सारी बातों को श्रद्धा की दृष्टि से देखना सिखाया गया है। एक काफिर अपनी आधारभूत अन्धता के कारण पैगम्बर को इन्द्रियासक्त तथा क्रूर समझ सकता है–और निश्चित ही उनके बहुत–से कार्य नैतिकता के साधारण सूत्रों से सुसंगत नहीं हैं–पर ईमान वाले तो सारे वाकयात को अलग ही नजरिये से देखते हैं। उनके लिए नैतिकता का उद्‌गम ही पैगम्बर की चर्या से होता है। पैगम्बर ने जो किया, वही नैतिक है। पैगम्बर के आचरण का नियमन नैतिकता द्वारा नहीं होता, वरन् उनके आचरण से ही नैतिकता निर्धारित और परिभाषित होती है।

इस रीति एवं इस तर्क से ही मुहम्मद के मतामत इस्लाम के धर्म–सिद्धान्त बन गये तथा उनकी निजी आदतें और स्वभावगत विलक्षणताएं नैतिक आदेश मान ली गई। वे सभी ईमानवालों के लिए सभी समय और सभी देशों में अल्लाह का आदेश मान्य हुई।

इस पुस्तक के शीर्षक के सम्बन्ध में भी कुछ कहना है। यह हदीस पैगम्बर का ऐसा सहज और यथार्थ चित्रण करती है कि इसे "हदीस (सही मुस्लिम) के शब्दों में मुहम्मद" कहना सर्वथा सम्यक् होता। पर क्योंकि इस्लाम का अधिकांश मोहम्मदवाद है, इसलिए उतने ही न्यायोचित रूप में इसे "हदीस के शब्दों में इस्लाम" भी कहा जा सकता है।

श्रद्धापरायण इस्लामी साहित्य में जब भी पैगम्बर के नाम या उनकी उपाधि का उल्लेख होता है, तो बार–बार दोहराए गए इस आशीर्वचन के साथ होता है कि "उन्हें शांति प्राप्त हो"। इसी तरह उनके अधिक महत्वपूर्ण साथियों के उल्लेख के साथ यह दोहराया जाता है कि "अल्लाह उन पर प्रसन्न हों।" हमने निर्बाध पाठ की सुविधा के लिए, हदीस साहित्य से उद्धरण देते समय इन वचनों को छोड़ दिया है।

श्री लक्ष्मीचन्द जैन, डा॰ शिशिरकुमार घोष, श्री ए.सी. गुप्त, श्री केदारनाथ साहनी और श्रीमती फ्रैन्सीन एलिसन कृष्ण ने क्रमशः पाण्डुलिपि पढ़ी और कई सुझाव दिये। श्री एच॰ पी॰ लोहिया एवं श्री सीताराम गोयल इस रचना के प्रत्येक चरण से जुड़े रहे हैं। अंग्रेजी संस्करण का सारा श्रेय दो भारतीय मित्रों को जाता है–एक बंगाल के हैं, दूसरे आन्ध्र के। दोनों अब अमेरिकावासी हैं। वे अनाम रहना चाहते हैं। श्री पी॰ राजप्पन आचार्य ने अंग्रेजी की पाण्डुलिपि टंकित की। श्री पंकज ने प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद किया है।

मैं इन सब के प्रति कृतज्ञ एवं आभारी हूं।

रामस्वरूप

1

आस्था (ईमान)

सही मुस्लिम की पहली किताब है 'अल–ईमान'। इसमें कुल 431 हदीस हैं, जिनको 92 पर्वों में बांटा गया है। पुस्तक में ईमान के प्रसंगों पर चर्चा की गई है।

एक आदमी बहुत दूर से चलकर मुहम्मद के पास आता है। फिर भी थकावट का कोई आभास दिए बिना मुहम्मद से पूछता है–"मुहम्मद ! मुझे अल–इस्लाम के बारे में बतलाइए।"

अल्लाह के पैगम्बर फरमाते हैं–"इस्लाम की मांग है कि तुम यह गवाही दो कि अल्लाह के सिवाय कोई अन्य आराध्य नहीं है, और मुहम्मद अल्लाह का रसूल है, और तुम नमाज़ अपनाओ, ज़कात अदा करो, रमज़ान में रोज़ा रखो और हज पर जाओ।"

पूछताछ करने वाला जब चला जाता है तो मुहम्मद उमर से कहते है–"वह जिब्रैल था। तुम लोगों को मजहब की शिक्षा देने के लिए तुम लोगों के पास आया था" (1)[1]।

यह सबसे पहली हदीस है जो उमर के द्वारा कही गई। उमर बाद में खलीफा बने। उनकी यह हदीस कथाकारों की कई श्रृंखलाओं के माध्यम से मिलती है।

यही बात सैकड़ों हदीसों में कही गई है। अल–इस्लाम अल्लाह पर आस्था है, अल्लाह के रसूल मुहम्मद पर आस्था है, और आस्था है अल्लाह की किताब पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, कयामत के दिन मुर्दों के उठ खड़े होने पर, महशर पर, जकात अदा करने पर, रोजा (रमजान) रखने पर और हज करने पर।

केवल अल्लाह काफी नहीं

केवल अल्लाह को मान लेना ही काफी नहीं। साथ ही मुहम्मद को अल्लाह का रसूल मानना भी जरूरी है। रविया कबीले का एक प्रतिनिधि–मण्डल मुहम्मद के पास आता है। मुहम्मद उस मण्डल से कहते हैं–"मै आदेश देता हूं कि तुम

1. सही की सारी हदीसों का संख्याक्रम है। अनुवादक की टिप्पणियों का भी। उदाहरण देते समय कोष्टक में उनका उल्लेख है।

लोग केवल अल्लाह पर आस्था जमाओ।" फिर मुहम्मद उन लोगों से पूछते हैं–"क्या तुम जानते हो कि अल्लाह पर आस्था रखने का सही अर्थ क्या है ?" और मुहम्मद अपने–आप ही प्रश्न का उत्तर देते हैं–"इसका अर्थ है इस सत्य की गवाही देना कि अल्लाह के सिवाय कोई अन्य आराध्य नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं।" नमाज, जकात, रमजान इत्यादि के साथ वे यह भी बतलाते हैं कि "तुम लोग लूट के माल का पंचमांश अदा करो" (23)। लूट के माल के विषय में हम यथा प्रसंग और भी बहुत कुछ मुहम्मद के मुख से सुनेंगे।

इसी प्रकार की बातें, मुआज़ को यमन का शासक बनाकर भेजते हुए, मुहम्मद कहते हैं– "अव्वल उन्हें गवाही देने के लिए कहो कि अल्लाह के सिवाय कोई अन्य आराध्य नहीं है और मैं (मुहम्मद) अल्लाह का रसूल हूं। यदि वे इसे मंजूर कर लेते हैं तो उनसे कहो कि अल्लाह ने उनके लिए ज़कात की अदायगी का एक जरूरी फर्ज़ तय किया है"(27)।

मुहम्मद के मिशन का एक और भी स्पष्टतर विवरण इन पंक्तियों में मिलता है–"मुझे लोगों के खिलाफ़ तब तक लड़ते रहने का आदेश मिला है, जब तक वे यह गवाही न दें कि अल्लाह के सिवाय कोई अन्य आराध्य नहीं है और मुहम्मद अल्लाह का रसूल है और जब तक वे नमाज न अपनाएं तथा जकात न अदा करें। यदि वे यह सब करते हैं, तो उनके जान और माल की हिफाजत की मेरी ओर से गारंटी है"(33)।

मुहम्मद "अल्लाह" शब्द का प्रयोग प्रचुरता से करते हैं। पर कई बार अल्लाह भी पीछे पड जाता है। अपने ऊपर आस्था रखने वालों से मुहम्मद कहते हैं–"तुममें से कोई तब तक मुसलमान नहीं है, जब तक कि मैं उसे अपने बच्चे, अपने पिता और सारी मानव–जाति से अधिक प्यारा नहीं हूं"(71)।

अल्लाह और उनके रसूल–सच कहें तो मुहम्मद और उनके–नमाज, जकात, रमजान और हज, इन पांचों को कई बार इस्लाम के पांच स्तम्भ कहा जाता है। किन्तु हदीस में ऐसी कुछ अन्य आस्थाओं और अनुशासनों का जिक्र भी जगह–जगह मिलता है, जो इन पांचों से कम महत्वपूर्ण नहीं। इनमें से कुछ ख़ास–ख़ास ये हैं– जन्नत, जहन्नुम, कयामत का दिन, जिहाद (बहुदेववादियों के खिलाफ लड़ी जाने के कारण पवित्र मानी जाने वाली जंग), जजिया (बहुदेववादियों से वसूला जाने वाला व्यक्ति–कर), ग़नीमा (युद्ध मे लूटा गया माल) और ख़म्स (पवित्र पंचमांश)। मुहम्मद–प्रणीत मज़हब के ये मुख्य अंग हैं। अल्लाह जब जहन्नुम में मिलने वाली सज़ाओं की धमकियां देता है और जन्नत में मिलने वाली नेमतों के वायदे करता है, तब वह साकार हो उठता है। इसी तरह, इस्लाम के इतिहास में, जिहाद और युद्ध में लूटे गये माल ने हज और ज़कात से भी

ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रस्तुत अध्ययन में इन समस्त अवधारणाओं की यथाक्रम यथास्थान समीक्षा होगी।

सत्कर्म और दुष्कर्म

सत्कर्म क्या है ? और दुष्कर्म क्या ? विभिन्न धर्मपंथों, विभिन्न दर्शनधाराओं तथा विभिन्न गुरूओं ने इन प्रश्नों पर मनन किया है। इस्लाम ने भी इनके विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत किये हैं। वह बतलाता है कि सत्कर्मों को स्वतन्त्र रूप में नहीं देखना चाहिए, उनके साथ सही मजहब का चुनाव भी जरूरी है। सही मुस्लिम के अनुवादक अब्दुल हमीद सिद्दीकी इस्लामी दृष्टि को यूं रखते हैं–"अज्ञान की दशा में (इस्लाम के दायरे से बाहर रहने पर) किये गये अच्छे काम इस तथ्य के सूचक हैं कि व्यक्ति सदाचार की ओर उन्मुख है। किन्तु सच्चे अर्थों में सदाचारी तथा धर्मात्मा होने के लिए अल्लाह की इच्छा की सही–सही समझ अत्यावश्यक है। ऐसी समझ इस्लाम में मूर्त है और सिर्फ पैगम्बर के माध्यम से ही विश्वस्त रूप में जानी जा सकती है। इस तरह, इस्लाम पर ईमान लाये बिना हम अपने स्वामी और प्रभु की सेवा उसकी इच्छानुसार नहीं कर सकते... सत्कर्म अपने–आप में अच्छे हो सकते हैं, पर इस्लाम कबूल करने पर ही ये सत्कर्म अल्लाताला की नज़र में महत्वपूर्ण और सार्थक हो पाते हैं" (टी० 218)।

मुहम्मद की नजर में, गलत मजहब अनैतिक कर्मों से भी अधिक बदतर है। जब उनसे पूछा गया–"अल्लाह की नजर में कौन–सा पाप विकटतम है ?" तो उन्होने उत्तर दिया–"यह कि तुम अल्लाह की जात में किसी और को शरीक करो।" अपने बच्चे का कत्ल और पड़ौसी की बीबी से व्यभिचार मुहम्मद के अनुसार दूसरे और तीसरे नंबर के पाप हैं (156)।

दरअसल सिर्फ गलत मजहब ही किसी मुसलमान को जन्नत के बाहर रख सकता है। अन्यथा कोई भी अनैतिक दुष्कृत्य जन्नत में उनके प्रवेश में बाधक नहीं बनता– व्यभिचार और चोरी तक नहीं। मुहम्मद हमें बतलाते हैं–"जिब्रैल मेरे पास आये और संवाद दिया कि वस्तुतः तुम्हारी उम्मा (संप्रदाय, कौम, समुदाय) में जो लोग अल्लाह को किसी और के साथ जोड़े बिना जिन्दगी पूरी कर गये, वे जन्नत में दाखिल होंगे।" इसे स्पष्ट करने के लिए इस हदीस का वर्णन करने वाला अबू जर्र मुहम्मद से पूछता है कि क्या यह उस शख्स के वास्ते भी सच है जिसने व्यभिचार व चोरी की हो। मुहम्मद उत्तर देते हैं–"हां, उसके वास्ते भी, जिसने व्यभिचार व चोरी की हो"(171)। अनुवादक इस मुददे को आगे स्पष्ट करते हैं–"व्यभिचार और चोरी, दोनों इस्लाम में संगीन जुर्म करार दिए गए है किन्तु ये जुर्म मुजरिम को अनन्त नरक की सजा नहीं देते।" किन्तु बहुदेववाद अथवा किसी और देवता को "अल्लाह के साथ जोड़ने की कोशिश

एक अक्षम्य अपराध है, और अपराधकर्ता को अनन्त नरकवास करना पड़ेगा" (टी० 168 एवं 170)।

जिस परिमाण में बहुदेववाद विकटतम अपराध है, उसी में ममेश्वरवाद सर्वोत्तम सत्कर्म है। जब मुहम्मद से "सर्वोत्तम कर्मों" के बारे में सवाल होता है तो वे जवाब देते हैं–"अल्लाह पर विश्वास ही सर्वोत्तम कर्म है।" उनसे पूछा जाता है–"उसके बाद ?" वे बतलाते हैं–"जिहाद" (148)। मुस्लिम पंथमीमांसा में निश्चय ही "अल्लाह पर विश्वास" का मतलब है "अल्लाह और उसके रसूल पर विश्वास" जब एक बार कोई अल्लाह और उसके रसूल पर विश्वास कर लेता है, तब उसके अतीत के सब अपराध धुल जाते हैं और भविष्य का भय नहीं रह जाता है। यह आश्वासन मुहम्मद ने उन बहुदेववादियों को दिया "जिन्होंने बड़ी संख्या में हत्याए की थीं और जो व्यापक व्यभिचार में लिप्त रहे थे" किन्तु जो मुहम्मद के साथ आने को तैयार थे। एक अन्य व्यक्ति से भी अपने अतीत के पापों के प्रति अपराध–भावना का अनुभव कर रहा था, मुहम्मद ने कहा–"क्या तुम्हे यह असलियत मालूम नहीं है कि इस्लाम पहले के सब बुरे कर्मों को धो–पोंछ डालता है ?" (220)।

नैतिक निष्ठाएं

मुहम्मद का मजहब प्रधानतः मीमांसात्मक है। तथापि उसमें नैतिक निष्ठाओं की पूरी तरह उपेक्षा नहीं की गई है। इस्लाम–पूर्व काल में अरब लोग उन अनेक नैतिक निष्ठाओं में आस्था रखते थे, जो समस्त मानव–जाति में समान रूप से मान्य रहीं हैं। मुहम्मद ने इन निष्ठाओं को कायम रहने दिया, परन्तु उन्हें एक साम्प्रदायिक मोड़ दे दिया। मुसलमान सभी मामलों में स्वयं को मिल्लत का ऋणी मानता है, दूसरों के प्रति आभार–भाव उसमें नगण्य होता है। मानव जाति के अंगभूत गैर–मुसलमानों के प्रति वह किसी भी नैतिक या आध्यात्मिक दायित्व की भावना नहीं रखता। उनके प्रति तो उसका भाव यही रहता है कि तलवार से, तथा लूट कर और जजिया लगाकर उनका मतान्तरण किया जाए। मसलन, सद्भाव एक सार्वभौम मानवीय निष्ठा है और हमें इसका व्यवहार करना ही चाहिए– सम्बन्धित व्यक्ति की राष्ट्रीयता अथवा उसके उपासना–पंथ का विचार किए बिना। किन्तु इस्लाम में, सद्भाव केवल मुसलमानों तक सीमित रहता है। एक जगह मुहम्मद "अल–दीन" ('मजहब' यानी इस्लाम) की व्याख्या "सद्भाव एवं शुभेच्छा" के रूप में करते हैं जोकि किसी भी मजहब की एक सम्यक् परिभाषा होनी चाहिए। पर जब उनसे पूछा गया कि "किसके प्रति सद्भाव एवं

शुभेच्छा ?" तब उन्होंने उत्तर दिया–"अल्लाह के प्रति, आस्मानी किताब के प्रति, अल्लाह के रसूल के प्रति, इस्लामी नेताओं–नायकों तथा सर्वसाधारण मुसलमान के प्रति" (98)। जरीर बिन अब्दुला बतलाते हैं कि उन्होंने "प्रत्येक मुसलमान के प्रति सद्भाव एवं शुभेच्छा पर ही अल्लाह के पैगम्बर के प्रति निष्ठा प्रतिष्ठित की है" (122)।

इसी तरह का मोड़ अन्य नैतिक निष्ठाओं में भी उभारा गया है और सार्वभौम को साम्प्रदायिक बना डाला गया है। मुहम्मद अपने अनुयायियों से कहते हैं–"किसी मुसलमान को अपशब्द कहना अपराध है और किसी मुसलमान से लड़ना कुफ्र है"(122)।

पंथमीमांसा नैतिकता को विकृत करने वाली है

अपनी पंथमीमांसा के आग्रह वाली ऐसी साम्प्रदायिक दृष्टि यदि यत्र–तत्र उल्टी सीधी नैतिकताएं सिखाती दिखे, तो उसमें क्या अचरज। फलतः इस दृष्टि के अनुसार किसी समूचे जनगण को लूट लेना पुण्यकर्म है, यदि वह जनगण बहुदेववादी हो। किन्तु जब लूट का माल मुसलमानों के हाथ में आ जाए तब उसकी चोरी महापातक है। मुहम्मद का एक गुलाम जिहाद में खेत रहा। इस तरह एक शहीद के नाते जन्नत में उसकी जगह अपने–आप तय हो गई। लेकिन मुहम्मद को दिखाई दिया कि "वह दोजख़ की आग में जल रहा है, क्योंकि उसने युद्ध में लूटे गये माल में से पोशाक या लबादा चुरा लिया था।" यह सुन कर कुछ लोग परेशान हो उठे। उनमें से एक ने अनुमानतः इसी किस्म की उठाईगीरी कर रखी थी । वह, "एक या दो तसमें लेकर मुहम्मद के पास आया और बोला–अल्लाह के रसूल, ये मुझे खैबर (एक युद्ध का नाम) के रोज मिले थे। पवित्र पैगम्बर ने कहा–ये (दोज़ख़ की) आग की एक डोर है या दो डोरें हैं" (210)। जैसा कि एक अन्य पाई में कहा गया है, इसका अर्थ यह हुआ कि उस आदमी को उसके द्वारा चुराये गये दो तसमों के बदले परलोक में आग की दो लपटों में जलना पड़ेगा।

एक समूचे जनगण की लूट सत्कर्म है, किन्तु लूटे गये माल में से कोई नगण्य वस्तु चुपके से उठा लेना ऐसा प्रचंड नैतिक भ्रष्टाचरण है कि उसके लिए अनन्त आग में जलना होगा। सामान्य प्रलोभनों से प्रेरित हो कर लोग छोटे–मोटे अपराध छोटी–मोटी भूलें ही कर पाते हैं। घोर दुष्कर्मों के करने के लिए एक विचारधारा, एक इलहाम, एक ईश्वर–प्रदत्त मिशन का आश्रय आवश्यक हो जाता है।

इस्लाम से पूर्व के अरब लोग

मुस्लिम मीमांसक और लेखक इस्लाम–पूर्व अरब–देश का एक गहन अंधकार मय चित्र प्रस्तुत करने के आदी हैं। वे उसे नैतिक दृष्टि से भ्रष्ट तथा उदारता एवं विशाल–हृदयता से सर्वथा वंचित बतलाते हैं तथा इतिहास के उस कालखंड को "जाहिलीय्या" अर्थात "अज्ञान एवं बर्बरता की दशा" कहते रहते हैं। उनके अनुसार, प्रत्येक अच्छी बात मुहम्मद के साथ शुरू हुई। परन्तु ऐसी कई हदीस हैं, जो इसके विपरीत स्थिति ही सिद्ध करती हैं। हमें बतलाया जाता है कि हकीम बिन हिज़ाम ने "अज्ञान की दशा में ही......... धार्मिक शुद्धता वाले अनेक कार्य किये"(222)। एक अन्य हदीस से हमें विदित होता है कि उन्होंने इसी दशा में एक–सौ गुलामों को "मुक्त किया तथा एक सौ ऊंट दान में दिए"(225)।

सामान्यतः ऐसे सत्कार्यों का पुण्य किसी बहुदेववादी व्यक्ति को नहीं मिलता। पर अगर वह इस्लाम अपना लेता है, तब बात ही और हो जाती है। तब उसके कार्यों का सम्पूर्ण स्वरूप बदल जाता है। तब वे व्यर्थ नहीं जाते। वे सुफलदायक हो उठते हैं। उस व्यक्ति को उनका श्रेय मिलता है। मुहम्मद हकीम को भरोसा दिलाते हैं–"तुमने इस्लाम को अपनाया है। पहले के किये गये सभी सत्कार्य तुम्हारे साथ रहेंगे"(223)।

दुष्टं विचार एवं दुष्कर्म

मुसलमान अपने अल्लाह का लाड़ला बेटा है, साथ ही बिगड़ैल बच्चा भी। उसका अतीत यदि अच्छा नहीं है तो भुला दिया जाता है और भविष्य के बारे में उसे निश्चित आश्वासन दिया जाता है। उसके लिए ऐसी अनेक बातों की इजाजत होती है, जिनकी इजाजत किसी बहुदेववादी को नहीं होती–यहां तक कि आसमानी किताब वाले यहूदी या ईसाई को भी नही होती। यीशु ने "आंखों द्वारा व्यभिचार" के बारे में कहा और उसे कामुकता के अधिक दृष्टिगोचर रूपों की ही भांति बुरा माना। लेकिन मुहम्मद ने अपने अनुयायियों के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश रखी है–"वास्तव में अल्लाह मेरे अनुयायियों के हृदय में उठने वाले बुरे भावों को तब तक माफ करता रहता है, जब तक कि वे वाणी या आचरण में प्रकट न हों"(230)। भारत की आध्यात्मिक परम्परा में यही विचार अधिक सार्वभौम तथा कम पक्षपात वाली भाषा में अभिव्यक्त हुआ है। मानवीय दुर्बलताएं जानने के कारण ईश्वर मनुष्यों की चूकें तथा विफलताएं क्षमा कर देता है और उनकी शक्ति तथा सत्प्रवृतियों को बढ़ाता है। ईश्वरवाद के प्रति

x x पृष्ठ १९ पर ऊपर

रोजे ज्यादा नहीं रख पाती कि पैगम्बर के हुक्म के अनुसार उनके लिए रोजे से ज्यादा सवाब का काम है अपने पतियों के प्रति अपना फर्ज अदा करना पैगम्बर की बीवी आयशा ने "अल्लाह के रसूल का लिहाज रखते हुए" कई बार रोजे नहीं रखे (2550)। पर ऐसा लगता है कि औरतों की खूबी ही उनकी ख़ामी बन जाती है, उनके लिए लानत पूर्वनियत है।[1]

फ़ैसले का दिन

फ़ैसले का दिन (क़यामत), अंतिम दिन (योमुल–आखिर) इस्लामी पंथमीमांसा का अपरिहार्य अंग है। जैसा कि मिर्जा हैरत ने अपनी किताब, मुकद्दमा तफ़सीर उलफुरक़ान[2] में दर्ज किया है, कुरान में 'कयामत' शब्द सत्तर बार आया है और उसके सत्तर पर्याय हैं। अपनी अनुवर्ती अवधारणाओं, जन्नत और जहन्नुम, के साथ यह शब्द हदीस के भी लगभग हर–एक पृष्ठ में आ टपकता है। कुरान में

---

1. सामाजिक तथा कानूनी दृष्टि से स्त्री का स्तर नीचा रहा है। उसके शरीर की रचना अन्य प्रकार की है। उसके शरीर की क्रियाएं भी विभिन्न है। इन समस्त विभेदों से सिद्ध होता है कि स्त्री नैतिक दृष्टि से निकृष्ट है। अतएव अल्लाह यदि उसे दण्ड देता है तो ठीक ही करता है। अल-गज़ाली (ईसवी 1058-1111) अपने युग में महान माने जाने वाले अरब मनीषी थे। वे अपनी पुस्तक नसीहत अल-मुलूक में लिखते हैं–"अल्लाह प्रशंसनीय है। उसने स्त्री को अठारह प्रकार की सजा दी है: (1) मासिक धर्म, (2) प्रजनन, (3) माता-पिता से बिछुडना और एक अजनबी से निकाह, (4) गर्भ-धारण, (5) अपने ऊपर अधिकार का अभाव (अर्थात दूसरों की मातहत रहना), (6) दायभाग में उसका हिस्सा कम होना, (7) उसे आसानी से तलाक दिया जाना किन्तु उसके द्वारा तलाक देने में असमर्थता, (8) मर्द के लिए चार बीवियों का वैध होना किन्तु उसके लिए एक ही पति जायज होना, (9) यह बात कि उसे घर के भीतर परदे में रहना पड़ता है, (10) यह बात कि घर के भीतर भी उसे सर ढके रखना होता है, (11) यह बात कि दो स्त्रियों की गवाही एक पुरूष की गवाही के बराबर है, (12) यह बात की यदि कोई निकट का सम्बन्धी साथ न हो तो वह घर के बाहर नहीं जा सकती, (13) यह बात कि पुरूष लोग जुम्मे के दिन और त्यौहारों के मौकों पर अदा की जाने वाली नमाज़ में शामिल हो सकते हैं, जबकि वह नहीं हो सकती, (14) शासक तथा न्यायाधीश के पदों के लिए उसकी अपात्रता, (15) यह बात कि पुण्य के एक हजार अवयव हैं जिनमें से स्त्रियों द्वारा केवल एक ही सम्पन्न होता हैं जबकि नौ-सौ निन्यानवे पुरूषों द्वारा सम्पन्न माने जाते हैं, (16) यह बात कि स्त्री यदि लम्पट हो तो कयामत के दिन शेष मिल्लत को मिलने वाली सजा का आधा भाग ही उसे मिलता है, (17) यह बात कि उनके शौहर मर जाते हैं तो दोबारा शादी करने के पहले उन्हें चार महीने तथा दस दिन तक इन्तजार करना पड़ता है, और (18) यह बात कि यदि उनके शौहर उनको तलाक दे देते हैं तो उन्हें दोबारा शादी करने के लिए तीन महीने अथवा तीन मासिक धर्म पूरे होने तक इन्तजार करना पड़ता है।" (नसीहत अल मुलूक लन्दन 1971, पृ. 164-165)।

2. ये सभी पर्याय कुरान परिचय नाम की पुस्तक में मिलते हैं। हिन्दी की इस पुस्तक के लेखक तथा प्रकाशक हैं देव प्रकाश, रतलाम, मध्य प्रदेश।

कम आग्रहशील किन्तु उतनी ही उन्नत योग–पद्धतियों में यही विचार भिन्न रूप में और अधिक मनोवैज्ञानिक पदों में प्रकट किया जाता है–हमें अपने पतन की स्मृति से आविष्ट नहीं रहना चाहिए, वरन् अपने अन्तर में स्थित दिव्य तत्त्व की प्रीति में रमना चाहिए।

कयामत के दिन मुहम्मद के अनुयायी सब से अधिक

मुहम्मद हमें बतलाते हैं कि "कयामत के रोज हमारे अनुयायी सबसे ज्यादा होंगे"(283)। यह तर्क समझ में आता है। हम जानते हैं कि जहन्नुम की आग मुहम्मद के हक़ में है। यह आग मुहम्मद के विरोधियों को जलाने में व्यस्त रहेगी और जन्नत के लिए सिर्फ मुसलमान बच रहेंगे।

मुहम्मद बतलाते हैं–"यहूदियों और ईसाइयों में जो व्यक्ति मेरे बारे में जानता है, पर तब भी उस सन्देश पर ईमान नहीं लाता जिसे लेकर मै भेजा गया हूं, और अनास्था की दशा में ही ज़िन्दगी बिता देता है, वह दोजख़ की आग में जलने वालों में से एक होगा"(284)। यहूदी और ईसाई न केवल अपनी अनास्था के लिए जहन्नुम की आग में जलेंगे, अपितु उन मुसलमानों के बदले में भी काम आयेंगे, जो जहन्नुम भेजे जाने योग्य होंगे। मुहम्मद बतलाते हैं–"कयामत के रोज पहाड़ जैसे पापों वाले मुसलमान आएंगे ओर अल्लाह उन्हें माफ कर देगा और उनके एवज में यहूदियों और ईसाइयों को जहन्नुम में भेजेगा" (6668)। संयोगवश, इससे जन्नत में जगह का मसला भी हल हो जायेगा। अनुवादक हमें बतलाते है–"ईसाइयों और यहूदियों को दोजख़ की आग में फेंक दिये जाने पर जन्नत में जगह निकल आयेगी" (टी० 2-67)।

जहन्नुम की आबादी का एक और अहम हिस्सा औरतों का होगा। मुहम्मद कहते हैं–"ऐ औरतों !.....मैने जहन्नुम के बाशिन्दों में तुम्हारा अम्बार देखा।" एक औरत ने पूछा कि ऐसा क्यों होगा, तो मुहम्मद ने उसे समझाया–"तुम लोग बहुत ज्यादा दुर्वचन बोलती हो ओर अपने पतियों के प्रति एहसान फ़रामोश हो। मैने किसी और को (तुम्हारे जैसा) सामान्य बुद्धि से हीन और मज़हबी मामलों में कमज़ोर और फिर भी बुद्धिमानों से बुद्धिमत्ता छीन लेने वाला नही देखा।" उनमें "सामान्य बुद्धि की कमी का प्रमाण" है खुद मुहम्मद द्वारा प्रवर्तित अल्लाह के कानून की यह धारा कि "दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर है।" मजहब में उनकी कमजोरी का प्रमाण भी मुहम्मद उन्हें बतालाते हैं–"तुम्हारी कुछ रातें और दिन ऐसे होते हैं जब तुम नमाज नहीं अदा कर पाती और रमजान के महीने में तुम रोजे नहीं रख पाती"(142)। औरतें कई बार इसलिए

(फ़्रू) पृष्ठ १८ से

यह घोर भयावह दिन (यौम), जिसे कहीं "हिसाब" का दिन, कहीं "छटनी" (फस्ल) का या "पुनरुत्थान" (क़ियामह) का दिन कहा गया है, तीन सौ से अधिक बार आया है।

आख़िरी दिन के आ पहुंचने के कई संकेत प्रकट होंगे। "जब तुम देखो कि एक गुलाम औरत अपने मालिक को जन्म दे रही है—यह एक संकेत है। जब तुम नंगे पांव नंगे लोगों, बहरों ओर गूंगों को पृथ्वी का शासक देखो—यह क़यामत के संकेतों में से एक है। जब तुम काले ऊँटों के चरवाहों को इमारतों में आनन्द करते देखो—यह भी क़यामत के संकेतों में से एक है" (6)। संक्षेप में, जब ग़रीब और वंचित जन, धरती पर अपना अधिकार पा लें, तब मुहम्मद के अनुसार वह धरती का अंतकाल है।

"किताब अल–ईमान" के अंतिम भाग में 82 हदीसों में कयामत के दिन का विस्तृत विवरण है। मुहम्मद हमें बतलाते हैं कि इस दिन अल्लाह "लोगों को इकट्ठा करेंगे", "जहन्नुम के ऊपर एक पुल बनाया जायेगा" और "मैं (मुहम्मद) तथा मेरी मिल्लत सबसे पहले उस पर से पार होगें"(347)। साफ है कि काफिर लोग उंस दिन पूरी तरह दुर्दशा को प्राप्त होंगे। पर आसमानी किताब वाले लोग—यहूदी और ईसाई—भी कुछ बेहतर न होंगे। मसलन, ईसाई बुलाए जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा—"तुम किसकी उपासना करते थे ?" जब वे जवाब देंगे कि "अल्लाह के बेटे" यीशू की, तब अल्लाह उनसे कहेंगे—"तूम झूठे हो। अल्लाह के न तो कोई बीवी है, न बेटा।" फिर उनसे पूछा जायेगा कि वे चाहते क्या हैं। वे कहेंगे—"ऐ मालिक ! हम प्यासे हैं। हमारी प्यास बुझा।" उन्हें एक खास तरफ निर्देशित करते हुए अल्लाह कहेंगे—"तुम वहां जाकर पानी क्यों नहीं पी लेते ?" जब वे वहां जायेंगे तो वे पायेंगे कि उन्हें गुमराह किया गया है। वहां पानी मृगमरीचिका मात्र है, वस्तुतः वह जहन्नुम है। तब वे "आग में गिर जाएंगे" और नष्ट हो जाएंगे (352)।

उस दिन कोई और पैगम्बर या उद्धारक काम न आयेगा, सिवाय मुहम्मद के। लोग आदम के पास जायेंगे और कहेंगे—"अपनी संतति के लिए सिफ़ारिश करो।" वह जवाब देगा—"मैं इसके काबिल नहीं हूं। पर तुम इब्राहीम के पास जाओ, क्योंकि वह अल्लाह का दोस्त है।" वे इब्राहीम के पास जाएंगे। पर वह जवाब देगा—"मैं इसके क़ाबिल नहीं हूं। पर तुम मूसा के पास जाओं, क्योंकि वह अल्लाह का संभाषी है।" वे मूसा के पास जाएंगे। पर वह जवाब देगा—"मैं इसके क़ाबिल नहीं हूं। पर तुम यीशु के पास जाओ, क्योंकि वह अल्लाह की रूह और उनका शब्द है।" वे यीशू के पास जायेंगे और वह उत्तर देगा—"मैं इसके क़ाबिल नहीं हूं। बेहतर है कि तुम मुहम्मद के पास जाओ।" तब वे मुहम्मद के पास

आयेंगे और मुहम्मद कहेगा—"मैं यह कर सकने में समर्थ हूं।" वह अल्लाह से अपील करेगा और उसकी सिफ़ारिश स्वीकार कर ली जाएगी (377)।

कई हदीसों (381-396) में मुहम्मद हमें बतालाते हैं कि पैग़म्बरों में उन्हीं के पास सिफ़ारिश करने का विशेष सामर्थ्य है, क्योंकि "पैग़म्बरों में से और कोई पैगम्बर इस तरह प्रमाणित नहीं हुआ, जिस तरह मैं प्रमाणित हुआ हूं" (383)। यदि यह सत्य है तो उनके इस दावे में कुछ वजन हो जाता है कि अन्य पैगम्बरों "की अपेक्षा क़यामत के दिन उनके अनुयायी सर्वाधिक होंगे"। उस विशेष हैसियत के कारण" (मेरी) मिल्लत के सत्तर हजार लोग बिना कोई हिसाब दिए जन्नत में दाखिल होंगें (418) और "जन्नत के बाशिन्दों में से आधे मुसलमान होंगे" (427)। यह देखते हुए कि आस्थारहित, काफ़िर और बहुदेववादी लोग जन्नत से पूरी तरह बाहर रखे जाएंगे तथा यहूदियों और ईसाइयों का प्रवेश भी वहां वर्जित रहेगा, जन्नत की बाकी आधी आबादी के बारे में अनुमान लगाना कठिन है।

सिफारिश करने का यह विशिष्ट सामर्थ्य मुहम्मद ने कैसे पाया ? इस सवाल का जवाब खुद मुहम्मद देते हैं—"हर एक पैगम्बर की एक प्रार्थना स्वीकृत होती है। पर हर पैगम्बर ने प्रार्थना करने में उतावली बरती। बहरहाल, मैने अपनी प्रार्थना को कयामत के रोज अपना मिल्लत के वास्ते अनुनय के लिए सुरक्षित रखा"(3689)। अनुवादक हमारे समक्ष इस वक्तव्य को अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं—"पैगम्बर लोग अल्लाह को प्रिय है और उनकी प्रार्थना अक्सर स्वीकार की जाती है। किन्तु पैगम्बर की एक प्रार्थना ऐसी होती है, जो उसकी मिल्लत के बारे में निर्णायक कही जा सकती है। उसके द्वारा ही मिल्लत की किस्मत तय होती है। मसलन, नूह आर्त होकर कह उठे—मेरे मालिक ! जमीन पर एक भी अनास्थावान व्यक्ति मत रहने देना (अलकुरान, 71/26)। मुहम्मद ने अपनी प्रार्थना क़यामत के दिन के लिए सुरक्षित रख छोड़ी और वे अपनी मिल्लत की मुक्ति के लिए उसका उपयोग करेंगे" (टी० 412)।

नूह द्वारा दिए गए शाप के बारे में जानने का कोई उपाय हमारे पास नहीं है। पर इस प्रकार का शाप मुहम्मद की विचारधारा के अनुरूप ही है। उदाहरणार्थ, विभिन्न कबीलों के बारे में उन के शाप देखें—"ऐ अल्लाह ! मुजार लोगों को बुरी तरह पामाल कर और उनके लिए अकाल रच.. अल्लाह ! लिहयान, रिल जकवान, उसय्या को शाप दे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और रसूल की आज्ञा नहीं मानी" (1428)।

बहरहाल जब क़ाफिर लोग आग में झोंके जा रहे होंगे तब यह जानते हुए भी कि किसी और की सिफारिश काम न आयेगी, मुहम्मद उनकी सिफ़ारिश नहीं करेंगे। "तुम्हें अपने दुश्मनों को नरक में नहीं डालना चाहिए। लेकिन उन्हें बचाने के लिए कष्ट उठाने की भी जरूरत नहीं है।"

पैगम्बर के पिता और चाचा

यह बात हमें माननी ही होगी कि मुहम्मद अविचल थे। उन्होंने अपनी शक्ति अपनी उम्मा के बचाव के लिए सुरक्षित रखी। उम्मा यानी वे लोग जो लोग अल्लाह और उज्जा को त्याग कर अल्लाह पर और मुहम्मद की पैगम्बरी पर ईमान लाए। अपनी शक्ति का उपयोग उन्होंने अपने प्रियतम एवं निकटतम जनों, जैसे पिता एवं चाचा को बचाने में भी नहीं किया। एक प्रश्नकर्ता से उन्होने उनके पिता के बारे में कहा–"दरअस्ल, मेरे और तुम्हारे वालिद जहन्नुम की आग में हैं" (368)। पर अपने चाचा के वास्ते वे कुछ सहृदय थे। ये चाचा थे अबू तालिब, जिन्होंने उन्हें पाला–पोसा था, और उनकी रक्षा भी की थी पर उनका मज़हब नहीं माना था। उनके बारे में मुहम्मद बतलाते हैं–"मैने उन्हें आग की सबसे निचली सतह पर पाया और मैं उन्हें छिछली सतह पर ले आया"(409)। पर आग की यह छिछली सतह भी चाचा जी को भून तो रही ही होगी। मुहम्मद हमें आश्वस्त करते हैं–"आग के निवासियों में से अबू तालिब को सबसे कम तकलीफ़ होगी ओर वे आग के दो जूते पहनें होंगे, जिससे उनका दिमाग खौल उठेगा"(413)। क्या इसे हम राहत कहें ?

यद्यपि मुहम्मद रिश्ते क़ायम करने में गौरव का अनुभव करते थे, तथापि अपने पुरखों की पीढ़ियों ओर उनके उत्तरकालीन लोगों से अपने सम्बन्धों का उन्होंने पूर्णतः प्रत्याख्यान कर दिया था। मुहम्मद की घोषणा है–"ध्यान दो ! मेरे पुरखों के वारिस..... मेरे दोस्त नहीं हैं"(417)। क़यामत के दिन उनके शुभ कर्म काम नहीं आयेंगे। पैगम्बर की युवा पत्नी आयशा बतलाती हैं–"मैंने कहा, अल्लाह के रसूल ! जुदान के बेटे (आयशा का एक रिश्तेदार और कुरैश के नेताओं में से एक) ने रिश्ते क़ायम किये और निभाये तथा गरीबों का पोषण किया। क्या वह सब उसके कुछ काम आयेगा ? उन्होंने कहा–वह सब उसके किसी काम न आयेगा"(416)।

बहुदेववादियों के बारे में अल्लाह ने निर्णय कर लिया है। इसलिए किसी सच्चे मोमिन को उनके वास्ते आशीर्वाद तक की याचना नहीं करनी चाहिए। कुरान का वचन है–"पैगम्बर के लिए और मोमिनों के लिए यह उचित नहीं कि वे बहुदेववादियों के लिए अल्लाह से माफी मांगे, भले ही वे सगे–सम्बन्धी ही क्यों न हों। उन्हे यह जता दिया गया है कि काफ़िर जहन्नुम के बाशिन्दे हैं"(9/113)।

मुहम्मद द्वारा रात को जन्नत का सफ़र

"किताब अल-ईमान" में अनेक अन्य विषयों पर भी विचार किया गया है, जैसे कि मुहम्मद द्वारा रात में यरूशलम जाना और क़यामत के पहले दज्जाल तथा यीशु का आना। इस्लामी मीमांसा में इनका पर्याप्त महत्व है।

एक रात, अल-बराक़ (एक लम्बा सफेद जानवर, जो गधे से बड़ा पर खच्चर से छोटा था) पर चढ़कर मुहम्मद यरूशलम के मंदिर में पहुंचे। और वहां से विविध लोकों में या स्वर्ग के विविध "वृत्तों" में (जैसा कि दांते ने उन्हें कहा है) घूमते रहे–रास्ते में विभिन्न पैग़म्बरों से मिलते हुए। पहले आसमान में उन्हें आदम मिले। दूसरे में यीशु। छठे में मूसा और सातवें में इब्राहीम। फिर वे अल्लाह से मिले, जिन्होंने मुसलमानों के लिए हर रोज पचास नमाजों का आदेश दिया। पर, मूसा की सलाह पर, मुहम्मद ने अल्लाह से अपील की और तब नमाजों की संख्या घटाकर पांच कर दी गई। "पांच और फिर भी पचास"–एक प्रार्थना दस के बराबर मानी जाएगी, क्योंकि "जो कहा जा चुका है, वह बदलेगा नही"(313)। इसलिए असर में अन्तर नहीं आएगा और पांच ही पचास का काम करेंगी।

रहस्यवादी भावना वाले लोग इस यात्रा को आध्यात्मिक यात्रा के रूप में समझते हैं। किन्तु मुहम्मद के साथी, और बाद के अधिकांश मुस्लिम विद्वान, यही विश्वास करते हैं कि यह यात्रा या आरोहण (मिराज) दैहिक था। मुहम्मद के समकालीन अनेक लोगों ने उनकी खिल्ली उड़ाई और इस यात्रा को एक सपना बतलाया। पर हमारे अनुवादक का तर्क हैं कि यात्रा पर यकीन नहीं किया गया, इसीलिए वह एक सपना नहीं थी। क्योंकि "अगर वह सपना होता, तो उस पर इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं होती। इस तरह के सपने तो किसी भी काल के किसी भी व्यक्ति की कल्पना में कौंध सकते हैं"(टि० 325)।

यीशु

मुहम्मद को यीशु में एक प्रकार की आस्था थी। वस्तुतः इस आस्था को तथा साथ ही मूसा और इब्राहीम की पैग़म्बरी में उनकी आस्था को बहुधा मुहम्मद की उदार तथा सहिष्णु दृष्टि के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया जाता है। पर यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो पायेंगे कि इस आस्था में उनका स्वार्थ निहित था। इसका आंशिक उद्देश्य था। अपनी पैगम्बरी की परम्परा को प्रमाणित करना तथा अंशतः यह आस्था यहूदियों ओर ईसाइयों का मतान्तरण करने के आशय से प्रेरित थी। बहरहाल यीशु के प्रति उनका अभिमत अधिक वजनदार नहीं है। उन्होंने यीशु को अपने काफिले का एक मुजाहिद मात्र बना डाला। यीशु का

पुनरुत्थान या पुनरावतरण, मुहम्मद की एक धुंधली छाया के रूप में होगा। वे और लोगों के साथ ईसाइयों के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे होंगे। मुहम्मद का उद्घोष है–"मरियम का बेटा तुम्हारे बीच एक न्यायशील न्यायाधीश के रूप में जल्द ही आयेगा। वह सलीबों को तोड़ डालेगा, सुअरों को मारेगा और जजिया खत्म कर देगा"(287)। कैसे ? अनुवादक समझाते हैं–"सलीब ईसाइयत का प्रतीक है। मुहम्मद के आगमन के बाद यीशु इस प्रतीक को तोड़ देंगे। इस्लाम अल्लाह का दीन (मजहब) है और कोई और मजहब उसे मंजूर नहीं। इसी तरह, सुअर का मांस ईसाइयों का प्रिय आहार है। यीशु इस गंदे और घृणित जानवर का अस्तित्व ही समाप्त कर देंगे। सम्पूर्ण मानवजाति इस्लाम अपना लेगी और कोई जिम्मी नहीं बचेगा और इस तरह जजिया खुद–ब–खुद खत्म हो जायेगा"(टि० 289-290)। यीशु को एक न्यायशील न्यायाधीश माना गया है, पर इसका मतलब सिर्फ यह है कि वह मुहम्मद की शरह के मुताबिक न्याय करेगा। जैसा कि अनुवादक ने स्पष्ट किया है–"मुहम्मद की पैगम्बरी के बाद, पहले के पैगम्बरों की शरह निरस्त हो जाती है। इसीलिए यीशु इस्लामी कानून के मुताबिक न्याय करेंगे" (टी० 288)।

2

शुद्धीकरण (तहारा)

अगली किताब "शुद्धीकरण की किताब" है। प्रक्षालन, शौच और अपमार्जन जैसे विषय इसमें शमिल हैं। यह किताब आंतरिक शुद्धता से सम्बन्धित नहीं है। यह निश्चित नमाज में किए जाने वाले सस्वर पाठ से पहले करणीय स्वच्छता–सम्बन्धी कतिपय शारीरिक एवं आनुष्ठानिक क्रियाओं से संबंधित है। इस शीर्षक के अंतर्गत मुस्लिम फिकाह (मजहबी कानून) में इन मुख्य प्रकरणों पर विवेचन हुआ है:

(1) वुज़ू – रोजना पढ़ी जाने वाली पांचों नमाजों में, हर एक के पूर्व, देह के छोरों को लघुप्रक्षालन। इसके न करने की सिर्फ तभी अनुमति है, जब प्रार्थना करने वाले को पक्का भरोसा हो कि पिछले प्रक्षालन के बाद से अब तक वह किसी भी तरह प्रदूषित नहीं हुआ है।

(2) गुस्ल– मैथुन (जिमा), स्वप्नदोष (इहतिलाम), रजोधर्म (हैज़) और प्रसव (निफ़ास) के कारण व्यक्ति अशुद्ध (जुनुब) हो जाता है। अतः इनके बाद सम्पूर्ण शरीर का पूरी तरह प्रक्षालन गुस्ल है।

(3) तयम्मुम–पानी की जगह धूल से किया जाने वाला गौण शुद्धीकरण।

(4) फ़ितरा–शब्दशः अर्थ 'प्रकृति'। किन्तु इसकी व्याख्या यह की गई है कि यह पहले के पैगम्बरों के दस्तूर हैं, जिनमें मिसवाक (दंतखोदनी) का इस्तेमाल, पानी से नाक और मुंह की सफाई (इस्तिंशाक) और मल-मूत्र विसर्जन के उपरान्त, पानी या सूखी मिट्टी या पत्थर के टुकड़े से किया जाने वाला अपमार्जन (इस्तिंजा) जैसे कर्म शामिल है।

(5) तासीर–आनुष्ठानिक रूप से जो वस्तुएं अस्वच्छ हो गई हैं, उनका शुद्धीकरण।

शुद्धीकरण के मामले पर कुछ सरसरी आदेश कुरान में दिए गए हैं (मसलन 4/43 एवं 5/6)। किन्तु पैगम्बर की चर्या में ही उनका पूरा रूप निखरता है।

प्रक्षालन (वुज़ू)

मुहम्मद शारीरिक स्वच्छता की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं। वे अपने अनुयायियों से कहते हैं कि "सफाई ईमान का आधा हिस्सा है" (432) और जब तक वे 'वुज़ू नहीं करते' तब तक अशुद्धि की दशा में की गई उनकी प्रार्थना मंजूर नहीं की जाऐगी (435)। किन्तु यहां अशुद्धि का अर्थ पूर्णतः कर्म-काण्डपरक है।

मुहम्मद अपनी पंथमीमांसा में एकत्ववादी किन्तु प्रक्षालन के मामले में त्रित्ववादी थे। वे प्रक्षालन-कर्म यों करते थे—"वे अपने हाथ तीन बार धोते थे। फिर वे तीन बार कुल्ला करते थे तथा तीन बार नाक साफ़ करते थे। तदुपरान्त अपना चेहरा तीन बार धोते थे। फिर दाहिनी बांह कुहनियों तक तीन बार धोते थे। फिर उसी तरह तीन बार बांयी बांह धोते थे। फिर अपना सिर पानी से पोंछते थे। फिर दाहिना पांव टख़नों तक तीन बार और फिर बांया पैर टख़नों तक तीन बार धोते थे।" मुहम्मद ने कहा—"जो मेरी तरह प्रक्षालन करता है...तथा प्रार्थना के दो रकाह अर्पित करता है...उसके पहले के सब पापों का प्रायश्चित हो जाता है" (436)। यह प्रक्षालन विहित बन गया। मुस्लिम मज़हबी कानून के अध्येताओं के अनुसार प्रार्थना के लिए किए जाने वाले प्रक्षालनों में यह सर्वांगसम्पूर्ण है। इस विषय पर मुहम्मद के आचार और विचार को बार-बार बतलाने वाली ऊपर बताई गई हदीसों जैसी 21 हदीस और हैं (436-457)।

नाक साफ़ करना

नाक ठीक से साफ़ की जानी चाहिए। मुहम्मद कहते हैं—"जब तुम नींद से जागो...तीन बार नाक ज़रूर साफ़ करो, क्योंकि शैतान नाक के भीतर ही रैनबसेरा करता है" (462)।

दांतों की सफ़ाई (मिसवाक)

मुहम्मद को दंतखोदनी प्रिय थी। वे अक्सर उसका इस्तेमाल करते थे। उन्होंने कहा—"यदि मुसलमानों पर ज्यादा बोझ पड़ने की आशंका न होती, तो मैं उन्हें नमाज़ से पहले हर बार दंतखोदनी इस्तेमाल करने का हुक्म देता" (487)।

पंचकर्म (फ़ितरा)

मनुष्य की स्वाभविक क्रियाओं में से इन पांच क्रियाओं के लिए जो इस्लाम में विशेष मानी गई हैं, नौ हदीस हैं—ख़तना, पशम की सफाई, नाखून काटना, बगल के बालों की सफाई और मूंछें कतरना।

मूंछ और दाढ़ी के बारे में पैगम्बर कहते हैं—"बहुदेववादियों से उल्टा काम करो—मूंछे बारीकी से छांटों और दाढ़ी बढ़ाओ" (500)। अगली हदीस में "बहुदेववादियों" की जगह "अग्निपूजकों" को दी गई है। अनुवादक इसका मण्डन प्रस्तुत करते हैं—"इस्लाम ने आस्था और सदाचार के आधार पर एक नया भाईचारा रचा।...चेहरों की पहचान के लिए मुसलमानों को हुक्म दिया गया हैं कि वे मूंछें छांटें तथा दाढ़ी बढ़ाएं, जिससे कि वे उन गैर–मुस्लिमों से अलग दिखें जो दाढ़ी साफ़ रखते हैं और मूंछें बढ़ाते हैं।"(टि० 471)।

शारीरिक व्यापार

अब मुहम्मद हमें शौच-गृह ले चलते हैं। वे अपने अनुयायियों को मलमूत्र विसर्जन के समय "किबला (यानी मक्का की मस्जिद) की तरफ मुंह करने से मना करते हैं। साथ ही दाहिने हाथ से सफ़ाई करने का या पत्थर के तीन टुकड़ों से कम इस्तेमाल करने" का भी निषेध है (504)।

मलत्याग के बाद "विषम बार" सफाई जरूरी है और "गोबर या हड्डी" से सफाई नहीं करनी चाहिए (460)। इसकी बाबत एक किस्सा है। मुहम्मद ने एक बार एक रात जिन्नों के साथ गुजारी। वे उन्हें क़ुरान सुनाते रहे। जब जिन्नों ने उनसे अपने आहार के बारे में पूछा, तो मुहम्मद ने उन्हें बतलाया—"वह हर हड्डी जिसे अल्लाह का नाम सुनाया गया है, तुम्हारे लिए है। जैसे ही वह तुम्हारे हाथ लगेगी, उस पर गोश्त चढ़ जाएगा। और ऊंटों का गोबर तुम्हारे जानवरों का चारा है।" इसीलिए उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा—"इन चीजों से इस्तिन्जा मत करो, क्योंकि ये तुम्हारे भाइयों का आहार हैं" (903)।

उन्होंने अपने अनुयायियों से यह भी कहा है—"जब तुममें से कोई शौचगृह में प्रविष्ट हो, तो उसे अपने लिङ्ग को दाहिने हाथ से नहीं छूना चाहिए" (512)।

आयशा हमें बतलाती हैं कि "अल्लाह के रसूल को हर काम दाहिनी तरफ से शुरू करना प्रिय था, मसलन जूते पहनने में, कंघा करने में, और प्रक्षालन में" (515)।

तासीर

मुहम्मद आदेश देते हैं—"जब कुत्ता बर्तन चाट जाए, तब उस बर्तन को सात बार धोओ और आठवीं बार उसे मिट्टी से मलो" (551)।

अपने गुप्त अंगों को मत दिखाओ

मुहम्मद कहते हैं–"एक पुरुष को दूसरे पुरुष के गुप्त अंग नहीं देखने चाहिए," न ही "एक चादर के अंदर" एक से अधिक लोगों को एक साथ सोना चाहिए (660)। इस सिलसिले में वे यह भी बतलाते हैं कि यहूदी लोग नंगे नहाते थे और एक दूसरे के गुप्त अंग देखते रहते थे। लेकिन मूसा अकेले ही नहाते थे। अपने नेता का अनुगमन न करने के लिए शर्मिन्दा होने की बजाय यहूदी लोग मूसा पर व्यंग कसने लगे। उन्होंने कहा कि अंडकोष वृद्धि के कारण मूसा अपने गुप्त अंगों को दिखाने से कतराते हैं। किन्तु अल्लाह ने मूसा की निर्दोषिता प्रमाणित की। एक बार, नहाते समय मूसा ने अपने कपड़े एक चट्टान पर रख दिए। पर चट्टान चल पड़ी। "मूसा उसके पीछे पुकारते हुए दौड़ पड़े–ऐ पत्थर ! मेरे कपड़े ऐ पत्थर ! मेरे कपड़े।" तब यहूदियों को उनके गुप्तांग देखने का अवसर मिला और वे बोले–"अल्लाह क़सम ! मूसा को तो कोई रोग नहीं है" (669)।

मैले कपड़े

आयशा हमें बतलाती हैं–"अल्लाह के रसूल ने वीर्य धोया और फिर उन्हीं कपड़ों में इबादत के लिए चल दिए और मैंने उनके कपड़ों पर धुलाई का धब्बा देखा" (500)। इसी आशय की एक और हदीस हैं, परंतु उसमें फ्रायडीय अभिप्राय वाला कुछ मसाला भी है। आयशा के घर पर ठहरे एक मेहमान को रात्रि में. स्वप्नदोष हो गया। उसने अगले दिन अपने कपड़ों को धोने के लिए पानी में डुबोया। एक सेविका ने यह सब देख लिया और आयशा को खबर दी। आयशा ने मेहमान से पूछा–"तुमने कपड़ों को इस तरह क्यों डुबोया ?" उसने जवाब दिया–"मैंने स्वप्न में वह देखा, जो लोग सोते समय देखते हैं।" तब आयशा ने पूछा–"क्या तुमने अपने कपड़ों पर वीर्य के धब्बे देखे ?" उसने कहा–"नहीं।" वे बोली–"तुमने कुछ देखा होता, तब तो धोना चहिए था। मैं जब देखती हूं कि अल्लाह के रसूल के कपड़े पर लगा वीर्य सूख गया है, तब मैं उसे अपने नाखूनों से खुरच देती हूं" (572)।

वीर्यपात के बाद स्नान

वीर्यपात के उपरान्त स्नान से सम्बन्धित एक दर्जन हदीस हैं (674-685)। एक बार मुहम्मद ने एक अंसार को बुलवाया, जोकि सम्भोगरत था। "वह आया। उसके सिर से पानी चू रहा था। मुहम्मद ने कहा–शायद हमने तुम्हे हड़बड़ा दिया। उसने कहा–जी हां। पैगम्बर बोले–जब तुम जल्दी में हो और वीर्य

उत्सर्जित न हुआ हो तो नहाना जरूरी नहीं है। किन्तु वुज़ू करना जरूरी है" (676)। एक अन्य हदीस में मुहम्मद कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मदनलहरी के चरमोत्कर्ष के बिना, समागम के मध्य में ही अपनी पत्नी को छोड़ कर, इबादत के लिए उठता है, तो उसे "अपनी पत्नी के स्राव को धोना चाहिए, फिर वुज़ू करनी चाहिए और तब नमाज अदा करनी चाहिए" (677)। किन्तु यदि वीर्योत्सर्जन हो गया हो, तो "नहाना अनिवार्य हो जाता है" (674)।

एक बार इस मुददे पर कुछ मुजाहिरों और अंसारों में विवाद हुआ। उनमें से एक जन स्पष्टीकरण के लिए आयशा के पास पहुंचा, और पूछा–"किसी व्यक्ति के लिए नहाना जरूरी कब हो जाता है ?" उन्होंने जवाब दिया–"तुम अच्छी जानकार के पास आये हो।" फिर उन्होंने बतलाया कि मुहम्मद ने इस प्रसंग में क्या कहा था–"जब कोई पुरुष स्त्री की जांघों के मध्य में बैठा हो, और दोनों के खतने किए हुए हिस्से एक दूसरे से छू रहे हों, तब स्नान जरूरी हो जाता है" (684)। और एक दूसरे मौके पर एक पुरुष ने मुहम्मद से पूछा कि यदि कोई अपनी बीवी से समागम करते हुए कामोत्ताप के शिखर पर पहुंचे बिना अलग हो जाता है, तो क्या स्नान जरूरी है। पैग़म्बर ने, पास में बैठी आयशा की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया–"मै और ये ऐसा करते हैं और तब नहाते हैं" (685)।

तयम्मुम

पानी मयस्सर न हो तो आप तयम्मुम कर सकते हैं, अर्थात् अपने हाथ पांव और माथे को मिट्टी से मल लें। ऐसा करना जल से प्रक्षालन की ही तरह उत्तम है। अनुवादक इसे स्पष्ट करते हैं–"प्रक्षालन एवं स्नान का प्रमुख प्रयोजन धार्मिक है। स्वास्थ्य-सम्बन्धी प्रयोजन गौण है।...अल्लाह ने पानी उपलब्ध न होने पर हमें तयम्मुम करने का आदेश दिया है...ताकि प्रक्षालन का आध्यात्मिक मूल्य सुरक्षित रहे और वह जीवन की ऐहिक गतिविधियों से हटाकर हमें अल्लाह की उपस्थिति के प्रति अभिमुख करे" (टि० 579)। इस विषय पर क़ुरान में एक आयत है और आठ हदीस हैं (714-721)। "यदि तुम बीमार हो या सफ़र पर हो या शौच-गृह से आए हो या तुमने औरत को छू लिया हो, और पानी न मिल रहा हो, तो स्वच्छ मिट्टी का आश्रय लो और अपने चेहरे तथा हाथों पर उसे मलो" (कुरान 4/43)।

एक हदीस हमें उमर से कहे गये आम्मार के इन लफ्जों की बाबत बतलाती है–"ऐ अमीर अल–मोमिनीन ! क्या तुम्हे याद है कि जब हम दोनों एक फ़ौजी टुकड़ी में थे और हमें वीर्यपात हो गया था और नहाने के लिए पानी नहीं मिला था और आपने नमाज़ नही पढ़ी थी, और मैं धूल में लोट गया था और

मैंने नमाज़ पढ़ी थी, और जब पैगम्बर तक बात गई थी तो वे बोले थे--हाथों को जमीन पर रगड़ कर, फिर धूल झाड़कर हथेलियों ओर मुंह को पोंछ लेना पर्याप्त होता" (718)।

भोजन और वुज़ू

मुहम्मद का निर्देश था--"आग से छू गई किसी भी चीज़ को खाने वाले के लिए प्रक्षालन जरूरी है" (686)। किन्तु बाद में यह आदेश रद्द कर दिया गया। "अल्लाह के रसूल ने बकरे के कंधे का गोश्त खाया और इबादत की तथा वुज़ू नहीं किया" (689)।

शौचालय से निकलकर आप यदि इबादत करने जा रहे हों, तो वुज़ू जरूरी है। पर यदि खाना खाने जा रहें हो, तो जरूरी नहीं है। "अल्लाह के पैगम्बर शौचालय से बाहर आए। उन्हें कुछ खाने को दिया गया और लोगों ने उन्हें वुज़ू की याद दिलाई, पर पैग़म्बर ने कहा--क्या मुझे नमाज पढ़नी है, जो वुज़ू करूं ?" (725)।

मासिक धर्म (हैज़)

तीसरी किताब मासिक धर्म पर है। इस किताब और पूर्वचर्चित किताब के विषय मिलते-जुलते हैं, क्योंकि दोनों का सम्बन्ध कर्मकांडी शुद्धता से है। इसीलिए दोनों का मिलान अपरिहार्य है। वस्तुतः इस अध्याय में ठेठ मासिक धर्म पर कुछ अधिक नहीं कहा गया है, वरन् मैथुन के उपरान्त कर्मकाण्डी प्रक्षालन एवं स्नान पर ही विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

मासिक धर्म के मुद्दे पर, मुहम्मद का व्यवहार, कुछ मामलों में कुरान के इलहाम में निहित निर्देशों से भिन्न दिखता है। क़ुरान में इस विषय पर तीखी भाषा का प्रयोग है--"वे तुमसे स्त्री के हैज़ के बारे में पूछते हैं। उनसे कहो--यह घाव है और प्रदूषण है। इसलिए उस वक्त औरतों से दूर रहो और जब तक वे पाक-साफ़ न हो जाएं, उनसे मुलाकात मत करो" (2/222)।

यहां मुलाकात से मतलब शायद मैथुन से है, क्योंकि मैथुन के अतिरिक्त अन्य सभी सम्पर्कों की पैग़म्बर ने अनुमति दी है। मैमूना हमें बतलाती है--"जब मैं रजस्वला रहती थी तब भी अल्लाह के पैग़म्बर मेरे साथ सोते थे और मेरे और उनके बीच एक कपड़ा होता था" (580)। उम्म सलमा भी ऐसा ही बतलाती हैं (581)। आयशा कहती हैं--"जब हममें से कोई रजस्वला होती, तो अल्लाह के पैग़म्बर उसको कटि-वस्त्र लपेटने के लिए कहते और तब उसे आलिंगन में भर लेते" (577)।

अन्य हदीसों में भी यही बात कही गई है। उनसे पैगम्बर की नितांत निजी आदतों पर दिलचस्प रोशनी पड़ती है। आयशा बतलाती हैं--"जब मैं रजस्वला होती थी, अल्लाह के पैग़म्बर मेरी गोद में लेट जाते थे और क़ुरान का पाठ करते थे" (591)। स्वाध्याय या धर्मग्रंथ पढ़ने के लिए यह स्थान कम जंचता है। फ्रायड द्वारा बतायी गयी यौन-अभिव्यंजना के अनुरूप, आयशा यह भी बतलाती हैं--"रजोकाल में मैं कुछ पीती हूं और पात्र पैग़म्बर को दे देती हूं तब वे उस पात्र में वहीं पर मुंह लगाते हैं जहां मैंने लगाया था। और मैं रजोकाल में हड्डी पर लगा गोश्त खाती हूं तथा उसे पैगम्बर को दे देती हूं और वे उस पर वहीं मुंह लगाते हैं जहां मेरा मुंह था" (590)।

पैगम्बर आयशा को रजोकाल में बालों में कंघी करने की अनुमति भी देते हैं और वे एतिकाफ़ करने के भी खिलाफ़ हैं। एतिकाफ़ का अर्थ है रमज़ान के महीने में कुछ दिनों के लिए, ख़ासकर आखिरी दस रोज के लिए, मस्जिद में अलग रहना। आयशा बतलाती हैं--"अल्लाह के रसूल एतिकाफ़ के दौरान अपना सिर मस्जिद में से मेरी तरफ निकाल देते हैं (मेरा कमरा मस्जिद की ओर खुलता है) और मैं रजास्वला होती हुई भी उनका सिर धोती हूं" (584)।

यह आचार यहूदी आचार से उल्टा था। यहूहदियों के यहां रजोधर्म की अवधि में न केवल समागम निषिद्ध है, अपितु चुम्बन तथा शारीरिक सम्पर्क के अन्य प्रकार भी वर्जित हैं। कुछ मुसलमान यहूदी आचार के विरोध में पूरी तरह विपरीत आचार चाहते थे और उन्होंने मुहम्मद को सुझाव दिया कि रजःस्राव के दौरान मैथुन की अनुमति दी जाए। किन्तु मुहम्मद उतनी दूर तक नहीं गए।

यौन-प्रदूषण एवं प्रक्षालन

आयशा बतलाती हैं--"अल्लाह के रसूल जब भी मैथुन करते थे और फिर खाना या सोना चाहते थे, तब वे नमाज के लिए की जाने वाली वुज़ू करते थे" (598)। भाष्यकार स्पष्ट करते हैं कि ऐसा इसलिए किया जाता था "ताकि मनुष्य की आत्मा दैहिक आवेगों से हटकर अपनी असली आध्यात्मिक अवस्था में पहुंच जाए" (टि० 511)। मुहम्मद का अपने अनुयायियों के लिए भी यही आदेश था। उदाहरणार्थ, उमर एक बार पैग़म्बर के पास गये और उनसे कहा कि "वे रात को अस्वच्छ हो गये हैं। अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा--वुज़ू करो, लिंग धो लो और सो जाओ" (602)। यही सलाह अली को भी पहुंचाई गई, जोकि दामाद होने के कारण मुहम्मद से सीधे सवाल पूछने में शरमाते थे। उनकी समस्या 'मज़ी' (प्रॉस्टेट ग्रंथि का स्राव) की थी, वीर्य की नहीं। "ऐसे मामले में वुज़ू जरूरी है"--उन्हें बताया गया (593)।

गुस्ल

नमाज के वास्ते, जिन कामों के बाद पूरा शरीर धोना चाहिए ताकि अशुद्धि से मुक्ति हो सके, वे इस प्रकार हैं–मासिक धर्म, प्रसव-कर्म, मैथुन तथा स्वप्नदोष। यह आचार क़ुरान की इस आयत के मुताबिक है–"यदि तुम प्रदूषित हो, तो स्वयं को शुद्ध करो" (5/6)।

इस प्रसंग में स्वयं मुहम्मद के आचार के बारे में दो दर्जन से ज्यादा हदीस हैं। आयशा कहती हैं–"जब अल्लाह के पैग़म्बर मैथुन करके नहाते हैं, तब पहले अपने हाथ धोते हैं, फिर दाहिने हाथ से बांए हाथ पर पानी डालते हैं और अपने गुप्तांग धोते हैं..." (616)।

मुहम्मद का अभ्यास यह था कि मैथुन के उपरांत "कई बार वे नहाते थे, तब सोते थे और कई बार सिर्फ वुज़ू कर लेते थे।" स्नान रात को न कर सुबह की नमाज के पहले करते थे। जब आयशा ने हदीसकार को यह बात बताई, तब उसने श्रद्धा से भर कर कहा–"स्तुत्य है अल्लाह, जिसने काम आसान कर दिए"–ईमानवालों की ख़ातिर (603)।

ऐसे ही निर्देश औरतों के वास्ते हैं। उम्म सुलैम नाम की एक औरत मुहम्मद के पास गई और पूछा–"यदि औरत यौन-क्रिया वाला स्वप्न देखे, तो क्या उसके लिए भी नहाना जरूरी है ?" मुहम्मद ने जवाब दिया–"हां, जब वह स्राव (योनि से बहने वाला पानी) देखे, तब।" जब मुहम्मद की बीवियों ने सुना कि उम्म सुलैम ने मुहम्मद से एक सवाल पूछा है, जिसमें स्त्री द्वारा भी यौनक्रिया वाले सपने देखे जाने का संकेत हैं, तब उन्हें बहुत बुरा लगा। वे उससे बोलीं–"तुमने औरतों को नीचा दिखाया है" (610, 611)।

बार-बार मैथुन के बाद केवल एक स्नान

वुज़ू से विपरीत, स्नान का करना प्रत्येक मैथुन के उपरांत हर बार आवश्यक नहीं है। अनस बतलाता है कि "अल्लाह के रसूल अपनी बीवियों से मैथुन करने के बाद एक बार ही नहाते थे" (606)। तिरमिजी की रंगीन भाषा में–"पैगम्बर एक ही स्नान से, सब औरतों को पार कर जाते थे" (किताब 1, हदीस 124)। अनुवादक समझाते हैं–"पाक पैग़म्बर हर एक मैथुन के बाद नहीं नहाते थे, केवल वुज़ू कर लेते थे और आखिर में ही नहाते थे" (टि० 514)।

सहस्नान

कई हदीसों में वर्णित है कि पैग़म्बर मैथुन के बाद अपनी बीवियों के साथ नहाते थे। आयशा बतलाती हैं–"अल्लाह के रसूल एक पात्र (जिसमें 15 से 16 पौंड पानी आता था) से पानी लेकर नहाते थे। और मैं तथा वे उसी पात्र से नहाते थे" (625)। एक दूसरी हदीस में वे इसी बात को कुछ विस्तार के साथ बतलाती हैं–"मैं और अल्लाह के पैग़म्बर एक ही बर्तन से पानी लेकर नहाते थे और जिस मुद्रा में हम मैथुन करते थे उसी मुद्रा में हमारे हाथ बारी-बारी से उसमें जाते थे" (629)।

मुहम्मद की दो दूसरी बीवियां–उम्म सलमा ओर मैमूना–भी बतलाती हैं वे और मुहम्मद साथ-साथ नहाते थे (581, 631)।

अनुवादक ने महसूस किया कि विरोधी समीक्षकों की सम्भावित आलोचना पैग़म्बर के इस आचरण की मार्जना आवश्यक है। वें हमें बतलाते हैं कि यह स्नान एक सर्वथा कर्म था। कोई तेज रोशनी नहीं होती थी। और यद्यपि कई बार पैग़म्बर और उनकी बीवियां एक ही पात्र से नहाते थे, तथापि वह कोई ऐसा टब-स्नान नहीं होता था, जिसमें जोड़े एक साथ बैठ कर नहाते हैं। फिर वे बिल्कुल अंधेरे में नहाते थे और उनके द्वारा एक दूसरे की देह को देखने का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता था (टि० 538)।

शारीरिक ऊष्मा का संरक्षण

यदि नहाते वक्त शरीर की गर्मी ज्यादा घट जाती थी तो बीवी का आलिंगन करके उसे फिर से पाया जा सकता था। तिरमिज़ी द्वारा उद्धृत एक हदीस के मुताबिक़, आयशा बतलाती हैं–"ऐसा कई बार होता था कि अल्लाह के पैग़म्बर शुद्धि–स्नान के बाद, गर्म होने के इरादे से मेरे पास आते थे और मैं बिना नहाई (और इसलिए अशुद्ध दशा में) होती तब भी मैं उन्हें अपने साथ लपेट लेती थी" (किताब 1, हदीस 108)।

ये सभी कायदे-कानून बनाने के बावजूद मुहम्मद उनसे बंधे नहीं थे। पैग़म्बरी का विशेषाधिकार उनके पास था। इस मामले में अली को उन्होंने साझीदार बना रखा था। अबू सईद के अनुसार मुहम्मद ने अली से कहा–"ऐ अली ! यौनाचार से उत्पन्न अपवित्रता की दशा में मस्जिद में जाना, मेरे और तुम्हारे सिवाय, और किसी के लिए विधिसम्मत नहीं है" (तिरमिज़ी, किताब 2, हदीस 1584)।

✣✣✣

3

प्रार्थना (सलात)

चौथी किताब "सलात की किताब" है। यह सबसे लंबी है। इसमें 1398 अहादीस हैं, जो 203 पर्वों में विभक्त हैं। पर इस समस्त किताब में आत्मगवेषणा या आत्मज्ञान जैसे उन प्रसंगों की तलाश व्यर्थ होगी जो भारतीय अध्यात्म-परम्परा में स्थायी महत्व के रहे हैं। भिन्न-भिन्न रूपों में व्यक्त होने वाली एक ही दिव्य सत्ता की उपासना भिन्न-भिन्न स्वभाव वाले मनुष्य विविध मार्गों से कर सकते हैं, इसका कोई दूरवर्ती संकेत तक इसमें नहीं है। यहां जिस प्रकार एक ही अल्लाह है, एक ही मार्गदर्शक है और एक ही किताब है, वेसे ही एक ही प्रार्थना है जो एक ही सूत्र में बद्ध और स्थिर हैं।

इस किताब के 203 पर्वों के शीर्षकों से ही प्रकट हो जाता है कि वे सभी पर्व बाह्याचार से संबंधित हैं:—अज़ान (प्रार्थना के लिए बुलाया जाना); झुकने, सजदा करने और उठने की भंगिमाएं; नमाज़ों के वक्त और उनकी संख्या; प्रार्थना-व्यवस्था में इमाम की जगह; अलग-अलग समय की प्रार्थना के गुण-वैशिष्ट्य; वर्षा के लिए प्रार्थना, आंधी तथा अन्य विपदाओं से रक्षा करने के लिए प्रार्थना, मृत व्यक्ति से सम्बद्ध प्रार्थना, इत्यादि।

अज़ान

हमें बतलाया जाता है कि अज़ान की शुरूआत कैसे हुई। शुरू में मदीना के लोग मस्जिद में मिलते-जुलते रहते थे। प्रार्थना कब करनी है, यह जानकारी उन्हें नहीं होती थी। निश्चित समय पर प्रार्थना के लिए लोगों को बुलाने के लिए किसी ने घंटी बजाने का सुझाव दिया। ईसाई लोग घंटी बजाते थे। किसी ने यहूदियों की तरह तुरही बजाने का सुझाव दिया। किसी ने यह भी सुझाव दिया कि आग जलाई जाय। ये सभी तरीकें अमान्य कर दिये गये। यहूदियों, ईसाईयों एवं अग्निपूजकों से मुसलमानी व्यवहार को अलग बनाने के लिए पुकारने की व्यवस्था प्रचलित की गई। बिलाल, जिनका कंठ-स्वर बहुत ऊंचा था, और अब्दुल्ला बिन उम्म मकतूम, जो बाद में अंधे हो गये, ये दो लोग पहले मुअज्ज़िन (पुकारने वाले) थे (735, 737, 741)।

अज़ान बहुत असरदार होती है। "जब शैतान अज़ान सुनता है, तो वह रोहा के बराबर की दूरी तक दूर भाग जाता है" (रोहा मदीना से 36 मील दूर है) (751)।

गैर-मुस्लिमों पर हमले

अज़ान एक बड़ा संकेत भी बन गई। जहां वह सुनाई पड़ती थी वहां के विषय में समझ लिया जाता था कि वहां केवल कुफ्र ही नहीं है। "अल्लाह के रसूल पौ फटने के समय दुश्मन पर हमला करते थे। वे यदि उस ओर से अज़ान सुनते थे, तो रुक जाते थे" (745)। भाष्यकार इसे मुहम्मद का महान गुण बतलाते हैं। "पाक पैग़म्बर ने युद्ध की प्रणाली में जो महानतम योगदान दिया, वह यह है कि उन्होंने इसे अंधाधुंध वध या हत्या के स्तर से उठा कर, समाज में बुराई का उन्मूलन करने के लिए, मानवीकृत संघर्ष के स्तर तक पहुंचा दिया। इसीलिए पाक पैग़म्बर अपने साथियों को यह अनुमति नहीं देते थे कि दुश्मनों पर रात के अंधेरे में उनकी असावधानी की दशा में टूट पड़ा जाय" (टि० 600)।

मुहम्मद के लिए आशीष

मोमिन जब मुअज्जिन की आवाज सुनें, तो उन्हें उस की आवाज दुहरानी चाहिए और मुहम्मद के लिए आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए। मुहम्मद कहते हैं कि उन्हें "अल्लाह से मेरे लिए अल-वसीला मांगना चाहिए, जो कि जन्नत में अल्लाह के सेवकों में से सिर्फ एक के लिए नियत पद है। अगर कोई मेरे लिए यह दुआ करता है कि मुझे वसीला दिया जाय तो उसे मेरी मध्यस्थता का आश्वासन है" (747)।

इस प्रतिपादन का एक अन्य विवरण भी है। यदि कोई व्यक्ति मुअज्जिन को सुनकर यह घोषित करते हुए प्रत्युतर देता है कि वह "अल्लाह को अपना आराध्य, मुहम्मद को रसूल और इस्लाम को अपना दीन (मज़हब) मानकर संतुष्ट है, तो उसके पाप माफ कर दियें जायेंगे" (749)।

अपने लिए आशीष चाहते समय मुहम्मद अपने बीवी-बच्चों को नहीं भूलते। मुहम्मद से पूछा गया—"अल्लाह के रसूल ! हम आपको आशीष किस प्रकार दें ?" उन्होंने बतलाया—"ऐ अल्लाह ! मुहम्मद पर कृपा करो और उसकी बीवियों और उसके बच्चों पर कृपा करो...जो मुझे एक बार आशीष देता है, उस पर अल्लाह दस बार कृपा करता है" (807-808)।

प्रार्थना की समय मुद्रायें

मुस्लिम प्रार्थना किसी एक शांत मुद्रा में खडे होकर या बैठकर सम्पन्न नहीं होती। वह कई अंग-संचालनों के साथ की जाती है। मुहम्मद के व्यवहार और निर्देशों के आधार पर इन संचालनों की विधि निश्चित की गई है। इस विषय पर अनेक अहादीस है। एक वृतांतकार ने देखा कि "प्रार्थना शुरू करने

के समय मुहम्मद ने कंधों के सामने अपने हाथ उठाये और नीचे झुकने के पहले तथा झुकने के उपरांत सीधे खड़े होने के बाद भी उन्हें हाथ उठाये देखा। लेकिन दो सजदों के बीच में हाथ उठे हुए नहीं दिखे" (758)। दूसरे ने देखा कि "उनके हाथ कानों के सामने तक उठे हुए थे।" उसने यह भी देखा कि "फिर उन्होंने अपने हाथ अपने कपड़ों से ढक लिये, और अपना दाहिना हाथ अपने बायें हाथ के ऊपर रखा और जब वे झुकने को हुए तो हाथों को कपड़ों से बाहर निकाल-कर ऊपर उठाया....और सजदा करते समय उन्होंने दो हथेलियों के बीच सिर रखकर सजदा किया" (792)।

अल्लाह ने मुहम्मद को हुक्म दिया कि "उन्हें सात हड्डियों सहित सजदा करना चाहिए और केश तथा वस्त्र पीछे की तरफ नहीं बांधने चाहिए।" सात हड्डियां ये हैं–"दोनों हाथ, दोनों घुटने, पैरों के दो छोर और माथा" (991)। पर मुहम्मद ने अपने अनुयायियों से कहा कि "सजदे में संयम बरतें" और "अपनी बाहें जमीन पर कुत्ते की तरह न पसारें" (997)।

प्रारम्भ में दस्तूर था कि एक हाथ को दूसरे पर, हथेली से हथेली सटा कर जांघों के बीच में रखा जाय। पर बाद में यह प्रथा रद्द कर दी गई और अनुयायियों को "हुक्म दिया गया कि हाथों को घुटनों पर रखा जाय" (1086-1092)।

एक और एहतियात–"लोगों को नमाज़ के समय दुआ करते वक़्त अपनी आंखें आकाश की ओर नहीं उठानी चाहिए, नहीं तो उनकी आंखें नोच डाली जायेंगी" (863)।

इमाम

मुस्लिम प्रार्थना मुख्यतः समूह-प्रार्थना है। उसकी अगुवाई एक इमाम द्वारा की जानी चाहिए। मुहम्मद आदेश देते हैं कि "जब तीन व्यक्ति हों, तो उनमें से एक को उनका नेतृत्व करना चाहिए" (1417)।

मुहम्मद अपने अनुयायियों से अपने इमाम का अनुसरण करने का आग्रह करते हैं–"जब वह सजदा करे, तुम्हें भी सजदा करना चाहिए; जब वह उठे तुम सबको भी उठना चाहिए" (817)। वे यह भी वर्जित करते हैं कि इमाम से पहले कोई झुके ओर सजदा करे। "इमाम से पहले अपना सिर उठाने वाला शख़्स क्या डरता नहीं कि अल्लाह उसके चेहरे को गधे का चेहरा बना सकता है ?" (860)। साथ ही, प्रार्थना कर रहे लोगों को इमाम से ताल मिलाकर बोलना चाहिए और ऐसे ऊंचे स्वर में नहीं बोलना चाहिए मानो वे इमाम से स्पर्धा कर रहे हों। एक बार किसी ने ऐसा किया, तो मुहम्मद उससे बोले–"मुझे लगा कि (तुम) मुझसे स्पर्धा कर रहे हो...और मेरे मुंह का बोल मुझसे छीन रहे हो" (783)। उपयुक्त कारण होने पर इमाम किसी को अपना नायब तैनात कर सकता है, जैसे कि मुहम्मद ने अपनी आख़िरी बीमारी के दौरान अबू बकर को तैनात किया था (832-844)।

इस प्रकार हम देखते हैं कि योरपीय साम्राज्यवाद के समस्त युक्तितर्क और दम्भ को इस्लाम ने उस साम्राज्यवाद के उदय से एक हजार वर्ष पूर्व ही प्रस्तुत कर दिया था। इतिहास का कोई युग ले लीजिए। उस युग में प्रवर्तित किसी भी साम्राज्यवाद के समस्त वैचारिक अवयव हमें इस्लाम में मिलते हैं—बर्बर कही जाने वाली जातियों अथवा अन्य धर्मावलम्बियों अथवा बहुदेववादियों का शोषण करने की दैवी अथवा नैतिक हिमायत; शोषित लोगों के देशों को आत्मप्रसार-प्रदेश समझना अथवा अपना अधिदेश मान कर हड़पना; और इस प्रकार दबाए हुए लोगों का "सभ्य स्वामियों" द्वारा अपने प्रश्रय में रखा जाना अथवा उनका दायित्व (जिम्मा) उठाना।

एक अन्य हदीस में कहा गया है कि मुहम्मद को क़यामत के दिन "मध्यस्थता" करने का जो सामर्थ्य मिला है वह दूसरे पैग़म्बरों को नहीं मिला" (1058)। अन्य हदीसों में अन्य बातें कही गई हैं। एक हदीस में मुहम्मद फरमाते हैं कि "आतंक[1] ने मेरा साथ दिया है और जब मैं सो रहा था तो संसार के सारे ख़जानों की कुंजिया मुझे सौंपी गईं।" इस हदीस को सुनाने वाले अबू हुरैरा बतलाते हैं कि पैग़म्बर के अनुयायी "उन ख़ज़ानों को खोलने में लगे हुए हैं" (1063)[2]।

---

1. अर्थात मेरे शत्रु मुझ से इतने भयभीत हैं कि बिना लड़े हार मान लेते हैं। मुहम्मद के आतंकवादी व्यवहार के परिणाम-स्वरूप ही इस भय का प्रसार हुआ था—उनके द्वारा करवाई गई हत्याएं, उनके द्वारा किया गया जनसंहार और मुसलमानों द्वारा निरन्तर किए जाने वाले धावों में होने वाली लूटपाट। उदाहरण के लिए, मक्का के बाजार में जिस समय कुरैजा नामक यहूदी क़बीले के आठ-सौ सदस्यों के सिर क्रूरता के साथ काटे गए, उस समय दोस्त तथा दुश्मन, दोनों ही सिहर उठे होंगे अर्थात मुहम्मद का लोहा मानने लगे होंगे।

2. अबू हुरैरा का कथन विश्वसनीय है। वे दीर्घायु थे (मुहम्मद के बाद पच्चीस बरस तक जिन्दा रहे)। उन्होंने मुसलमानों के उदीयमान राज्य को एक साम्राज्य में बदलते और मदीना की ओर प्रवाहमान प्रभूत कर-सम्पदा को देखा था। मुहम्मद की मृत्यु के बाद अबू बकर दो बरस तक ख़लीफ़ा रहे। पहले बरस में कर-सम्पदा का जो बंटवारा हुआ उसमें मक्का तथा मदीना के प्रत्येक मुसलमान के हिस्से 9 दरहम आए थे। दूसरे बरस में प्रत्येक 20 दरहम मिले। तदनन्तर दो दशकों में सब कुछ बहुत बदल गया। अरब के पड़ौस मे अनेक अंचल मुसलमानों के उपनिवेश बने और कर-सम्पदा का परिमाण अत्यधिक बढ़ गया। ख़लीफ़ा उमर ने एक दिवान अर्थात भुक्ति-लेखा तैयार किया जिसके अनुसार मुहम्मद की विधवाओं को 12,000 दरहम प्रतिवर्ष मिलने लगे। बदर की लड़ाई के तीन-सौ से अधिक रणबांकुरों को 5,000 दरहम प्रतिवर्ष मिलने लगे। बदर के पूर्व जो लोग मुसलमान बने थे उनमें से प्रत्येक के लिए 4000 दरहम, और उनके बच्चों के लिए 2000 दरहम प्रतिवर्ष ठहराए गए। इस लेखें में प्रत्येक मुसलमान का नाम दर्ज होता था। साम्राज्य में फैली हुई छावनियों में जो अरब सेनाएं तैनात थीं उनके अफ्सरों को 6000 से 9000 दरहम प्रतिवर्ष मिलने लगे। छावनियों में जन्म लेने वाले प्रत्येक बालक को जन्म के समय से ही 100 दरहम प्रतिवर्ष दिए जाते थे। दीवान का पूरा विवरण तारीख़ तबरी के द्वितीय भाग में पृष्ठ 476-479 पर मिलता है।

औरतें और मस्जिदें

औरतें मस्जिद में जा सकती हैं पर वे "इत्र न लगाए हुए हों" (893)। यदि वे इत्र लगा सकने में समर्थ हों तो मर्दों को यह विशेषाधिकार वर्जित नहीं है। औरतों से यह भी कहा गया है कि सजदे से सर उठाते समय मर्दों से पहले ऐसा न करें। अनुवादक स्पष्ट करते हैं कि यह हदीस उस समय से सम्बद्ध है, जब मुहम्मद के साथी लोग बहुत गरीब थे और पूरे कपड़े उनके पास नहीं होते थे। निर्देश का हेतु यह था कि इसके पहले कि औरतें सजदे से सर उठायें, इन ग़रीब लोगों को अपने कपड़े सम्हाल लेने का वक़्त मिल जाये (हदीस 883 और टि० 665)।

मुहम्मद ने मोमिनों को हुक्म दिया कि "अविवाहित औरतों और पर्दानशीन खातूनों को ईद की प्रार्थना में ले जाया जाय और उन्होंने रजस्वला औरतों को मुसलमानों के पूजा-स्थल से दूर रहने का आदेश दिया" (1932)। किन्तु प्रार्थना में औरतों के शामिल होने के बारे में इस्लामी शरह के नज़रिये को समझाते हुए अनुवादक महाशय एक पादटिप्पणी में बतलाते हैं—"तथ्य यह है कि पाक पैग़म्बर यह ज्यादा पसन्द करते थे कि औरतें अपनी प्रार्थनाएं घरों की चारदीवारियों के भीतर अथवा निकटतम मस्जिदों में कर लिया करें" (टि० 668)।

विधि और निषेध

विधि एवं निषेध अनेक हैं। उदाहरण के लिए, प्रार्थना के समय जूते पहनने की अनुमति है (1129-1130) किन्तु विभूषित तथा चित्रित वस्त्र चित्त-विक्षेपक है, अतः उनसे बचना चाहिए (1131-1133)। पैग़म्बर ने मोमिन को आदेश दिया कि प्रार्थना के समय "वह अपने सामने न थूके, क्योंकि प्रार्थना के वक़्त अल्लाह सामने होता है" (1116)। एक अन्य हदीस के अनुसार उन्होंने "दाहिने तरफ़ या सामने थूकने को मना किया, पर बांई तरफ या बायें पैर के नीचे थूकने की इजाज़त है" (1118)।

प्याज या लहसुन खाना हराम नहीं है। पर मुहम्मद को उनकी गन्ध "बुरी" लगी (1149) और इसीलिए उन्हें खाकर मस्जिद में आने से मना किया, "क्योंकि फ़रिश्तों के लिए भी वही चीज़ नक़सानदेह है, जो मनुष्यों के लिए" (1145)।

यहूदियों पर लानत

मस्जिद बनाना पुण्य है, क्योंकि "जो अल्लाह के लिए एक मस्जिद बनाता है, उसके लिए अल्लाह जन्नत में एक घर बनायेगा" (1034)। पर कब्रों के ऊपर मस्जिद बनाना और मक़बरों को तस्वीरों से सजाना वर्जित है। आयशा बतलाती

हैं कि जब पैग़म्बर "आखिरी सांस ले रहे थे...उन्होंने अपना मुख उघाड़ा और उसी दशा में बोले–यहूदियों और ईसाईयों पर लानत है, क्योंकि उन्होंने अपने पैग़म्बरों के मकबरों को पूजा-स्थल बना डाला है" (1082)।

पहले भोजन, पीछे प्रार्थना

निष्ठा की न्यूनता का परिचायक होते हुए भी यह नियम कुछ अंशो में यथार्थपरक है। मोमिन को प्रार्थना की तुलना में ब्यालू पसन्द करने को कहा गया है। मुहम्मद कहते हैं–"जब ब्यालू लाया जाय और प्रार्थना शुरू होने को हो तो पहले भोजन कर लेना चाहिए (1134)। अव्वल चीज अव्वल" ।

ख़तरे के वक़्त प्रार्थना

मुस्लिम विधान-वेत्ताओं के अनुसार, खतरें की 16 विशिष्ट स्थितियों के लिए प्रार्थना के भिन्न-भिन्न रूप हैं। उदाहरणार्थ, युद्ध के दौरान, एक दल प्रार्थना करे और दूसरा लड़े (1824-1831)।

जुमे की नमाज़

जुमे का दिन एक खास दिन है। "उस दिन आदम को रचा गया था। उस दिन उसे जन्नत में प्रवेश मिला था। उस दिन ही वह जन्नत से निष्कासित किया गया था" (1856)।

मुसलमानों से पहले हरेक मिल्लत को किताब दी गई थी। परन्तु मुसलमान यद्यपि "आखिरी हैं" तथापि वे "क़यामत के रोज़ अव्वल होंगे।" जहां यहूदी और ईसाई क्रमशः शनिवार और रविवार को अपना दिन मनाते हैं, वहीं मुसलमान भाग्यशाली हैं कि वे खुद अल्लाह द्वारा उनके लिए नियत शुक्रवार को अपना दिन मनाते हैं। "हमें शुक्रवार का निर्देश बहुत ठीक दिया गया, किन्तु हमसे पहले वालों को अल्लाह ने दूसरी राह दिखा दी" (1863)।

इस सिलसिलें में एक दिलचस्प कहानी कही जाती है। एक जुमें को, जब पैग़म्बर अपना उपदेश दे रहे थे, सीरिया के सौदागरों का एक काफिला आया। लोगों ने पैग़म्बर को छोड़ दिया और वे क़ाफिलें की तरफ भागे। तब यह आयत उतरी–"और जब वे लोग सौदा बिकता या तमाशा होता देखते हैं, तो उधर भाग जाते हैं और तुम्हें खड़ा छोड़ जाते हैं" (1887; कुरान 62/11)।

उपदेशक के रूप में मुहम्मद

जाबिर बिन अब्दुल्ला ने हमारे लिए उपदेश देते हुए मुहम्मद का एक शब्द-चित्र रचा है। वे बतलाते हैं–"जब अल्लाह के रसूल उपदेश देते थे, उनकी

आंखे लाल हो जाती थी, आवाज चढ़ती जाती थी और गुस्सा बढ़ता जाता था, जिसमें लगता था कि मानों वे दुश्मन के खिलाफ चेतावनी दे रहे हों ओर कह रहे हों कि दुश्मन ने तुम पर सुबह भी हमला किया है ओर शाम को भी। वे यह भी कहते थे कि क़यामत के दिन मुझे इन दो की तरह भेजा गया है। और वे अपनी तर्जनी और मध्यमा अंगुलियां जोड़ लेते थे (जिस प्रकार इन दो अंगुलियों के बीच कोई और अंगुली नहीं है उसी प्रकार मुहम्मद और क़यामत के दिन के बीच कोई नया पैग़म्बर नही होने वाला)। और आगे कहते थे कि सर्वोतम उपदेश अल्लाह की किताब में साकार है, और सर्वोत्तम मार्गदर्शन मुहम्मद द्वारा दिया जाने वाला मार्गदर्शन है, और सर्वाधिक बुरी बात है कोई नया प्रवर्तन, और प्रत्येक नया प्रवर्तन एक भूल है" (1885)।

मुहम्मद के उपदेशों के आंखों-देखे ब्यौरे और भी हैं। एक ब्यौरे में कहा गया है–"अल्लाह के रसूल (प्रार्थना में) खड़े हुए और हमने उन्हें कहते सुना–मैं तुझसे बचने के लिए अल्लाह की शरण लेता हूं। और फिर वे बोले–मैं तुझे अल्लाह के शाप द्वारा तीन बार शापित करता हूं। फिर उन्होंने अपना हाथ फैलाया, मानों कोई चीज़ पकड़ रहे हों।" जब इस असामान्य आचरण पर प्रकाश डालने के लिए उनसे कहा गया, तो उनका उत्तर था–"अल्लाह का दुश्मन इबलीस आग की लौ लेकर आया था, वह उसे मेरे मुंह पर रखना चाहता था।" पर शाप के बाद भी वह बाज नहीं आया। "तब मैंने उसे पकड़ना चाहा। अल्लाह की क़सम, अगर मेरे भाई सुलेमान ने विनती न की होती, तो मैं उसे बांध लेता ओर उसे मदीना के बच्चों के लिए तमाशे की चीज बना देता" (1106)।

संगीत, नृत्य और क्रीड़ाएं

आयशा बतलाती है–"अल्लाह के रसूल उस वक्त मेरे कमरे में आये, जब वहां दो लड़कियां मेरे साथ बुआस की लड़ाई के गीत गा रही थीं। वे पीठ फेर कर बिस्तर पर लेट गये। तब अबू बकर आये और उन्होंने मुझे झिड़का। वे बोले–ओह ! अल्लाह के रसूल के घर में शैतान के संगीत-वाद्य ! अल्लाह के रसूल उनकी तरफ मुख़ातिब हुए और बोले–उन्हें रहने दो। और जब वे उधर ध्यान नहीं दे रहे थे, तब मैंने लड़कियों को इशारा किया और वे बाहर चली गई। और वह ईद का दिन था" (1942)। मुहम्मद बोले–"अबू बकर, सभी लोगों का अपना त्यौहार होता है, और आज हमारा त्यौहार है (इसलिए उन्हें गाने-बजाने दो)" (1938)।

यह एकमात्र हदीस है, जिसका अर्थ मुहम्मद द्वारा संगीत की मंजूरी के रूप में लगाया जा सकता है। मुख्यतः तो वे अपनी किशोरी पत्नी आयशा को सन्तुष्ट

कर रहे थे। किन्तु इस्लाम के सूफ़ी सम्प्रदाय ने इस हदीस का जमकर उपयोग किया। सूफ़ियों के लिए संगीत का बहुत महत्व रहा है।

इसी अवसर पर, मुहम्मद एक खेल देख रहे थे। आयशा अपना सिर उनके कंधे पर टिकाये हुए थी। कुछ अबीसीनियाई लोग दिखावटी युद्ध की क्रीड़ा कर रहे थे। उमर आये और कंकड़ फेंककर उन्हें भगाने लगे। मगर मुहम्मद उनसे बोले–"उमर, उन्हें रहने दो" (1946)।

विभिन्न अवसरों पर विहित प्रार्थनाएं

वर्षा के लिए प्रार्थनाएं हैं, अंधड़ से या भयंकर काले बादलों से रक्षा के लिए प्रार्थनायें हैं, और सूर्यग्रहण के समय की जाने वाली प्रार्थनायें हैं (1966-1972)। तथापि प्रकृति के प्रति मुहम्मद में मैत्री-भाव नहीं मिलता। बादलों और तेज हवाओं से वे आतंकित हो उठते थे। आयशा बतलाती हैं–"जब किसी दिन आंधी–तूफ़ान या घने काले बादल उमड़ते थे, तो उनका असर अल्लाह के रसूल के चेहरे पर पढा जा सकता था। और वे बेचैनी की हालत में आगे-पीछे टहलते थे।" वे आगे कहती हैं–"मैने उनसे बेचैनी का कारण पूछा और वे बोले–मुझे आशंका थी कि मेरी मिल्लत के ऊपर कोई विपत्ति आ सकती है" (1961)।

मुहम्मद इस समस्या के साथ अभिचार-मंत्र की मदद से निपटते थे। आयशा बतलाती हैं–"जब भी तूफ़ानी हवा आती थी, अल्लाह के पैग़म्बर कहा करते थे–ऐ अल्लाह ! मुझे बता कि इसमें क्या भलाई है और कौन-सी भलाई इसके भीतर है, और किस भलाई के लिए यह भेजी गई है। इसमें जो बुराई हो, इसके भीतर हो और जिस बुराई के लिए यह भेजी गई हो, उससे बचने के लिए मैं तुम्हारी शरण लेता हूं" (1962)।

मृतकों के लिए प्रार्थनाएं

मृतकों के लिए और मर रहे लोगों के लिए भी प्रार्थनायें हैं। मर रहे लोगों को थोड़ी पंथमीमांसा समझाना जरूरी है। मुहम्मद कहते हैं–"जो मर रहे हों, उन्हें यह जपने की प्रेरणा दो कि अल्लाह के सिवाय कोई और आराध्य नहीं" (1996)।

जब किसी बीमार या मृतक के पास जाओ, नेकी की याचना करो, क्योंकि जो भी तुम कहते हो, उसके लिए "फरिश्ते आमीन कह सकते हैं।" उम्म सलमा का कथन है–"जब अबू सलमा मरे, मैं पैग़म्बर के पास गई और बोली–रसूल अल्लाह ! अबू सलमा मर गये। उन्होंने मुझे यह उच्चारित करने के लिए कहा–ऐ अल्लाह ! मुझे और उन्हें (अबू सलमा को) माफ़ कर और मुझे उनके बदले में

बेहतर दे। सो मैंने यही कहा, और बदले में अल्लाह ने मुझे मुहम्मद दिये, जो मेरे वास्ते उनसे (अबू सलमा से) बेहतर हैं" (2002)।

उम्म सलमा अबू सलमा की बेवा थीं। अबू सलमा से उन्हें कई संतानें हुईं। अबू सलमा उहुद में मारे गए और चार महीने बाद मुहम्मद ने उम्म सलमा से शादी कर ली।

मृतक के लिए रोना

मृतक के लिए रोने को मुहम्मद मना करते थे–"जब उसके परिवार वाले उसके लिए रोते हैं, तो इसकी सज़ा मृतक को दी जाती है" (2015)। उन्होंने शव के लिए शीघ्र प्रबन्ध करने की शिक्षा भी दी है–"यदि मृत व्यक्ति भला था, तो तुम उसे अच्छी स्थिति में ही भेज रहे हो। यदि यह बुरा था, तो तुम बुराई से छुट्टी पा रहे हो" (2059)।

फिर भी मुहम्मद अपने वफ़ादार अनुयायियों की मृत्यु पर रोये थे। साद बिन उबादा के मरते वक्त वे रोते हुए बोले–"अल्लाह आंख से आंसू बहने या दिल के दुखी होने पर सजा नहीं देता; बल्कि इसके (अपनी जीभ की तरफ इशारा करते हुए) लिए सजा देता है, यानि जोर-जोर से विलाप करने पर" (2010)।

4

दानार्थ कर (ज़कात)

पांचवी किताब "अल-ज़कात" (दान अथवा दानार्थ कर) के विषय में है। प्रत्येक समाज अपने दीन-हीन भाइयों के प्रति दयाभाव का उपदेश देता है और कुछ हद तक वैसा व्यवहार भी करता है। दान अथवा ज़कात एक पुरानी अरब परम्परा थी। किन्तु मुहम्मद ने उस को एक ऐसे कर का रूप दे दिया जो उदीयमान मुस्लिम राज्य को देना मुसलमानों के लिए अनिवार्य बन गया। उस कर को राजकीय प्रतिनिधि ही खर्च कर सकते थे। इस रूप में ज़कात दाताओं के लिए एक भार बन गया। इसके सिवाय राजकीय प्रतिनिधि इस का उपयोग अपनी सत्ता और महत्ता के लिए करने लगे।

"ज़कात की किताब" का बहुलांश सत्ता के मुद्दे से सम्बन्धित है। शुरू में मुहम्मद के साथियों में अनेक ऐसे थे जो जरूरतमन्द थे। उनमें से अधिकतर अपने घर छोड कर आए थे और मदीना-निवासियों के सद्भाव और दानशीलता पर निर्भर थे। दान के विषय में जो वाग्मिता मिलती है, वह इसी स्थिति से निष्पन्नं हुई थी। अभी तक इन दीन-दुखी लोगों को लेकर किसी व्यापक और सार्वभौम भाईचारे की भावना नहीं पनपी थी। किसी विशाल-तर मानवीय भाईचारे का भाव भी नहीं था। ज़कात केवल अपने हम-मज़हब भाइयों के लिए विहित थी। अन्य सब लोगों को इसकी परिधि से परे रक्खा गया था। तब से लेकर अब तक ज़कात का रूप यही रहा है।

ज़कात-कोष का उपयोग

कुरान के अनुसार ज़कात-कोष उन लोगों के लिए है जो "गरीब और मोहताज" (फ़ुक़रा और मसकीन) हों, जो बँधुआ और कर्ज़दार हो, और जो राह चलते मुसाफ़िर हों।" ये सब दान के परम्परागत पात्र हैं। इस कोष का उपयोग "नौकरशाही" के लिए भी किया जाता है। उन लोगों के लिए जो इस कोष का संग्रह और वितरण करते हैं। इसके सिवाय दो और क्षेत्र हैं जिनका उल्लेख किया जाता है और जिनकी ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस कोष का उपयोग "अल्लाह की सेवा" (फीसबी लिल्लाह) और इस्लाम के वास्ते "दिल जीतने (या अनुकूल बनाने अथवा झुकाव बढ़ाने) के लिए (मुअल्लफ़ा क़ुलूबुहुम)" भी किया जाता है (क़ुरान 9, 60)।

इस्लाम की मज़हबी शब्दावली में, पहले मुहावरे अर्थात "अल्लाह के रास्ते में या सेवा में" का अर्थ है मज़हबी युद्ध या जिहाद। ज़कात-कोष को हथियार, सैनिक उपकरण और घोड़े खरीदने में खर्च किया जाता है। दूसरे मुहावरे अर्थात "दिल जीतने अथवा अपनी तरफ झुकाने" का अलंकार-रहित अर्थ है "घूस देना"। मतान्तरित नये लोगों के ईमान को उदार "भेंटों" की मदद से पक्का करना चाहिए और विरोधियों के ईमान को इसी माध्यम से उखाड़ना चाहिए। पैग़म्बर के मज़हबी अभियान और उनकी कूटनीति का यह एक महत्त्वपूर्ण अंग था और, जैसा कि क़ुरान की आयतें बतलाती हैं, इसके लिए पैग़म्बर को वह दैवी स्वीकृति प्राप्त थी, जिसका दावा उनके अनुयायी आज भी करते हैं।

माफ़ी और मुनाफ़ा

ज़कात से माफ़ी देने की एक निचली मर्यादा-रेखा थी। "खजूर या अनाज के पांच वस्कों (1 वस्क = लगभग 425 पौंड) तक, पांच से कम ऊंटों तक, और 5 उकिया से कम चांदी तक (1 उकिया = लगभग 10 तोला या 1/4 पौंड) कोई सदक़ा (ज़कात) देय नहीं है" (2134)। साथ ही, "एक मुसलमान से उसके गुलाम या घोड़े पर कोई सदक़ा नहीं लिया जाता" (2184)। जिहाद के लिए इस्तेमाल होने वाले घोड़ों पर कोई ज़कात नहीं थी। "जिहाद में सवारी के काम आने वाला घोड़ा ज़कात के भुगतान से मुक्त होता है" (टि० 1313)।

एक अप्रिय कर

एक दिलचस्प हदीस है, जिससे पता चलता है कि सबसे सम्पन्न वर्ग में भी जकात देना अप्रिय था। उमर को ज़कात वसूल करने वाला (अधिकारी) नियुक्त किया गया था। जब उन्होंने रिपोर्ट दी कि खालिद बिन वलीद (जो बाद में एक प्रसिद्ध मुस्लिम सेनापति बने) और पैग़म्बर के अपने चचाजान अब्बास तक ने कर देने से इन्कार कर दिया है, तो मुहम्मद ने कहा—"खालिद के प्रति तुम्हारा यह व्यवहार उचित नहीं, क्योंकि उसने अपने शस्त्रास्त्र अल्लाह के वास्ते सँभाल कर रखे हैं। और जहाँ तक अब्बास की बात है, मैं उसका जिम्मेदार होऊंगा ... उमर! ध्यान रहे, किसी का चाचा उसके पिता के समान होता है" (2188)।

ज़कात के ख़िलाफ़ व्यापक नाराज़गी थी। गैर-मदीनी अरब क़बीलों में वह नाराज़गी और भी प्रबल थी, क्योंकि उनके हिस्से इस कर का बोझ ही आता था, इसके फायदे उन्हें नहीं पहुँचते थे। वद्दू लोगों ने पैग़म्बर से शिकायत की कि "सदक़ा वसूल करने वाला हमारे पास आया और उसने हमसे अनुचित व्यवहार किया। इस पर अल्लाह के रसूल ने कहा—वसूल करने वाले को खुश रक्खो" (2168)।

लेकिन हालात मुश्किल थे और इतनी आसानी से मुश्किलें हल नहीं होती थीं, जैसा कि यह हदीस इंगित करती है। मक्का-विजय के बाद, जब मुहम्मद की सत्ता सर्वोच्च हो उठी, दशमांश कर (ज़कात) की वसूली की वसूली आक्रामक तरीके से की जाने लगी। हिजरी सन् 9 की शुरूआत में, वसूली करने वालों की टुकड़ियां विभिन्न दिशाओं में भेजी गईं, ताकि किलाब, गिफ़ार, असलम, फज़ार और अनेक अन्य क़बीलों से कर वसूला जा सके। ऐसा लगता है कि इस वसूली का वनू तमीम क़बीले के एक वर्ग द्वारा कुछ कड़ा विरोध किया गया। इसीलिए मुहम्मद ने पचास अरबी घुड़सवारों की एक सैनिक टुकड़ी उन्हें दंडित करने के लिए भेजी, जिन्होंने अचानक उस क़बीले को जा दबोचा और पचास औरत-मर्दों तथा बच्चों को बंधक बनाकर मदीना ले आये। उन्हें छुड़ाई देकर छुड़ाना पड़ा और तब से वसूली अपेक्षाकृत सुगम हो गई।

इस कर के ख़िलाफ़ अरब लोगों की नाराज़गी की शब्द-चातुर्य से भरी एक गवाही खुद कुरान में मिलती है। अल्लाह मुहम्मद को सावधान करते हैं–"अरबी रेगिस्तान के कुछ लोग करों की अदायगी को जुर्माना मानते हैं और तुम्हारी क़िस्मत पलटने के इन्तजार में है। पर उनकी क़िस्मत ही बुरी बनेगी, क्योंकि अल्लाह सुनता भी है, और जानता भी है" (9/98)।

दरअसल, नाराज़गी इतनी प्रबल थी कि मुहम्मद के मरते ही अरब क़बीले उदीयमान मुस्लिम राज्य के विरुद्ध विद्रोह में उठ खड़े हुए और उन्हें दुबारा दबाना पड़ा। उनका विरोध तभी मिटा जब वे मुस्लिम साम्राज्य के विस्तार में साझेदार बने और ज़कात का भार, सैनिक विजय तथा उपनिवेशों से मिलने वाले प्रचुर माल की तुलना में, हल्का हो गया।

दैवी विधान

ज़कात न अदा करने पर दिया जाने वाला दैवी दंड किसी भी मानवीय सत्ता द्वारा दिए जाने वाले लौकिक दंड से अधिक उत्पीड़क है। "यदि सोना या चांदी रखने वाला कोई व्यक्ति अपने द्वारा देय अंश का भुगतान नहीं करता, तो क़यामत के रोज़ उसके लिए आग की पट्टियां तैयार की जायेंगी, फिर वे नरक की आग में गरम की जायेंगी और उसकी बाहें, उसका माथा और उसकी पीठ उनसे दागी जायेंगी। और जब वे ठंडी हो जायेंगी तो वही सिलसिला दिन भर दोहराया जायेगा। दण्ड की अवधि पचास हज़ार बरस की होगी।" और ऊंटों के उस मालिक के लिए जो अपना कर नहीं देता, "एक इतना बड़ा रेतीला मैदान बनाया जायेगा, जितना कि संभव हो" और उसके ऊंट "उसे अपने खुरों से खूंदेंगे और मुंह से काटेंगे–पूरे दिन, जो पचास हजार बरस का होगा।" वही हस्र

गायों और भेड़ों के उन मालिकों का होगा, जो कर नहीं देते। "वे उन्हें अपने सींगों से मारेंगी और खुरों से खूंदेंगी"–उतनी ही अवधि तक (2161)।

दान अपने घर से शुरू हो

मुहम्मद के पहले अरब लोगों में बहुत दानशीलता थी। किन्तु कर के रूप में नहीं। मसलन, उन दिनों अरब अपने ऊंटों को हर छठे या सातवें दिन किसी पोखर के किनारे ले जाते थे, वहां उन्हें दुहते थे और दूध जरूरतमन्दों में बांट देते थे (टि० 1329)।

इस उदारता की मुहम्मद ने सराहना की पर उन्होंने सिखाया कि दान अपने घर से शुरू होना चाहिए। यह मुद्दा अनेक अहादीस (2183-2195) में मिलता है। जिस क्रम से व्यक्ति को अपनी सम्पदा का व्यय करना चाहिए, वह इस प्रकार है–सर्वप्रथम अपने आप पर, फिर अपनी बीबी और बच्चों पर, फिर रिश्तेदारों और दोस्तों पर, और फिर नेक कामों पर। इसे बुद्धिमत्ता की बात ही कहा जाएगा।

आम रिवाज के मुताबिक, एक अरब ने एक बार यह वसीयत की कि उसकी मौत के बाद उसका गुलाम मुक्त कर दिया जाय। जब मुहम्मद ने यह सुना तो उसे बुलाया और पूछा कि क्या कोई और जायदाद भी उसके पास है। उसने कहा, नहीं। तब मुहम्मद ने उसके गुलाम को 800 दरहम में बेच दिया, और वह रक़म उसे दे दी और कहा–"अपने आप से शुरू करो और इसे अपने पर खर्च करो, और कुछ बचे तो तुम्हारे परिवार पर खर्च होना चाहिए, और उससे भी जो बचे, वह तुम्हारे रिश्तेदारों पर खर्च होना चाहिए।"

एक और कहानी है, जो यही बात बतलाती है। एक महिला ने अपनी बांदी को आज़ाद कर दिया। पता चलने पर, मुहम्मद ने उससे कहा–"तुमने उससे अपने मामा को दे दिया होता, तो तुम्हें ज्यादा प्रतिफल मिलता" (2187)।

अतएव इस मुद्दे पर मुहम्मद ने जो नैतिकता सिखायी, वह विशेषतः उदात्त तो नहीं थी, पर वह आम दस्तूर के अनुसार अवश्य थी। वह क्रांतिकारी नैतिकता तो क़तई नहीं थी। गुलामों की मुक्ति न्याय का नहीं, दान का मामला बन गया और वह दान भी मोमिन के परिवार के कल्याण के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए।

गम्भीरतर पक्ष

हदीस-संग्रह के लिए वह असाधारण बात भले ही हो, फिर भी कुछ अहादीसों (2197-2204) में दान का गम्भीरता पक्ष भी उल्लिखित है। जो लोग धन नहीं दे सकते, वे निष्ठा और नेक कामों का दान दिया करें। "दो आदमियों

के बीच न्यायनिर्णय देना भी एक सदक़ा है। और किसी आदमी को उसकी सवारी पर चढ़ने में मदद देना अथवा सवारी पर बोझ लादने में किसी की मदद करना एक सदक़ा है। और अच्छी बात कहना एक सदक़ा है। और प्रार्थना की तरफ उठाया गया हर क़दम एक सदक़ा है। और रास्ते से हानिकर चीज़ें हटा देना एक सदक़ा है" (2204)।

ऐसी ही सुन्दर एवं समझबूझ से भरी कुछ अन्य हदीस भी हैं। ईश्वर जिनकी रक्षा करता है, उनमें से एक वह है, "जो दान देता है और उसे गुप्त रखता है, जिससे कि दांया हाथ जान नहीं पाये कि बांये हाथ ने क्या दिया है" (2248)। इसी क्रम में मुहम्मद हमें बतलाते हैं कि "यदि कोई एक खजूर के बराबर सदक़ा देता है ... तो अल्लाह उसे अपने दाहिने हाथ से मंजूर करेगा।" (2211)।

और एक अन्य हदीस में कहा है–"अल्लाह की स्तुति[1] के प्रत्येक उद्घोष में (अर्थात् सुभान अल्लाह कहने में), एक सदक़ा है ... और पुरुष के यौन समागम में (अपनी पत्नी के साथ, ऐसा अनुवादक ने पूरा किया है) एक सदक़ा है" (2198)।

प्रेरणाएं और दलीलें

भिक्षा-दान के लिए मुहम्मद एक उदात्त दलील देते हैं। हर एक को दान देना चाहिए, भले ही वह सिर्फ़ आधा खजूर हो। अबू मसूद बतलाते हैं–"हमें दान देने का आदेश मिला था, यद्यपि हम कुली थे" (2223)।

एक हदीस हमें बतलाती है–"ऐसा कोई दिन नहीं जब (अल्लाह के) सेवक लोग सुबह उठते हों और उनके पास दो फ़रिश्ते न आते हों। उनमें से एक कहता है–ऐ अल्लाह ! जो खर्च करता है, उसे और दो। और दूसरा कहता है–ऐ अल्लाह ! जो दबा कर रखता है, उस पर तबाही ला" (2205)। क्या उपदेश का पहला हिस्सा काफ़ी नहीं था ? क्या एक आशीर्वाद के साथ एक शाप भी जरूरी है ?

मुहम्मद मोमिनों को सदक़ा करने और उसमें जल्दी करने को कहते हैं, क्योंकि "एक वक़्त आयेगा जब कोई आदमी सोने का सदक़ा लिये भटकेगा, पर उसे लेने वाला कोई भी नहीं मिलेगा।" वे यह भी कहते हैं कि "मर्दों की कमी और औरतों की बहुतायत के कारण एक मर्द के पास चालीस औरतें शरण लेती

1. और निश्चय ही अल्लाह का एकपंथवादी रीति से ही महिमा–गान किया जा सकता है, बहुपंथवादी या सर्वपंथवादी ढंग से नहीं, और अल्लाह की स्तुति में मुहम्मद की स्तुति भी अवश्य शामिल होनी चाहिए ।

देखी जायेंगी" (2207)। इसका क्या मतलब है ? अनुवादक इस बयान को एक सच्ची भविष्यवाणी बतलाते हैं। महायुद्ध के बाद के इंग्लैण्ड में मर्दों और औरतों की आबादी के आंकड़े उद्धृत करके और उनके अनुपात में अन्तर दिखाकर वे "पैग़म्बरी बयान की सच्चाई" सिद्ध करते हैं (टि० 1366)।

चोरी, व्यभिचार, जन्नत

कई-एक अहादीस में कुछ ऐसी सामग्री शामिल है, जो वहां चर्चित शीर्षकों के अनुसार सुसंगत नहीं। मसलन, 2174 एवं 2175 अहादीस के बारे में यह सच है। ये दोनों ज़कात से सम्बद्ध हैं। पर दोनों में ऐसी बातें भी हैं, जिनका दान से कोई संबंध नहीं। हां, वे अपने ढंग से मोमिनो को आश्वस्त करने वाली अवश्य हैं। उदाहरणार्थ, अबू ज़र्र बतलाते हैं कि जब एक बार वे और मुहम्मद साथ-साथ चल रहे थे तो मुहम्मद उन्हें छोड़कर कहीं अन्यत्र चल दिये और कह गये कि मेरे लौटने तक वहीं रुकना। थोड़ी देर में मुहम्मद आंख से ओझल हो गए। पर अबू ज़र्र कुछ आवाजें सुनते रहे। उन्हें पैग़म्बर के साथ किसी अनर्थ के घटने की आशंका हुई, पर तब भी उनका हुक्म याद कर वे अपनी जगह पर जमे रहे। जब मुहम्मद लौटे, तो अबू ज़र्र ने उन आवाज़ों की वजह जाननी चाही। मुहम्मद ने उत्तर दिया–"वह जिब्रैल था, जो मेरे पास आया और बोला–जो तुम्हारी मिल्लत में रहते हुए अल्लाह के साथ किसी और को जोड़े वग़ैर मर जाता है, वह जन्नत में जायेगा। मैंने कहा–क्या तब भी, जबकि उसने चोरी की हो या व्यभिचार किया हो ? उसने कहा–हां, तब भी, जबकि उसने व्यभिचार किया हो या चोरी की हो" (2174)।

दान और भेदभाव

एक हदीस है जो यह सिखाती नज़र आती है कि दान बिना किसी भेद-भाव के दिया जाना चाहिए। कोई मनुष्य अल्लाह की स्तुति करते हुए पहले एक परगामिनी को, फिर एक धनी को और फिर एक चोर को दान देता है। फ़रिश्ता उसके पास आया और बोला–"तुम्हारा दान मंजूर कर लिया गया है।" क्योंकि यह दान एक ऐसा साधन बन सकता है "जिसके द्वारा परगामिनी व्यभिचार से स्वयं को विरत कर सकती है, धनी व्यक्ति शायद सबक़ सीख सकता है और अल्लाह ने उसे जो दिया है उसे खर्च कर सकता है, और चोर उसके कारण आगे चोरी करने से विमुख हो सकता है।" यह अनुमान किया जा सकता है कि उस व्यक्ति द्वारा किए गए दान के ये आश्चर्यजनक परिणाम इसलिए सम्भव हुए कि ये दान "अल्लाह की स्तुति" के साथ दिये गये थे (2230)।

ज़कात मुहम्मद के परिवार के लिए नहीं

ज़कात का मक़सद था मिल्लत के जरूरतमन्दों की मदद। पर मुहम्मद के परिवार को उसे स्वीकार करना मना था। परिवार में अली, जाफ़र, अक़ील, अब्बास और हरिस बिन अब्द अल-मुतालिब तथा उनकी संतानें शामिल थीं। पैगम्बर ने कहा था—"हमारे लिए सदक़ा निषिद्ध है" (2340)। दान लेना दूसरों के लिए बहुत अच्छा था, पर मुहम्मद के गौरवमंडित वंशजों के लिए नहीं! यों भी दान लेने की जरूरत उन लोगों के लिए तो कम से कमतर ही होती जा रही थी, क्योंकि वे विस्तार पा रहे अरब साम्राज्यवाद के वारिस थे।

यद्यपि सदक़ा लेने की अनुमति नहीं थी, तथापि भेंट-नजरानों का स्वागत था। मुहम्मद की बीवी द्वारा मुक्त की गई एक बांदी, बरीरा, ने मुहम्मद को मांस का एक टुकड़ा दिया, जोकि उनकी बीवी ने ही उसे सदक़े में दिया था। मुहम्मद ने यह कहते हुए उसे ले लिया—"उसके वास्ते यह सदक़ा है और हम लोगों के वास्ते भेंट" (2351)।

युद्ध में लूटा गया माल

थोड़े ही समय में मुस्लिम खज़ाने के लिए ज़कात गौण हो गई और युद्ध में लूटा गया माल राजस्व का मुख्य स्रोत बन गया। वस्तुतः दोनों के बीच का फ़र्क़ जल्दी ही मिट गया। इसी से "ज़कात की किताब" अनायास ही युद्ध में लूटे जाने वाले माल की किताब बन जाती है।

युद्ध में लूटे गए धन का पंचमांश इस्लामी राज्य के लिए "खम्स" है। यह खजाने में जाता है। इसके दो पहलू हैं। एक ओर यह अभी भी युद्ध में लूटा गया माल है। पर दूसरी ओर यह ज़कात है। जिस समय यह प्राप्त किया जाता है, उस समय यह युद्ध में लूटा गया माल होता है। जब मिल्लत के बीच बांटा जाता है, तब यह ज़कात बन जाता है।

युद्ध में लूटे गए माल के प्रति मुहम्मद का विशेष महत्त्व है। "युद्ध में लूटा गया माल अल्लाह और उनके रसूल के लिए है" (क़ुरान 8/1)। वह धन अल्लाह द्वारा पैग़म्बर के हाथ में सौंप दिया जाता है, जिससे वे उसे उस रूप में खर्च कर सकें, जिसे वे सर्वोत्तम समझें। यह खर्च चाहे ग़रीबों के लिए ज़कात के रूप में हो, अथवा उनके अपने साथियों को भेंट-उपहार हो, अथवा बहुदेववादियों को इस्लाम में प्रवृत्त करने के लिए रिश्वत हो, या फिर "अल्लाह के रास्ते" में खर्च हो अर्थात् बहुदेववादियों के ख़िलाफ़ सशस्त्र आक्रमणों और युद्धों की तैयारियों के लिए हो।

मुहम्मद के परिवार के दो नौजवान, अब्द अल-मुतालिब और फ़ज़ल बिन अब्बास, अपनी शादी के लिए साधन जुटाने की नीयत से ज़कात वसूल करने वाले अधिकारी बनना चाहते थे। उन्होंने जाकर मुहम्मद से याचना की पर मुहम्मद ने जवाब दिया—"मुहम्मद के परिवार को सदक़ा लेना शोभा नहीं देता, क्योंकि वह लोगों के दूषणों का द्योतक है।" तदपि मुहम्मद ने दोनों नौजवानों की शादी का इन्तज़ाम कर दिया और अपने ख़ज़ांची से कहा—"खम्स में से इन दोनों के नाम इतना महर (दहेज) दे दो" (2347)।

असंतोष

बनू नज़ीर ने जो प्रचुर सम्पत्ति छोड़ी थी उसका बहुलांश मुहम्मद ने अपने और अपने परिवार के लिए हस्तगत कर लिया था। उनके अन्य कोष भी लगातार बढ़ रहे थे। इस नए धन को ज़कात कहना कठिन था। वह युद्ध की लूट का माल था। उसके वितरण से उनके अनुयायियों के दिलों में रंजिश पैदा होने लगी। उनमें से ज्यादातर यह चाहते थे कि उन्हें और ज्यादा मिलना चाहिए अथवा दूसरों को तो हर हालत में उनसे कम ही मिलना चाहिए था। इस स्थिति को संभालने के लिए मुहम्मद को लौकिक और पारलौकिक, दोनों ही तरह की धमकियों से भरी यथायोग्य कूटनीति का उपयोग करना पड़ा।

भेंट-उपहार देकर "दिल जीतना"

वितरण के सिद्धान्त का आधार जरूरत अथवा न्याय अथवा पात्रता ही नहीं था। मुहम्मद अन्य बातों का भी ध्यान रखते थे। वे कहते हैं—"मैं उन को (बहुत सी बार पार्थिव उपहार) प्रदान करता हूं जो अभी कुछ दिन पहले तक कुफ्र की हालत में थे, ताकि मैं उन को सच्चाई की ओर झुका सकूं" (2303)।

उपहार की मदद से लोगों के दिल इस्लाम के वास्ते जीतना (मुअल्लफ़ा क़ुलूबहुम) सर्वथा निर्दोष व्यवहार समझा जाता है, जो क़ुरान के उपदेशों के पूर्णतः अनुरूप है (9/60)। लोगों को इस्लाम की तरफ लाने के लिए मुहम्मद ने उपहारों का असरदार इस्तेमाल किया। नए-नए मतान्तरित लोगों को वे उदारतापूर्वक इनाम देते थे, जबकि पुराने मुसलमानों को अनदेखा कर देते थे। साद बतलाते हैंकि "अल्लाह के रसूल ने लोगों के एक गिरोह को उपहार दिए, किन्तु एक शख़्स को उन्होंने छोड़ दिया और उसे कुछ नहीं दिया, और मुझे वह शख़्स उन सब में सर्वोत्तम दिख रहा था।" साद ने उस मोमिन की तरफ पैग़म्बर का ध्यान खींचा। पर मुहम्मद ने उत्तर दिया—"वह मुसलमान भले ही हो। मैं अक्सर किसी आदमी को इस डर से कुछ प्रदान कर देता हूं कि वह कहीं तेज़ी से (नरक की)

आग में.न गिर जाए। भले ही उससे अधिक प्रिय कोई अन्य व्यक्ति बिना कुछ पाए रह जाए" (2300)। यहां आग में गिरने से आशय है कि वह व्यक्ति इस्लाम को छोड़कर फिर अपने पुराने धर्म-पथ को अपना सकता है। अनुवादक और टीकाकार यह कह कर इस मुद्दे को बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि "किसी व्यक्ति को ज्यादा क़रीब लाने के लिए और मुस्लिम समाज में उसके हिल-मिल जाने के लिए पाक पैग़म्बर उसे पार्थिव पदार्थ उपहार–स्वरूप देते थे" (टि० 1421)।

इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी हैं। अब्दुल्ला बिन ज़ैद बतलाते हैं कि "जब अल्लाह के रसूल ने हुनैन को फ़तह किया, तो उन्होंने युद्ध की लूट का माल बांटा, और जिनके दिल वे जीतना चाहते थे उनको उपहार दिए" (2313)। उन्होंने उन क़ुरैश और बद्दू मुखियाओं को क़ीमती उपहार दिए जो कुछ ही हफ्तों पहले उनके शत्रु थे। अहादीस ने उपहार पाने वाले इन अभिजात लोगों में से कुछ के नाम संजो रखे हैं, जैसे अबू सुफ़िया बिन हर्व, सफ़वान बिन उमय्या, उयैना बिन हिस्न, अक़रा बिन हाबिस और अलक़मा बिन उलस (2303-1314)। इनमें से हरेक को लड़ाई की लूट में मिले माल में से सौ–सौ ऊंट मिले।

यमनसे अली बिन अबू तालिब द्वारा भेजे गए, लड़ाई की लूट में मिले सोने के साथ भी मुहम्मद ने यही किया। उन्होंने उसे चार लोगों में बांट दिया--उयैना, अक़रा, ज़ैद अल-खैल, "और चौथा या तो अलक़मा बिन उलस था या आमीर बिन तुफ़ैल" (2319)।

समझाना-बुझाना

किन्तु यह पद्धति भी दोषरहित नहीं थी। उनके कुछ पुराने समर्थकों में इससे बड़ा असंतोष उभरा और उन्हें शांत करने के लिए मुहम्मद को कूटनीति एवं खुशामद की अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करना पड़ा। मक्का-विजय के बाद, इस सफलता के मुख्य सहभागी अंसारों ने लूट के वितरण में अन्याय के शिकवे किए। वे बोले–"यह अजीब है कि हमारी तलवारों से जिनका खून टपक रहा है, उन (क़ुरैशों) को ही हमारे द्वारा युद्ध में लूटा गया माल दिया जा रहा है।" मुहम्मद उनसे बोले–"क्या तुम्हें इस पर खुशी नहीं महसूस हो रही है कि (दूसरे) लोग धन के साथ (मक्का की ओर) लौटें, और तुम अल्लाह के रसूल के साथ (मदीना) वापस जाओ" (2307)।

मुहम्मद ने और भी खुशामद करते हुए अंसारों से कहा कि वे उनके "भीतरी वस्त्र" हैं। (यानी ज्यादा नज़दीक हैं), जबकि लूट का माल पाने वाले क़ुरैश उनके सिर्फ़ "बाहरी वस्त्र" हैं। फुसलाहट को पंथमीमांसा के साथ जोड़ते हुए वे उनसे बोले कि "हौज़ कौसर में मुझसे मिलने तक तुम्हें धीरज दिखाना चाहिए" (2313)। हौज़ कौसर जन्नत की एक नहर है। अंसार लोग खुश हो गए।

मुहम्मद क्षोभग्रस्त

एक अन्य हदीस के अनुसार मुहम्मद ने अबू सूफ़ियां, सफ़वान, उयैना और अक़रा में से हरेक को एक-सौ ऊंट दिये, पर अब्बास बिन मिरदास को उसके हिस्से से कम दिये। अब्बास ने मुहम्मद से कहा–"मैं इन व्यक्तियों में से किसी से भी घट कर नहीं हूं। और जिसे आज गिराया जा रहा है, वह ऊपर उठाया नहीं जाएगा।" तब मुहम्मद ने "उसके हिस्से के एक-सौ ऊंट पूरे कर दिये" (2310)।

दूसरे मामलों में जब ऐसी ही शिकायतें की गईं, तो वे सदा संयत न रह सके। एक व्यक्ति ने शिकायत की कि "इस बंटवारे में अल्लाह की अनुमति नहीं ली गई है।" यह सुनकर मुहम्मद "बहुत नाराज हो गये ... और उनका चेहरा लाल हो उठा।" संतोष पाने के लिये उन्होंने कहा कि "मूसा को इससे भी ज्यादा संताप दिया गया था, पर उन्होंने धैर्य दिखाया था" (2315)

ख़ारिज

अली ने यमन से मुहम्मद को कुछ मिट्टी-मिला सोना भेजा। उसके बटवारे में मुहम्मद ने पक्षपात किया। जब कुछ लोगों ने शिकायत की, तो मुहम्मद ने कहा–"क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, जबकि मैं उसका विश्वासपात्र हूं, जो जन्नत में है ? जन्नत से सुबहो-शाम मुझ तक खबरें आती रहती हैं।" यह सुनकर लोग चुप हो गये। पर उनमें से एक व्यक्ति, जिसकी आंखें गहरी धंसी थीं, जिसके गालों की हड्डियां उभरी हुई थीं, जिसकी दाढ़ी घनी थी और सिर मुंडा हुथा था, खड़ा हो गया और बोला–"अल्लाह के रसूल ! अल्लाह से डरो और इन्साफ़ करो।" इससे मुहम्मद क्रुद्ध हो गये और जबाब दिया–"लानत है तुम पर ! अगर मैं इन्साफ़ नहीं करता तो और कौन इन्साफ़ करेगा ?" उमर वहां मौजूद थे। वे मुहम्मद से बोले–"अल्लाह के रसूल ! इस मक्कार को मार डालने की मुझे इजाज़त दें।" यद्यपि वह शख़्स बख़्श दिया गया, पर वह और उसकी परवर्ती पीढ़ियां भर्त्सना का विषय बन गई। मुहम्मद ने कहा–"इसी शख़्स की औलाद में से वे लोग निकलेंगे, जो क़ुरान का पाठ करेंगे, पर वह उनके गले के नीचे नहीं उतरेगी। वे इस्लाम के अनुयायियों का वध करेंगे पर बुत-परस्तों को छोड़ देंगे। ... यदि वे मुझे मिलें, तो मैं उन्हें आद की तरह मार डालूं (आद वह कबीला था जिसे जड़मूल से नष्ट कर गया था)" (2316-2327)।

ये लोग आगे चलकर ख़ारिज कहलाये। इस्लाम के कुछेक नारों को वे हृदयंगम कर बैठे थे। अली के अनुसार, उनके बारे में ही मुहम्मद ने कहा था—"जब उनसे मिलो, तो उन्हें मार डालो। क्योंकि उनको मार डालने के लिए फ़ैसले के रोज अल्लाह तुम्हें इनाम देगा" (2328)। ये आरम्भिक इस्लाम के अराजकतावादी एवं कट्टरता-वादी लोग थे। उनके बारे में आदेश था—"वे जब हार जायें तो उनका पीछा करना और उनमें से क़ैद किए लोगों को मार डालना और उनकी सम्पत्ति को नष्ट कर देना।"

5

उपवास और तीर्थयात्रा (सॉम और हज)

छठी और सातवीं किताबें क्रमशः उपवास (अल-सॉम) और तीर्थयात्रा (अल-हज) से संबंधित हैं। ये दोनों ही इस्लाम के "आधार-स्तम्भों" में गिने जाते हैं।

उपवास

इस्लाम में अनेक तरह के उपवास हैं। मगर रमज़ान के महीने में उपवासों का सबसे ज्यादा महत्त्व है। क़ुरान में इसका आदेश है, अतः यह अनिवार्य है। "जब रमज़ान का महीना आता है, कृपा के द्वार खोल दिये जाते हैं और नरक के दरवाज़ों पर ताला लग जाता है और शैतानों को जंज़ीरों से जकड़ दिया जाता है" (2361)।

मुस्लिम परम्परा में उपवास, अन्य धर्म-परम्पराओं के उपवास से अपेक्षाकृत भिन्न है। इस्लाम में किसी निरन्तर उपवास (सॉम–विसाल) का स्थान नहीं है, क्योंकि मुहम्मद ने इसे मना किया था (2426-2435)। मना करने की वजह थी अपने साथियों के प्रति "कृपा-दृष्टि" (2435)। उपवासों के दौरान दिन में खाना मना है, रात में खाने की इजाज़त है। इस विधान की अपनी अनुशासनात्मक भूमिका है। फिर भी कोशिश यही की गई है कि नियमपालन आसान हो जाए। सलाह दी गई है कि सूरज उगने के पहले तक जितने अधिक विलम्ब से खाना सम्भव हो, उतने विलम्ब से खाया जाए और सूर्यास्त के बाद जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी उपवास समाप्त किया जाए। "सूर्यास्त के तनिक पहले खाना खा लो, क्योंकि उस वक़्त खाने के लिये आशीर्वाद है" (2412); और "लोग तब तक समृद्ध होते रहेंगे, जब तक कि ये रोज़ा खोलने में जल्दी करते रहेंगे" (2417)।

इस प्रकार मुसलमानों की यहुदियों और ईसाईयों से अलग पहचान बनी। क्योंकि यहूदी तथा ईसाई जल्दी ही खा लेते थे और नक्षत्रों के दिखने की प्रतीक्षा करते हुए विलम्ब से उपवास तोड़ते थे। मुहम्मद कहते हैं—"दूसरे किताबी लोगों में और हम में सूर्योदय के थोडा पहले खा लेने का फ़र्क़ है" (2413)। यह फ़र्क़ बना रखने से मिल्लत को जो फायदे हुए, उन्हें अनुवादक

ये लोग आगे चलकर ख़ारिज कहलाये। इस्लाम के कुछेक नारों को वे हृदयंगम कर बैठे थे। अली के अनुसार, उनके बारे में ही मुहम्मद ने कहा था–"जब उनसे मिलो, तो उन्हें मार डालो। क्योंकि उनको मार डालने के लिए फ़ैसले के रोज अल्लाह तुम्हें इनाम देगा" (2328)। ये आरम्भिक इस्लाम के अराजकतावादी एवं कट्टरता-वादी लोग थे। उनके बारे में आदेश था–"वे जब हार जायें तो उनका पीछा करना और उनमें से क़ैद किए लोगों को मार डालना और उनकी सम्पत्ति को नष्ट कर देना।"

5

उपवास और तीर्थयात्रा (सॉम और हज)

छठी और सातवीं किताबें क्रमशः उपवास (अल-सॉम) और तीर्थयात्रा (अल-हज) से संबंधित हैं। ये दोनों ही इस्लाम के "आधार-स्तम्भों" में गिने जाते हैं।

उपवास

इस्लाम में अनेक तरह के उपवास हैं। मगर रमज़ान के महीने में उपवासों का सबसे ज्यादा महत्त्व है। क़ुरान में इसका आदेश है, अतः यह अनिवार्य है। "जब रमज़ान का महीना आता है, कृपा के द्वार खोल दिये जाते हैं और नरक के दरवाज़ों पर ताला लग जाता है और शैतानों को जंज़ीरों से जकड़ दिया जाता है" (2361)।

मुस्लिम परम्परा में उपवास, अन्य धर्म-परम्पराओं के उपवास से अपेक्षाकृत भिन्न है। इस्लाम में किसी निरन्तर उपवास (सॉम–विसाल) का स्थान नहीं है, क्योंकि मुहम्मद ने इसे मना किया था (2426-2435)। मना करने की वजह थी अपने साथियों के प्रति "कृपा-दृष्टि" (2435)। उपवासों के दौरान दिन में खाना मना है, रात में खाने की इजाज़त है। इस विधान की अपनी अनुशासनात्मक भूमिका है। फिर भी कोशिश यही की गई है कि नियमपालन आसान हो जाए। सलाह दी गई है कि सूरज उगने के पहले तक जितने अधिक विलम्ब से खाना सम्भव हो, उतने विलम्ब से खाया जाए और सूर्यास्त के बाद जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी उपवास समाप्त किया जाए। "सूर्यास्त के तनिक पहले खाना खा लो, क्योंकि उस वक़्त खाने के लिये आशीर्वाद है" (2412); और "लोग तब तक समृद्ध होते रहेंगे, जब तक कि ये रोज़ा खोलने में जल्दी करते रहेंगे" (2417)।

इस प्रकार मुसलमानों की यहुदियों और ईसाईयों से अलग पहचान बनी। क्योंकि यहूदी तथा ईसाई जल्दी ही खा लेते थे और नक्षत्रों के दिखने की प्रतीक्षा करते हुए विलम्ब से उपवास तोड़ते थे। मुहम्मद कहते हैं–"दूसरे किताबी लोगों में और हम में सूर्योदय के थोडा पहले खा लेने का फ़र्क़ है" (2413)। यह फ़र्क़ बना रखने से मिल्लत को जो फायदे हुए, उन्हें अनुवादक

स्पष्ट करते हैं। इससे "इस्लाम की मिल्लत दूसरी मिल्लतों से अलग पहचान में आ जाती है" और मुसलमानों की चेतना में "अपनी अलग हस्ती" का एहसास "जमा देती" है जोकि "किसी भी मुल्क की समृद्धि की दिशा में पहला क़दम है।" साथ ही "सुबह देर से खाने से और सूर्यास्त होते ही जल्दी से रोज़ा खोलने से इस तथ्य का संकेत मिलता है कि आदमी को भूख की हूक उठती है ... यह एहसास व्यक्ति में तितीक्षा के गर्व की बजाय विनम्रता का भाव जगाता है" (टि० 1491)।

रमज़ान के दौरान मैथुन की अनुमति

उपवास की कठोरता को पैग़म्बर इस घोषणा द्वारा बहुत-कुछ सौम्य बना देते हैं कि "भूल से खा-पी लेने पर उपवास नहीं टूटता" (2475)। चुम्बन और आलिंगन की भी अनुमति है (2436-2450)। मुहम्मद की बीवियां–आयशा, हफ़्सा और सलमा, सभी बतलाती हैं कि पैग़म्बर उपवास के दौरान उन्हें चूमते थे और आलिंगन में बांध लेते थे। आयशा बतलाती हैं–"रोज़े के दौरान अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों में से एक को चूम लिया और तब वे (आयशा) मुस्कुरा उठीं" (2436)।

अनुवादक व्याख्या करते हैं–"मानवजाति पर अल्लाह की यह बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उसने अपने पैग़म्बर मुहम्मद के ज़रिए हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमारा पथ–प्रदर्शन किया। इस्लाम से पहले लोग उपवास की अवधि में अपनी बीवियों से पूरी तरह परहेज़ करते थे। इस्लाम ने इस रीति का अनुमोदन नहीं किया" (टि० 1502)।

उपवास वाली रात में मैथुन की भी अनुमति है। उसको दैवी स्वीकृति दी गई है। क़ुरान का कहना है–"रोज़ों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना जायज़ कर दिया गया है" (2/187)। यहां तक कि यदि कोई वीर्य–स्राव की दशा में सोकर उठता है और वह विधिविहित स्नान कर पाए, इसके पहले ही सूर्योदय जो जाता है, तब भी उसे उपवास जारी रखना चाहिए। जनवह की दशा में भी (जिसमें व्यक्ति "अस्वच्छ" होता है और कोई मज़हबी काम नहीं कर सकता अथवा मज़हबी सभाओं में नहीं जा सकता) रोज़ा टूटता नहीं।

मुहम्मद की बीवियां, आयशा और सलमा बतलाती हैं–"अल्लाह के रसूल रमज़ान के महीने में कई बार मैथुन के उपरान्त जुनुब की दशा में सुबह उठते थे और रोज़ा रखते थे" (2454)। इसी विषय पर अन्य अहादीस भी है (2451-2456)

इस हदीस की छानबीन खुद अबू बकर ने बार-बार की। अबू हुरैरा का विचार पहले कुछ और था। पर जब आयशा और सलमा ने स्थिति स्पष्ट की तो वे बोले–"वे ज्यादा अच्छी तरह जानती हैं" और अपनी पहले की राय बदल ली (2451)।

रमज़ान के महीने में दिन में मैथुन किया जाए तो उसके प्रायश्चित का विधान है–या तो एक ग़ुलाम को आजाद कर देना, या ऐसा न हो जाए तो दो महीने रोज़ा रखना, या वह भी न हो जाए तो साठ ग़रीब लोगों को खाना खिला देना। पर पैग़म्बर की ज़िन्दगी में ही इस निषेध का उल्लंघन करने वाले एक ग़रीब का प्रयाश्चित मुफ्त में हो गया। मुहम्मद ने उसे खजूर की एक डलिया दी और कहा–"जाओ और इसे अपने घर वालों को खिलाओ" (2457)।

जो रोज़े छूट जायें, वे बाद में साल के भीतर कभी भी पूरे किए जा सकते हैं। औरतें माहवारी के दिनों में रोज़े नहीं रखतीं, पर अगले साल का रमज़ान आने के पहले (शावान के महीने में) कभी भी वे उतने दिन के उपवास पूरा कर लें।

कुछ परिस्थितियों में उपवास अनिवार्य नहीं

कुछ परिस्थितियों में उपवास वैकल्पिक हैं। मसलन, यात्रा के समय उपवास तोड़ा जा सकता है। इस विषय में किसी के पूछने पर मुहम्मद बोले–"चाहो तो रोज़ा रखो, चाहो तो तोड़ दो" (2488)।

अगर आप "अल्लाह की राह" यानी जिहाद में व्यस्त हैं, तो रोज़ा न रखने का भी पुरस्कार है। मुहम्मद मोमिनो से कहते हैं–"तुम सुबह दुश्मन से भिड़ने जा रहे हो और रोज़ा तोड़ने से ताक़त मिलती है, तो रोज़ा तोड़ दो" (2486)।

कई बार औरतें उपवास नहीं रखती थीं, ताकि वे अपने ख़ाविंद के प्रति अपना फ़र्ज़ बेरोक निभा सकें। आयशा बतलाती हैं–"मुझे रमज़ान के कुछ रोज़े पूरे करने थे, पर मैं नहीं कर सकी ... अल्लाह के रसूल के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए" (2549)। मुहम्मद की दूसरी बीवियों के बारे में भी आयशा यही बतलाती हैं। "अल्लाह के रसूल के जीवन-काल में, अगर हममें से किसी को (रमज़ान के रोज़े स्वाभाविक कारणों से यानी माहवारी के कारण) तोड़ने पड़ जाते तो फिर उन्हें पूरा करने का मौका, रसूल-अल्लाह के पास रहने के कारण, शबान (आठवें महीने) के आने तक नहीं पाती थी" (2552)। अनुवादक व्याख्या करते हैं कि मुहम्मद की प्रत्येक बीवी "उनके प्रति इतना अधिक समर्पित थी कि वह रोज़े टाल जाती थी ताकि उनके प्रति बीवी का फ़र्ज़ निभाने में उसे रोज़े की रुकावट आड़े न आए" (टि० 1546)।

सिर्फ़ समर्पण के कारण ही नहीं, बल्कि मुहम्मद के आदेश के कारण भी बीवियां रोज़े नहीं रखती थीं। "जब ख़ाविन्द (घर पर) मौजूद हो तो उसकी इजाज़त के बिना किसी भी औरत को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। और ख़विन्द की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बिना औरत को किसी भी महरम को घर में नहीं आने देना चाहिए" (2238)। (महरम उस नज़दीकी रिश्तेदार को कहते हैं, जिसके साथ विवाह अवैध होता है।) औरत उसकी मौजूदगी में आज़ाद महसूस करती है और उसे पर्दा रखने की जरूरत नहीं होती।

अनुवादक हमें इस आदेश का औचित्य बतलाते हैं। "इस्लाम का लोगों की प्राकृतिक प्रवृत्तियों के प्रति ऐसा सम्मान-भाव है कि वह औरतों को (स्वेच्छा से) उपवास न रखने की और अपने उन रिश्तेदारों को भी अपने कमरे में न आने देने की व्यवस्था देता है, जो उनके लिए महरम हों, जिससे कि वे (महरम) ख़ाविन्दों द्वारा यौन-वासना की तृप्ति के रास्ते में बाधा न बनें" (टि० 1387)।

अन्य उपवास

कई-एक अन्य उपवासों का भी उल्लेख है। एक है अशुर उपघास, जो मुहर्रम के दसवें दिन रखा जाता है। अशुर के दिन का "यहूदी सम्मान करते थे और वे उसे ईद मानते थे" (2522)। और इस्लाम से पहले के युग में "कुरैश लोग उस दिन उपवास रखते थे" (2499)। पर जब मुहम्मद ने मदीना की ओर प्रवास किया, तब उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए उसे वैकल्पिक बना दिया। अन्य स्वैच्छिक उपवासों का भी उल्लेख है, किन्तु उन पर विचार करने की यहां आवश्यकता नहीं।

इन उपवासों के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि कोई व्यक्ति सुबह उपवास करने का संकल्प सुना सकता है । और शाम को बिना किसी वजह के उसे भंग कर सकता है। एक दिन मुहम्मद ने आयशा से कुछ खाने को मांगा, पर कुछ उपलब्ध नहीं था। तब मुहम्मद ने कहा—"मैं उपवास रख रहा हूं।" कुछ वक़्त बाद, उपहार में कुछ भोजन-सामग्री आई और आयशा ने उसे मुहम्मद के सामने रख दिया। मुहम्मद ने पूछा—"यह क्या है ?" आयशा बोली—"यह हैस (खजूर और घी की बनी एक मिठाई) है।" वे बोले—"इसे लाओ।" आयशा आगे बतलाती हैं—"इस पर मैंने उन्हें वह दिया और उन्होंने खा लिया।" और तब वे बोले—"यह स्वेच्छा से उपवास रखना ऐसा है, जैसे कोई अपनी जायदाद में सदका निकाल कर रख दे। वह चाहे तो उसे खर्च कर सकता है, या फिर चाहे तो उसे रखा रहने दे सकता है" (2573)।

उपवास का पुण्य

उपवास रखने के अनेक पुण्य है। मुहम्मद बतलाते हैं—"उपवासकर्त्ता की सांस अल्लाह को कस्तूरी की सुगन्ध से ज्यादा प्रिय है। क़यामत के रोज़, जन्नत में रय्यान नाम का दरवाजा होगा। सिर्फ़ रोजे रखने वालों को ही उसमें प्रवेश पाने दिया जाएगा। और जब उनमें से आखिरी आदमी भीतर जा चुका होगा तो वह बन्द कर दिया जायेगा और कोई फिर भीतर नहीं जा पायेगा" (2569)।

जो व्यक्ति उपवास के साथ-साथ जिहाद कर रहा हो, उसका प्रतिदान बहुत है। "अल्लाह का हर सेवक, जो अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोज़ा रखेगा, अल्लाह उस एक दिन की वजह से उसका चेहरा जहन्नुम की आग से सत्तर साल की दूरी तक हटा देगा" (2570)।

तीर्थयात्रा

हज "रवाना होना" की किताब विधि-विधान के ब्यौरों से भरी है, जिसमें ग़ैर-मुसलमानों को बहुत कम दिलचस्पी होगी। उसके 92 अध्यायों में तीर्थयात्रा के कर्मकाण्डों और अनुष्ठानों पर बारीकी से निर्देश दिये गये हैं। वे किसी भी हाजी के लिए उपयोगी मार्गदर्शन हैं। किन्तु किसी आध्यात्मिक यात्री के लिए उनका महत्त्व संदिग्ध है।

एक बुतपरस्त विचार

मुस्लिम पंथ-मीमांसा की दृष्टि से देखने पर मक्का और काबा की तीर्थ-यात्रा का सम्पूर्ण विचार बुतपरस्ती के समान है। किन्तु इस्लाम के लिए उसका बहुत बड़ा सामाजिक एवं राजनैतिक महत्त्व है। मुहम्मद के नेतृत्व में सम्पन्न मक्का की पहली मुस्लिम तीर्थयात्रा भी शायद एक धार्मिक सम्मेलन की अपेक्षा राजनैतिक प्रदर्शन अधिक थी।

हिजरी सन 6 में मुहम्मद उमरा अनुष्ठान (लघुतर तीर्थयात्रा) के लिए मक्का रवाना हुए। यह मदीना आने के बाद उनकी तीर्थयात्रा थी। वे पन्द्रह-सौ लोगों के तीर्थयात्रा-दल की अगुवाई कर रहे थे। दल का एक हिस्सा शस्त्र था। संख्यावृद्धि के लिए उन्होंने रेगिस्तान के अरबों से साथ देने की अपील की थी। पर अरबों की प्रतिक्रिया मन्द रही, क्योंकि लूट के माल का कोई वायदा न था और, कुरान के शब्दों में, "वे समझ बैठे थे कि पैग़म्बर और मोमिन अपने परिवारों की ओर कभी नहीं लौट पायेंगे" (48/12)।

तथापि पन्द्रह-सौ एक असरदार संख्या थी और कोई भी समझ सकता था कि उन्हें तीर्थयात्री कहना कठिन है। मक्का वालों का मुहम्मद से एक सन्धि

करनी पड़ी, जिसे होडैवा की सन्धि कहा जाता है। मुहम्मद ने इसे अपनी जीत माना और वह जीत ही सिद्ध भी हुई। दो बरस बाद, एक तरह की विलम्बित चढ़ाई के ज़रिए, मक्का वाले परास्त हो गए। जीत के इस साल में तीर्थयात्रा अर्थात् हज को इस्लाम के पांच बुनियादी आधारों में से एक घोषित किया गया।

दो बरस बाद, सन् 632 ईस्वी के मार्च में, मुहम्मद ने एक और तीर्थयात्रा की। वह उनकी आखिरी तीर्थयात्रा सिद्ध हुई और मुस्लिम आख्यानों में उसे "पैग़म्बर की विदाई तीर्थयात्रा" कहकर गरिमामंडित किया जाता है। इसके लिए बड़ी तैयारियां की गई थीं। इसे मोमिनों के सम्मेलन से ज्यादा महत्त्व दिया गया था। इसका उद्देश्य मुहम्मद की शक्ति का प्रदर्शन करना था। "इस महान तीर्थयात्रा में उनका साथ देने के लिए अरब के सभी अंचलों से लोगों को आमंत्रित करने के लिए दूत भेजे गए थे।

मक्का की हार के बाद, मुहम्मद की ताक़त का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं रहा था और बद्दू क़बीलों के लोगों ने समझ लिया था कि ये बुलावे, वैसी तीर्थयात्रा से कुछ भिन्न हैं जो वे पहले, अपनी सुविधा से, अपने देवताओं की आराधना के लिए, खुद किया करते थे। वे जान गए थे कि यह अधीनता स्वीकार करने का आह्वान भी है। इसी से, पिछली बार से विपरीत, इस बार वे बड़ी तादाद में और उत्साह से आये। "कारवां जैसे-जैसे बढ़ता गया, सहभागियों की तादाद बढ़ती गई", जब तक कि वह, वर्णनकर्त्ताओं के अनुसार, 1 लाख 30 हजार से ज्यादा नहीं हो गई (सही मुस्लिम, पृष्ठ 612)। मंडली में शामिल होने के लिए सभी लोग उतावले हो उठे थे।

एहराम की दशा

"हज की किताब" तीर्थयात्री की पोशाक और सज-धज के बारे में, और तीर्थयात्री की पोशाक पहन लेने के बाद एहराम (निषेध) की दशा में प्रवेश के बारे में है, जिसमें कि मक्का में अपनी इबादत पूरी कर लेने तक कोई अन्य काम करना मना किया गया है ।

पोशाक के बारे में, उसे "कमीज़ या पगड़ी या पायजामा या टोपी पहनना" मना है (2647)। एहराम की दशा में इत्र का इस्तेमाल मना है, पर उसके पहले या बाद में इस्तेमाल मना नहीं है। आयशा बतलाती है–"रसूल-अल्लाह जब एहराम में प्रविष्ट होते थे और जब उससे मुक्त हो जाते थे, तब मैं उन्हें इत्र लगाती थी" (2683)। एक अन्य हदीस (2685) में वे आगे कहती हैं–"सबसे बढ़िया इत्र।"

शिकार

एक मुहरिम (एहराम की दशा वाले व्यक्ति) के वास्ते शिकार भी वर्जित है। किसी ने मुहम्मद को जंगली गधे का गोश्त दिया। पर उन्होंने यह कहते हुए उसे मना कर दिया–"अगर हम एहराम की हालत में नहीं होते, तो इसे तुमसे क़ुबूल कर लेते" (2704)। किन्तु यदि जानवर को किसी ग़ैर-मुहरिम ने मारा हो, तो मुहरिम उसके गोश्त को क़ुबूल कर सकता है। किसी ग़ैर-मुहरिम साथी द्वारा मारे गए जंगली गधे की टांग मुहम्मद को पेश की गई। "रसूल-अल्लाह ने उसे क़ुबूल किया और खाया" (2714)।

यद्यपि एक प्रकार का शिकार मुहरिम के वास्ते मना है, किन्तु इससे वह जैन या वैष्णव नहीं बन जाता। "चार तरह के दुष्ट जानवरों" को उसे तब भी मारना चाहिए–"चील, कौआ, चूहा और लालची कुत्ता।" किसी ने पूछा–"मगर सांप ?" मुहम्मद ने जवाब दिया–"उसे दुर्गत करके मारा जाय" (2717)

परिक्रमा और पत्थर चूमना

जब कोई शख्स तीर्थयात्री का पहनावा धारण कर चुके, जोकि सीवन-रहित दो आवरण–वस्त्र होते हैं, तब उसे न तो दाढ़ी बनानी चाहिए, न नाखून काटने चाहिएं। तब उसे तीर्थयात्री का गीत–"तलबिया, लब्बैका ! अल्लाहुम्मा ! (ऐ अल्लाह, मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूं)"–गाते हुए मक्का की तरफ बढ़ना चाहिए। मक्का पहुंचने पर वह मस्जिद-उल-हराम में वुज़ू करता है काले पत्थर (अल-जिर-उल-असवद) को चूमता है। तब काबा (तवाफ़) की सात बार परिक्रमा करता है। खुद मुहम्मद ने "अपने ऊंट की पीठ पर सवार होकर ..." परिक्रमा की थी, "ताकि लोग उन्हें देख सकें और वे विशिष्ट बने रहें" (2919)। इसी वजह से उन्होंने कोने (काले पत्थर) को छड़ी से छुआ। अब्बू तुफ़ैल बतलाते हैं–"मैं अल्लाह के रसूल को उस मकान की परिक्रमा करते तथा कोने को उस छड़ी से छूते देखा जो उन के पास थी और फिर उस छड़ी को चूमते देखा" (2921)।

पत्थर चूमने का रिवाज बुतपरस्ती है। उमर ने कहा था–"क़सम अल्लाह की, मैं जानता हूं कि तुम पत्थर हो और अगर मैंने रसूल-अल्लाह को तुम्हें चुमते न देखा होता, तो मैं तुम्हें चूमता नहीं' (2912)। ईसाई पंथमीमांसक "श्रद्धा-निवेदन" और "आराधना" में भेद बतलाते हैं। उनका अनुसरण करते हुए, मुस्लिम विद्वान तर्क करते हैं कि काबा और काला पत्थर श्रद्धा के स्थान है, आराधना के नहीं।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण अनुष्ठान यह है कि तीर्थयात्री अस-सफ़ा पहाड़ की चोटी से अल-मर्वाह पहाड की चोटी तक दौड़ते हैं, क्योंकि क़ुरान (2/158) के

अनुसार ये दोनों पहाड़ "अल्लाह के प्रतीक" है। मुहम्मद का कहना है कि "अल्लाह किसी व्यक्ति के हज या उमरा को तब तक पूरा नहीं करता, जब तक कि वह सई न करे (यानी अल-सफ़ा और अल-मर्वाह के बीच दौड़ न ले)" (2923)।

हर बार जब तीर्थयात्री इन पहाड़ों की चोटी पर पहुंचता है तो वह जपता है–"अल्लाह के सिवाय और कोई आराध्य-देव नहीं ... उसने अपना वायदा निभाया है, और अपने खिदमतगार (मुहम्मद) की इमदाद की है, और अकेले ही काफिरों के कटक को मार भगाया है।" मुहम्मद कभी ढील नहीं देते। हर मौके पर, वे काफिरों के प्रति एक अटल वैर-भाव मोमिनों के मन में भरते रहते हैं।

कंकड़ फैंकना

एक अन्य महत्त्वपूर्ण अनुष्ठान है रमियुररिजाम अर्थात् कंकड फैंकना। दसवें दिन, जो "कुरबानी का दिन" भी है, तीर्थयात्री जमरात-अल-अकावा पर, जिसे बड़ा शैतान (शैतानुल कबीर) भी कहा जाता है, सात कंकड फैंकते हैं। यह करते समय, वे गाते हैं–"अल्लाह के नाम पर जो सर्वशक्तिमान है, और शैतान से नफ़रत के कारण तथा उस पर लानत लाने के लिए मैं यह करता हूं।" कई एक पथमीमांसाओं में अल्लाह और शैतान का नाता अटूट रहता है।

यह मज़हबी अनुष्ठान उस पुरातन घटना की स्मृति में किया जाता है, जब शैतान क्रमशः आदम, इब्राहीम और इस्माइल के सामने पड़ा था और जिब्रैल द्वारा सिखलाई गई इस आसान विधि से–सात कंकड़ फैंकने से–दूर भाग गया था। मीना में स्थित तीन खम्बे, उन तीन अवसरों के प्रतीक हैं जब यह घटित हुआ था। इसीलिए तीर्थयात्री तीनों में से प्रत्येक पर सात कंकड फैंकता है।

कंकड़ फैंकने से मिलने वाले पुण्य के विषय में, कंकड़ों के आकार तथा उन की संख्या और उनके फैंके जाने के सर्वोत्तम समय के बारे में अनेक अहादीस हैं। कंकड़ छोटे होने चाहिएं–"मैंने अल्लाह के रसूल को पत्थर फैंकते देखा, जैसे छोटे रोड़ों की बौछार हो" (2979)। फैंकने का सर्वोत्तम समय है कुरबानी के रोज़ सूर्योदय के बाद–"अल्लाह के रसूल ने जमरा पर नहर के रोज सूर्योदय के बाद कंकड़ फैंके थे, और उसके बाद जुलहिजा के 11वें, 12वें और 13वें रोज़ सूरज ढलने के बाद" (2980)। उनकी संख्या विषम होनी चाहिए। पैगम्बर कहते हैं–"नित्यकर्म से निपटने के बाद गुप्त अंगों को साफ करने के लिए विषम संख्या में पत्थर चाहिएं, और जमरान पर फैंके जाने वाले कंकड़ों की संख्या भी विषम (सात) होनी चाहिए, और अल-सफ़ा एवं अल-मरवा के फेरों की संख्या भी विषम (सात) होनी चाहिए, और काबा के फेरों की संख्या विषम (सात) होनी चाहिए" (2982)।

जानवरों की क़ुरबानी

इसके बाद आती है ईदुल-अज़हा की क़ुरबानी। हाजी एक बकरी, या एक भेड़, या एक गाय या एक ऊंट की क़ुरबानी दे सकता है। "अल्लाह के रसूल ने आयशा की ओर से एक गाय की क़ुरबानी दी थी" (3030)।

एक गाय या ऊंट की क़ुरबानी में सात लोगों की शिरकत की इजाज़त है (3024-3031)। ऊंट की क़ुरबानी देते समय हाजी को अपना ऊंट "घुटनों के बल" नहीं बैठाना चाहिए, वरन् उसे जकड़ी हुई दशा में खड़ा रख कर जिवह करना चाहिए, "जैसा कि पाक पैग़म्बर के सुन्ना" का निर्देश है (3032)। उसकी अगली बांई टांग को पीछे की टांगों के साथ कस कर बांध देना चाहिए। गायों और बकरियों को लिटाकर क़ुरबान करना चाहिए।

जो व्यक्ति हज पर न जा सके वह एक जानवर क़ुरबानी के वास्ते अल-हरम में भेज सकता है और इस प्रकार पुण्य कमा सकता है। आयशा बतलाती हैं–"अल्लाह के रसूल के क़ुरबानी वाले जानवरों के लिए मैंने अपने हाथ से मालाएं, गूंथीं, और फिर उन्होंने जानवरों पर निशान लगाए, उन्हें मालाएं पहनाई और तब उन्हें काबा की ओर भेज दिया और स्वयं मदीना में रुके रहे, और उनके लिए वह कुछ भी वर्जित नहीं किया, जो पहले उनके वास्ते जायज़ रहा था" (3036)।

मुहम्मद की समृद्धि बढ़ने के साथ-साथ उनके द्वारा की जाने वाली क़ुरबानियों का परिमाण भी बढ़ता गया। उनके जीवनीकार बतलाते हैं कि जब वे छठे साल में उमरा की तीर्थयात्रा पर गये, तब उन्होंने हुडैबा में सत्तर ऊंटों की क़ुरबानी दी। अगले साल ऐसी ही एक तीर्थयात्रा में उन्होंने 60 ऊंटों की क़ुरबानी दी। जाबिर हमें बतलाते हैं कि दसवें साल में विदाई की तीर्थयात्रा में "क़ुरबानी के जानवरों की कुल तादाद, अली द्वारा यमन (जहां वे बनी नखा पर चढ़ाई करने गये थे) से लाये गये और पैगम्बर द्वारा लाये गये जानवरों को मिलाकर, एक-सौ हो गई थी" (2803)। उसी हदीस में आगे चल कर हमें बतलाया गया है कि मुहम्मद "फिर क़ुरबानी की जगह पर गये और उन्होंने 63 ऊंट अपने हाथों क़ुरबान किये। बाकी उन्होंने अली को सौंप दिये, जिन्होंने उन्हें क़ुरबान किया। ... फिर उन्होंने आदेश दिया कि क़ुरबान किये गये हर एक जानवर के गोश्त का एक-एक टुकड़ा एक बर्तन में एकत्र किया गया। उसे पकाये जाने के बाद, उन दोनों (अली और मुहम्मद) ने उसमें से कुछ मांस निकाला और उसका शोरबा पिया।"

मुहम्मद ने अपने अनुयायियों से कहा–"मैंने यहां पर जानवर क़ुरबान किये हैं और पूरा मीना क़ुरबानी की जगह है अतः अपनी-अपनी जगहों पर अपने-अपने जानवरों की क़ुरबानी दो" (2805)।

यहूदियों के आराध्यदेव याहू का मंदिर तो वस्तुतः एक कत्लखाना ही था। फिर भी याहू ने घोषणा की थी कि वह "करुणा चाहता है, क़ुरबानी नहीं" (होजिया 6/6)। लेकिन मुहम्मद के अल्लाह ऐसा कोई भाव व्यक्त नहीं करते। क्योंकि इस्लाम प्रधानतः मुहम्मदवाद है, इसीलिए पैगम्बर द्वारा क़ुरबानी देने के नतीजों में से एक नजीता यह निकला कि इस्लाम में क़ुरबानी करना एक पवित्र विधान बन गया। इस प्रकार हम इस्लाम में पशुवध के विरुद्ध अन्तरात्मा के उदात्त भाव से उपजा ऐसा एक भी स्पन्दन नहीं पाते, जैसा कि अधिकांश संस्कृतियों में किसी न किसी मात्रा में देखने को मिलता है।

पीना (पान)

मजहबी अनुष्ठान के अंग के रूप में मुहम्मद ने ज़मजम के कुंए का पानी भी पिया था। अब्द अल-मुतालिब के क़बीले (जो मुहम्मद का अपना क़बीला भी था) में आकर वे बोले–"ऐ बनी अब्द-अल मुतालिव ! पानी खींचो। यदि मुझे आशंका न होती कि दूसरे लोग पानी पिलाने का यह हक़ तुम से छीन लेंगे, तो मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर पानी खींचता। इस पर उन्होंने मुहम्मद को एक बाल्टी दी और मुहम्मद ने उससे पानी पिया" (2803)। पैगम्बर के जीवनीकार कातिव अल-वाक़िदी हमें आगे एक ऐसा ब्यौरा देते हैं, जो (पैगम्बर के प्रति) श्रद्धाविहीन लोगों द्वारा गंदा माना जायेगा। मुहम्मद ने कुछ पानी लिया, फिर पानी के बर्तन में अपना मुंह धोया और आदेश दिया कि उसमें जो पानी बचा हो, वह कुंए में वापस डाल दिया जाए। कुंए को आशीष देने का भी उनका एक तरीका था–कुंए में थूकना। अहादीस में कई ऐसे कुंओं का उल्लेख है (तबक़ात किताब 2, पृष्ठ 241-244)।

वे अपने प्रिय पेय नवीज को जो एक सौम्य पेय था भूले नहीं थे। यद्यपि उन्हें जो नवीज दिया गया, वह अनेक हाथों द्वारा गंदला कर दिया गया था, तब भी उन्होंने अधिक साफ़ और शुद्ध नवीज पीने का प्रस्ताव रद्द करते हुए, उसे ही पी लिया। हर पीढ़ी के कट्टर तीर्थयात्रियों ने इस रिवाज को जारी रखा है।

हजामत : मुहम्मद के केश

क़ुरबानी के बाद तीर्थयात्रा का अनुष्ठान पूरा हो जाता है, और हाजी हजामत बनवा लेता है और नाखून कटवा लेता है तथा तीर्थयात्रा के वस्त्र उतार देता है। हजामत दाहिनी तरफ़ से शुरू की जानी चाहिए। अनस बतलाते हैं कि रसूल-अल्लाह "जमरा गये और उन्होंने उस पर कंकड़ फैंके। उसके बाद वे मीना में अपने डेरे पर गये और जानवर की क़ुरबानी दी। फिर उन्होंने एक नाई को बुलवाया और अपना दाहिना बाजू उसकी तरफ करके हजामत करने दी। उसके बाद बायां बाजू घुमाया। फिर उन्होंने वे बाल लोगों को दे दिये" (2291)। वे बाल इस्लाम के लिए गरिमामय आराध्य बन गये।

तीर्थयात्रा पूरी हो चुकी है। फिर भी तीर्थयात्री को मक्का में तीन दिन और बिताने चाहिएं ताकि अनुष्ठान के हड़बड़ी भरे चार दिनों के बाद वह आराम कर सके। मक्का छोड़ने के पहले उसे एक बार फिर काबा के सात चक्कर लगाने चाहिए और मीना के शैतानी खंभों पर सात बार पत्थर फैंकने चाहिएं। घर लौटने के पहले मुहम्मद के मक़बरे पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उसे मदीना जाना चाहिए।

गैर-मुसलमानों के लिए काबा बंद

इस्लाम-पूर्व दिनों में काबा सबके लिए खुला रहता था, चाहे वे अल-लाह के आराधक हों या अल-लात के। पर मुहम्मद द्वारा मक्का-विजय के बाद वह मुसलमानों के सिवाय सब के लिए बंद कर दिया गया। मुहम्मद की ओर से एलान किया गया–"इस साल के बाद कोई बहुदेववादी तीर्थयात्रा नहीं कर सकता" (3125)। यह खुद अल्लाह का हुक्म था। क़ुरान का कथन है–"ऐ मोमिनो ! वे जो अल्लाह के साथ किसी और को जोड़ते हैं, वे नापाक है। और इसीलिए इस साल से लेकर आगे उन्हें पवित्र पूजाघर के पास नहीं जाना चाहिए" (9/28)[1]

अधिकांश धर्मपंथ अपने आराध्य देवों के लिए भवन या मंदिर अपनी स्वयं की मेहनत से बनाते हैं। लेकिन इस्लाम अपने आराध्यदेव अल्लाह केलिए दूसरों के मन्दिर हथियाता है। इन दो प्रकार के पूजाघरों में प्रबल अन्तर है। किसी भी सम्यक् आराध्यदेव का सार्थक आवास वही हो सकता है, जो उसके अनुयायियों द्वारा अपने हृदय में भरी प्रीति-भावना से एवं अपने हाथों के परिश्रम से बनाया गया हो। कोई भी अन्य आवास साम्राज्यवादी लिप्सा और विस्तारवाद का ही स्मारक होता हैं और ऐसा आवास विशुद्ध मानस वालों के आराध्यदेवों द्वारा कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

---

1. मुहम्मद और बहुदेववादियों के बीच एक समझौता हुआ था कि दोनों में से किसी को भी मंदिर से दूर नहीं रखा जायेगा और पवित्र महीनों में उसमें आने-जाने के लिए एक को दूसरे के हस्तक्षेप का कोई डर नहीं होना चाहिए। पर अल्लाह के पास से "छूट" आई और मुहम्मद को उनके पक्ष के इक़रार से मुक्त कर दिया गया, "अल्लाह बुतपरस्तों के साथ किए गए इक़रार से, मुक्त हैं और इसीलिए उसके रसूल भी मुक्त है।" दूसरों को चार महीने दिये गए कि या तो अपना रास्ता बदलो या मौत का मुकाबला करो। मुसलमानों से कहा गया कि "जब पवित्र महीने बीत जाएं, तब बुतपरस्तों को जहां पाओ, वहीं कत्ल करो और उन्हें पकड़ लो और घेर लो, और उनके लिए प्रत्येक प्रकार की घात लगाओ ... लो ! अल्लाह माफ़ करने वाला और दया करने वाला है" (क़ुरान 9/5)। मुसलमान सोचते थे कि अगर ग़ैर-मुसलमानों को मक्का-प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, तो उनके व्यापार पर असर पड़ेगा। अतः मुहम्मद ने "बाजार बंद होने से जो खोने का तुम्हें डर है, उसके मुआवजे के रूप में, यहूदियों पर एक चुंगी-कर का प्रस्ताव रखा–ऐसा इब्न इसहाक़ बतलाते है (सीरत रसूल अल्लाह, 620) । क़ुरान की प्रासंगिक आयतें हैं–"अगर तुम्हें गरीबी का डर है, तो अल्लाह अपनी कृपा से तुम्हें समृद्ध करेगा। ... उनके ख़िलाफ़ जिन्हें किताब दी गई है, और जो अल्लाह पर यकीन नहीं लाते .. .. और जो सच्चे मजहब को स्वीकार नहीं करते, तब तक लड़ो जब कि वे अधीनता स्वीकार करके जज़िया न देने लगें और तुच्छ बनकर न रहने लगें" (9/28, 29)।

6

विवाह और विच्छेद (अल-निकाह और अल-तलाक)

आठवीं किताब का शीर्षक है "निकाह की किताब"। इसका एक हिस्सा तलाक़ के बारे में भी है।

मुहम्मद अविवाहित जीवन का निषेध करते हैं। "तुममें से जो लोग एक बीवी रख सकते हैं, उन्हें शादी करनी चाहिए। क्योंकि वह बुरी नजर डालने से और अनैतिकता से बचाती है" (3231)। उनके साथियों में से एक जन अविवाहित जीवन बिताना चाहता था। किन्तु मुहम्मद ने "उसे ऐसा करने से मना किया" (3239)।[1]

वस्तुतः मुहम्मद सर्वसाधारण संयम को मना करते थे। उनके एक साथी ने कहा, "मैं शादी नहीं करूंगा।" दूसरे ने कहा, मैं गोश्त नहीं खाऊंगा।" एक अन्य ने कहा, "मैं बिस्तर पर नहीं सोऊंगा।" मोहम्मद ने अपने आप से पूछा, "इन लोगों को क्या हो गया है जो ये ऐसा-ऐसा बोलते हैं, जबकि मैं इवादत करता हूँ और सोता भी हूं; मैं रोज़ा रखता हूं और उसे रद्द भी कर देता हूं, मैं औरतों से शादी भी करता हूं ? और जो मेरे सुन्ना को नहीं मानता, उसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं" (3236)।

अपनी औरत एक बहुत बड़ा मुक्ति-मार्ग है। पर अगर वह भी काम न आये और कोई आदमी किसी दूसरी औरत को देखकर आतुर हो जाये, तो उसे अपने घर जाना चाहिए और अपनी बीवी के साथ मैथुन करना चाहिए। "अल्लाह के रसूल ने एक औरत को देखा और तब वे अपनी बीवी ज़ैनब के पास आये जो चमड़ा सिझा रही थी। और उन्होंने उसके साथ मैथुन किया। फिर वे अपने साथियों के पास गये और उनसे बोले–औरत शैतान के रूप में आगे बढ़ती है और लौट जाती है। इसलिए जब तुममें से कोई किसी औरत को देखे तो उसे अपनी बीवी के पास जाना चाहिए। क्योंकि उससे जो वह अपने दिल में महसूस

1. इब्न अब्बास की एक हदीस को इब्न साद ने उद्धृत किया है। साद कातिब अत–वाकिदी के नाम से लोकप्रिय थे और पैग़म्बर के जीवनीकार थे। हदीस के अनुसार मुहम्मद ने कहा–"मेरी उम्मा में सबसे अच्छा वह है, जो सबसे ज्यादा तादाद में बीवियां रखता है" (तबक़ात, किताब 2, पृष्ठ 146)

करता है, वह बाहर निकल जायेगा।" (3240)। हम सब दूसरों के भीतर शैतान देखने को हरदम तैयार रहते हैं लेकिन अपने भीतर का शैतान नहीं देख पाते।

अस्थायी शादी (मुताह)

मुहम्मद ने अस्थायी शादियों की इज़ाज़त दी है। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं–"हम सब अल्लाह के पैग़म्बर के साथ एक चढ़ाई पर गए थे और हमारे साथ औरतें नहीं थीं। हम बोले–क्या हमें अपने आपको बधिया नहीं करा लेना चाहिए ? पाक पैग़म्बर ने ऐसा करने से मना किया। फिर उन्होंने हमें इज़ाज़त दे दी कि हमें एक विशेष अवधि के लिए अस्थायी शादी कर लेनी चाहिए और इसके लिए (दहेज़ के रूप में) उसे एक पहनने का वस्त्र दे देना चाहिए।" इस पर अब्दुल्ला खुश हो गये और उन्हें क़ुरान की यह आयत याद आ गयी–"मोमिनो ! जो पाकीजा चीजें तुम्हारे लिए अल्लाह ने हलाल की हैं, उनको हराम न करो और हद से न बढ़ो। अल्लाह हद से बढ़ने वाले को पसंद नहीं करता" (3247;क़ुरान 5/87)।

जाबिर कहते हैं–"हमने दहेज़ के रूप में कुछ खजूर और आटा देकर अस्थायी शादियां की (3249)। उन्होंने कुछ अन्य लोगों से कहा–"हां हम सब पाक पैग़म्बर के जीवनकाल में इस अस्थायी शादी से फ़ायदा उठाते रहे हैं और अबू बकर तथा उमर के वक़्त में भी" (3248)। इयास बिन सलमा अपने पिता के प्रमाण से बतलाते हैं कि "अल्लाह के रसूल ने औतास के साल (हुनैन की लड़ाई के बाद हिजरी सन् 8) में तीन रातों के लिए अस्थायी शादी करने की मंजूरी दी और बाद में उसके लिए मना कर दिया।" (3251)।

सुन्नी पंथमीमांसक इस तरह की शादी को अब वैध नहीं मानते। पर शिया लोग उनसे मतभेद रखते हैं और ईरान में अभी भी इसका रिवाज है। शिया पंथमीमांसक इसके पक्ष में क़ुरान की एक आयत का हवाला देते हैं–"शादीशुदा औरतें भी तुम्हारे लिए (हराम) हैं, सिवाय उनके जो बांदियों के तौर पर तुम्हारे क़ब्जे में आ जायें ... और उसके अलावा तुम्हें इजाज़त है कि तुम अपना धन खर्च करके बीवियां ढूंढ लो, विनम्र व्यवहार के साथ और व्यभिचार के बिना। और जिनके साथ तुमने मैथुन किया है उन्हें उनका दहेज़ दो, यह क़ानून है। लेकिन अगर क़ानून से बाहर तुम आपस में रजामंदी कर लो तो कोई गुनाह नहीं होगा। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला (और) बुद्धिमान है' (क़ुरान 4/24)।

निषेध

यह नियम बहुत उदार प्रतीत होता है। पर यह पूरी तरह ऐसा है नहीं। संख्या, सगोत्रता, सजातीयता, मजहब, पद-प्रतिष्ठा इत्यादि के आधार पर बहुत

से प्रतिबंध हैं। उदाहरण के लिए, एक आदमी एक बार में चार से ज्यादा औरतों से शादी नहीं कर सकता (क़ुरान 4/3)–ग़ुलाम रखैलों की संख्या के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। साथ ही अपनी बीबी के पिता की बहन से अथवा उसकी मां की बहन से भी कोई शादी नहीं कर सकता (3228-3272)। अपने दूधभाई की लड़की के साथ भी कोई शादी नहीं कर सकता और अगर किसी की बीबी जिन्दा है और उसने तलाक़ नहीं लिया है, तो उस बीवी की बहन से भी शादी नहीं हो सकती (3412-3413)।

ग़ैर-मुस्लिम से शादी करना भी मना है (क़ुरान 2/220-221)। बाद में इस प्रतिबंध में ढील दे दी गयी और एक मुसलमान मरद किसी यहूदी या ईसाई औरत से शादी कर सकता था (क़ुरान 5/5)। किन्तु एक मुस्लिम औरत किसी भी हालत में किसी ग़ैर-मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती।

अगर दोनों पक्ष पद और हैसियत (कफ़ाह) में समान नहीं हैं तो भी शादी की इजाजत नहीं है, यद्यपि पद की परिभाषा अलग-अलग लोगों द्वारा अलग-अलग तरह से की गई है। सामान्यतः एक अरब को किसी ग़ैर-अरब से ऊंचा माना जाता है। अरबों में पैग़म्बर के रिश्तेदार सबसे ऊंचे माने जाते हैं। जिस व्यक्ति ने क़ुरान का कोई हिस्सा याद कर लिया हो उसे खुद मुहम्मद ने उपयुक्त वर माना था। एक औरत उनके पास आई और उसने अपने आप को उन्हें सौंप दिया। उन्होंने "सिर से पैर तक उस पर एक नज़र डाली ... पर कोई फ़ैसला" नहीं किया। एक साथी जो वहां खड़ा था, बोला–"रसूल-अल्लाह ! अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो मुझसे इसकी शादी कर दीजिए।" पर उस शख़्स के पास कुछ भी नहीं था। दहेज में देने के लिए लोहे की अंगूठी तक नहीं। अतः वह निराश हो चला था कि मुहम्मद ने उससे पूछा कि क्या तुम क़ुरान की कुछ आयतें जानते हो और उन्हें बोल सकते हो ? उस आदमी ने हां कहा तब मुहम्मद ने निर्णय किया और वे बोले–"चलो, क़ुरान का जो हिस्सा तुम जानते हो, उसके बदले में मैंने इसे तुम्हें शादी के लिए दिया" (3316)।

किसी को (एक औरत के लिए) अपने भाई से बढ़ कर बोली नहीं लगानी चाहिए। "एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। इसलिए किसी मुसलमान के लिए अपने भाई से बढ़कर बोली लगाना अनुचित है, और अगर उसके भाई ने कोई इक़रार कर लिया हो, तो जब तक वह उसे तोड़ न दे तब तक (दूसरे मुसलमान को) वह इक़रार नहीं करना चाहिए" (3294)।

शिग़ार शादी भी मना है (3295-3301)।[1] यह वह शादी है जिसमें यह व्यवस्था है कि तुम मुझे अपनी बेटी या बहन ब्याहो, बदले में मैं तुमसे अपनी बेटी या बहन ब्याह दूंगा।

जब कोई तीर्थ-यात्रा का आनुष्ठानिक पहनावा पहन ले, तब उसे शादी नहीं करनी चाहिए। पैग़म्बर का हवाला देते हुए उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहते हैं–"एक मुहरिम को न तो शादी करनी चाहिए और न ही शादी का पैग़ाम भेजना चाहिए" (3281)। लेकिन यह मुद्दा विवादास्पद है। क्योंकि खुद मुहम्मद ने "मैमूना से उस वक़्त शादी की थी जब वे एक मुहरिम थे" (3284)।

कोई व्यक्ति अपनी तलाक़शुदा बीबी से तब तक दोबारा शादी नहीं कर सकता, जब तक कि वह औरत किसी दूसरे मर्द से शादी न कर ले और नया पति उसके साथ मैथुन करके उसे तलाक़ न दे चुका हो (3354-3356)। एक तलाक़शुदा औरत ने शादी कर ली। फिर उसने अपने पुराने पति के पास वापस जाने का विचार किया। इसके लिए उसने पैग़म्बर की इजाजत चाही और पैग़म्बर को बतलाया कि उसके नए पति के पास जो कुछ है वह "किसी वस्त्र की किनारी की तरह है" (यानी वह यौनदृष्टि से कमज़ोर है)। पैग़म्बर "हंसे" पर उन्होंने इजाज़त नहीं दी। उन्होंने उससे कहा–"तुम ऐसा तब तक नहीं कर सकतीं जब तक कि तुम उसकी (नये पति की) मिठास का मज़ा न ले लो और वह तुम्हारी मिठास न चख ले" (3354)।[2]

पति के अधिकार

मैथुन के मामले में एक पति को अपनी पत्नी पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। "तुम्हारी बीवियां तुम्हारे द्वारा जोती जाने वाली जमीनें हैं; तुम जितनी बार चाहो

---

1. क्या इस निषेध का पैग़बर की ज़िन्दगी की किसी घटना से ताल्लुक है ? जब उन्होंने अबू बकर की बेटी आयशा से शादी की तो अबू बकर को उम्मीद थी कि मुहम्मद अपनी बेटी फातिमा उनको ब्याह देंगे। पर मुहम्मद ने जवाब दिया–"मैं एक इलहाम के इंतजार में हूं।" जब अबू बकर ने ये शब्द उमर को सुनाए, तो उमर बोले–"उन्होंने तुम्हारी दरख्वास्त नामंजूर कर दी" (मीरखोंद, रौजत अस–सफा, जिल्द 1, भाग 2 पृष्ठ 269)

2. हमें बतलाया जाता है कि यह निर्देश तलाक को निरूत्साहित करने के लिए दिया गया था। क्योंकि फिर से सहवास लगाव होने के कारण लोग तलाक को सहज समझने लगे थे। किसी भी जोड़ी को यह समझ लेना चाहिए कि शादी का रिश्ता गम्भीर बात है और उसे तोड़ने के पहले दो बार (दरअसल तीस बार) विचार करना चाहिए। लेकिन मनुष्य प्रगल्भ प्राणी है और वह अल्लाह की मरजी को उलटता रहता है। नये विधान ने दूसरी ही तरह की कुरीति को जन्म दिया। इससे एक अस्थायी पति बनाने की परम्परा पड़ी। पहला पति किसी कुरूप पुरूष को किराए पर लेकर यह व्यवस्था करने लगा कि उसके साथ किया गया विवाह औरत को न भाए और नई शादी जल्दी टूट जाए।

उन्हें जोत सकते हो" (3363)। यहा विचार क़ुरान में भी पाया जाता है (2/223)। इसी प्रकरण की एक अन्य हदीस हमें बतलाती है कि कोई पति "यदि वह चाहे तो बीवी के साथ सामने से या पीछे से किसी भी प्रकार मैथुन कर सकता है। किन्तु मैथुन एक ही छेद में होना चाहिए" (3365)। टीकाकार हमें समझाते हैं कि यहां आशय सिर्फ़ योनि से है।[1]

बीबी का फर्ज़ है कि वह पति के सभी प्रस्तावों के प्रति अनुकूल रहे। "जब एक औरत अपने पति के विस्तर से दूर रात बिताती है, तो फ़रिश्ते सवेरे तक उसे शाप देते रहते हैं" (3366)।

औरतों के अधिकार

दूसरी तरफ, औरत के भी अपने अधिकार है। क़ानून के अनुसार वह भरण-पोषण (नफाक़ह) की हक़दार है। अगर पति उसे यह मुहैया न करे, तो वह तलाक़ ले सकती है। यह दहेज़ (महर) की भी हक़दार है, जिसको क़ुरान की कुछ आयतों (4/24, 33/50) में "किराया" (उजूरत) कहा गया है। वह तलाक़ के बाद उसका दावा कर सकती है।

पति की पसंद के बारे में औरत से भी सलाह ली जानी चाहिए। "एक औरत जिसकी पहले शादी हो चुकी हो (सय्यिव) उसका अपने आप पर बनिस्वत अपने अभिभावकों के अधिक अधिकार है और कुंवारी से भी सलाह ली जानी चाहिए। और उसकी मौन उसकी मंजूरी का द्योतक है" (3307)। सैद्धांतिक रूप से एक मुस्लिम औरत को अपनी शादी तय करने का खुद अधिकार है। पर व्यवहार में उसके नज़दीकी रिश्तेदार, उसके अभिभावक (वली) ही शादी तय करते हैं। पिता और दादा को तो "बाध्यकारी वली" कहा जाता है अर्थात् उनका फैसला टाला नहीं जा सकता। कुछ मीमांसकों के अनुसार, पिता या दादा के सिवाय किसी अन्य अभिभावक द्वारा यदि किसी नाबालिग़ लड़की का विवाह कर दिया गया हो, तो बालिग़ होने पर वह विवाह–विच्छेद की मांग कर सकती है।

---

1. अहादीस के अनुसार, यह आयत इसलिये नाज़िल हुई आदमी औरतों के साथ अप्राकृतिक मैथुन करते थे। सही बुखारी में लिखा है–"इब्न उमर से यह रवायत पहुंची है के आज आदमी औरतों से अगलाम करते थे। उन के बारे में यह आयत नाजिल हुई।" तिरमिजी एक अन्य हदीस का हवाला देकर कहते है कि यह आयत उमर (जो बाद में खलीफा बने) के उद्धार के लिए उतरी। "हजरत इब्न अबास फरमाते हैं के हजरत उमर रसूल–अल्लाह के पास आए और अर्ज किया–या रसूल ! मैं हलाक हो गया ! रसूल ने पूछा क्यों। उमर ने अर्ज किया–रात को मैंने अपनी सवारी का रुख बदल दिया। फिर हुजूर पर यह आयत नाजिल हुई।" (जिल्द 2, पृ. 160)

अल-अज़्ल

मैथुन-विच्छेद अर्थात् वीर्यपात के पूर्व लिंग को योनि से बाहर निकालने की अनुमति है, पर अगर इसका उद्देश्य गर्भाधान से बचना हो, तो यह व्यर्थ है। क्योंकि गर्भाधान तो अल्लाह के हाथ की बात है। अबू सिरमा बतलाते हैं–"हम रसूल अल्लाह के साथ चढ़ाई पर गये ... और कुछ बढ़िया अरब औरतों को (हमने) पकड़ लिया, और हमने उनकी कामना की ... पर हम उनकी छुड़ाई (रिश्तेदारों द्वारा दिया गया बदले का धन) भी चाहते थे। इसलिए हमने उनके साथ मैथुन किया लेकिन अज़्ल निभाया।" उन्होंने मुहम्मद से सलाह ली, और उन्होंने सलाह दी–"अगर तुम ऐसा करते हो तो कोई फर्क़ नहीं पड़ता, क्योंकि क़यामत के रोज़ तक जिस भी जीवात्मा को पैदा होना है, वह पैदा होगा ही" (3371)।

बन्दी बनाई गई औरतें

मुहम्मद के अनुसार परस्त्री-गमन और कंवारों के साथ समागम दंडनीय है। लेकिन अगर तुम "उन औरतों के साथ मैथुन करते हो तो तुम्हारे दाहिने हाथ में है" तो यह विहित है। अर्थात् उन औरतों के साथ जो मुसलमानों द्वारा जिहाद में बन्दी बनायी गयी हों, वे चाहे विवाहित हो या अविवाहित, मैथुन करना अनुचित नहीं है। क़ुरान की एक आयत इस मत को मज़बूत कर देती है। "शादीशुदा औरतें भी हराम हैं, सिवाय उनके जो तुम्हारे दाहिने हाथ (क़ब्जे) में आ जायें" (4/24)।

अहादीस 3432-3434 हमें बतलाती हैं कि उपरोक्त आयत पैग़म्बर पर उनके साथियों के फ़ायदे के लिए उतरी थी। अबू सईद सुनाते हैं–"हुनैन की लड़ाई में रसूल-अल्लाह ने औतास की ओर एक सेना भेजी ... (दुश्मनों को) जीतने और उन्हें बन्दी बनाने के बाद रसूल-अल्लाह के साथियों ने क़ैद की गयी औरतों के साथ मैथुन करना नहीं चाहा, क्योंकि उन औरतों के पति बहुदेववादी थे। तब अल्लाह ने, जो सबसे ऊंचा है, (उपरोक्त आयत) उतारी" (3432)।

अपनी पुरानी नैतिक परम्परा के आधार पर मुहम्मद के अनुयायी लोगों में शिष्टता की भावना बची थी। पर अल्लाह ने उन्हें एक नयी नैतिक संहिता दे दी।

जिस औरत से तुम शादी करना चाहते हो उस पर एक नज़र डालो

जिस औरत से शादी की चाह हो उस पर "सर से पांव तक" एक नजर डालने की इजाज़त है। एक मोमिन मुहम्मद के पास आया और कहने लगा कि

उसने एक अंसार औरत से शादी तय की है और दहेज चुकाने में उनकी मदद चाहता है। मुहम्मद ने पूछा–"क्या तुमने उस पर एक नजर डाली है, क्योंकि अंसारों की आंखों में कुछ बात है ?" उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, "हां"। मुहम्मद ने पूछा, "कितना दहेज़ देकर शादी की ?" उस आदमी ने जवाब दिया, "चार ऊक़िया देकर।" मुहम्मद बोले–"चार ऊक़िया ? लगता है जैसे तुमने पहाड़ की बाजू से चांदी खोद निकाली है। (इसलिए तुम इतना ज्यादा दहेज देने को तैयार हो)। तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। यही एक संभावना है कि हम तुम्हें एक चढ़ाई पर भेज दें, जहां तुम्हें लूट का माल मिल जावे।" उस व्यक्ति को वनू अब्स के ख़िलाफ़ चढ़ाई पर भेज दिया (3315)।

किन्तु यह इजाज़त वस्तुतः एक अन्य घटना के समय दी गयी थी । उमरा नाम की एक अरब औरत, जॉन नाम के व्यक्ति की बेटी थी। उस का "चर्चा रसूल-अल्लाह के सामने किया गया।" पैग़म्बर उस समय तक अरब राजनीति मे एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति बन चुके थे। इसलिए उन्होंने अबू उसैद नाम के अपने एक कर्मचारी को उस औरत के पास एक दूत भेजने का आदेश दिया। वह औरत लायी गयी और वह "वनू साइदा के क़िले में ठहरी।" अल्लाह के रसूल बाहर गए और फिर भीतर जाकर उन्होंने उससे "विवाह का प्रस्ताव" किया। वह "अपना सर नीचे झुकाये बैठी थी।" दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुहम्मद ने उससे बातचीत की। वह बोली–"मैं तुमसे बचने के लिए अल्लाह की शरण लेती हूं।" तब तक पैग़म्बर खुद एक फ़ैसला कर चुके थे। उन्होंने उससे कहा–"मैंने तुम्हें अपने से दूर रखने का फ़ैसला किया है।" इसके बाद मुहम्मद अपने मेज़वान के साथ जा बैठे और उससे बोले, "सह्‌ल ! हमें कुछ पिलाओ" (4981)।

इस हदीस में ही, शादी के लिए चुनी गई किसी औरत पर एक नज़र डालने की इजाज़त दी गयी है (टि० 2424)।

बीवियों के प्रति बर्ताव

अगर किसी पुरुष की एक से ज्यादा बीवियां हों और वह अक्सर नई शादियां करता रहता हो तो जटिल समस्याएं सामने आती हैं। मसलन, एक समस्या यह उठती है कि नयी बीवी के साथ पति को कितनी रातें बितानी चाहिएं। इसका समाधान है कि वह कुंवारी हो तो सात दिन और विधवा हो तो तीन दिन (3443-3449)।

मुहम्मद की बीवियों में से एक, उम्म सलमा, हमें बतलाती है कि जब मुहम्मद ने उससे शादी की तो उन्होंने उसके साथ तीन रातें बितायीं। जब वे जाने लगे तो उसने "उनका पहनावा पकड़ लिया।" पर पैग़म्बर ने उससे कहा–"तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ एक हफ्ता रह सकता हूं, पर तब मुझे अपनी सभी बीवियों के साथ एक-एक हफ्ता रहना पड़ेगा" (3443-3445)।

यद्यपि एक पति को अपनी बीवियों के बीच अपने दिन बराबर–बराबर बांट देने चाहिए, तथापि अगर कोई बीवी चाहे तो अपने हिस्से का दिन किसी दूसरी बीवी को दे सकती है। अहादीस (3451-3452) हमें बतलाती है कि सोदा बूढ़ी हो गई तो उसने अपने दिन आयशा को दे दिये। अतः रसूल-अल्लाह ने "आयशा के लिए दो दिन तय किये" (3451)।

किन्तु कई बार मुहम्मद खुद किसी बीबी से अपना दिन छोड़ देने को कहते थे। एक बीवी ने उनसे कहा–"अगर मेरे बस की बात होती तो मैं किसी और को अपने ऊपर तरजीह नहीं पाने देती" (3499)।

आखिरकार पारी का नियम अल्लाह के एक विशेष विधान द्वारा खत्म कर दिया गया। "तुम अपनी बीवियों में से, जिसकी चाहो उसकी बारी रद्द कर सकते हो और जिसे चाहो उसको अपने पास तलब कर सकते हो, और अगर तुम उसको अपने पास बुलाते हो जिसकी पारी तुम रद्द कर चुके हो तो इसमें कुछ बुराई नहीं" (क़ुरान 33/51)। अल्लाह बहुत सुविधा देने वाला है। आयशा ने, जिसके फायदे के लिए वस्तुतः अल्लाह बोले थे, मुहम्मद पर फब्ती कसी– "ऐसा लगता है कि तुम्हारे अल्लाह तुम्हारी इच्छाएं तृप्त करने में बहुत त्वरा बरतते हैं (3453)।

रातों के जश्न

एक महत्त्वपूर्ण हदीस है, जो मोमिनों को एक और सुविधा देती है तथा पैग़म्बर की यौन-संहिता पर कुछ प्रकाश भी डालती है। निष्पक्षता के लिए यह आवश्यक है कि मोमिन अपनी बीवियों के पास बारी-बारी से जाये। लेकिन जब वह उनमें से एक के साथ हम-बिस्तर हो, तो वह दूसरी बीवियों को अपने आस-पास रख सकता है। मुहम्मद के नौकरों में से एक, अनस, बतलाता है–"अल्लाह के पैग़म्बर की सभी बीवियां हर रात उस के घर में इकट्ठा हो जाती थीं जिसके घर में ये (रसूल) होते थे ... एक रात वे आयशा के घर में थे कि जैनब वहां आयी। उन्होंने (पाक पैग़म्बर ने) अपना हाथ उसकी (जैनब की) ओर पसारा। तभी वह (आयशा) बोल उठी–यह जैनब है। रसूल अल्लाह ने अपना

हाथ खींच लिया। उन दोनों के बीच तब तक कहा-सुनी होती रही जब तक कि उनकी आवाज़ें तेज़ न हो गयीं।" सुबह जब नमाज का ऐलान हुआ तब अबू बकर मुहम्मद को ले जाने के लिए आये। आवाज़ें सुन कर वे बोले "रसूल-अल्लाह ! नमाज़ के लिए चलिये और इन के मुंह में खाक फेंकिये" (3450)।

कुंवारी से ब्याह

अन्य अहादीस में पैग़म्बर कुंवारी से ब्याह करने की विशेषताएं बतलाते हैं (3458-3464) जाबिर के अनुसार रसूल–अल्लाह ने कहा–"जाबिर ! क्या तुमने शादी की है। मैं बोला हां। उन्होंने कहा–कुंवारी से या पहले की शादीशुदा से? मैं बोला–पहले की शादीशुदा से। इस पर वे बोले–तुमने एक कुंवारी से ब्याह क्यों नहीं किया, जिसके साथ तुम क्रीड़ा कर सकते थे ?" (3458) अथवा "जो तुम्हारा मन बहला सकती थी और जिसका मन तुम बहला सकते थे" (3464)।

तस्तहिद्दा

मुहम्मद ने उन शब्दों का भी असरदार इस्तेमाल किया है जिन्हें साहित्य समीक्षा में अश्लील अभिव्यक्तियां कहते हैं। एक बार पैग़म्बर और उनका दल, एक चढ़ाई से कुछ देर में वापस आये। उनके साथी तुरन्त अपने घरों को जाना चाहते थे। लेकिन पैग़म्बर ने उनसे तब तक इन्तज़ार करने को कहा, जब तक कि "औरत अपने बिखरे वालों को कंघी से संवार ले और जिसका मर्द बाहर गया था वह अपने को साफ़ कर ले, ताकि जब तुम भीतर पहुंचो, तो तुम मज़ा ले सको" (2462)।

अनुवादक हमें समझाते हैं कि "अपने को साफ़ करने" के अर्थ में एक अरबी शब्द है "तस्तहिद्दा," जिसका अक्षरशः अर्थ होता है "गुप्तांगों के बाल साफ़ करना।" लेकिन यहां उस शब्द को पति के साथ समागम के लिए तैयार हो जाने के लाक्षणिक अर्थ में प्रयुक्त किया गया है (टि० 1926)।

पहिला पाप

पैग़म्बर हमें बतलाते हैं–"अगर हौव्वा ने पहल न की होती, तो औरतों ने अपनी ख़ाविंदों के साथ कभी भी बेईमानी न की होती" (3471)।

मुहम्मद की शादियां

सफ़िय्या (3325-3329) और जैनब बिन्त जहश के साथ (3330-3331) पैग़म्बर की शादियों में घटी कुछ घटनाओं का उल्लेख मिलता है।

रेहाना और जुवैरीया

सफ़ीय्या अपवाद नहीं थी। दूसरी औरतें भी युद्ध में लूटे गए माल के रूप में इसी तरह लाई गयी थी और उनसे भी ऐसा ही व्यवहार किया गया था। उन औरतों में रेहाना और जुवैरीया भी शामिल थीं। रेहाना, बनू कुरैजा की एक यहूदी लड़की थी। मदीना में किए गए नरमेध में उसके पति का सिर उसके क़बीले के आठ-सौ अन्य मर्दों के सिरों के साथ बहुत ही बेदर्दी से काट दिया गया तो मुहम्मद ने रेहाना को अपनी रखैल बना लिया। इस नरमेध पर हम जिहाद की चर्चा करते समय आगे चलकर प्रकाश डालेंगे।

ऐसी अभागी लड़कियों में से ही एक अन्य थी जुवैरीया। यह बनू मुस्तलिक़ के मुखिया की बेटी थी। वह हिजरी सन के पांचवे या छठे साल में दो-सौ अन्य औरतों के साथ बंदी बना ली गयी थी। "रसूल-अल्लाह ने बनू मुस्तलिक पर उस वक़्त हमला किया, जब वे लोग बेखबर थे और जब उनके पशु पानी पी रहे थे। उनमें से जो लोग लड़े पैग़म्बर ने मार डाला और दूसरों को क़ैद कर लिया। उसी दिन उन्होंने जुवैरीया बिन्त अल-हारिस को क़ब्जे में ले लिया" (4292)।

लूट के बंटवारे में वह साबित इब्न क़ैश के हिस्से में आई। उसने उसकी छुड़ाई का मूल्य नौ औंस सोना रखा, जोकि उस लड़की के रिश्तेदार दे नहीं सकते थे। आयशा ने जब देखा कि वह खूबसूरत लड़की मुहम्मद के पास ले जायी जा रही है, तो उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार बयान की जाती है–"जैसे ही मैंने उसे अपने कमरे के दरवाजे पर देखा, मुझे उससे नफरत हो गयी, क्योंकि मैं जानती थी कि वे (मुहम्मद) उसे उसी तरह देखेंगे, जैसे मैंने देखा।" और दरअसल मुहम्मद ने जब जुवैरिया को देखा तो उन्होंने उसकी छुड़ाई का मूल्य चुकता कर दिया तथा उसे अपनी बीवी बना लिया। उन दिनों जुवैरिया लगभग बीस बरस की थी और वह पैग़म्बर की सातवी बीवी बनी। पूरी कहानी पैग़म्बर के जीवनीकार इब्न इसहाक़ ने बयान की हैं।[1]

एक और यहूदी लड़की थी जैनब। उसने अपने पिता, पति और चाचा का क़त्ल होते देखा था। उसे मुहम्मद के लिए खाना पकाने को कहा गया, तो उसने भुने हुए मेमने में जहर मिला दिया। मुहम्मद को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने पहला ही निवाला उगल दिया। वे बच गये। और कई एक बयानों के मुताबिक़ जैनब को तुरन्त ही मार डाला गया। (तबक़ात, जिल्द 2 किताब 2, पृ० 252-255)।

तलाक़

तलाक का अक्षरशः अर्थ है "गांठ खोलना।" लेकिन इस्लामी क़ानून में अब इनका मतलब है, कुछ शब्दों के उच्चारण द्वारा विवाह का विच्छेद।

शादी और तलाक़ के इस्लामी क़ानून खुद पैग़म्बर की अपनी करनी और कथनी से उपजे हैं। शियाओं के अनुसार, पैग़म्बर की बाईस बीवियां थीं, जिन में से दो बंधक औरतें थी। लेकिन वह संख्या सिर्फ़ उनके लिए ही विशेष दैवी विधान थी। दूसरे मोनियों की एक वक़्त में चार से ज्यादा बीवियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी भी बीवी को तलाक़ द्वारा दूर करके उसकी जगह दूसरी को लाया जा सकता है। यह काम मुश्किल नहीं है। मर्द यदि तीन बार "तलाक़" शब्द लगातार कह दे तो तलाक़ लागू हो जाता है।

इस पर भी कुछ प्रतिबन्ध हैं। मसलन किसी औरत को माहवारी के दौरान तलाक़ देना मना है (3473-3490)। भावी खलीफ़ा उमर के बेटे अब्दुल्ला ने अपनी बीवी को उस वक़्त तलाक दे दिया, जब वह माहवारी में थी। जब उमर ने मुहम्मद से इसका ज़िक्र किया तो उन्होंने हुक्म दिया–"इसको (अब्दुल्ला को) उसे वापस ले लेना चाहिए और जब वह शुद्ध हो जाये, तब वह उसे तलाक़ दे सकता है" (3485)।

तीन घोषणाएं

तलाक़ लागू हो, उसके पहले "तलाक़" शब्द को तीन बार कहना होता है (3491-3493)। लेकिन इसके बारे में अलग-अलग मत हैं कि घोषणा तीन माहवारियों के बाद लगातार तीन अलग-अलग अवसरों पर होनी चाहिए या एक

ही वक़्त तीन बार कर देना पर्याप्त है। अनुवादक के मत में ऐसी अहादीस की कमी नहीं है, जिनके अनुसार पैग़म्बर के जीवनकाल में भी एक वक़्त में तीन घोषणाएं कर देने पर तलाक़ को अटल माना गया" (टि० 1933)।

तलाक़ की ऐसी आसान शर्तों के रहते एक वक़्त में चार ही बीवियां रखने की मर्यादा में ज्यादा स्वार्थ-त्याग की जरूरत नहीं थी। बीवियां लगातार बदली जा सकती थी। मुहम्मद के एक वरिष्ठ साथी, सलाहकार और मित्र, अब्दर्रहमान और अबू बकर और उमर के बच्चे सोलह-सोलह बीवियों से पैदा किए गए थे। रखैलों से पैदा बच्चे इसके अलावा थे। कुछ समय बाद, मुहम्मद के नाती और अली के बेटे हसन ने सत्तर, और कुछ ब्यौरों के अनुसार, नब्बे शादियां की उसके समकालीन लोग उसे तलाक़बाज़ कह कर पुकारते थे।

यह आश्चर्य का विषय नहीं कि (इस्लाम में) औरतों की अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। उपहार में देकर या तलाक़ के द्वारा औरतों से आसानी के साथ छुट्टी पायी जा सकती है। उदाहरण के लिए, मदीना-प्रवास के समय अब्दर्रहमान को रबी के बेटे साद ने मजहबी भाई बनाया। यह मुहम्मद की उस व्यवस्था के अनुरूप था कि हर प्रवासी (मुजाहिद) एक मदीना–निवासी (अंसार) से भाईचारा बनाये। वे दोनों जब ब्यालू के लिए बैठे, तो मेज़बान ने कहा–"मेरी दोनों बीवियों को देख लो, और जिसे ज़्यादा पसंद करो उसे ले लो।" उसी वक़्त एक बीवी को तलाक़ दे कर उपहार में दे दिया गया।[1]

ज़िहार और ईला

अलग होने के दो अन्य रूप भी थे, जो क़ानूनी तलाक़ के बराबर नहीं माने जाते थे। ये थे ज़िहार और ईला जो मुहम्मद के समय अरब में प्रचलित थे। ज़िहार में पति प्रतिज्ञा करता था कि उसकी पत्नी उसके लिए मां की पीठ (ज़हर) जैसी होगी, और तब वह एक निश्चित अवधि तक पत्नी से दूर रहता था। अरबों में परहेज की यह प्रतिज्ञा एक रस्म थी और, कुछ अहादीस के अनुसार, मुसलमान भी रोज़ों के दौरान ऐसी प्रतिज्ञा करते थे। परहेज का उद्देश्य पश्चाताप भी हो सकता था, और भक्तिभाव भी। या फिर यह प्रतिज्ञा गुस्से के दौर में भी ले ली जाती थी। तलाक़ के एक रूप में भी इसका इस्तेमाल होने लगा था.। मुहम्मद ने ज़िहार के द्वारा तलाक़ की निंदा की (क़ुरान 58/1-5) और ऐसी प्रतिज्ञा लेने वाले एक पति को अपनी पत्नी के पास वापस जाने की इजाज़त दी। प्रतिज्ञा तोड़ने का पश्चात्ताप एक क़फ़्फ़ारा के ज़रिये हो सकता था

1. फातिब अल-वाक़िदी, विलियम म्यूर द्वारा "लाइफ आफ मोहमेट" में उद्धृत, जिल्द 2, पृ० 272-273।

(कफ्फ़ारा का अक्षरशः अर्थ है 'वह जो पाप को ढकता है')। इस प्रसंग में कफ़्फ़ारा या तो दो महीने का उपवास होता था या फिर साठ गरीब मर्द-औरतों को खाना खिला देना।

अलग होने का एक और रूप था ईला ('क़सम खाना')। इस रूप में पति अपनी पत्नी के साथ मैथुन से विरत रहने की क़सम, खाता था। इस्लाम-पूर्व-पर्व में अरब लोग ईला को तलाक़ का ही एक रूप मानते थे। पर उससे शादी पूरी तरह रद्द नहीं हो जाती थी। कई बार ईला की क़सम बीबी को सज़ा देने अथवा क़सम तोड़ने के बदले में उससे धन ऐंठने के लिए भी ली जाती थी। मुहम्मद ने इसे वर्जित किया (क़ुरान 2/26)। जिस मर्द ने ऐसी प्रतिज्ञा की हो वह, बिना किसी दोष का भागी हुए, अपनी पत्नी के पास वापस जा सकता था। ऐसा न करने पर शादी चार महीने के बाद अपने-आप कानूनी तौर पर रद्द हो जाती थी। क़सम तोड़ने का पश्चात्ताप किया जा सकता था। "जब एक आदमी अपनी बीवी को अपने लिए अगम्या घोषित करता है, तब वह एक क़सम खाता है जिसका पश्चात्ताप जरूरी है ... अल्लाह के पैग़म्बर में आपके लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत है" (3494-3495)। समय बीतने पर, इस्लाम में अलगाव के ये दोनों रूप समाप्त हो गये।

मुहम्मद का अपनी बीवियों से अलगाव

ईला अपनी बीवी से अस्थायी अलगाव है। इस अर्थ में मोमिन सचमुच भाग्यशाली हैं कि उनके सामने पैग़म्बर ने एक "आदर्श उदाहरण" पेश किया है।

मुहम्मद को एक बार उनतीस दिन के लिए अपनी बीवियों से अलग रहना पड़ा। सही मुस्लिम उस घटना का वर्णन अनेक अहादीस में करती है। पर उस पर विचार करने के पहले हम पृष्ठभूमि के रूप में कुछ जानकारी प्रस्तुत कर देते हैं।

अपनी अनेक बीवियों के पास जाने के लिए मुहम्मद पारी का एक सीधा साधा नियम चलाते थे। दरअसल उनकी जीवनचर्या के दिन, जिन बीवियों के पास वे जाते थे, उनके नाम से ही जाने जाते थे। एक दिन मुहम्मद को हफ़्ज़ा के यहां जाना था, पर उसकी बजाय हफ़्ज़ा ने देखा कि वे अपनी कोष्टवंशीय और रखैल सुन्दरी मरियम के पास हैं। हफ़्ज़ा विफर उठी। चीख कर बोली—"मेरे ही कमरे में, मेरे ही पारी में और मेरे ही बिस्तर पर!" मुहम्मद ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए वायदा किया कि वे फिर कभी भी मरियम के पास नहीं जायेंगे। पर साथ ही उन्होंने हफ़्ज़ा से अनुरोध किया कि वह इस घटना को गुप्त रखे।

किन्तु हफ़्ज़ा ने यह बात आयशा को बता दी। और बहुत जल्दी ही सब लोगों ने इसे सुन लिया। मुहम्मद की क़ुरैश बीवियां मरियम से नफ़रत करती थी और "उस कम्बख़्त कमीनी" से जलती थीं, जिसने मुहम्मद का एक पुत्र भी पैदा किया था। जल्दी ही हरम में गपशप, रोष और तानाज़नी का माहौल बन गया। मुहम्मद बहुत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने अपनी बीवियों से कहा कि मुझे तुमसे कुछ लेना-देना नहीं है। उन्होंने अपने को उनसे अलग कर लिया। और जल्दी ही यह अफ़वाह फैल गयी कि वे उन सबको तलाक़ दे रहे हैं। वस्तुतः मोमिनों की दृष्टि में यह अफ़वाह इस ख़बर से ज़्यादा दिलचस्प और महत्त्वपूर्ण थी कि मदीना पर जल्दी ही घसान (रूम के सहायक अरब एक क़बीले) का हमला होने वाला है।

एक लंबी हदीस में उमर बिन अल-खत्ताव (हफ़्ज़ा के पिता) बतलाते हैं—"जब रसूल-अल्लाह ने अपनी बीवियों से खुद को अलग कर लिया, तब मैं मस्जिद में गया और मैंने देखा कि लोग जमीन पर कंकड़ फेंक कर कह रहे हैं—अल्लाह के पैग़म्बर ने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दिया।" उमर ने सच्चाई जानने का निश्चय किया। पहले उन्होंने आयशा से पूछा कि क्या उसने "अल्लाह के पैग़म्बर को तकलीफ़ देने का दुस्साहस किया है। "आयशा ने उनसे कहा कि अपना रास्ता नापो। "मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम अपने भाण्डे (हफ़्ज़ा को) सम्हालो।" फिर उमर हफ़्ज़ा के पास गये और उसे झिड़का—"तू जानती है कि अल्लाह के पैग़म्बर तुझे प्यार नहीं करते और यदि मैं तेरा पिता न होता, तो वे तुझे तलाक़ दे चुके होते।" वह बुरी तरह रोने लगी।

तब उमर ने मुहम्मद के सामने हाजिर होने की इजाज़त चाही। प्रार्थना नामंजूर कर दी गयी। पर उन्होंने आग्रह जारी रखा। उन्होंने मुहम्मद के दरबान रहाब, से कहा—"ऐ रहाब ! मेरे लिए अल्लाह के पैग़म्बर से इजाज़त लो। मुझे लगता है कि अल्लाह के पैग़म्बर यह समझ रहे हैं कि मैं हफ़्ज़ा के वास्ते आया हूं। क़सम अल्लाह की ! अगर अल्लाह के पैग़म्बर मुझे उसकी गर्दन उड़ा देने का हुक्म देंगे, तो मैं यक़ीनन वैसा करूंगा।" उसको इजाज़त मिल गयी।

उमर जब भीतर गये, तो देखा कि "उन (मुहम्मद) के चेहरे पर गुस्से की छाया है।" अतः उन्होंने मुहम्मद को शांत करने की कोशिश की। वे बोले—"हम क़ुरैश लोग अपनी औरतों पर आधिपत्य रखते थे। लेकिन जब हम मदीना आये, तो हमने देखा कि यहां के लोगों पर उनकी औरतों का आधिपत्य है। और हमारी औरतों ने उनकी औरतों की नक़ल करना शुरू कर दिया।"

उन्होंने यह भी कहा–"अल्लाह के पैग़म्बर ! आपको अपनी बीवियों से मुश्किल क्यों महसूस हो रही है ? अगर आपने उन्हें तलाक़ दे दिया है तो यक़ीनन अल्लाह आपके साथ है और अल्लाह के फ़रिश्ते जिब्रैल तथा मिकैल, मैं और अबु बकर सब मोमिन आपके साथ हैं।"

मुहम्मद कुछ ढीले पड़े। उमर बतलाते हैं–"मैं उनसे तब तक बात करता रहा, जब तक उनके चेहरे से गुस्सा मिट नहीं गया ... और वे हंसने लगे।" इस नये मनोभाव की दशा में पैग़म्बर पर क़ुरान की वे प्रसिद्ध आयतें उतरीं, जिनमें उन्हें मरियम के बारे में उनकी क़सम से मुक्त कर दिया गया, उनकी बीवियों को तलाक़ की धमकी दी गई, और उमर का यह आश्वासन भी शामिल किया गया कि सभी फ़रिश्ते और मोमिन उनके साथ हैं। अल्लाह ने कहा–"ऐ पैग़म्बर ! अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो जायज़ किया है, उससे तुम अपने–आपको वंचित क्यों करते हो ? क्या अपनी बीवियों को खुश करने की ललक से ? ... अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी क़समों का कफ़्फ़ारा मुक़र्रर कर दिया हैं।" अल्लाह ने पैग़म्बर की बीवियों से भी साफ़-साफ़ कह दिया कि "अगर वह तुम्हें तलाक़ दे देता है तो अल्लाह बदले में उसे तुमसे बेहतर बीवियां दे देगा।" अल्लाह ने उन सब को, खासकर आयशा और हफ़्ज़ा को, इन शब्दों में चेतावनी दी–"तुम दोनों अल्लाह के आगे तौबा करो–क्योंकि तुम्हारे दिल क़ज़ हो गये हैं–लेकिन अगर तुम उसके खिलाफ परस्पर सांठगांठ करोगी, तो निश्चय ही अल्लाह मालिक है, और अल्लाह और जिब्रैल और नेक मुसलमान और फ़रिश्ते सब उसके साथ हैं।" अल्लाह ने उनसे यह भी कहा कि अगर वे उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगी तो पैग़म्बर की बीवी होना, क़यामत के रोज, उनके किसी काम नहीं आएगा। "जो लोग यक़ीन नहीं लाते, उनके सामने अल्लाह मिसाल पेश करता है। नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल सामने हैं। वे दोनों दो नेक बंदों की ब्याहता थी और दोनों ने खयानत की। और अल्लाह के मुक़ाबले में उन औरतों के खाविंद उनके किसी काम न आये। और उनसे कहा गया–दाख़िल होने वालों के साथ तुम भी (दोज़ख़ की) आग में दाख़िल हो जाओ" (क़ुरान 66/1-10)।

बात आयी-गयी हो गयी। और वे सब फिर उनकी बीवियां बन गयी। पाक पैग़म्बर ने उनसे (अपनी बीवियों से) "एक महीने तक अलग रहने की क़सम खायी थी और अभी सिर्फ उनतीस दिन ही गुजरे थे। किन्तु वे उनके पास पहुंच गए।" आयशा ने शरारतन पैग़म्बर को याद दिलाया कि एक महीना पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ़ उनतीस दिन ही हुए हैं। इस पर मुहम्मद ने जबाव दिया–"कई बार महीने में उनतीस रोज ही होते हैं। (3507-3511)।

उमर अब मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो गये और पूरे ज़ोरों से पुकार कर बोले–"अल्लाह के पैग़म्बर ने अपनी बीवियों को तलाक़ नहीं दिया है।" मुहम्मद पर एक आयत भी उतरी, जिसमें मोमिनों को इसके लिए झिड़का गया कि वे इतनी जल्दी अफ़वाहों पर यक़ीन कर लेते हैं–"और अगर उनके पास अमन या खतरे की कोई खबर पहुंचती है, तो उसे मशहूर कर देते हैं। लेकिन अगर उन्होंने उसे पैग़म्बर या सरदारों के पास पहुंचाया होता तो तहक़ीक़ करने वाले तहक़ीक़ कर लेते" (क़ुरान 4/83; हदीस 3507)।

तलाक़ की पसन्द तलाक़ नहीं

ऐसा लगता है कि घरेलू कलह के अन्य मौके भी आते रहते थे, जिनमें से कुछ रुपए-पैसे को लेकर होते थें। ये मदीना-प्रवास के शुरू के दिनों में हुए होंगे, जबकि मुहम्मद के पास धन की कमी थी। एक बार अबू बकर और उमर मुहम्मद के पास गये और देखा कि वे "अपनी बीवियों से घिरे मायूस और खामोश बैठे हैं।" उन दोनों पिताओं से उन्होंने कहा–"ये (पैग़म्बर की बीवियां और उन दोनों की बेटियां) मुझे घेरे हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, और मुझ से ज्यादा रुपये-पैसे मांग रही है।" तब अबू बकर "उठे और आयशा के पास गये और उसकी गर्दन पर थप्पड़ जमाया और उमर उठे और हफ़्जा को झापड़ लगाया" (3506)।

इस अवसर पर पैग़म्बर ने अपनी बीवियों के सामने विकल्प रखा कि अगर वे "दुनिया की ज़िंदगी और उसकी आराइशों की ख़्वास्तगार हों, बनिस्बत अल्लाह और उसके पैग़म्बर के और बनिस्बत बहिश्त के, तो वे (मुहम्मद) अल्लाह के रसूल उनको अच्छी तरह से रुख़सत कर देंगे" (क़ुरान 33/28/29)। बीवियों ने पैग़म्बर और बहिश्त को चुना।

अनुवादक के अनुसार इन अहादीस (3498-3506) से यह सबक़ मिलता है कि "औरत की ओर से तलाक़ की पसंद जाहिर होने से ही तलाक़ लागू नहीं माना जाता। वह तभी मान्य होता है, जब सचमुच तलाक़ का इरादा हो।"

तलाक़शुदा के लिए गुज़ारा-भत्ता नहीं

फ़ातिमा बिन्त क़ैस को उसके पति ने "जब वह घर से बाहर था" तलाक़ दे दिया। वह बहुत नाराज हुई और मुहम्मद के पास पहुंची। उन्होंने उससे कहा कि "अटल तलाक़ दे दिये जाने पर औरत को आवास और गुजारे के लिए कोई भत्ता नहीं दिया जाता।" लेकिन पैग़म्बर ने कृपा करके उसके लिए दूसरा खाविंद खोजने में उसकी मदद की। उसके सामने दो दावेदार थे–अबू जहम

और मुआविया। मुहम्मद ने दोनों के ख़िलाफ राय दी। कारण, पहले वाले के "कंधे से लाठी कभी नहीं उतरती थी" (अर्थात् वह अपनी बीवियों को पीटता रहता था) और दूसरा ग़रीब था। उन दोनों की जगह उन्होंने अपने गुलाम और मुंह-बोले बेटे ज़ैद के लड़के उसाम बिन ज़ैद का नाम पेश किया (3512)।

बाद में एक अधिक उदार भावना उभरी। उमर ने व्यवस्था दी कि पतियों को अपनी तलाक़शुदा बीवियों के लिए इद्दा की अवधि में गुज़ारा-भत्ता देना चाहिए, क्योंकि फक़त एक औरत होने के कारण पैग़म्बर के लफ्जों का सच्चा मक़सद फातिमा ने गलत समझा। "हम अल्लाह की किताब और अपने रसूल के सुन्ना को एक औरत के लफ्ज़ों की खातिर नहीं छोड़ सकते" (3524)।

इद्दा इंतजार की वह अवधि है, जिसमें औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती। सामान्यतः वह चार महीने और दस दिन की होती है। लेकिन उस बीच औरत अगर बच्चे को जन्म दे दे तो वह अवधि तुरन्त खत्म हो जाती है। एक बार इद्दा खत्म हो जाने पर औरत दूसरी शादी कर सकती है (3536-3538)।

चार महीने के लिए भत्ता देना बहुत मुश्किल नहीं था। इस प्रकार पतियों को भविष्य में किसी बोझ का कोई डर न होने से वे अपनी बीवियों से आसानी के साथ छुटकारा पा जाते थे। फलस्वरूप तलाक़ का डर मुस्लिम औरतों के सिर पर बुरी तरह छाया रहता था।

मातम

जिस औरत का पति मर गया हो उसे इद्दा की अवधि में साज-सिंगार से परहेज करना चाहिए। लेकिन दूसरे रिश्तेदारों के लिए तीन दिन से ज्यादा का मातम नहीं करना चाहिए (3539-3552)। अबू सूफियां मर गये। वे मुहम्मद की बीवियों में से एक, उम्म हबीबा, के पिता थे। उसने कुछ इत्र मंगाया और अपने गालों पर मला और बोली—"क़सम अल्लाह की ! मुझे इत्र नहीं चाहिए। लगाया सिर्फ़ इसलिए कि मैंने अल्लाह के पैग़म्बर को यह कहते सुना—अल्लाह और बहिश्त पर यक़ीन रखने वाली मोमिन औरत को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वह मृतकों के लिए तीन दिन से ज्यादा का मातम करे, किंतु पति की मृत्यु के मामले में चार महीने और दस दिन तक मातम करने की इजाज़त है" (3539)।

लियान (लानत भेजना)

अगर कोई आदमी अपनी बीबी को व्यभिचाररत पाता है तो वह व्यभिचारी पुरुष की हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना मना है। न ही वह अपनी

बीबी के खिलाफ आरोप लगा सकता है, क्योंकि जब तक चार गवाह न हो, औरत के सतीत्व पर झूठा लांछन लगाने पर उसे अस्सी कोड़े खाने पड़ेंगे। लेकिन अगर गवाह न मिल रहे हों, और ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा होता है, तो उसे क्या करना चाहिए ? मोमिनों को यह दुविधा मुश्किल में डाले हुए थी। एक अंगार (मदीना-निवासी) ने मुहम्मद के सामने यह मसला रखा—"अगर एक व्यक्ति अपनी बीवी को किसी मर्द के पास पाता है और वह उसके बारे में बोलता है, तो आप उसे कोड़े मारेंगे। और अगर वह मार डालता है तो आप उसे मार डालेंगे। और अगर वह चुप रह जाता है तो उसे गुस्सा पीना पड़ेगा।" मुहम्मद ने अल्लाह से विनती की—"अल्लाह ! इस मसले को हल करो" (3564)। और उन पर एक आयत (क़ुरान 24 6) उतरी जिसने लियान की प्रथा जारी की। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है "क़सम" लेकिन पारिभाषिक अर्थ में यह शब्द क़सम के उस विशिष्ट रूप के लिए प्रयुक्त होता है जो चार क़समों और एक लानत के जरिये ख़ाविंद को बीवी से अलग कर देता है। अकेले खाविंद की गवाही तब स्वीकार की जा सकती है, जब वह अल्लाह की क़सम के साथ चार बार यह गवाही दे कि वह पक्के तौर पर सच बोल रहा है, और फिर एक बार अपने ऊपर यह लानत ले कि वह पक्के तौर पर झूठ बोल रहा हो तो उस पर अल्लाह का रोष प्रकट हो। इसी प्रकार कोई बीवी अपने ऊपर लगे अभियोग को चार बार क़सम खा कर अस्वीकार कर सकती है और फिर अपने ऊपर लानत ले सकती है कि उस पर अभियोग लगाने वाले ने अगर सच बोला है तो उसके (बीवी के) ऊपर अल्लाह का रोष प्रकट हो। दोनों में से एक ने जरूर झूठ बोला होगा। लेकिन मामला यहीं खत्म हो जाता है और इसके बाद वे दोनों मियां बीवी नहीं रह जाते (3553-3577)।

गुलाम की मुक्ति

कारण स्पष्ट नहीं है, किन्तु शादी और तलाक़ वाली किताब के अंत में कुछ अध्याय गुलामों के विषय में है। वर्गीकरण की गलत विधि के कारण ऐसा हुआ है, या फिर इसलिए हो सकता है कि गुलाम की मुक्ति 'तलाक़' का ही एक रूप मानी जाती है, क्योंकि 'तलाक़' का अक्षरशः अर्थ है 'मुक्त करना' या 'गांठ खोलना'। या फिर यह भी हो सकता है कि यह विषय अगली किताब से संबंधित हो जो कि व्यापार के सौदों से संबंधित है। आख़िरकार, एक गुलाम एक चल संपत्ति से कुछ अधिक नहीं था।

आधुनिक मुस्लिम लेखक, इस्लाम को एक मानवीय विचारधारा ठहराने की कोशिश करते हुए, गुलामों की मुक्ति (इत्क़) के बारे में मुहम्मद के शिक्षापदों को

बहुत बढ़ा-चढ़ा कर सुनाते हैं। लेकिन असलियत यह है कि मुहम्मद ने मज़हबी युद्ध का विधान देकर और क़ैद किए गए गैर-मुस्लिमों के मानवीय अधिकार अस्वीकृत करके, गुलामी को एक अभूतपूर्व पैमाने पर प्रचलित कर दिया। इस्लाम-पूर्व के अरब सुखदतम स्वप्न में भी कभी यह कल्पना नहीं कर सकते थे कि गुलामी की संस्था इतने बड़े परिमाण में संभव हो सकती है। पैग़म्बर का एक घनिष्ठ साथी, जुबैर, जब मरा तो उसके पास एक हज़ार गुलाम थे। खुद पैग़म्बर के पास किसी न किसी अवसर पर कुल मिला कर कर कम से कम उनसठ गुलाम थे। उनके अड़तीस नौकर इनके अलावा थे। इनमें मर्द और औरतें, दोनों शामिल थे। 15वीं सदी ईस्वी में पैग़म्बर की जीवनी लिखने वाले मीरखोंद ने इन सबके नाम अपनी रौज़त अस्सफ़ा नाम की पुस्तक में दिए हैं। तथ्य यह है कि गुलामी, ख़िराज और लड़ाई में लूटा गया माल, अरब के नए अमीरों का मुख्य अवलंब बन गये। गुलामों की पुरानी असमर्थताएं ज्यों-की-त्यों बनी रहीं। वे अपने मालिक (सैयद) की जायदाद थे। मालिक अपनी इच्छानुसार उनके विषय में निर्णय कर सकते थे—उन्हें बेच सकते थे, उपहार में दे सकते थे, किराये पर उठा सकते थे, उधार दे सकते थे, रहन रख सकते थे। गुलामों के कोई संपत्ति-संबंधी अधिकार नहीं थे। वे जो कुछ भी प्राप्त करते थे। वह सब उनके मालिकों की संपत्ति हो जाती थी। मालिक को अपनी उन गुलाम औरतों को रखैल बनाने का पूरा अधिकार था, जो इस्लाम स्वीकार कर लेती थीं, अथवा जो "किताब वाले" लोगों में से थीं। क़ुरान (सूरा 4/3, 4/24, 4/25, 23/6) ने इसकी इजाज़त दी। बिक्री, विरासत और शादी के इस्लामी क़ानूनों में गुलामी ओत-प्रोत हो गई। और यद्यपि गुलाम लोग अपने मुस्लिम मालिकों के लिए लड़ते थे, तथापि वे इस्लाम के मजहबी क़ानून के मुताबिक लड़ाई की लूट में हक़दार नहीं थे।

गुलामों की मुक्ति

गुलामों की मुक्ति इस्लामपूर्व के अरब जगत में अज्ञात नहीं थी। गुलाम लोग कई तरह से आज़ादी हासिल कर सकते थे। एक रास्ता, जो बहुत सामान्य था, वह यह था कि उनके रिश्तेदार उन्हें निष्क्रय-मूल्य देकर छुड़ा लेते थे। एक दूसरा रास्ता यह था कि उनके मालिक उन्हें मुफ़्त और बिना शर्त मुक्ति (इत्क़) दे देते थे। मुक्ति के दो अन्य रूप भी थे—"तदबीर" और "किताबाह"। पहले में मालिक यह घोषणा करता था कि उसकी मौत के बाद उसके गुलाम आज़ाद हो जाएंगे। दूसरे में वे गुलाम जिन्हें उनके रिश्तेदार निष्क्रय-मूल्य देकर नहीं छुड़ा पाते थे, अपने मालिक से यह इजाज़त ले लेते थे कि वे मज़दूरी द्वारा अपना निष्क्रय-मूल्य कमा कर उसे दे देंगे।

हम पहले देख चुके हैं कि हकीम बिन हिज़ाम ने किस प्रकार अपने "एक-सौ गुलामों को मुक्त किया" (225)। यह काम उन्होंने मुसलमान बनने से पहले किया था। हमने यह भी देखा कि अधिक श्रद्धापरायण अरबों में यह पुराना रिवाज था कि वे वसीयत करके अपनी मौत के बाद अपने गुलाम आजाद करें। मुहम्मद ने कुछ मामलों में इस प्रथा का विरोध किया। वे नहीं चाहते थे कि गुलाम-मुक्ति के फलस्वरूप वारिसों और रिश्तेदारों को नुक़सान उठाना पड़े। फिर भी कुल मिला कर गुलाम-मुक्ति की प्रथा के प्रति मुहम्मद का रुख अनुकूल ही था। लेकिन इसी कारण वे गुलामों के मसीहा नहीं बन जाते। क्योंकि उन्होंने यह भी कहा कि दीन-हीन लोग जब दुनिया में छा जायेंगे तो वह दुनिया के खत्म होने के एक सूचना होगी। उनके अनुसार "जब गुलाम लौंडी अपने मालिक को जन्म देने लगे, जब नंगे बदन और नंगे पांव वाले लोग जनता के मुखिया बनने लगें—क़यामत की ये कुछ निशानियां हैं" (4)।

मुहम्मद के लिए गुलाम की मुक्ति उसके स्वामी की उदारता की द्योतक थी, न्याय का मामला नहीं। बहरहाल, एक गुलाम को भागकर अपना उद्धार नहीं करना चाहिए। मुहम्मद कहते हैं—"जो गुलाम अपने मालिक के पास से भाग जायें, वे जब तक उसके पास वापस नहीं आ जाते, तब तक कुफ़्र के गुनहगार होते हैं" (129)।

कौन-से गुलाम मुक्ति के पात्र हैं ?

सिर्फ़ मोमिन गुलाम ही आजादी का पात्र है। किसी ने एक बार अपनी गुलाम बांदी को थप्पड़ जमा दिया और तब पछतावे की भावना से उसे आज़ाद करना चाहा। मुहम्मद से सलाह ली गयी। वे बोले—"उसे मेरे पास लाओ।" वह लायी गयी। मुहम्मद ने उससे पूछा—"अल्लाह कहां है ?" वह बोली—"वह जन्नत में है।" मुहम्मद ने पूछा—"मैं कौन हूं ?" उसने जवाब दिया—"आप अल्लाह के पैग़म्बर हैं।" मुहम्मद ने यह फ़ैसला सुनाया—"उसे आजाद कर दो। वह मोमिन औरत है" (1094)।

इस प्रकार एक गुलाम को आजाद करने से पुण्य प्राप्त होता है। "उस मुसलमान को जो एक मुसलमान (गुलाम) को मुक्त करता है, अल्लाह दोज़ख़ की आग से बचायेगा। गुलाम के हर अंग के एवज में मुक्त करने वाले का वही अंग आग से बचाया जायेगा। यहां तक कि उनके गुप्तांगों के बदले में मुक्ति दाता के गुप्तांग बचाये जायेंगे" (3604)।

अपने साझे गुलाम को भी व्यक्ति अपने हिस्से की हद तक मुक्त कर सकता है। बाक़ी के लिए उस गुलाम के दाम तय किए जा सकते हैं। और गुलाम से "अपनी आजादी के लिए काम करने को कहा जायेगा। लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझा नहीं डालना चाहिए" (3582)।

गुलाम की संपत्ति का वारिस कौन ?

अगर एक गुलाम को आजाद भी कर दिया जाये, तो भी उसकी संपत्ति मुक्तिदाता की होगी (3584-3595)। आयशा एक गुलाम लौंडी, वरीरा, की मदद करना चाहती थी। वह उसकी आजादी इस शर्त पर खरीदने को तैयार थी कि "मुझे तुम्हारी सम्पत्ति पर अधिकार मिलेगा। लेकिन लौंडी का स्वामी नगद दाम लेकर ही उसको तो आज़ाद करने का इच्छुक था। वह लौंडी की सम्पत्ति का हक़ अपने पास रखना चाहता था। मुहम्मद ने आयशा के हक़ में यह फैसला दिया–"उसे खरीद लो और मुक्त कर दो, क्योंकि संपत्ति का उत्तराधिकार उसका होता है, जो मुक्त करता है।" फिर मुहम्मद ने फटकार लगाई–"लोगों को क्या हो गया है, जो वे ऐसी शर्तें रखते हैं जो अल्लाह की किताब में नहीं पायीं जातीं" (3585)।

अन्य असमर्थताएं

आजाद हो जाने पर भी गुलाम अनेक असमर्थताओं का शिकार रहता है। वह किसी नए पक्ष के साथ मैत्री नहीं कर सकता। न ही वह अपने भूतपूर्व स्वामी की अनुमति पाए बिना किसी पक्ष को मैत्री का प्रस्ताव पठा सकता है। "जो कोई किसी गुलाम से उसके पहले के मालिक की स्वीकृति के बिना मैत्री करता है उस पर अल्लाह की और उसके फ़रिश्तों की और पूरी मानवजाति की ओर से लानत है" (3600)।

गुलामी के अपने फायदे भी हैं

कहने और करने की बातें अलग रहीं, गुलामी को कोई बड़ा अभिशाप नहीं माना गया। उस स्थिति के अपने फायदे हैं। "जब एक गुलाम अपने मालिक का कल्याण चाहता है और अल्लाह की इबादत करता है तब उसके लिए दो इनाम तय हो जाते हैं" (4097)।

मुहम्मद के वंशजों के लिए सम्यक् पाठ्यसामग्री

हम विवाह और तलाक़ की किताब को उसकी एक आखिरी हदीस का उद्धरण देकर समाप्त करते हैं। हदीस का विषय भिन्न है, पर दिलचस्प है। पैग़म्बर के दामाद अली कहते हैं–"वह जो मानता है कि (पैग़म्बर के परिवार के लोग) अल्लाह की किताब और सहीफा (एक छोटी पुस्तिका अथवा परचा जो उनकी तलवार की म्यान के साथ बंधा रहता था) के सिवाय कुछ और भी पढ़ते हैं, वह झूठ बोलता है। सहीफा में ऊंटों के युगों से संबंधित कुछ मसलों पर और नुक़्सानों की क्षतिपूर्ति पर समाधान है और साथ ही इसमें पैग़म्बर के शब्द भी दर्ज हैं .... वह जो किसी नए आचार का प्रवर्तन करता है अथवा किसी प्रवर्तन करने वाले को सहायता देता है उस पर अल्लाह की ओर से और उनके फ़रिश्तों की ओर से और सारी मानवजाति की ओर से लानत है" (3601)।

✣✣✣

7

व्यापारिक सौदे, विरासत, भेंट-उपहार वसीयतें, प्रतिज्ञाएं और क़समें

नौवीं किताब "व्यापारिक सौदों की किताब" (अल-घुयु) हैं। स्मरणीय है कि पैग़म्बर बनने से पहले मुहम्मद एक सौदागर थे। इसलिए इस विषय पर उनके विचार दिलचस्प होने चाहिए।

सट्टेबाज़ी मना

मुहम्मद सट्टे का निषेध करते हैं। "वह जो अनाज खरीदता है, उसे तब तक नहीं बेचना चाहिए, जब तक कि अनाज उसके हाथ में न आ जाये" (3640)। मुहम्मद के अपने जीवन-काल में, जैसे-जैसे अरब पर उनका नियन्त्रण बढ़ता गया, वैसे-वैसे उनके आदेश राज्य की नीति बनते चले गये। सालिम बिन अब्दुल्ला बतलाते हैं–"मैंने अल्लाह के पैग़म्बर की जिन्दगी के दौरान उन लोगों को पीटे जाते देखा जिन्होंने थोक खाद्यान्न खरीद लिया था और फिर उसे अपने ठिकानों पर ले जाये बिना वहीं पर बेच दिया था" (3650)।

"वायदे के" सौदों की भी इजाज़त मुहम्मद ने इसलिए नहीं दी कि उनमें सट्टे की प्रवृत्ति पाई जाती है। उन्होंने "अगले सालों के लिए बेचना और पकने के पहले फलों को बेचना" मना कर दिया (3714)। दस्तावेजों (संभवतः हुंडी अथवा बिल्टी) की मदद से किए जाने वाले सौदे भी गैरक़ानूनी क़रार दिये गये। इस आदेश का पालन पुलिस की मदद से किया जाता था। सुलैमान बतलाते हैं कि "मैंने सन्तरियों को लोगों से इस प्रकार की दस्तावेज छीनते देखा" (3652)।

बढ़ कर बोली लगाना (बदनी)

मुहम्मद ने बढ़ कर बोली लगाना भी मना किया। "एक व्यक्ति को सौदे में उस वक्त होड़ नहीं लगानी चाहिए जब उसका भाई पहले से ही सौदा कर रहा हो, और जब उसका भाई किसी के साथ शादी का प्रस्ताव पहले ही रख चुका हो, तो किसी को उससे बढ़ कर शादी का प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए, सिवाय उस समय जब वह भाई इसकी अनुमति दे चुका हो" (3618)। उन्होंने दलाली, अर्थात् "रेगिस्तान के किसी आदमी की ओर से किसी क़स्बे के आदमी द्वारा माल का बेचा जाना" भी मना किया (3621)।

करार

मुहम्मद ने क़रार को मान्यता दी। जब तक क़रार में कुछ और न लिखा हो तो "फल देने के लिए तैयार पेड़ को खरीदने पर फल उस व्यक्ति के होते हैं जिसने (उस पेड़ को) बेचा है ... और किसी गुलाम को खरीदने पर, गुलाम की जायदाद पर उसका हक़ होगा जिसने (गुलाम को) बेचा है" (3704)।

पट्टे के काश्तकारी

मुहम्मद ने जमीन को पट्टे पर देना भी मना किया। "जिसके पास जमीन हो उसे खुद खेती करनी चाहिए, पर अगर वह मुमकिन न हो तो उसे वह जमीन मुसलमान भाई को उधार दे देनी चाहिए, लेकिन लगान नहीं स्वीकार करना चाहिए" (3719)।

एक जमींदार के रूप में पैग़म्बर

अनेक अहादीस (3758-3763) दिखलाती हैं कि मुहम्मद लेन-देन के मामलों में तेज-तर्रार थे। उमर का बेटा अब्दुल्ला बतलाता है कि "जब ख़ैबर जीता गया, तो वह अल्लाह के अधीन, उसके पैग़म्बर और मुसलमानों के अधीन हो गया" (3763)। मुहम्मद ने ख़ैबर के यहूदियों के साथ एक क़रार किया। वे अपने खजूर के पेड़ और अपनी जमीन इस शर्त पर अपने पास रख सकते थे कि वे उन पर अपने सम्बल (बीज़ और उपकरण) से काम करें और उपज का आधा अल्लाह के पैग़म्बर को दे दें (3762)। इस आधे में से "अल्लाह के रसूल को पंचमांश मिला" और बाक़ी "बांट दिया गया" (3761)। इस माने में वह सामान्य दस्तूर ही दिखाई देता है जिसके अनुसार खजाने पर जिनका नियन्त्रण हो वे, अल्लाह के नाम पर या राज्य के नाम पर या गरीबों के नाम पर, सबसे पहले उस खजाने को अपने ऊपर खर्च करना पसन्द करते हैं।

इस उपार्जनों के द्वारा मुहम्मद इतने समर्थ हो गये कि वे अपनी बीवियों में से हरेक को प्रति वर्ष सौ वस्क़ देने लगे–80 वस्क़ खजूर और 20 वस्क़ जो (एक वस्क बराबर लगभग 425 अंग्रेजी पौंड)। जब उमर खलीफा बने तब उन्होंने जमीनें बांटी और रसूल-अल्लाह की बीवियों को यह छूट दी कि वे चाहे तो जमीनें ले लें या सालाना वस्क़। बीवियों की प्रतिक्रिया इस प्रस्ताव के प्रति

अलग-अलग रही। पैग़म्बर की दो बीवियों, आयशा और हफ़्ज़ा ने "जमीन और पानी" चुने (3759)।

अनुचित कमाई

मुहम्मद ने "कुत्तों की कीमत लेना, वेश्या की कमाई खाना और काहीन (सगुनिया) को दी गयी मिठाइयाँ स्वीकार करना भी हराम ठहराया है" (3803)। उन्होंने कहा कि "सबसे बुरी कमाई है वेश्या की कमाई, कुत्ते की क़ीमत और सींगी लगाने वाले की कमाई" (3805)।

मुहम्मद को कुत्ते सख़्त नापसन्द थे। उन्होंने कहा–"इस काले स्याह (कुत्ते) को जिसके दो धब्बे (आंखों पर) है, मारना तुम्हारा फ़र्ज़ है। क्योंकि यह एक शैतान है" (3813)। उमर का बेटा अब्दुल्ला हमें बतलाता है कि पैग़म्बर ने "कुत्तों को मारने का हुक्म दिया और उन्होंने मदीना के कोने-कोने में लोगों को भेजा कि वे (कुत्ते) मारे जाएं ... और हमने ऐसा कोई कुत्ता नहीं छोड़ा जिसे मार न डाला गया हो" (3810-3811)। बाद में फ़रियाद सुन कर, उन्होंने शिकारी कुत्तों और पशुओं के झुंड की रखवाली करने वाले कुत्तों को बख़्श दिया। इन कुत्तों के अलावा अगर कोई कुत्ता रखता था तो वह "अपने इनाम (परलोक में मिलने वाले पुण्यकाल) का दो क़िरात (एक माप का नाम) हर रोज़ खो देता था" (3823)।

मुहम्मद ने शराब, मुर्दे, सूअर और बुतों का बेचना भी हराम ठहराया। "अल्ला जो उच्च है और महामहिम है, यहूदियों को बर्बाद करे। अल्लाह ने जब उन्हें मुर्दे की चर्बी का इस्तेमाल मना किया (देखिए लेवाइटीकस, 3/17) तो उन्होंने उसे पिघलाया और तब बेचा और उसकी क़ीमत काम में ली" (3830)।

अदला-बदली अमान्य

कुछ मामलों में पैग़म्बर आधुनिक आदमी थे। उन्होंने अदला-बदली की प्रथा का निषेध किया और उसकी जगह मुद्रा-विनिमय का पक्ष लिया। ख़ैबर में राजस्व की वसूली करने वाला एक बार मुहम्मद के लिए कुछ बढ़िया खजूर लाया। मुहम्मद ने उनसे पूछा कि क्या ख़ैबर के सब खजूर इतने उम्दा क़िस्म के हैं ? अफ़सर बोला–"नहीं, हमने दो सा (घटिया खजूर) के एवज में एक सा (बढ़िया खजूर) लिये।" मुहम्मद ने इसे नामंजूर करते हुए जवाब दिया–"ऐसा मत करो। बेहतर है कि घटिया क़िस्म के खजूर को दरहमों (नगदी) में बेच दो और तब बढ़िया क़िस्म को दरहमों के ज़रिये खरीद लो" (3870)।

रिबा

मुहम्मद ने रिबा भी हराम ठहराया, जिसमें सूदखोरी और ब्याज लेना दोनों शामिल हैं। उन्होंने "ब्याज लेने वाले और देने वाले और उसे दर्ज करने वाले और दोनों (ओर के) गवाहों पर लानत भेजी" और कहा "वे सब बराबर हैं" (3881)।

यद्यपि मुहम्मद ने ब्याज लेना मना किया, तथापि उन्होंने अबू बकर को मदीना के क़ैनुक़ा क़बीले के पास इस पैग़ाम के साथ भेजा कि "अल्लाह को अच्छे सूद पर क़र्ज दो।" वे क़ुरान (5/12) के उन शब्दों को दोहरा रहे थे जिनमें "अल्लाह को समुचित क़र्ज़ दो" कहा गया है। यहूदियों ने देने से इन्कार किया तो उनके भाग्य का निबटारा हो गया।

विरासत, भेंट-उपहार, और वसीयतें

अगली तीन किताबें हैं "विरासत की किताब (अल-फ़राइज़), भेंट-उपहार की किताब (अल-हिबात), और वसीयत की किताब (अल-वसीय्या)।" कई पक्षों में वे परस्पर सम्बद्ध हैं। उनसे निःसृत क़ानून जटिल हैं और हम यहां उनका उल्लेख-भर करेंगे।

भेंट-उपहार

कोई भी चीज जो भेंट या दान में दे दी जाय, वापस नहीं ली जानी चाहिए। उमर ने अल्लाह के रास्ते पर (यानी जिहाद के लिए) एक घोड़ा दान में दे दिया था। उसने देखा कि उसका घोड़ा दान पाने वाले के हाथों पड़ कर क्षीण हो रहा है, क्योंकि वह व्यक्ति बहुत ग़रीब था। उमर ने उसे वापस खरीदने का विचार किया। मुहम्मद ने उससे कहा कि "उसे अब वापस मत खरीदो ... क्योंकि वह जो दान को वापस लेता है, उस कुत्ते की तरह है जो अपनी उलटी निगलता है" (3950)।

वक़्फ

मुहम्मद वक़्फ अर्थात् सम्पत्ति के एक संग्रह को अल्लाह के लिए समर्पित करने के पक्ष में थे। उमर ने मुहम्मद से कहा–"मुझे ख़ैबर में जमीन मिली है (पराजित यहूदियों की ज़मीन जो मुहम्मद के साथियों में बांट दी गयी थी)। मैंने इससे ज़्यादा क़ीमती कोई जायदाद कभी प्राप्त नहीं की। अब इसके बारे में क्या करने का हुक्म आप देते हैं ?" इस पर रसूल-अल्लाह बोले–"अगर तुम चाहो तो तुम इस सम्पत्ति-संग्रह को यथावत रख सकते हो और उसकी उपज को सदक़े

के रूप में दे सकते हो। ... उमर ने उसे ग़रीबों के लिए, नज़दीकी रिश्तेदारों के लिए, गुलामों की मुक्ति के लिए और अल्लाह के रास्ते में तथा मेहमानों के लिए समर्पित कर दिया" (4006)।

क़ानूनी वारिसों के लिए दो-तिहाई

एक मृत व्यक्ति की जायदाद को मृतक की कई-एक अदायगियां पूरी करने के बाद बांटा जा सकता है, जैसे कि दफ़नाने का खर्च और मृतक के क़र्ज़ों की अदायगी। इस्लाम के सिवाय किसी और मज़हब को मानने वाले व्यक्ति को यह हक़ नहीं है कि वह किसी मुसलमान से कोई उत्तराधिकार पाए। इसी प्रकार कोई मुसलमान (किसी) ग़ैर-मुस्लिम का दाय-भाग ग्रहण नहीं कर सकता" (3928)। विरासत के एक अन्य सिद्धांत के अनुसार "एक मर्द दो औरतों द्वारा पाए जाने वाले भाग के बराबर है" (3933)।

मुहम्मद कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी जायदाद के सिर्फ़ एक-तिहाई भाग की ही वसीयत कर सकता है। बाक़ी दो-तिहाई क़ानूनी वारिसों को मिलना चाहिए। साद बिन अबी वक़्क़ास से मुहम्मद उनकी मृत्यु-शैय्या पर मिले। साद के सिर्फ़ एक बेटी थी। उन्होंने जानना चाहा कि क्या वे अपनी जायदाद का दो-तिहाई अथवा आधा सदक़े (दान) में दे सकते हैं। पैग़म्बर ने जवाब दिया–"एक तिहाई दो और वह बहुत काफ़ी है। अपने वारिसों को धनवान छोड़ना बेहतर है, बजाय इसके कि वे ग़रीब रहें और दूसरों से मांगते फिरें" (3991)।

क़र्ज़े

मुहम्मद मृतक के क़र्ज़ों के मामले में बहुत सतर्क थे। मृत व्यक्ति की संपत्ति में से उसके अंतिम संस्कारों के खर्च निकालने के बाद उसके क़र्ज़ों की अदायगी सबसे पहले की जाती थी। अगर उसकी संपत्ति क़र्ज़ों की अदायगी के लिए काफ़ी न हो तो चंदे से पैसा जुटाया जाता था। किन्तु लड़ाइयां जीतने के बाद मुहम्मद जब धनी हो गये तो क़र्ज़ वे अपने पास से चुकता कर देते थे। उन्होंने कहा–"जब अल्लाह ने जीत के दरवाजे मेरे लिए खोल दिये तो उसने कहा कि मैं मोमिनों के अधिक नज़दीक हूं, इसलिए अगर कोई क़र्ज़ छोड़कर मर जाता है तो उसकी अदायगी मेरी ज़िम्मेदारी है और अगर कोई जायदाद छोड़ कर मरे तो वह उसके वारिसों को मिलेगी" (3944)।

मुहम्मद की आख़िरी वसीयत

एक जुमेरात को जब उनकी बीमारी भयानक हो उठी, तो मुहम्मद ने कहा–"मैं तीन बातों के बारे में वसीयत करता हूं। बहुदेववादियों को अरब के

इलाक़े से निकाल बाहर करो, विदेशी प्रतिनिधियों की वैसी ही मेज़वानी करो जैसी मैं करता रहा हूं।" तीसरी बात हदीस सुनाने वाला भूल गया (4014)।

मुहम्मद अपने आख़िरी क्षणों में एक वसीयत भी लिखना चाहते थे। उन्होंने लिखने के उपकरण मांगते हुए कहा–"आओ, मैं तुम्हारे लिए एक दस्तावेज लिख जाता हूं। उसके बाद तुम गुमराह नहीं होगे।" लेकिन उमर ने, जो वहां मौजूद थे, कहा कि लोगों के पास क़ुरान पहले से ही है। उमर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि "अल्लाह की किताब हमारे लिए काफ़ी है", और मुहम्मद को उस नाजुक हालत में परेशान नहीं करना चाहिए। जब उनके बिस्तर के इर्द-गिर्द एकत्र लोग आपस में वाद-विवाद करने लगे तो मुहम्मद ने उनसे कहा–"उठो और बाहर चले जाओ" (4016)।

मुमकिन है कि उमर मृतप्राय व्यक्ति के प्रति सच्ची संवेदना से भर उठे हों। लेकिन बाद में अली के समर्थकों ने दावा किया कि मुहम्मद अपनी आख़िरी वसीयत में अली को अपना वारिस बनाना चाहते थे और उमर ने अबू बकर से सांठ-गांठ करके एक गंदी चाल द्वारा उन्हें ऐसा करने से रोक दिया।

प्रतिज्ञाएं और क़समें

बारहवीं और तेरहवीं किताबें क्रमशः प्रतिज्ञाओं (अल-नज़र) और क़समों (अल-ऐलान) पर है। यहां हम दोनों का साथ-साथ विचार करेंगे। मुहम्मद प्रतिज्ञाएं करने को नापसन्द करते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा "न तो (किसी काम को) जल्दी पूरा करने करने में मददगार होती और न ही (इसमें) रुकावट बनती है" (4020)। अल्लाह को किसी आदमी की प्रतिज्ञाओं की जरूरत नहीं। एक शख़्स ने एक बार प्रतिज्ञा की कि वह पैदल चल कर काबा जायेगा। तब मुहम्मद ने कहा–"अल्लाह इसके प्रति उदासीन है कि कोई अपने ऊपर कष्ट लाद रहा है।" और "उसे सवारी पर जाने का हुक्म दिया" (4029)।

मुहम्मद मोमिनों को लात या उज्जा या अपने पिताओं की क़सम खाने से भी मना करते हैं। वे कहते हैं–"बुतों की क़सम मत खाओ और न अपने पिता की" (4043)। लेकिन वे अल्लाह की क़सम खाने की अनुमति देते हैं, जिसके लिए ईसामसीह ने मना किया था। मुहम्मद कहते हैं कि "जिसे क़सम खानी हो उसे अल्लाह की क़सम खानी चाहिए" (4038)।

क़सम तोड़ना

जरूरत पड़ने पर खुद अल्लाह ने क़सम तोड़ देने की इजाज़त दी है। "अल्लाह ने पहले ही अपनी क़समें तोड़ देने की तुम्हें इजाज़त दे रखी है" (क़ुरान 66/2)।

ऐसी प्रतिज्ञा को जिसमें अल्लाह की नाफ़रमानी हो या जो ग़ैर-इस्लामी काम के लिए ली गयी हो, पूरा करना जरूरी नहीं है। मुस्लिम क़ानून के पंडितों में इस बात को लेकर मतभेद है कि जो प्रतिज्ञा अज्ञान की दशा में (अर्थात् इस्लाम क़बूल करने के पहले) की गई हो वह शिक्षा बाध्यकारी है या नहीं। कई-एक का मत है कि अगर वह प्रतिज्ञा इस्लाम की शिक्षा के खिलाफ़ न हो, तो उसे पूरा करना चाहिए।

कोई भी क़सम तोड़ी जा सकती है, विशेषकर तब जब कि क़सम खाने वाला कोई बेहतर काम करना चाहता हो। मुहम्मद कहते हैं "किसी ने क़सम ली, पर उससे कुछ बेहतर करने को पा गया तो उसे वह बेहतर काम करना चाहिए" (4057)। कुछ लोगों ने एक बार मुहम्मद से सवारी पाने की मांग की। मुहम्मद ने क़सम खायी–"क़सम अल्लाह की ! मैं तुम लोगों को सवारी नहीं दे सकता।" पर लोगों के चले जाने के फ़ौरन बाद उन्होंने उन लोगों को वापस बुलाया और उनसे सवारी के लिए ऊंट देने का प्रस्ताव किया। मुहम्मद ने समझाया–"जहां तक मेरा सम्बन्ध है, अल्लाह की क़सम ! अगर अल्लाह चाहे तो मैं क़सम नहीं खाऊंगा। पर अगर बाद में मैं कोई बात बेहतर समझूंगा, तो मैं ली हुई क़सम तोड़ दूंगा और उसका प्रायश्चित करूँगा और जो बेहतर है वह करूँगा (4044)।

"इंशा अल्लाह" की शर्त

अगर कोई क़सम लेते वक्त "अल्लाह ने चाहा तो" (इंशाअल्लाह) कह देता है तो वह प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करनी चाहिए। सुलेमान के 60 बीवियां थी। एक दिन उसने कहा–"मैं निश्चित ही इनमें से हरेक के साथ रात में मैथुन करूँगा और उनमें से हरेक एक मर्द बच्चे को जन्म देगी जो घुड़सवार बनेगा और अल्लाह के काम के लिए लड़ेगा।" लेकिन उनमें से सिर्फ़ एक गर्भवती हुई और उसने भी एक अधूरे बच्चे को जन्म दिया। मुहम्मद ने कहा–"अगर उसने इंशा अल्लाह कहा होता, तो वह असफल नहीं होता।" कई-एक अन्य हदीस भी ऐसा ही क़िस्सा बयान करती है। उनमें बीवियों की संख्या 60 से बढ़ कर 70 और फिर 90 हो जाती है (4066-4070)।

8

अपराध और दंड-विधान (क़सामाह, किसास, हदूद)

चौदहवीं, पन्द्रहवीं और सोलहवीं किताबें अपराध के विषय में हैं। अपराधों के प्रकार और उनकी कोटियां, उनकी छानबीन की प्रक्रिया और अपराध करने पर दिये जाने वाले दंडों की व्यवस्था इनमें वर्णित है।

मुस्लिम फ़िक़ह (क़ानून) दंड को तीन शीर्षकों में बांटता है–हद्द, क़िसास और ताज़ीर। हद्द (वहुवचन हदूद) में उन अपराधों के दंड शामिल हैं, जो क़ुरान और हदीस में निर्णीत और निरूपित किये गये हैं। ये दण्ड हैं–पथराव करके मारना (रज्म) जो कि परस्त्रीगमन (ज़िना) के लिए दिया जाता है; कुमारी-गमन के लिए एक-सौ कोड़े (क़ुरान 24/2-5); किसी "इज़्ज़तदार" स्त्री (हुसुन) के ख़िलाफ़ मिथ्यापवाद अर्थात् उस पर व्यभिचार का आरोप लगाने पर 80 कोड़े; इस्लाम छोड़ने (इर्तिदाद) पर मौत; शराब पीने (शुर्ब) पर 80 कोड़े; चोरी करने पर दाहिना हाथ काट डालना (सरीक़ा, क़ुरान 9/38-39); बटमारी-डकैती करने पर हाथ और पांव काट डालना; और डकैती के साथ हत्या करने पर तलवार से वध अथवा सूली।

(इस्लामी) कानून क़िसास अर्थात् प्रतिरोध की अनुमति देता हैं। इस की अनुमति सिर्फ़ उन मामलों में है, जहां किसी ने जान-बूझकर और अन्यायपूर्वक किसी को घायल किया हो, किसी का अंग-भंग किया हो अथवा उनकी हत्या की हो। और इसकी इजाज़त सिर्फ़ उसी अवस्था में है जब अपराधी और पीड़ित व्यक्ति की हैसियत एक-समान हो। गुलाम और काफिर, हैसियत की दृष्टि से, मुसलमानों की तुलना में हेय हैं। इसलिए अधिकांश मुस्लिम फ़क़ीहों (न्यायविदों) के अनुसार वे लोग क़िसास के अधिकारी नहीं हैं।

हत्या के मामलों में प्रतिरोध का हक़, मारे जाने वाले के वारिस को मिलता है। लेकिन वह वारिस इस हक़ को छोड़ सकता है और उसके बदले में रक्तपात-शोध (दियाह) स्वीकार कर सकता है। स्त्री की हत्या होने पर सिर्फ़ आधा दियाह ही देय होता है। यहूदी और ईसाई के मामले में भी आधा ही दियाह देय होता है। किन्तु क़ानून के एक सम्प्रदाय के अनुसार ईसाइयों और यहूदियों

के मामले में सिर्फ़ एक तिहाई दियाह देने की इजाज़त है। अगर कोई ग़ुलाम मार डाला जाता हैं, तो क़िसास और हरजाने का हक़ उसके वारिसों को नहीं मिलता। ग़ुलाम को सम्पत्ति का एक प्रकार माना गया है, इसलिए ग़ुलाम के मालिक को उसकी पूरी क़ीमत हरजाने के तौर पर दी जानी चाहिए।

अपराध और दंड के विषय में मुस्लिम क़ानून बहुत जटिल हैं। यद्यपि क़ुरान में एक सामान्य रूपरेखा मिलती है, दंड-विधान का मूर्त रूप हदीस में ही प्रकट होता है।

क़सामाह

चौदहवीं किताब "क़समों की किताब" (अल–क़सामाह) है। क़सामाह का शब्दशः अर्थ है "क़सम खाना।" लेकिन शरीयाह की पदावली में इसका अर्थ है एक विशेष प्रकार की तथा विशेष परिस्थितियों में ली जाने वाली क़सम। उदाहरण के लिए, कोई आदमी कहीं मार डाला गया पाया जाता है और उसको क़त्ल करने वाले का पता नहीं चलता। ऐसी स्थिति में जिस जगह वह मृत व्यक्ति पाया जाता है उसके पास के क्षेत्र से पचास व्यक्ति बुलाये जाते हैं और उन्हें क़सम खानी पड़ती है कि उन्होंने उस आदमी को नहीं मारा और न ही वे उसके मारने वाले को जानते हैं। इस क़सम से उन लोगों की निर्दोषिता साबित हो जाती है।[1]

लगता है कि इस्लाम-पूर्व अरब में यह प्रथा प्रचलित थी और मुहम्मद ने इसे अपना लिया। एक बार एक मुसलमान मरा पाया गया। उसके रिश्तेदारों ने पड़ोस के यहूदियों पर अभियोग लगाया। मुहम्मद ने रिश्तेदारों से कहा–"तुम में से पचास लोग क़सम खाकर उनमें से किसी व्यक्ति पर हत्या का अभियोग लगाओ तो वह व्यक्ति तुम्हारे सामने पेश कर दिया जायेगा।" उन्होंने क़सम खाने से इन्कार कर दिया, क्योंकि वे हत्या के गवाह नहीं थे। तब मुहम्मद ने उनसे कहा–"यदि पचास यहूदी क़सम खा लें तो वे निर्दोष मान लिये जाएंगे।" इस पर मुसलमानों ने कहा–"अल्लाह के पैग़म्बर ! हम ग़ैर-मोमिनों की क़सम को कैसे स्वीकार कर सकते हैं ?" इस पर मुहम्मद ने उस मारे गये व्यक्ति के एवज में सौ ऊंट रक्तपात-शोध के रूप में अपने निजी ख़जाने से दे दिए (4119-4125)।

1. यह विधान (बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट पर आधारित है। मूसा के क़ानून की यह व्यवस्था है कि जब कोई व्यक्ति किसी खुली जगह में मार डाला गया पाया जाये और हत्यारे की पहचान न हो सके, तब उस जगह के सबसे पास के क़स्बे के प्रमुख लोग एक किशोर बछड़े को पास के किसी बहते हुए सोते पर ले जाते हैं, वहां उसकी गर्दन मार देते हैं और फिर उसके ऊपर अपने हाथ धोकर घोषित करते हैं–"हमने यह रक्तपात नहीं किया, न ही हमारी आंखों ने रक्तपात होते देखा।" (डयूटरोनॉमी 21/1/9)।

एक दूसरी हदीस हमें स्पष्टतः बतलाती है कि अल्लाह के पैग़म्बर ने "क़सामा की प्रथा की इस्लाम-पूर्व के दिनों की तरह क़ायम रखा" (4127)।

मत-त्याग और विद्रोह के लिए मृत्युदंड

कोई भी व्यक्ति इस्लाम क़बूल करने के लिए पूरी तरह आजाद है। लेकिन उसे इस्लाम को छोड़ने की आजादी नहीं है। मत-त्याग–इस्लाम को छोड़ने–की सज़ा मौत है। छूट केवल इतनी है कि सज़ा में उसे जला कर मारने का विधान नहीं है। "एक बार लोगों के एक दल ने इस्लाम को त्याग दिया। अली ने उन्हें जला कर मार डाला। जब इब्न अब्बास ने इसके बारे में सुना तो वह बोला–"अगर मैं होता तो मैंने उन्हें तलवार से मारा होता, क्योंकि मैंने रसूल-अल्लाह को यह कहते सुना है कि इस्लाम का त्याग करने वाले को मार डालो, पर उसे जला कर मत मारो; क्योंकि पापियों को सज़ा देने के लिए आग अल्लाह का साधन है" (तिरमिज़ी, जिल्द एक, 1357)।[1]

उक्ल क़बीले के आठ लोग मुसलमान बन गये, और वे मदीना में आ बसे। मदीना की आबोहवा उन्हें मुवाफ़िक़ नहीं आयी। मुहम्मद ने उन्हें इजाज़त दी कि "सदक़ें के ऊंटों के पास जाओ और उनका दूध और पेशाब पीओ" (पेशाब को औषधि समझा जाता था)।[2] पैग़म्बर के नियन्त्रण से बाहर होते ही उन लोगों ने ऊंटों के रखवालों को मार डाला, ऊंट छीन लिए और इस्लाम त्याग दिया। पैग़म्बर ने एक टोह लेने वाले विशेषज्ञ के साथ बीस अंसार (मदीनावासी) उनके पीछे भेजे। विशेषज्ञ का काम उनके पदचिन्हों का पीछा करना था। मत त्यागने वाले वापस लाये गये। "उन्होंने (पाक पैग़म्बर ने) उन लोगों के हाथ और पांव कटवा दिए, उनकी आंखें निकलवा ली और उन्हें पथरीली ज़मीन पर फिंकवा दिया, जहां वे दम तोड़ते तक पड़े रहे" (4130)। एक दूसरी हदीस बतालाती है कि जब वे लोग तोड़ते पथरीली ज़मीन पर तड़प रहे थे "तब वे पानी मांग रहे थे, लेकिन उन्हें पानी नहीं दिया गया" (4132)।

अनुवादक क़ुरान की उस आयत का हवाला देते हैं, जिसके मुताबिक़ यह सज़ा दी गयी–"जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करें और मुल्क

1. अबू हुरैरा बतलाते हैं–"रसूल-अल्लाह ने हमें एक हमले पर भेजा। उन्होंने हमें आदेश दिया कि क़ुरैशों से मुठभेड़ हो तो हम दो क़ुरैशों को जला डालें। उन्होंने हमें उन दोनों के नाम बता दिये। लेकिन फिर जब हम रुख़सत के लिए उनके पास पहुंचे, तब वे बोले उन्हें तलवार से मार डालना, क्योंकि आग से सजा देना अल्लाह का एकाधिकार है।" (सही बुख़ारी शरीफ़, सही 1219)।

2. सदक़े में मुहम्मद को जो ऊंट मिलते थे, उनको मदीना के बाहर कुछ दूर पर चरने के लिये भेजा जाता था।

में फ़िसाद करने की कोशिश करें, उनकी उचित सजा यही है कि उन सबको क़त्ल कर दिया जाये अथवा उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाये अथवा उनके एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काट डाले जायें अथवा उन्हें मुल्क से निकाल दिया जाये" (क़ुरान 5/36)।

क़िसास

क़िसास का शाब्दिक अर्थ है "दुश्मन के पदचिन्हों का पीछा करना।" लेकिन क़ानून में उसका पारिभाषिक अर्थ है, बदले की सज़ा। आंख के बदले में आंखें, यह मूसा के क़ानून का लेक्स टेलीऑनिस अर्थात् बदला लेने का नियम है।

किसी यहूदी ने एक अंसार लड़की का सिर फोड़ दिया और वह मर गयी। मुहम्मद ने हुक्म दिया कि उस यहूदी के सिर को दो पत्थरों के बीच में दबाकर कुचल डाला जाये (4138)। पर एक दूसरे मामले में रक्तपात-शोध की व्यवस्था दी गयी। मुहम्मद के साथियों में से एक की बहन इस मामले में दोषी थी। उसने किसी के दांत तोड़ डाले थे। मामला मुहम्मद के पास पहुंचा। वे उस लड़की से बोले—"अल्लाह की किताब में इसकी सज़ा क़िसास है।" उसने बहुत मिन्नत की और तब पीड़ित व्यक्ति के नज़दीकी रिश्तेदारों को हर्जाने की रक़म दे देने के बाद लड़की को छोड़ दिया गया (4151)।

मुसलमान और मृत्युदंड

एक मुसलमान को जो "यह गवाही दे कि अल्लाह के सिवा अन्य आराध्य नहीं, और मैं (मुहम्मद) उस का रसूल हूँ" सिर्फ़ तभी मृत्यु-दंड दिया जा सकता है, जब वह शादीशुदा होते हुए परस्त्री-गामी हो, अथवा जब उसने किसी को मार डाला हो (अनेक इस्लामी न्यायविदों के अनुसार किसी मुसलमान को मार डाला हो) अथवा यदि उसने इस्लाम का त्याग किया हो (4152-4155) अनुवादक हमें बतलाते हैं कि इस्लाम के न्यायविदों में इस बात पर लगभग सहमति है कि इस्लाम त्यागने की सजा मौत है। जो लोग ऐसी सजा को बर्बर मानते हैं, उन्हें इसके बारे में अनुवादक की मार्जना और युक्ति पढ़नी चाहिए (टि० 2132)।

दियत (हर्जाना)

मुहम्मद ने रक्तपात-शोध की पुरानी अरब प्रथा को बरक़रार रखा (4166-4174)। अतएव जब एक औरत ने अपनी गर्भवती सौत को लाठी मारी और सौत का गर्भपात हो गया, तो उसके लिए मुहम्मद ने "उस गर्भ में जो था" उसके एवज में "सबसे बढ़िया क़िस्म के एक मर्द या औरत गुलाम" को हर्जाने के रूप

में निश्चित किया। उस औरत के एक मुखर रिश्तेदार ने हर्जाना माफ़ करने की पैरवी की और तर्क दिया कि "क्या हमें किसी ऐसे के लिए हर्ज़ाना देना चाहिए जिसने न कुछ खाया और न कोई शोर किया और जो न-कुछ के समान था।" मुहम्मद ने उसके एतराज को ठुकरा दिया और कहा कि वह "काफिया-बन्द मुहावरे बोल रहा है, जैसे कि रेगिस्तान के अरब बोलते रहते हैं (4170)।

हदूद

पन्द्रहवीं किताव में इस्लाम की दंड-संहिता, हदूद, का विवेचन है। इस पुस्तक को अहादीस क़ुरान अथवा सुन्ना में निरूपित दंड-विधान से संबंधित हैं। इनमें चोरी और मामूली डकैती के लिए अंगभंग की सजा, परस्त्री-गमन के लिए पत्थरों से मार डालने की सज़ा, कुमारी-गमन के लिए सौ करोड़ की सज़ा, शराब पीने के लिए भी अस्सी कोड़ों की सज़ा और इस्लाम छोड़ने पर मौत की सज़ा शामिल हैं। इन सब सज़ाओं का ज़िक्र पहले हो चुका है।

चोरी की सज़ा

आयशा बतलाती है—"अल्लाह के पैग़म्बर ने एक-चौथाई और उससे अधिक दीनार की चोरी करने वालों के हाथ काट डाले" (4175)। अबू हुरैरा, पैग़म्बर को यह कहते बतलाते हैं—"उस चोर पर अल्लाह की लानत है जो एक अंडा चुराता है और जिसका हाथ काट डाला जाता है। और उस चोर पर भी जो रस्सी चुराता है और उसका हाथ काट डाला जाता है" (4185)।

हदीस में क़ुरान की पुष्टि ही की गई है। क़ुरान में कहा है—"और जो चोरी करे, वह मर्द हो या औरत, उसके हाथ काट डालो। यह उनके किये की सज़ा और अल्लाह की तरफ से इबरत है। और अल्लाह सबसे जबर्दस्त और साहिबे-हिकमत (बुद्धिमान) है" (5/38)। अनुवादक दो पृष्ठ की एक लम्बी टिप्पणी देकर समझाते हैं कि "इस्लाम द्वारा विहित सामाजिक सुरक्षा की योजना को दृष्टि में रखते हुए ही क़ुरान चोरी के लिए हाथ काट डालने की सज़ा निर्धारित करता है" (टि० 2150)।

आयशा इसी तरह का एक और मामला बयान करती हैं। मक्का की विजय के अभियान के समय एक औरत ने कोई चोरी की। यद्यपि मुहम्मद की प्रिया उसामा बिन ज़ैद ने उसकी ओर से पैरवी की, तथापि उस औरत का हाथ काट डाला गया। आयशा कहती हैं कि "यह एक सही प्रायश्चित था" (4188)। अनुवादक हमें विश्वास दिलाते हैं कि इस सज़ा के बाद "उस औरत की आत्मा में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया" (टि० 2152)।

परस्त्री-गमन और कुमारी-गमन

परस्त्री-गमन की कड़ी सज़ा दी जाती है। उबादा ने पैग़म्बर को यह कहते सुना—"मुझ से शिक्षा लो, मुझसे शिक्षा लो। अल्लाह का हुक्म है ... जब एक अविवाहित पुरुष किसी अविवाहित स्त्री से जार-कर्म करता है तो उन दोनों को सौ-सौ कोड़े लगने चाहिए और एक एक साल के लिए देश निकाला दे दिया जाना चाहिए। और जब कोई विवाहित पुरुष किसी विवाहिता स्त्री से व्यभिचार करे तो उन दोनों को सौ-सौ कोड़े लगाये जाएं और पथराव करके मार डाला जाए" (4191)।

उमर इसमें अपनी हिमायत जोड़ते हैं—"अल्लाह ने मुहम्मद को सच्चाई लेकर भेजा और उसने (अल्लाह ने) उन पर किताब उतारी और जो (किताब) उतारी गई उसमें पथराव करके मार डालने वाली आयत शामिल की गयी।" उमर का आग्रह इसलिए है कि क़ुरान में केवल परस्त्री-गमन के लिए कोई दंड निर्धारित नहीं है। उसमें अपेक्षाकृत एक व्यापक कोटि के अपराध, ज़िना के लिए एक दंड निर्धारित है। ज़िना का मतलब है ऐसे दो पक्षों के बीच मैथुन जो परस्पर विवाहित न हों। इस अर्थ में जिना में परस्त्री-गमन और कुमारी-गमन दोनों ही शामिल हैं। और दोनों के लिए एक-सौ कोड़ों की सज़ा हैं। पर पथराव करके मार डालने की सज़ा क़ुरान में नहीं है। वह सज़ा सुन्ना में विहित है। क़ुरान का कथन है—"वेश्यावृत्ति करने वाली औरत और वेश्यागमन करने वाला मर्द, दोनों में से हरेक को सौ कोड़े मारे जाएं" (24/2)।

उमर को आशंका थी कि लोग सुन्ना की उपेक्षा कर सकते हैं और परस्त्री-गमन पर अपेक्षाकृत सौम्य दंड पाने के लिए क़ुरान का हवाला दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ज़ोर देकर कहा—"मुझे डर है कि समय बीतने पर लोग इसे भूल जायेंगे कि हमें अल्लाह की किताब में पत्थर से मार डालने की सज़ा नहीं मिलती और इस प्रकार वे अल्लाह द्वारा निर्धारित फ़र्ज़ को भुला कर गुमराह हो जाएंगे। अल्लाह की किताब में शादीशुदा मर्दों और औरतों को व्यभिचार करने पर पथराव करके मार डालने की सज़ा निर्दिष्ट है" (4194)।

परस्त्री-गमन क़बूल करना

कई-एक क़िस्से क्रूर हैं। माइज नाम का एक आदमी मुहम्मद के पास आया और उनसे बोला कि उसने परस्त्री-गमन किया है। उसने चार बार यह बात क़बूल की। चार बार क़बूल करने का अर्थ है वे चार गवाहियां पेश करना जो परस्त्री-गमन के मामले में विहित है। यह जान लेने के बाद कि व्यक्ति शादीशुदा है और पागल नहीं है, मुहम्मद ने उसे पथराव द्वारा मारे जाने का हुक्म दिया।

इस हदीस के कहने वाले जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि "उस पर पथराव करने वालों में मैं भी एक था।" (4196)।

इस घटना के बाद मुहम्मद ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया—"होशियार! जब हम अल्लाह की सेवा में जिहाद पर निकलें, और तुममें से कोई पीछे रह जाए और किसी बकरे की तरह मिमियाने लगे और थोड़ा-सा दूध दे दे, तो अल्लाह की क़सम ! मैं उसे पकड़ लूंगा और उसे जरूर सज़ा दूँगा।" (4198)। अनुवादक स्पष्ट करते हैं कि बकरे और दूध के रूपक में पैग़म्बर का आशय है यौन-लिप्सा और वीर्य।

ऐसा ही क़िस्सा एक औरत का हुआ। वह अज़्द नामक क़बीले की एक शाखा, गामिद, में से थी। वह मुहम्मद के पास आयी और उनसे बोली की वह व्यभिचार करने के फलस्वरूप गर्भवती हो गई है। बच्चे को जन्म देने तक उसे बख़्श दिया गया। एक अंसार ने बच्चे के पोषण की जिम्मेदारी ले ली और "तब वह औरत पथराव करके मार डाली गयी" (4125)। एक दूसरी हदीस बतलाती है कि यह पथराव किस प्रकार गया—"उसे छाती तक गहरे एक गडढे में खड़ा किया गया और उन्होंने (मुहम्मद ने) लोगों को हुक्म दिया, और लोगों ने उस पर पत्थर बरसाये" (4206)। अन्य अहादीस बतलाती हैं कि पैग़म्बर ने पहला पत्थर खुद फेंका।

कुमारी-गमन और परस्त्री-गमन को एक-साथ जोड़ना

ज़िना के ऐसे मामले में जिसमें एक पक्ष विवाहित हो और दूसरा अविवाहित, पहले पक्ष को जार-कर्म के लिए सज़ा दी जाती है और दूसरे को व्यभिचार के लिए। अबू हुरैरा, एक ऐसे मामले का बयान करते हैं जिसमें रेगिस्तानी क़बीले का एक मर्द और एक औरत शामिल थे। एक नौजवान कुंवारे ने किसी परिवार में घरेलू नौकर का काम पाया और उसने मालिक की बीबी से ज़िना किया। नौजवान के पिता ने हर्ज़ाने के रूप में एक-सौ बकरी और एक बांदी दे दी। पर जब मामला मुहम्मद के सामने लाया गया तो उन्होंने "अल्लाह की किताब के मुताबिक" फैसला दिया। उन्होंने हुक्म सुनाया कि बांदी और बकरियां लौटा दी जायें और नौजवान को व्यभिचार की सज़ा दी—"एक-सौ कोड़े और एक साल के लिए देश निकाला।" शादीशुदा औरत को जार-कर्म की सज़ा दी गयी।" अल्लाह के पैग़म्बर ने उसे दंड सुनाया और उसे पथराव करके मार डाला गया" (4029)।

सज़ा के नमूने

ये मामले भविष्य में दी जाने वाली सज़ा के नमूने प्रस्तुत करते हैं। जब किसी औरत को पथराव करके मारना होता है, तो उसके लिए छाती तक गहरा गड्ढा खोदा जाता है, जैसा कि ग़ामिद क़बीले की औरत के मामले में किया गया था, ताकि नंगी देह लोगों को न दिखे और देखने वाली भीड़ की शराफ़त बरक़रार रहे। मर्द के लिये ऐसा कोई गड्ढा खोदना जरूरी नहीं है। परस्त्री-गमन क़बूल करने वाले माइज़ के मामलें में कोई गड्ढा नहीं खोदा गया था।

पथराव गवाहों द्वारा शुरू किया जाता है। उसके बाद इमाम अथवा क़ाजी पत्थर मारता है और फिर वहां उपस्थित मोमिन लोग पथराव करते हैं। लेकिन अपराध को क़बूल करने वाले पर पहला पत्थर इमाम या क़ाजी फेंकता है, क्योंकि ग़ामिदिया औरत के मामले में पैग़म्बर ने ऐसा किया था। भीड़ उसका अनुसरण करती है। दरअसल क़ुरान और सुन्ना में मोमिनों को प्रेरणा दी गई है कि वे सज़ा देखने और देने में हिस्सा लें। व्यभिचार की सजा का विधान देते हुए क़ुरान कहता है–"अल्लाह के महज़ब में दयाभाव को दख़्ल मत देने दो ... और मोमिनों के एक दल को उनकी यातना का गवाह बनने दो।"

मूसा की एक प्रथा का पुनरुद्धार

पथराव करके मार डालने (रज्म) की प्रथा मूसा-विहित है। ओल्ड टेस्टामेंट में परस्त्री-गमन और कुमारी-गमन के लिए यही दंडविधान है (ड्यूरोनॉमी 22/19-23)। और उन लोगों के लिए भी यही दंडविधान है जो "अन्य देवताओं की आराधना करते हैं" (ड्यूटरोनॉमी 13/10)। मुहम्मद ने परस्त्री-गमन के लिए इस सज़ा को क़ायम रखा, किन्तु मतत्याग जैसे अपराधों के लिए अन्य तरीक़ों से मारने का विधान बनाया।

मुहम्मद का समय आते-आते यहूदियों में पथराव द्वारा मारने की प्रथा बन्द हो चली थी। एक हदीस के अनुसार एक जोड़ा यहूदी मर्द-औरत, मुहम्मद के पास लाये गये। उन्होंने जार-कर्म किया था। मुहम्मद ने यहूदियों से पूछा कि उनके तौरात में ऐसे अपराधों की क्या सज़ा बताई गयी है। यहूदियों ने जवाब दिया–"हम अपराधियों के मुंह काले कर देते हैं, फिर उनके मुंह पीछे की तरफ फेर कर गधे पर उनकी सवारी निकालते हैं।" मुहम्मद ने कहा–"तौरात लाओ" उसमें पथराव करके मार डालने की सज़ा का विधान मिला। इसलिए "अल्लाह के पैग़म्बर ने यह फैसला सुनाया कि उन दोनों को पथराव करके मार डाला जाये और उन्हें इसी तरह मार डाला गया।" यह बतलाते हुए उमर के बेटे अब्दुल्ला आगे कहते हैं–"उन पर पथराव करने वालों में एक मैं था और मैंने देखा कि (यहूदी मर्द) उस (यहूदी औरत) की देह को अपनी देह से बचा रहा था" (4211)।

एक दूसरी हदीस इसी घटना का ज़्यादा ब्यौरा देती है। यहूदियों ने दो अभियुक्तों को मुहम्मद के पास भेजा और साथ में जाने वाले अपने मुखिया लोगों से कहा–"मुहम्मद के पास जाओ। अगर वह चेहरा काला करने और कोड़े लगाने की सज़ा सुनाये तो मान लेना। पर अगर पथराव करके मार डालने की सज़ा सुनाये तो उसकी उपेक्षा करना।" तौरात की व्यवस्था को सौम्य बनाने की इस कोशिश से मुहम्मद को बहुत दुःख हुआ। लेकिन अल्लाह ने उन्हें सान्त्वना दी–"ऐ पैग़म्बर ! जो लोग सच से मुकरने में होड़ लगाते हैं उनके व्यवहार से तुम को दुखी नहीं होना चाहिए" (क़ुरान 5/41)। अल्लाह ने मुहम्मद से यह भी कहा कि "वे लोग जो अल्लाह के इलहाम के अनुसार फ़ैसले नहीं करते, वे वस्तुतः ग़लत काम करने वाले हैं और अन्यायी हैं" (5/45, 47)। उस मर्द और उस औरत को मुहम्मद के हुक्म से पथराव करके मार डाला गया। इस पर मुहम्मद बहुत खुश हुए, और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया–"ऐ अल्लाह ! जब उन लोगों ने तुम्हारे हुक्म को रद्द कर डाला था, उस समय उसका पुनरुद्धार करने वाला पहला व्यक्ति मैं हूँ" (4214)।

ज़िना करने वाली बांदी

बांदियों द्वारा किए गए ज़िना के मामले में कुछ रियायत बरती गयी। एक गुलाम औरत अगर विवाहिता हो तो भी ज़िना करने पर उसे पथराव करके नहीं मारा जाता और अगर वह अविवाहिता हो तो उसे सिर्फ़ आधी सज़ा (पचास कोड़े) मारे जाते हैं। अगर कोई गुलाम लड़की कुंआरी हैं और "ज़िना करती है तो उसे कोड़े लगाओ और वह अगर फिर ज़िना करती है, फिर कोड़े लगाओ और उसे बालों की बनी एक रस्सी के एवज तक में बेच डालो" (4221)।

कोड़े लगाना मुलतवी किया जा सकता है

यदि कोई स्त्री हाल की जच्चा हो और यह आशंका हो कि कोड़े मारने में वह मर जायेगी तो "जब तक वह दुरुस्त न हो जाये" तब तक के लिए उसे छोड़ा जा सकता है (4225)।

अली कहते हैं–"ऐ लोगो ! अपने गुलामों को वह सज़ा दो जो निर्धारित है। वे शादीशुदा हों या न हों। क्योंकि एक गुलाम औरत ने, जो अल्लाह के पैग़म्बर की थी, ज़िना किया तो पैग़म्बर ने उसे कोड़े मारने का हुक्म मुझे दिया। लेकिन उसने हाल ही में बच्चा जना था और मुझे डर था कि कोड़े मार कर उसे मार

डालूंगा। इसलिए मैंने अल्लाह के पैग़म्बर को यह बात बता दी। उन्होंने कहा कि तुमने ठीक किया" (4224)। पैग़म्बर एक दयालु व्यक्ति थे।

इस हदीस के आधार पर मुस्लिम न्यायविद यह बतलाते हैं कि कोड़े मारने का काम, सज़ा भोगने वाले की शारीरिक दशा के अनुरूप, कई दिन तक क़िश्तों में पूरा किया जा सकता है। और अगर सज़ा पाने वाला बीमार हो तो जब तक वह तंदुरुस्त न हो जाये तब तक के लिए कोड़ों की पिटायी टाली जा सकती है।

शराब पीने की सज़ा

शराब पीने की सज़ा भी ऐसी ही सख़्त है। मुहम्मद ने "दो कोड़ों द्वारा चालीस चोटों" का विधान दिया था। अबू बकर ने भी ऐसा ही किया। लेकिन उमर ने अस्सी चोटों की व्यवस्था दी, (4226)।

शराब पीने के अभियोग में एक आदमी तीसरे खलीफ़ा उस्मान के सामने लाया गया और उस्मान ने अली को हुक्म दिया कि उसे कोड़े लगाएं। अली ने हसन को और हसन ने अब्दुल्ला बिन जाफ़र को यह काम सौंपा। जब अब्दुल्ला कोड़े लगा रहे थे तो अली गिनती कर रहे थे। जब चोटों की संख्या चालीस तक पहुंच गयी, तब अली ने कहा–"रुक जाओ। अल्लाह के पैग़म्बर ने चालीस चोटें कही थीं और अबू बकर ने भी चालीस कही, और उमर ने अस्सी चोटें कही और ये तीनों ही विधान सुन्ना के अंतर्गत हैं। लेकिन मुझे यही (चालीस चोटें) पसंद हैं" (4131)।

ताज़ीर

क़ुरान और हदीस में हदूद के दण्ड बतलाए गए हैं। लेकिन दण्ड की एक कोटि है जिसे ताज़ीर कहा जाता है और जिसमें न्यायाधीश अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। ऐसे मामलों में "किसी को दस से ज्यादा कोड़े नहीं लगाए जाने चाहिए" (4234)। लेकिन बाद के मुस्लिम न्यायविदों की राय अलग है। वे मानते हैं कि जुर्म की संगीनी के हिसाब से कोड़ों की सज़ा तय की जानी चाहिए।

सज़ा में भी पुरस्कार है

आखिर में मुहम्मद मोमिन को विश्वास दिलाते हैं कि अगर उसने जुर्म किया और उसे "सज़ा सुनायी गयी और उसे सज़ा दी गयी तो यह उसके पाप का प्रायश्चित है" (4237)।

क़ानूनी फैसले

सोहलवीं किताब क़ानूनी फैसलों (अक़्दिय्या) के विषय में छोटी-सी किताब है और इसमें सुचारु न्यायाधीश और एक सुचारु साक्षी के गुण वर्णित हैं। एक न्यायाधीश को "उस समय दो व्यक्तियों के बीच इंसाफ़ नहीं करना चाहिए जब वह कोपाविष्ट हो" (4264)। अगर वह सुचारु रूप से काम करता है और सही फ़ैसला देता है तो उसे दो इनाम मिलेंगे। अगर सुचारु रूप से काम करते हुए उससे कुछ चूक हो जाती है, तो भी उसे एक इनाम तो मिलेगा ही (4161)। सुचारु गवाह वह है जो "मांगे जाने से पहले ही गवाही दे देता है" (4268)।

क़ुरान के मुताबिक़ एक औरत की गवाही (शहादत) का एक पुरुष की गवाही से आधा वजन होता है (2/282)। सम्पत्ति या क़र्ज के किसी विवाद में दो मर्दों की गवाही हो अथवा एक मर्द और दो औरतों की। हदूद से जुड़े मामलों में औरत की गवाही बिल्कुल नहीं मानी जाती। इसी तरह इस्लामी अदालत में किसी यहूदी, ईसाई अथवा ग़ैरमोमिन की गवाही पर विचार नहीं किया जाता।

इस किताब में कुछ अन्य मुद्दों पर भी विचार किया गया है। उनका क़ानूनी फैसलों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जैसे कि मेज़बानी। मुहम्मद कहते हैं कि व्यक्ति को मेहमानों की मेज़बानी करनी चाहिए, पर फिर विवेक से काम लेते हुए जोड़ते हैं–"मेज़बानी तीन दिन तक हो। उसके बाद वह सदक़ा (दान) है" (4286)।

दंड से मुक्त अपराध

अपराध और दंड के इस्लामी क़ानून अविचल और अटल दिखते है। लेकिन ऐसा है नहीं। मौलाना मुहम्मद मतीन हाशमी की किताब "इस्लामिक हदूद" हाल ही में पाकिस्तान से छपी है। कुछ लोगों के मत में यह पुस्तक एक ऐसा गुटका है जो सिखलाता है कि इस्लामी क़ानून की आँखों में धूल झोंक कर चोरी कैसे की जाए। हाशमी कहते हैं कि कई चीजों की चोरी, जैसे किताबों, पक्षियों और रोटियों की चोरी, इस्लामी क़ानून में विचार का विषय नहीं है। ताजी सब्जियां, फल, ईंधन, गोश्त, मुर्गी और संगीत के वाद्ययंत्र, बिना दंड-भय के चुराये जा सकते हैं। ईटें, सीमेंट, संगमरमर, कांच, चटाइयां और दरियां मस्जिदों से चुराने पर तथा माल से लदे हुए ऊंट और व्यापार-केन्द्रों से माल चुराने पर किसी दंड का विधान नहीं है (प्रे. ट्र.इं., 15 नवम्बर, 1981)।

✤✤✤

9

मजहबी युद्ध (जिहाद)

सत्रहवीं किताब "मज़हबी लड़ाइयों और चढ़ाइयों" की किताब (किताब अल-जिहाद वल-सियार) है।

जिहाद इस्लाम में दैवी विधान द्वारा स्थापित संस्था है। अनेक इस्लामी विद्वान इसे इस्लाम के आधारस्तम्भों में से एक मानते हैं। पंथ-मीमांसा की दृष्टि से विचार करें तो जिहाद की अवधारणा एक असहिष्णु विचार हैं, जिसमें अल्लाह नाम का एक क़वायली देवता युद्ध में मिली विजय के बल पर सार्वभौम बनने की कोशिश करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह संस्था मज़हबी मुहावरों में छुपी हुई एक साम्राज्यवादी लिप्सा थी।

तीन विकल्प

जिन लोगों को मुहम्मद ने अपने छापामार दस्तों और सैनिक टुकड़ियों का मुखिया बनाया, उनसे कहा–"अल्लाह के नाम पर लड़ो और अल्लाह के रास्ते में लड़ो। जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, उनसे मुक़ाबला करो। मज़हबी लड़ाई लड़ो। लड़ाई की लूट के माल में ग़बन मत करो।" मुहम्मद ने उनसे यह भी कहा कि अपने दुश्मनों को तीन विकल्पों में से एक चुनने की छूट दो–"उन्हें इस्लाम क़बूल करने को कहो। अगर वे इसके लिए तैयार हों तो उन्हें स्वीकार कर लो ...फिर उन्हें इलाक़ा छोड़कर मुहाजिरों के इलाक़े में आ कर बसने का न्यौता दो (मुहाज़िरों का इलाक़ा अर्थात् मदीना। मदीना में मुहम्मद के निवास के शुरू से ही वहां रहने का मतलब था इस्लाम क़बूल कर लेना और मुहम्मद के प्रति वफ़ादार बन जाना)। और उन्हें बता दो कि अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें मुहाजिरों के सभी विशेषाधिकार मिलेंगे और फ़र्ज़ निभाने पड़ेंगे। अगर वे यहां आ कर बसने से इनकार करते हैं तो उन्हें बता दो कि उनकी हैसियत बद्दू मुसलमानों जैसी होगी। वे दूसरे मुसलमानों की तरह अल्लाह के हुक्म के अधीन होंगे, लेकिन उनकी लड़ाई की लूट के माल में या फ़ई में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा ... अगर वे इस्लाम क़बूल करने से इनकार करते हैं तो उनसे जज़िया मांगो ... अगर वे जज़िया देने से इनकार करते हैं, तो अल्लाह की मदद मांगो और उनसे लड़ो" (4294)। अल्लाह, लड़ाई की लूट का माल और जज़िया–तीनों को कुशल और लाभदायक ढंग से एक साथ गूंथ दिया गया।

बिना चेतावनी के हमला

यह हमेशा जरूरी नहीं है कि चेतावनी दी जाये या हमले के पहले विकल्प सुनाए जायें। जरूरत पड़ने पर इस व्यवस्था की अवज्ञा की जा सकती है। सैनिक विजय, लूटपाट और विध्वंस के बाद मज़हबी मतान्तरण आसान हो जाता है–"अल्लाह के पैग़म्बर ने बनू मुस्तलिक़ पर उस समय हमला किया जब वे असावधान थे और उनके ढोर पानी पी रहे थे। जो लड़े उनको पैग़म्बर ने मार डाला और बाक़ी को क़ैद कर लिया" (4292)।

युद्ध तथ प्रेम में सब कुछ जायज़ है, विशेषकर अल्लाह के लिए लड़े गये युद्ध में। जैसा कि पैग़म्बर फ़रमाते हैं, "युद्ध एक कौशल है" (4311) अथवा, जैसा कुछ दूसरे लोगों ने उसका अनुवाद किया है, "लड़ाई एक मक्कारी है।"

बहुदेववादियों के बच्चे

जिहाद में शत्रुपक्ष के सभी शस्त्रधारी पुरुषों का वध कर दिया जाता है। लेकिन मुहम्मद ने "औरतों और बच्चों का वध मना कर दिया" (4319)। आम तौर पर उन्हें क़ैद कर लिया जाता है और बाद में गुलाम बना लिया जाता है या बेच दिया जाता है या फिर छुड़ाई लेकर छोड़ दिया जाता है। पर अगर वे भी जायें तो छाती पीटने का कोई कारण नहीं। साब बिन जस्सामा ने मुहम्मद से कहा–"अल्लाह के रसूल ! हमने रात के छापों में बहुदेववादियों के बच्चों को मार डाला। वे (मुहम्मद) बोले–वे उनके थे" (4223)।

पेड़ जलाने की मार्जना

मदीना के पड़ौस में रहने वाले बनू नज़ीर नामक यहूदी क़बीले को मुहम्मद ने घेर लिया और हुक्म दिया कि उनके खजूर के पेड़ "जला डाले जायें और काट ड़ाले जायें।" खजूर के पेड़ों को नष्ट करना अरब में एक पापकर्म समझा जाता था। इसलिए मुहम्मद के हुक्म ने अरबों में तहलका मचा दिया। इस पर मुहम्मद के मुख से अल्लाह तुरन्त बोल उठे–"खजूर के जो दरख़्त तुमने काट ड़ाले या अपने तनों पर खड़े रहने दिये, वह अल्लाह के हुक्म से हुआ ताकि अल्लाह नाफ़रमानों को रुसवा करे" (क़ुरान 59/5; हदीस 4324)।

इस इलहाम की मदद से मज़बूत होकर उन्होंने हिजरा के आठवें साल में अतताईफ़ पर हमला करके दुश्मन के मशहूर उद्यानों में अंगूर की लताएं काट डालीं और जला डालीं। युद्ध की नयी संहिता में यह मुहम्मद का एक और योगदान था, जिसे अरब लोग इसके पहले नहीं जानते थे।

लड़ाई की लूट का माल

काफिरों और बहुदेववादियों की लूटपाट मुस्लिम मज़हब का मर्मस्थान है। यह लूट सदियों तक उम्मा की अर्थ-व्यवस्था का मुख्य आधार रही। अल्लाह ने मुसलमानों के लिए लड़ाई की लूट का माल जायज़ क़रार दिया। क़ुरान कहता है–"लड़ाई में जो लूट मिली है उसे खाओ। तुम्हारे लिए वह हलाल है और पाक है" (क़ुरान 8/69)।

एक हदीस बतलाती है कि लूट का माल विशेष तौर पर उम्मा के लिए जायज़ क़रार दिया गया था–"हम से पहले किसी भी जनसमवाय के लिए लूट का माल जायज़ नहीं था। अल्लाह ने हमारी कमज़ोरी और आजिज़ी को देखकर हमारे लिए लूट के माल को हलाल कर दिया" (4327)।

बंटवारा

लूट का माल मूलतः अल्लाह और उसके रसूल का होता है। "वे तुमसे लड़ाई की लूट के बारे में पूछते हैं। उनसे कह दो, लूट का माल अल्लाह और उसके रसूल के लिए है" (क़ुरान 8/1)। लेकिन मुजाहिद सिर्फ अल्लाह का नाम लेकर निर्वाह नहीं कर सकता। फिर उसे अल्लाह की मेहरबानी पर भरोसा भी होना चाहिए। इसलिए उसे प्रेरणा देने के लिए लूट के माल में हिस्सा दिया जाता है। अनुवादक समझाते हैं–"मुजाहिद न्याय के पक्ष में और इस्लाम की जीत के लिए लड़ता है, और इस लड़ाई में अगर वह लूट के माल में कुछ हिस्सा पा जाता है तो यह उसके ऊपर विशेष कृपा है" (टि० 2229)।

क़ुरान के अनुवादक और टीकाकार, अब्दुल्ला युसुफ़ अली, इस आयत की टीका करते हुए इस विषय को और भी अधिक स्पष्ट कर देते हैं। वे कहते हैं–"एक जायज़ और न्यायपूर्ण लड़ाई में जो लूट का माल हासिल होता है, वह किसी व्यक्ति का नहीं होता। अगर कोई किसी अन्य लाभ के लिए लड़ा, तो ग़लत इरादे से लड़ा। लूट का माल ध्येय के आधीन होता है जो इस प्रसंग में अल्लाह का ध्येय वह है जो कि उसके रसूल ने निरूपित किया है। इस लूट के माल में से व्यक्तियों को जो भी हिस्सा दिया जाता है, वह उनके लिए एक अतिरिक्त उपहार है, सेनापति की मेहरबानी से मिलने वाला अप्रत्याशित लाभ है।"[1]

एक प्रबल प्रेरणा

नैतिक दम्भ से भरे वागाडम्बर के बावजूद पार्थिव प्रेरणाएं प्रस्तुत करनी ही पड़ती थी। लूट का लालच एक प्रबल प्रेरणा थी, जो मज़हबी मुहावरेबाज़ी से

1. ग्लोरियस क़ुरान, अनुवादक अब्दुल्ला यूसुफ अली (क़ाहिरा, दारल-किताब अल-मसरी, 0934)।

और भी प्रबल हो गयी। वस्तुतः मुहम्मद ने इस प्रेरणा को पूरी तरह तृप्त किया और इसके द्वारा लोगों को लगातार उकसाया। मुहम्मद ने मोमिनों को याद दिलाया कि उन्होंने (मोमिनों ने) किस तरह दुश्मन के "एक हिस्से को क़त्ल किया और दूसरे को क़ैदी बनाया" और किस प्रकार अल्लाह ने "उनकी (दुश्मनों की) ज़मीनें, उनके मकान और उनकी जायदाद विरासत के तौर पर (मोमिनो को) बख़्शी" (क़ुरान 33/26-27)।

मुहम्मद अपनी बात के पक्के थे। कुछ महीनों के भीतर उन्होंने ख़ैबर पर चढ़ाई की जिसे उन्होंने अचानक धर दबोचा। वहाँ पर मिली लूट का माल बहुत विपुल था। पर मुहम्मद ने उसे सिर्फ़ उन लोगों में बांटा जिन्होंने पिछले मौक़े पर उनका साथ दिया था।

मुहम्मद पर लूट का माल छिपाने का आरोप

लूट का माल बहुत स्वागत करने योग्य था। लेकिन उसके वितरण की प्रक्रिया कदाचित् ही आसान होती थी। बंटवारे के समय काफी हो-हल्ला मचता था। उस समय के माहौल में भरी रहती थी अपेक्षाएं, उत्तेजनाएं, दावे, शिकायतें, तूतू-मैंमैं, संशय और आरोप-प्रत्यारोप। यहाँ तक कि एक बार खुद मुहम्मद पर लूट का माल छिपाने का आरोप लगाया गया (तरमिज़ी, जिल्द 2 हदीस 868) और तब लोगों के संशय को शांत करने के लिए दैवी हस्तक्षेप की जरूरत पड़ी। अल्लाह बोले–"ऐसा नहीं हो सकता कि पैग़म्बर ठगें अथवा अमानत में ख़यानत करें। यदि कोई व्यक्ति धोखा करता है तो क़यामत के रोज़ उसे अल्लाह के सामने हिसाब देना होगा" (क़ुरान 3/16)। इस आयत की टीका करते हुए "ग्लोरियस क़ुरान" के अनुवादक अब्दुल्ला यूसुफ अली हमें आश्वस्त करते हैं

कि "उन कमीने आरोपों पर कभी किसी समझदार आदमी ने भरोसा नहीं किया और आज हमें उनमें क़तई दिलचस्पी नहीं है" (टि० 472)।

लूट के माल का बंटवारा हमेशा एक रोष जगाने वाला प्रसंग होता था। इब्न इसहाक़ बतलाते हैं कि हुनैन पर क़ब्ज़े के बाद एक बार लोगों ने मुहम्मद को घेर लिया और उन्हें धकियाने लगे। घेरने वाले मुजाहिदों ने मांग की कि "हमारे द्वारा लूटे हुए ऊंट और भेड़ें हमारे बीच बांट दो।" मुजाहिदों ने मुहम्मद को धक्का देते हुए उन्हें एक पेड़ से सटा दिया और उनका लबादा झटक लिया। मुहम्मद चीख़ उठे–"मेरा लबादा वापस करो। अल्लाह की क़सम ! अगर मेरे पास तिलहन के पेड़ों (की संख्या) के बराबर भी भेड़ें हों, तो मैं उन सब को तुम में बांट दूंगा। तुमने कभी भी मुझे कंजूस या क़ायर या झूठा नहीं पाया।"[1]

अल-ग़नीमा और फ़इ

युद्ध में मिली लूट के दो रूप हैं–अल-ग़नीमा और फ़इ। अल-ग़नीमा लूट का वह माल है जो सशस्त्र संघर्ष के बाद मुसलमानों के हाथ लगता है। फ़इ वह माल है, जो ग़ैरमुस्लिम लोग बिना लड़े ही मुसलमानों को सौंप दें। "अगर तुम किसी शहर में जाओ जहां के लोगों ने बिना लड़ाई के समर्पण कर दिया हो, और तुम वहां रहो, तो वहां प्राप्त संपत्ति में (इनाम के रूप में) तुम्हारा हिस्सा होगा। अगर कोई शहर, अल्लाह और उनके पैग़म्बर की अवज्ञा करता है (मुसलमानों से लड़ता है) तो उससे छीनी गयी लूट का पंचमांश अल्लाह और उनके रसूल के लिए है और बाक़ी तुम्हारे लिए" (4346)।

लूट के बंटवारे के इस सिद्धांत की पुष्टि क़ुरान की इस आयत में हैं–"जान रखो कि जो कुछ तुमने लूट (ग़नीमा) के रूप में प्राप्त किया है, उसमें से पांचवां हिस्सा (ख़म्स) अल्लाह का है, उसके रसूल का है, रसूल के परिवार का है, यतीमों, मोहताजों और मुसाफ़िरों का है ..." (क़ुरान 8/41)।

दूसरी ओर बिना लड़ाई के जो माल हासिल होता है, वह फ़इ है और वह पूरा का पूरा पैग़म्बर का है। ख़म्स को मिला कर वह पूरी तरह पैग़म्बर के अधीन है। फ़इ शब्द और उसका सिद्धांत क़ुरान में निर्देशित है–"जो माल (अफ्फ़ा) अल्लाह ने अपने पैग़म्बर को शहर के लोगों से दिलवाया है वह अल्लाह, उसके पैग़म्बर, पैग़म्बर के परिवार, यतीमों, मोहताजों और मुसाफ़िरों का है" (क़ुरान 59/7)। यह व्यवस्था इस दैवी सिद्धांत से निकली है कि ग़ैर-मोमिनों की सारी सम्पत्ति मुहम्मद और उनके परिवार के पास पहुंचनी चाहिए और जब वे न रहें, तब सर्वसाधारण मुसलमानों के पास पहुंचनी चाहिए।

1. सीरत रसूल-अल्लाह, पृष्ठ 594

समय पा कर, लूट के माल के बंटवारे और फ़इ के इस्तेमाल के बारे में फ़िक़ह (मुस्लिम क़ानून) के विभिन्न संप्रदायों ने एक संहिता बनाई। इस संहिता के अनुसार किसी भी मुस्लिम विजेता के लिए काफ़िरों के पास कुछ भी छोड़ना नाजायज़ माना गया। उनकी सारी जायदाद का हरण होना चाहिए और उसके पांच हिस्सों में से चार हिस्से सैनिकों के बीच बांट दिये जाने चाहिए। सेना को पीछे हटना पड़े तो ऐसी संपत्ति को जो साथ ढोयी न जा सकती हो, जिसमें ढोर भी शामिल है, बरबाद कर देने की व्यवस्था दी गयी।

मदीना में मुहम्मद के प्रवास की शुरूआत से ही सभी क़ैदी लूट का न्यायसंगत हिस्सा समझे जाते थे। चाहे वे मरद हों, चाहे औरतें, चाहे बच्चे। उन्हें या तो मोमिनों के बीच गुलामों के रूप में बांट दिया जाता था, या गुलामों के बाजार में बेच दिया जाता था, या फिर उनको ऐसे बंधक बनाकर रखा जाता था जिन्हें उनके रिश्तेदार रिहाई का धन देकर छुड़ा सकते थे। इस प्रकार ये क़ैदी राजस्व का एक बड़ा स्रोत थे। जब बदर की लड़ाई में सत्तर पुरुष क़ैदी बनाये गये, तब मुहम्मद ने अबू बक़र और उमर से उनके साथ सुलूक के बारे में सलाह–मशविरा किया। अबू बक़र ने कहा–"ये सब हमारे नज़दीकी लोग हैं। मेरा विचार है कि आपको रिहाई का धन लेकर इन सब को रिहा कर देना चाहिए। ये काफ़िरों के खिलाफ हमारे लिए एक शक्ति-स्रोत साबित होंगे।" यह मत आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभकारी और साथ ही अधिक मानवीय भी था। लेकिन उमर ने अलग ही नज़रिया अपनाया जो इस्लामी पंथमीमांसा के अधिक अनुरूप और साथ ही अधिक क्रूरता-पूर्ण था। उमर ने सलाह दी कि क़ैदियों को मार डाला जाये, क्योंकि वे लोग ग़ैर-मोमिनों के नेता और उनके रणबाकुरो में से है" (4360)। कम से कम इस मामले में तो आर्थिक दृष्टि की ही जीत हुई।[1]

1. उन चन्द लोगों को छोड़ कर जिन्हें मार डाला जाता था, ज्यादातर पुरुष क़ैदियों को रिहाई-धन लेकर रिहा कर दिया जाता था। ऐसे मार डाले गये लोगों में से एक था नासर बिन अल्हारिस। एक मुसलमान योद्धा, ने उसे बचाने की कोशिश की और कहा कि यह तो मेरा क़ैदी है। लेकिन मुहम्मद ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा–"ऐ अल्लाह ! मुक़दाद को अपनी कृपा से वंचित कर और उसकी नमाज़ क़बूल मत कर। ऐ अली ! उठ और उसका (नासर का) सिर उड़ा दे।" अली ने फुर्ती से यह काम कर डाला। ऐसा ही एक दूसरा अभागा व्यक्ति था उतवा, जिसने मुहम्मद के मक्का से पलायन करने पर "दो दोहे कहे थे"। उतवा ने मुहम्मद से मिनती की–"ऐ मुहम्मद ! अगर तुम मुझे क़त्ल कर दोगे तो मेरे बालकों और नन्हें बच्चों की देखभाल कौन करेगा ?" मुहम्मद ने जवाब दिया–"जहन्नुम की आग।" और मुहम्मद के आदेश पर उतवा का सिर उड़ा दिया गया। रसूल बोले–"अल्लाह का शुक्र है कि उसने तेरा क़त्ल कराया और मेरी आंखों को सुकून दिया" (मीरखोंद, जिल्द 1, भाग 2, पृष्ठ 338-339)।

किसी इलाक़े को जीतने वाले मुस्लिम मुखिया को यह भी छूट थी कि वह उस इलाक़े को इस शर्त पर विजित लोगों के पास रहने दे कि वे ख़राज देते रहें और अपने ही खेतों पर काश्तकार बन कर रहें। इस व्यवस्था का समर्थन मुहम्मद के अपने व्यवहार में मिलता है। जब ख़ैबर के यहूदी हरा दिये गये तो कुछ समय तक उन्हें अपनी जमीने जोतने-बोने दी गयीं और उनसे फ़सल का आधा हिस्सा लिया जाता रहा (3762)। मुखिया को यह छूट भी थी कि वह जीती हुई ज़मीन को अपने सैनिकों के बीच बांट दे। पर अक्सर ऐसा किया नहीं जाता था। यह ज़मीन फ़इ मानी जाती थी और उस पर सार्वजनिक स्वामित्व घोषित कर दिया जाता था। इस ज़मीन का उपयोग समस्त मुस्लिम मिल्लत के लिए होता था (सैनिकों और अफ्सरों के भुगतान के लिए तथा पुलों, क़िलों और मस्जिदों के निर्माण के लिए)। और ऐसी ज़मीन को भावी पीढ़ियों के लिए आमदनी का स्थाई स्रोत मान कर अलग रखा जाता था।

काफिरों पर थोपा जाने वाला एक अन्य भार है जज़िया। यह भी फ़इ का हिस्सा है। जज़िया एक सार्वजनिक कर था जो कुछ कोटियों के सभी ग़ैर-मोमिनों पर लगाया जाता था। इस कर का भुगतान करते रहने पर उन्हें अपने मत के अनुसार अपासना करने की आज़ादी दी जाती थी। पहले-पहल इसे सिर्फ़ यहूदियों और ईसाइयों तक सीमित रखा गया था। लेकिन जब मुस्लिम साम्राज्य फैला तब वह अन्य प्रकार के प्रजाजनों पर भी लागू किया गया। जज़िया देने वाले लोगों को जिम्मी कहा जाता था, जिसका अर्थ था मुसलमानों की "जिम्मेदारी"। साम्राज्यवाद हरेक युग में एक ही भाषा का व्यवहार करता है।

जज़िया की व्यवस्था का मूल क़ुरान में मिलता है। "उससे लड़ो जो आखिरत पर यक़ीन नहीं रखते और जो उनको नहीं मानते जिन्हें किताब दी गयी है। उनसे तब तक जंग करो जब तक कि वे जलील होकर जज़िया न देने लगे" (क़ुरान 9/29)। "ज़लील होकर"–यह एक सक्रिय शर्त है और उसमें अनेक अपमान समाविष्ट है। जिम्मी लोग कोई हथियार लेकर नहीं चल सकते। वे घुड़सवारी नहीं कर सकते। उन्हें एक खास तरह का कमरबन्द (जुन्नार)[1] बांधना पड़ता है और एक रंगीन लवादा (ग़ियार) कपड़ों के ऊपर लपेटना पड़ता है जिससे कि वे मुसलमानों से अलग पहचाने जा सकें। यह कपड़ा यहूदियों के लिए पीला तय किया गया था और ईसाइयों के लिए नीला। जिम्मी लोग अपने नए उपासना-स्थान नहीं बना सकते–केवल पुरानों की मरम्मत कर सकते हैं। वे लोग खुले-आम उपासना नहीं कर सकते। गिर्जा या मंदिर की घंटिया बजा कर

1. भारतवर्ष में हिन्दुओं के जनेऊ को मुसलमान मौलवी और शासक "जुन्नार" की संज्ञा देते थे। इन का आशय था कि जनेऊ हिन्दुओं के ज़लील होने का प्रतीक है।

मुसलमानों को मर्माहत करना उनके लिए मना है। संक्षेप में, वे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे कि इस्लाम के प्रतीकों की मौजूदगी में उनका काफिर होना किसी भी तरह उजागर हो। चाहे वह सार्वजनिक उपासना हो, चाहे उत्सव-त्यौहार। इसी तरह की अन्य अनेक असमर्थताएं ज़िम्मियों पर लादी जाती हैं।

जीविका का मुख्य आधार

जब से मुहम्मद ने मदीना में अपने को मज़बूत किया, तब से लेकर एक अरसे तक उनके साथियों की जीविका का मुख्य आधार ग़ैर-मुस्लिम क़बीलों पर हमला करके उनकी लूटपाट करना ही रहा। तिरमिज़ी हमें बतलाते हैं कि एक बार बनू सलीम क़बीले का एक गड़रिया रसूल के साथियों के एक दल के पास से गुज़रा। जब उसने मुस्लिम तरीक़े से उन्हें सलाम किया तो वे आपस में बतियाने लगे–"इस आदमी ने अपने को बचाने के लिए हमें इस तरह से सलाम किया है" ... "फिर वे उठे और उसे मार डाला और उसकी बकरियां छीन लीं" (जिल्द 2, पृष्ठ 889)। मुहम्मद अपने लोगों को ग़ैर-मुस्लिम क़बीलों पर घात लगा कर उन्हें पकड़ने और उन पर हमला करने के लिए भेजते रहते थे। जो मारा जाता था उसके पास से मिला सरोसामान वे मारने वाले मुसलमान को दे देते थे। अनुवादक के शब्दों में मुहम्मद ऐसा इसलिए करते थे कि "मुसलमानों को जिहाद में शामिल होने का प्रोत्साहन मिलता रहे" (टि० 2230)।

अबू क़तादा बतलाते हैं कि हुनैन की लड़ाई के साल जब वे पैग़म्बर के साथ एक चढ़ाई पर गए तो उन्होंने एक बहुदेववादी दुश्मन को मारा। उसका सरोसामान उन्हें मिल गया। "मैंने उसका बख़्तर (जो कि लूट के माल में मेरे हिस्से आया था) बेच दिया। और बिक्री के धन से बनू सलम के मोहल्ले में एक बाग़ीचा खरीद लिया। इस्लाम अपनाने के बाद मेरे लिए यह पहली जायदाद बनी" (4340)। उमर हमें बतलाते हैं–"पैग़म्बर ने नजद पर एक धावा भेजा। मैं भी उसमें शामिल था। लूट के माल में बड़ी संख्या में ऊंट मिले। हर लड़ने वाले के हिस्से में ग्यारह या बारह ऊंट आए और हर-एक को एक-एक ऊंट हिस्से के अलावा दिया गया" (4330)। वे हमें यह भी बतलाते हैं कि उन्हें ख़ैबर में वह ज़मीन मिली जो पराजित यहूदियों की जायदाद थी और वह इतनी क़ीमती थी कि उनके पास इसके पहले उसके बराबर की कोई जायदाद नहीं थी (4006)। ख़ैबर यहूदियों की घनी आबादी वाला एक इलाक़ा था। उस पर हमला किया गया था और उन को पकड़ लिया गया था और उनकी जायदाद ज़ब्त कर ली गयी थी।

लड़ाई की लूट के माल की मिक़दार जैसे-जैसे बढ़ी, वैसे-वैसे मुहम्मद और अन्य मुहाजिर लोग इतने धनी होते गये कि वे ने अंसारों (मदीना-निवासियों) को मदद के लिए मुआवजा और उपहार देने लगे। अनस बतलाते हैं कि मदीना में मुहम्मद के प्रवास के बाद एक "व्यक्ति ने उनको खजूर के कुछ पेड़ दिए ... फिर क़ुरैजा और नज़ीर के इलाके जीत लिये गये। तब मुहम्मद उस व्यक्ति को वह सब लौटाने लगे जो उन्होंने उस से लिया था" (4376)। दूसरे लोगों ने भी ऐसा ही किया। "जब अल्लाह के पैग़म्बर ने लोगों के साथ लड़ाई खत्म की .. मुहाजिरों (प्रवासियों) ने अंसारों को वे सब उपहार लौटा दिये, जो उन्हें अंसारों ने दिये थे" (4375)।

मुहम्मद का हिस्सा

लूट के बंटवारे में मुहम्मद को दुश्मन से लूटे गये कुल माल का पांचवां हिस्सा मिलता था। सेनापति होने के नाते लूट में से अपनी मनपसंद चीजें चुन लेने का पहला हक़ भी उन्हीं का था। वे चीज़े चाहे गुलाम हों या औरतें या जायदाद। बिना लड़ाई के जो लूट का माल हासिल हो जाता था, वह पूरा का पूरा उनका होता था। मदीना के एक यहूदी क़बीले, बनू नज़ीर, को देश निकाला दिया गया था। उनकी सारी जायदाद मुहम्मद ने अपने क़ब्जे में ले ली। उसमें से कुछ को उन्होंने अपने क़ुरैश अनुयायियों के बीच बांट दिया पर अंसारों को कुछ नहीं दिया। बाक़ी बड़े हिस्से को उन्होंने अपने पास रखा। उमर कहते हैं–"बनू नज़ीर क़बीले की जो जायदादें हासिल हुई वे पूरी तरह अल्लाह ने अपने रसूल को बख़्शी थीं। उस चढ़ाई में न तो घुड़सवारों की और न ऊंटसवारों की मदद ली गई थी। ये जायदादें खासतौर पर पाक पैग़म्बर के लिए थीं। उनसे मिली आमदनी में से वे अपने परिवार का वार्षिक खर्च चलाते रहे और जो कुछ बचता था उसमें से जिहाद की तैयारी के लिए घोड़े और हथियार खरीदते रहे" (4347)।

ज़ब्त की गयी जायदादों में से एक ज़मीन में मुहम्मद ने "मरियम का ग्रीष्मोद्यान" बनवाया। मरियम उनकी कोष्टवंशी गुलाम बीवी थी। मदीना में उनके सात बगीचे और थे। कुछ लोगों के अनुसार वे बगीचे उन्हें मुख़ैरीक़ नाम के एक यहूदी ने भेंट किये थे। लेकिन दूसरों के अनुसार ये बगीचे बनू नज़ीर क़बीले की जब्त की गयी जायदाद का ही एक हिस्सा थे। इसी प्रकार ख़ैबर में भी मुहम्मद की जायदाद थी, जो वहां के यहूदियों के हार जाने के बाद लूट के माल में से उनके हिस्से में आयी थी।

मुहम्मद की जायदाद को लेकर झगड़े

मुहम्मद की मौत के बाद उनकी जायदाद की विरासत को लेकर झगड़े उठ खड़े हुए। आयशा हमें बतलाती है कि मुहम्मद को बीवियों ने पैग़म्बर के दामाद और एक भावी ख़लीफ़ा उस्मान, को "पाक पैग़म्बर की विरासत में अपना हिस्सा मांगने के लिए अबू बकर के पास भेजा।" लेकिन आयशा ने बजाय अपनी सौतों के अपने पिता का पक्ष लिया। आयशा ने सौतों को मुहम्मद से सुनी हुई बात बतलाई–"हम पैग़म्बरों का कोई वारिस नहीं होता। हम जो छोड़ जाते हैं वह सदक़ा होता है" (4351)।

लेकिन जायदाद ने सदक़े का रूप लिया नहीं, हालांकि अबू बकर बतलाते हैं कि "रसूल-अल्लाह का परिवार इस जायदाद की आमदनी पर पलता (रहेगा)।" जायदाद के स्वामित्व का कोई औपचारिक हस्तांतरण नहीं हुआ। इसकी बजाय जायदाद को पैग़म्बर के चाचा, अब्बास, और पैग़म्बर के दामाद, अली, के संयुक्त प्रबन्ध में रखा गया। जायदाद में हिस्सा न मिलने से पैग़म्बर की बेटी फातिमा इतनी नाराज हुई कि वह बाक़ी बची जिन्दगी में अबू बकर से नहीं बोलीं (4352)।

आगे चल कर संयुक्त देख-रेखवाली इस जायदाद को लेकर अब्बास और अली भी आपस में भिड़ गये। झगड़ा उमर के पास पहुंचा जो अबू बकर के बाद ख़लीफ़ा बने थे। अब्बास ने फरियाद की–"अमीर अल–मोमिनीन ! मेरे और इस पापी, दग़ाबाज़, बेईमान, झूठे (अली) के बीच आप फ़ैसला करें" (4349)।

धावे और लड़ाइयां

इस किताब में मुसलमानों के अनेक छापों, धावों और लड़ाइयों का हवाला है। ये दो तरह के हैं–ग़ज़वात और सरिया। ग़ज़वात वह सैनिक चढ़ाई है जिसका नेतृत्व खुद रसूल अथवा इमाम करें। सरिया उस लड़ाई या हमले का नाम है जो इनके द्वारा नियुक्त सहायक-सेनापति द्वारा की जाये। कुल चढ़ाइयों की संख्या बयासी (82) है अर्थात् मुहम्मद के मदीना-निवास के दौरान हर तीन महीने में दो मुहिम। छब्बीस (26) ग़ज़वात हैं जिनमें पाक पैग़म्बर ने खुद हिस्सा लिया और छप्पन (56) सरिया है (टि० 2283)। छब्बीस ग़ज़वात में से नौ (9) सशस्त्र संघर्ष हैं। इसलिए लूट के माल में मुहम्मद का हिस्सा निश्चित ही उल्लेखनीय रहा होगा।

अन्य हदीस भी हैं, जो ऊपर वाली हदीस की ही कमोबेश पुष्टि करती हैं। ज़ैद बिन अरक़म के मुताबिक़ पैग़म्बर ने खुद उन्नीस (19) चढ़ाइयों की अगुवाई की, जिनमें से सतरह (17) में ज़ैद स्वयं शामिल था (4464-4465)। जाबिर बिन अब्दुल्ला के मुताबिक़ यह संख्या इक्कीस (21) थी, जिसमें से उन्नीस (19) में जाबिर खुद शामिल हुआ (4466)। एक अन्य वर्णनकर्त्ता ने "रसूल की अगुवाई में सात (7) चढ़ाइयों में और अबू बकर तथा उस्मा बिन ज़ैद इत्यादि उनके सहायक-सेनापतियों की अगुवाई में नौ (9) चढ़ाइयों" में हिस्सा लिया (4469)।

कई लड़ाइयां उनके नामों से गिनाई गई हैं। नामों का तिथिक्रम वह नहीं है जिस क्रम में वे लड़ाइयां लड़ी गयी थीं। उदाहरण-स्वरूप हैं हुनैन की लड़ाई (4385-4392), ताईफ़ की लड़ाई (4393), बदर की लड़ाई (4394), एहज़ाव की लड़ाई, जिसका लोकप्रिय नाम है खन्दक़ की लड़ाई (4412), उहुद की लड़ाई (4413-4419), और ख़ैबर की लड़ाई (4437-4441) । मक्का की विजय (3395-4396) का भी उल्लेख है।

चमत्कार

इन लड़ाइयों के वृत्तांतों में अनेक चमत्कारों का वर्णन है। कई मौक़ों पर फ़रिश्ते आये और मुसलमानों की ओर से लड़े। ज्यादातर लड़ाइयों में मुहम्मद की अपनी भूमिका लड़ाई की योजना बनाने और प्रार्थना करने की थी। मसलन बदर की लड़ाई में मुहम्मद ने अपने हाथ पसारे और अल्लाह को इन शब्दों में पुकारा–"ऐ अल्लाह !" मेरे लिए वह कर दिखाओ जो करने का वायदा तुमने मेरे साथ किया था। ऐ अल्लाह ! अगर मुसलमानों का यह छोटा-सा दस्ता बर्बाद हो गया तो इस धरती पर तुम्हारी इबादत नहीं हो पाएगी" (4360)।

जो लोग इन चढ़ाइयों में पैग़म्बर के साथ थे, वे कई चमत्कारों का वर्णन करते हैं। इब्न सलमा हमें बतलाते हैं कि जब "चौदह-सौ की संख्या में" वे हुदैबिया पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस इलाके के कुएं में इतने लोगों के लिए पानी पर्याप्त नहीं था। "अल्लाह के पैगम्बर कुएं के किनारे बैठ गये। या तो उन्होंने प्रार्थना की या कुएं में थूका। कुएं में पानी भर गया। हमने पिया और अपने जानवरों को भी पिलाया" (4450)। इसी प्रकार की एक अन्य हदीस मीरखोंद में मिलती है। मीरखोंद पैग़म्बर की फारसी में लिखी गई जीवनी के लेखक थे। उनके अनुसार ख़न्दक़ की लड़ाई में जाबिर बिन अब्दुल्ला ने एक जवान बकरे को ज़िबह किया और उसके गोश्त को एक बर्तन में डाला। फिर एक निश्चित मात्रा में जौ का आटा पीस कर उसमें ख़मीर उठाया। और मुहम्मद को इस सीधे-साधे खाने के लिए न्यौता दिया। जाबिर और उसके परिवार वाले उस वक्त घबरा उठे, जब मुहम्मद एक हजार लोगों की पूरी फौज के साथ आ पहुंचे। लेकिन "पाक पैग़म्बर स्वयं बर्तन और ख़मीर के पास गए और अपने कौसर जैसे मुंह की कुछ लार दोनों में डाली", और गोश्त और रोटियां सब लोगों के लिए पूरी पड़ गयीं (रौज़त अस्सफ़ा, जिल्द दो, भाग दो, पृष्ठ 467)।

एक दूसरे मौके पर जब लोगों ने पैग़म्बर द्वारा दिया मुसलमान बनने का आह्वान अनसुना कर दिया, तब पहाड़ों के प्रहरी फ़रिश्ते ने पैग़म्बर का अभिनन्दन किया, और कहा–"मैं पहाड़ों का प्रहरी फ़रिश्ता हूं और तुम्हारे

अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ... अगर तुम चाहो कि मक्का के दो किनारों पर आमने-सामने खड़े दोनों पहाड़ों को सटाकर मैं इन लोगों को पीस डालूं तो मैं यह कर दूंगा।" यह बात खुद पैग़म्बर ने आयशा से कही थी (4425)।

यहूदियों और ईसाइयों का देश-निकाला

मुहम्मद ने उमर के समक्ष घोषणा की–"मैं अरब प्रायद्वीप में से यहूदियों और ईसाइयों को निकाल बाहर करूंगा और यहां मुसलमानों के सिवाय किसी को नहीं रहने दूंगा" (4366)।

अबू हुरैरा बतलाते हैं–"हम लोग मस्जिद में बैठे हुए थे। तभी अल्लाह के पैग़म्बर आये और बोले–चलो यहूदियों के पास चलें। हम वहां गए ... अल्लाह के पैगम्बर ने उन्हें पुकारा–ऐ यहूदियों की मिल्लत ! इस्लाम कबूल करो और तुम सुरक्षित रहोगे।" जब उत्तर असंतोषजनक मिला तो वे उनसे बोले–"तुम्हें मालूम होना चाहिए कि धरती अल्लाह की और उनके रसूल की है और मैं चाहता हूं कि तुम्हें इस धरती से निकाल बाहर करूं" (4363)।

मुहम्मद का निष्कासन-अभियान मदीना के यहूदियों से शुरू हुआ और प्रबल क्रूरता के साथ चलाया गया। मुहम्मद ने कभी उन्हें उम्मीदें दिलायीं और कभी डराया और एक-एक करके सबके साथ निपटते गये। सबसे पहले उन्होंने "बनू नज़ीर कबीले को निकाला और क़ुरैजा को रहने दिया और क़ुरैजा जब तक उनसे लड़ नहीं पड़े तब तक उन लोगों पर अनुग्रह दिखाया। तब उन्होंने उनके मर्दों को मार डाला और उनकी औरतों, बच्चों और जायदादों को मुसलमानों में बांट दिया ... अल्लाह के पैग़म्बर ने मदीना के सभी यहूदियों को बाहर निकाल दिया। बनू क़ैनुक़ा और बनू हारिसा तथा मदीना के अन्य तमाम यहूदियों को निकाल बाहर किया"–उमर के बेटे अब्दुल्ला यह बतलाते हैं (4364)।

बनू क़ुरैज़ा

बनू क़ुरैज़ा का अन्त बहुत भयानक रहा। मुहम्मद ने कहा कि अल्लाह ने उन्हें क़ुरैजा के विनाश का आदेश दिया है। आयशा के मुताबिक, पैग़म्बर ख़न्दक की लड़ाई से लौटे ही थे और उन्होंने अपने हथियार उतारे ही थे कि जिब्रैल प्रकट हुए और उनसे बोले–"तुमने हथियार डाल दिये ! कसम अल्लाह की ! हमने अपने हथियार नहीं डाले । चलो, उनके खिलाफ लड़ने को चल पड़ो।" मुहम्मद ने पूछा–"कहां ?" तब जिब्रैल ने "बनू क़ुरैज़ा की ओर इशारा किया। इस पर अल्लाह के पैग़म्बर उनसे लड़े...उन लोगों ने समर्पण कर दिया ... उनमें से जो लोग लड़ने लायक थे वे मार डाले गये, उनकी औरतें और बच्चे कैद कर लिये गये और उनकी जायदादें मुसलमानों में बांट दी गयी" (4370)।

क़ुरान की एक आयत ने उन किताबी लोगों के भाग्य के बारे में यह फैसला किया–"अल्लाह ने उनको उनके क़िलों से उतार दिया और उनके दिलों में दहशत भर दी (जिस के कारण) उनमें से कईयों को तुम ने क़त्ल कर दिया और कईयों को क़ैदी बना दिया। और अल्लाह ने तुम्हें उनकी जमीनों और उनके मकानों और सरोसामान का वारिस बना दिया" (कुरान 33/26-27)

जिब्रैल के ज़रिये अल्लाह का हुक्म पाकर मुहम्मद क़ुरैज़ा के किले के पास जा पहुंचे, जहां कबीले के सब लोगों ने पनाह ली थी। वे उनसे बोले–"ऐ बन्दरों और सूअरों के भाईबन्दों ! हम आ गये हैं। अल्लाह ने तुम को जलील किया है और अपना कहर तुम पर नाज़ल किया है।" रसूल ने "पच्चीस रातों तक उनको घेरे रखा, जब तक कि वे टूट न गये और अल्लाह ने उनके दिलों में दहशत पैदा न कर दी।" उन्होंने बिना शर्त समर्पण कर दिया और वे बन्दी बना लिये गये। हदीसों और पैग़म्बर के प्रामाणिक जीवनचरित्रों ने इन क़ैदियों के भाग्यका बख़ान उल्लासपूर्वक किया गया है। हम यहां विलियम म्यूर की किताब, 'लाइफ ऑफ महोमेट' में जिल्द 3 पृष्ठ 276-279 पर संक्षिप्त की गई कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं :–

"मर्दों और औरतों को रातभर अल्ग-अलग बाड़ों में बंद रखा गया ... (उन्होंने) पूरी रात प्रार्थना करते हुए, अपने शास्त्रों के अंश दोहराते हुए और एक दूसरे को अविचिलित रहने का प्रबोधन देते हुए गुज़ारी। उधर रातभर क़ब्रें या खाइयां ... बाजार में खोदी जाती रही ... सबेरे जब ये तैयार हो गयीं तो मुहम्मद ने जो स्वयं इस क्रूर घटनाक्रम की देखरेख कर रहे थे, हुक्म दिया कि बंदियों को पांच-पांच या छह-छह की टोलियों में बारी-बारी से लाया जाये। हर टोली को उस खायी के किनारे बैठा दिया गया जो उसकी क़ब्र के लिए नियत थी। वहां टोली में से हरेक का सिर काट डाला गया।[1] एक टोली के बाद दूसरी इस तरह वे लोग लाये जाते रहे और उनकी निर्मम हत्या होती रही, तक जब तक वे सब खत्म नहीं कर डाले गये ... उनमें जौहर नाम का एक बूढ़ा यहूदी था। उसने

1. इन लोगों को अपने भाग्य के बारे में आखिर तक अंधेरे में रखा गया। इब्न इसहाक एक मर्मस्पर्शी कथा बतलाते हैं। जब इन लोगों की टोलियों को रसूल के सामने लाया जा रहा था तब उन्होंने अपने मुखिया काब से पूछा कि उनके साथ क्या किया जाएगा ? उसने जवाब दिया–"क्या तुम कभी भी नहीं समझोंगे ? देखते नहीं हो, बुलाने वाले थमते नहीं और जो ले जाये जाते हैं वे लौटते नहीं। खुदा क़सम ! मौत आ पहुंची है।" इब्न इसहाक़ आगे लिखते हैं कि यह क्रम तब तक जारी रहा जब तक कि रसूल ने उन्हें खत्म नहीं कर दिया।

काब, कुरैज़ा कबीले के मुखियों में से एक था। उसके लोग उसे बहुत चाहते थे और उनके बारे में कहते थे कि "उसका चेहरा चीनी दर्पण की तरह है जिसमें कबीले की कुमारियां अपने आप को देख सकती है।"

बनी औस के कुछ दोस्तों को बचाया या ... इसलिए साबित ने हस्तक्षेप किया और उसके लिए क्षमादान मांग लिया ... लेकिन उस बूढ़े आदमी ने पूछा–मगर हमारे सब मुखियों–काब, हुवे, और सेमुअल के बेट ओजाल–का क्या हुआ ? हर सवाल पर उसे एक ही जवाब मिला–वे सब पहले ही क़त्ल कर डाले गये हैं। तब वह बोला–फिर मैं और जी कर क्या करूंगा ? मुझे उस खूंखार आदमी के पास मत छोड़ो, जिसने मेरे अपनों को इतनी निर्ममता के साथ मार डाला है। मुझे भी मार डालो। मैं तुमसे विनती करता हूं। लो यह मेरी तलवार, यह धारदार है। इसे ऊपर उठाओ और ज़ोर से मारो। साबित ने उसे मारने से इनकार कर दिया और उसे एक दूसरे आदमी को सौंप दिया। उस दूसरे ने अली के हुक्म से उस बूढ़े आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया।

"बदले की प्यास बुझा लेने के बाद और बाजार को आठ-सौ लोगों के खून से रंग देने के बाद, और उनके अवशेषों पर तेजी से मिट्टी डाल देने का हुक्म दे देने के बाद, मुहम्मद ने इस बीभत्स काण्ड को भुलाने के लिए रेहाना के हुस्न की शरण ली। रेहाना के पति और अन्य रिश्तेदार अभी-अभी नृशंस हत्याकांड में मर मिटे थे। उन्होंने रेहाना के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने मना कर दिया। उसने बांदी अथवा रखैल बनना पसन्द किया। (वस्तुतः शादी के लिए मना करने पर उसके लिए और चारा भी नहीं था)। अपना धर्म बदलने से भी उसने इनकार कर दिया और वह अन्त तक यहूदी बनी रही।"

लूट के माल को चार श्रेणियों में बांटा गया–जमीन, बरतन-भाण्डे ढोर-डांगर और गुलाम। मुहम्मद ने हर श्रेणी में से अपना पांचवा हिस्सा ले लिया (छोटे बच्चों को छोड़ कर जिनको उनकी माताओं के साथ गिना गया)। एक हजार क़ैदी थे। इनमें से अपने हिस्से में आये क़ैदियों में से मुहम्मद ने कुछ गुलाम औरतों और नौकरों को उपहार के रूप में अपने दोस्तों को दे दिया और बाक़ी औरतों और बच्चों के नजद के बद्दू क़बीलों में बेचने के लिए भेज दिया। उनके बदले में घोड़े और हथियार ले लिये। चुस्त और तेज़ घोड़ों का एक दस्ता अपने पास होने से मिलने वाली क्षमता का मुहम्मद सदा ध्यान रखते थे।

इस पूरे क्रूर क़िस्से को मुहम्मद के जीवनीकारों–इब्न इसहाक़, तबरी और मीरखोंद–ने वर्णित किया है। तबरी पहले से एक जीवनीकार, वाक़िदी, के हवाले से बतलाते हैं कि मुहम्मद ने खुद "गहरी खाइयां खुदवाई, खुद वहां बैठे रहे और उनकी मौजूदगी में अली और जुबैर ने कत्ल किए।"[1] एक अन्य जीवनीकार, इब्न हिशाम, कुछ ऐसी सामग्री प्रस्तुत करते हैं जो दूसरे विवरणों में छूट गयी दीखती

1. तारीख तबरी, जिल्द एक, पृष्ठ 303-304

है। उनके किस्सों में से एक से यह पता चलता है कि मुहम्मद ने स्थानीय संघर्षों का अपने स्वार्थ के लिए कैसे इस्तेमाल किया। मदीना के दो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और गैर-यहूदी कबीले थे बनू औस बनू खजरज। बनू क़ुरैज़ा के यहूदी बनू औस के साथ सन्धिबद्ध थे और इसलिए बनू खजरज उन्हें पसन्द नहीं करते थे। इसलिए मुहम्मद ने जब यहूदियों के सिर काटने का हुक्म दिया तो "खजरज बड़े शौक से उनके सिर काटने लगे। रसूल ने देखा कि खजरज लोगों के चेहरों पर खुशी थी किन्तु औस लोगों के चेहरों पर ऐसा कोई भाव नहीं था। रसूल को शक हुआ कि औस और बनू क़ुरैज़ा में पहले मैत्री थी, इसीलिए औस के लोग हत्या करते हुए हिचकिचा रहे थे। जब सिर्फ बारह क़ुरैज़ा बच गये तो मुहम्मद ने उन सब को औस लोगों को सौंप दिया। हर दो औस के हिस्से एक यहूदी आया। मुहम्मद ने कहा–तुम में से अमुक उसे मारेगा और अमुक उसे खत्म करेगा।"[1]

जो लोग पैग़म्बर का अनुसरण करते हैं, उन्हें नयी चेतना और नयी निष्ठा के साथ नया आदमी बनना होगा। उन्हें इस्लाम की प्रखर पाठशाला में अपने मानस को कठोर करना पड़ेगा, इस्लाम की रक्तरंजित रस्मों में हिस्सा लेना होगा। उन्हें ऐसे कामों में सहभागी बनना होगा, जो उसी मात्रा में पूरे माने जाएंगे जिस मात्रा में कि उनकी चरित्र–हानि हो सकेगी। कोई व्यक्ति जिसमें अपनी कोई निष्ठा बची हो, निर्भर करमे योग्य नहीं रहता। किसी भी स्थिति में इस्लाम के अनुयाइयों को यह मौका नहीं मिलना चाहिए कि वे अपने-आप को श्रेष्ठ समझें और किसी काम से सिर्फ इसलिए परहेज करें कि उनकी नजर में वह काम अन्यायपूर्ण अथवा क्रूर है। उन्हें जो भूमिका निभानी है इसी के हिसाब से अपनी चेतना को संवारना चाहिए और जो नए काम उन्हें सौंपे जायें उनको करने लायक बनना चाहिए।

वयोवृद्ध जौहर के अलावा एक और भी व्यक्ति था, जिसकी मर्मस्पर्शी वीरता का उल्लेख इब्न इसहाक और मीरखोंद करते हैं। वह था यहूदियों का एक नेता हुयय्या बिन अख़्तब। उसके अपने लोग उसे बहुत प्यार से शहर का "आभिजात्य गौरव", गरीबों और असहायों का मित्र" और "गांव तथा शहर का राजकुमार" कहते थे। उसे मुहम्मद के सामने लाया गया। उसके हाथ रस्सी से उसकी गर्दन से बांध दिये गये थे। मुहम्मद ने छाती फुला कर उससे कहा–"ऐ अल्लाह के दुश्मन! आखिरकार सबसे ऊंचे और सबसे महिमाशाली ने तुझे मेरे हाथों में दे दिया और मुझे तेरा न्यायाधीश बना दिया।" हुयय्या ने जवाब दिया–मैं तुझ से दुश्मनी करने के लिए अपने आप को दोषी नहीं मानता ... लेकिन ईश्वर सबसे

1. सीरत रसूल-अल्लाह, पृष्ठ 275

ऊंचा है और उसने तुझे फतह बख़्शी है और इसलिए कोई उपाय नहीं है ... जो ईश्वर को त्याग देता है, उसे ईश्वर भी त्याग देता है ... ईश्वर का आदेश सही है। इजराइल की सन्तान के भाग्य में एक किताब और एक फैसला और एक नरमेध लिखा हुआ है।" फिर वह बैठ गया और मुहम्मद की ओर से संकेत मिलने पर उसका सिर काट दिया गया। वह एक ऐसी फटी-पुरानी कमीज पहन कर आया था जो लूट के लायक नहीं थी[1]। वस्तुतः मरने के पहले उसने अपने कातिल, अली, से कहा–"मेरा तुम से अनुरोध है कि मेरे शरीर पर से मेरा वस्त्र मत उतारना।"[2]

ऐसी ही कथा एक औरत के बारे में है जिस का सिर इसी प्रकार काटा गया। उसके बारे में आयशा बतलाती है–"उसकी खुशमिजाजी और उसकी मुक्त हंसी को देख कर मुझे जो ताज्जुब हुआ था वह मैं कभी नहीं भूल सकती। जबकि वह सारे समय यह बात जानती थी कि उसे मार डाला जायेगा।"[3]

मुहम्मद के दरबारी शायरों ने उनकी इस विजय को उल्लास से मनाया। हस्सान गा उठा :

क़ुरैज़ा ने अपने दुर्भाग्य को झेला
और उनके मान-मर्दन से उनको बचाने कोई नहीं आया।
बनू नजीर से भी अधिक दुर्भाग्य था उनका,
जिस दिन अल्लाह के रसूल उन पर चमकते हुए चांद की तरह उतरे,
रसूल के पास तेज़ घोड़े थे जिन पर बाज़ों जैसे सवार बैठे थे,
हमने वहां उनको एक रक्त-कुड में डुबोया,
वे कुछ नहीं कर पाये,
वे धरती पर पड़े थे और उनके चारों ओर घिरे थे गिद्धों के झुंड।[4]

मक्का-विजय

यद्यपि मुहम्मद ने मक्का वालों के साथ दस साल की एक संधि की थी तथापि उन्होंने मक्का पर आक्रमण की गुप्त तैयारियां जारी रखी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की–"ऐ अल्लाह! कुरैशों की आंखें और उनके कान बेकार कर ताकि हम अचानक उन पर टूट सकें।" साथ ही दस हजार लोगों के साथ वे

1. सीरत रसूल-अल्लाह, पृष्ठ 464
2. मीरखोंद, रौजत अस्सफा, जिल्द 2, भाग 2, पृष्ठ 476।
3. सीरत रसूल-अल्लाह, पृष्ठ 465
4. वहां, पृष्ठ 480

चोरी-छिपे मक्का की ओर बढ़े। इब्न इसहाक बतलाते हैं कि रसूल मर्र अल-हजरान पहुंचे तो कुरैश इस तथ्य से पूरी तरह अनजान थे और उन्हें यह तक पता नहीं था कि मुहम्मद कर क्या रहे हैं। मुहम्मद मक्का पर अचानक टूट पड़े।[1]

मुहम्मद बहुत अच्छी तरह जानते थे कि लोगों का और उनकी मनोदशा का कैसे इस्तेमाल किया जाए। मक्का वालों से लड़ने के लिए उन्होंने मुहाजिरों को नहीं बल्कि अंसारों को गौरवपूर्ण स्थान दिया। अंसार मदीने के रहने वाले थे। मुहाजिर स्वयं मक्का के थे, इसलिए उनमें कुछ हिचक हो सकती थी। मुहम्मद ने अंसारों को बुलाया और बोले–"ऐ अंसार लोगों ! क्या तुम कुरैश के इन गुंडों को देख रहे हो ? ... तुम कल जब इनसे मिलो तो इन्हें खत्म कर डालना।" अबू हुरैरा आगे बतलाते हैं–"उन लोगों ने उस दिन जिसे भी पाया, कत्ल कर डाला।" तब अबू सूफियां मुहम्मद के पास पहुंचे। मुहम्मद से उनकी बात होने के बाद मुहम्मद ने इतना मुलायम रुख अपनाया कि अंसार फुसफुसाने लगे–"आखिरकार इस आदमी को अपने परिवार की ममता ने और अपने शहर के प्रति प्यार ने हिला दिया" (4396)।

अन्ततः मुहम्मद मक्का में घुसे और यह घोषणा करते हुए उन्होंने काबा[2] के बुतों को तोड़ा कि "सच की जीत हुई है और झूठ का लोप हो गया है" (4397)।

---

1. सीरत रसूल-अल्लाह, पृष्ठ 544, 546

2. इन बुतों को नष्ट करने के लिए अली को चुना गया (उसने यह काम मुहम्मद के कंधों पर चढ़ कर किया) और उमर को काबा की दीवारों की तस्वीरें नष्ट करने का काम सौंपा गया। दूसरे लोग आसपास के इलाकों में यही सब करने और मंदिरों के खजानों को लूटने के लिए भेजे गये। ख़ालिद बिन वलीद के नख्ल भेजा गया कि वे वहां जा कर बनू किनान और कुरैश की कुलदेवी अल-उज्जा की प्रतिमा को नष्ट कर दें। उमरो बिन अलास को सुवा की प्रतिमा नष्ट करने भेजा गया। और साद बिन ज़ैद अल-अशहाली को औस और खज़रज़ क़बीलों के देवता, अल-मनात, को नष्ट करने भेजा गया (तबक़ात, जिल्द 1, पृष्ठ 484-486)।

कुछ समय बाद हिजरी सन् 9 में मुहम्मद ने सकीफ कबीले के मुखिया उखा को, जो तब इस्लाम ला चुका था, इसलिए भेजा कि वह जा कर अपने लोगों को मुसलमान बनने पर राजी करे। उसके लोगों ने उसे मार डाला। फिर उन लोगों ने आपस में सलाह की और तय किया कि वे अपने चारों तरफ फैले अरबों से नहीं लड़ सकते। इसलिए उन्होंने मुहम्मद की अधीनता स्वीकार कर ली। मुहम्मद ने अबू सूफियां को उन लोगों के एक नजदीक़ी, अल-मुगीरा बिन शुवा, के साथ उन लोगों की देवी अल्लात की प्रतिमा को नष्ट करने भेजा। चारों ओर से अपने सैनिकों से घिरे अल-मुग़ीरा ने जब प्रतिमा को अपनी गैंती मारी तब सक़ीफ क़बीले की औरतें बाल बिखेर कर विलाप करती आयीं और बोलीं :–

हम अपने मुहाफिज़ के लिए रोती हैं, जिसे उसके सेवकों ने छोड़ दिया,

और उन्होंने उसकी हिफाजत में मर्दानगी नहीं दिखाई। (तारीख तबरी, जिल्द 1 पृष्ठ 434-435)।

मंदिरों और प्रतिमाओं की इस तोड़फोड़ और लूटपाट ने भविष्य में मुसलमानों का मार्ग दर्शन किया।

बहुत खूब ! कहना पड़ेगा कि यह विचार केवल एक आशावादी उन्माद था। इसमें सच्ची आध्यात्मिक दृष्टि का अभाव था। सत्य का शासन स्थापित करने के लिए हथियारबन्द फौज और हथौड़ों से लैस मकान ढाने वाला एक दस्ता काफी नहीं होते। एक देवता अर्थात् अल-लात को हटा कर उसकी जगह दूसरे देवता अर्थात् अल-लाह को थोप देने से सत्य के द्वार नहीं खुल जाते। आध्यात्मिक प्रकाश का आभास भी पाने के लिए अपने साथ जूझना पड़ता है, आत्म-मन्थन करना पड़ता है, खुदी को खैरबाद कहना पड़ता है, आत्मान्वेषण करना पड़ता है। इस पथ पर देव-प्रतिमाओं की विविधता बाधा नहीं बनती। बाधा बनता है अपना अशुद्ध हृदय, अपने अस्तव्यस्त मानस का इतस्ततः मंडराना। योगमार्ग में मानस की इसी अवस्था को मूढ़ कहा गया है, विक्षिप्त चित्त की संज्ञा दी है।

हिन्दूधर्म एक अधिक मनोवैज्ञानिक और रहस्यवादी धर्म है। उसके अनुसार "असत्य" पर विजय पाना इतना आसान नहीं है। आध्यात्मिक अंधकार अथवा असत्य का मूल हमें अपने भीतर गहरा पैठने पर मिलता है। उसकी जड़ें हमारे मानस के द्वन्द्वों में विद्यमान हैं, अहम् और अस्मिता से भरे जीवनयापन में मिलती हैं। उसका मूल है गहन अविद्या। पूजा की वेदी पर रक्खी हुई पत्थर अथवा तांबे की प्रतिमाओं को तोड़ना आसान है। किन्तु अपने अन्तर में आसीन झूठे देवताओं से पार पाना आसान नहीं। सच्ची आध्यात्मिक दृष्टि से, झूठे देवताओं का विध्वंस करने के लिए, अहंकार और तृष्णा से बने उन देवताओं को समझना पड़ेगा जो आत्मतृप्त पंथमीमांसाओं में अड्डा जमाए बैठे हैं, दम्भपूर्ण इलहामों में बोलते रहते हैं, मनमानी आस्थाओं का आश्रय लेते हैं। योग की दृष्टि से वास्तविक विभेद "एक देवता" और "अनेक देवताओं" के बीच नहीं बल्कि प्राकृत मानस और प्रबुद्ध मानस के बीच है। एकेश्वर की धारणा यदि जकड़ी-जकड़ाई और मतान्ध है तो वह विविध देवताओं की धारणा से बदतर है। एक ऐसा सौम्य देव-रूप, जो अन्य देव-रूपों के साथ सामंजस्य स्थापित करके रह सकता हो, किसी शैतानी देवता की तुलना में, चाहे वह जिहोवा हो अथवा अल्लाह, बहुत श्रेयस्कर है।

मक्का की विजय के उपरांत मुहम्मद ने ऐलान किया–"आज के दिन से लेकर कयामत के दिन तक किसी भी कुरैश को हाथ और पैर बांध कर नहीं मारा जायेगा।" (4399)। लेकिन इससे मक्का-वासियों का वध अन्य प्रकार से होने से नहीं रुका। वे प्रकार भी उतने ही कुशल और उतने ही शरमनाक थे। इसलिए और भी कि मारने वाले अब हम मज़हब मुसलमान थे।

गुप्तघात

जिहाद की तरह की तरह ही गुप्तघात भी एक मतान्ध मज़हब और मनीषा का ही विस्तार है। मुहम्मद के पास उनका हुक्म बजा लाने वाले हत्यारों का एक दस्ता हमेशा मौजूद रहता था। उनके जरिये उन्होंने अपने लिए असुविधा पैदा करने वाले लोगों को नष्ट करवा दिया, विशेषकर उन लोगों को जो उनकी पैग़म्बरी के प्रति सशंक थे और जिनमें अपना विरोध कविता और व्यंग्य के माध्यम से व्यक्त करने की क्षमता थी। मुहम्मद ने कहा—काब बिन अशरफ का कत्ल कौन करेगा ? उसने अल्लाह-अकबर और उसके पैग़म्बर की निन्दा की है।" इस पर मुहम्मद बिन मसलमा बोल उठा—"अल्लाह' के रसूल ! क्या आप चाहते हैं कि उसे मैं मार डालूं ?" पैग़म्बर ने जबाब दिया, "हां"। तब हत्यारे ने मुहम्मद से उस निर्दिष्ट शिकार के साथ जैसी वह (मसलमा) चाहे वैसी बात करने की इजाजत चाही। यहां एक कि काब का विश्वास जीतने के लिए मुहम्मद की निन्दा करने की भी इजाजत चाही। इजाजत दे दी गयी। तब हत्यारा कुछ अन्य लोगों के साथ रात में काब के घर गया। उसने अपने आप को पैग़म्बर के मोहभंग अनुयायी के रूप में प्रस्तुत किया। वह निर्दिष्ट शिकार को बहका कर बाहर ले आया। काब की पत्नी ने चेतावनी दी—"मैं एक ऐसी आवाज सुन रही हूं जो किसी हत्यारे की जान पड़ती है।" लेकिन काब बोला—"मुहम्मद बिन मसलमा और उसका दूध-भाई अबू माइला हैं। किसी भद्र पुरुष को रात के समय बाहर बुलाया जाय तो उसे बाहर जाना चाहिए, भले ही उसे भाले से छेद देने के लिए क्यों न बुलाया जा रहा हो।" वह उनके पास गया और मार डाला गया (4436)। काब का मुंड शीघ्र ही पैग़म्बर के पैरों में पटका गया।

अन्य अनेक वृतांतों में इस हत्या के और भी विवरण दिये गये हैं। जैसे कि सही बुखारी में और इब्न इसहाक तथा तबरी लिखित मुहम्मद की जीवनियों में। इस घटना पर मुहम्मद के दरबारी शायरों ने जो खुशी मनायी और जो कविताएं लिखीं, उनका हवाला इब्न इसहाक ने दिया है। एक दरबारी कवि, जिसका नाम भी काब था, गा उठा :

काब को वहां भूशायी छोड़ दिया गया;
खड़ग ले हाथ में, हमने उसे काट डाला।
आज्ञा मुहम्मद की थी,
रात में चुपके से भेजा गया काब के भाई को काब के पास,
उसने बहलाकर उसे कर दिया धराशायी, छलघात से।[1]

1. सीरत रसूल-अल्लाह, पृष्ठ 368

एक अन्य कवि, हम्साज बिन साबित, इस हत्या का निम्नोक्त वर्णन करता है—"हत्यारे शेर की तरह बहादुरी से अपनी हल्की तलवारें लेकर रात में चलकर वहां पहुंचे और पैग़म्बर के मज़हब की जीत के लिए उन्होंने तेज़ तलवारों से शिकार को मौत का मजा चखा दिया।[1] इब्न इसहाक ने एक अन्य हदीस उद्धृत की है—"अल्लाह के दुश्मन पर हमारे हमले ने यहूदियों के भीतर दहशत पैदा कर दी और मदीना में ऐसा कोई यहूदी नहीं बचा, जिसे अपनी जान का डर न लगने लगा हो।"[2]

जिहाद का स्थान नमाज़ से ऊंचा है

अहजाब की लड़ाई से लौटते समय मुहम्मद ने घोषणा की कि जुहर की नमाज़ जिसे पढ़नी है वह बनू क़ुरैज़ा के मोहल्ले में जा कर पढ़े (जुहर की नमाज दोपहर बाद की नमाज़ होती है, जो सूरज ढलते समय अदा की जाती है)। बनू क़ुरैज़ा के लोग आक्रमण के अभागे शिकार थे जिसका जिक्र पहले हो चुका है। मुहम्मद का हुक्म सुन कर नमाज़ में देर हो जाने के डर से कुछ लोगों ने बनू क़ुरैज़ा के मोहल्ले में पहुंचने के पहले ही नमाज़ पढ़ डाली। दूसरे लोग देर हो जाने के डर से बिना नमाज़ पढ़े ही वहां पहुंच गये। यह सब सुन कर मुहम्मद ने "दोनों दलों में से किसी को भी दोष नहीं दिया" (4374)।

जिहाद में एक बहुदेववादी की मदद

इस किताब की आखिरी हदीस एक ऐसे आदमी के बारे में है जो मुहम्मद के पास पहुंचा और बोला—"मैं आपके पास आया हूं ताकि मैं आपका अनुसरण कर सकूं और लूट के माल में हिस्सा पा सकूं।" मुहम्मद ने पूछा कि क्या वह अल्लाह और उसके पैग़म्बर पर विश्वास करता है। जब उस व्यक्ति ने इन्कार किया तो मुहम्मद ने कहा कि जब तक वह अपनी पंथमीमांसा दुरुस्त नहीं कर लेता, तब तक उसका प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं (4472)।

इस हदीस पर अनुवादक की टीका दिलचस्प है। वे बतलाते हैं कि ऊपरी तौर पर यह हदीस अन्य अहादीस का विरोध करती है, क्योंकि उन अहादीस के अनुसार पाक पैग़म्बर ने सैनिक अभियानों में ग़ैर-मुसलमानों की मदद मंजूर की थी। उदाहरण के लिए, हुनैन की लड़ाई में सफ़वान बिन उमैय्या उनकी तरफ से लड़े थे। और उहुद के दिन क़ुज़मान मौजूद थे। ये दोनों ही बहुदेववादी थे। अनुवादक के अनुसार, "इन दो घटनाओं से सिद्ध होता है कि जब जरूरी हो तब किसी गैर-मुस्लिम की मदद ली जा सकती है" (टि० 2285)।

✣✣✣

1. वही, पृष्ठ 369
2. वही, पृष्ठ 368-369

10

शासन (अल-इमारा)

अठारहवीं किताब "शासनतंत्र की पुस्तक" (अल-इमारा) है। यह आज के अर्थों में शासन के सिद्धांत और व्यवहार का ग्रंथ नहीं है। इसकी प्रेरणाएं और स्थापनाएं बिल्कुल अलग हैं।

इस्लामी राज्य अनिवार्यतः एक मजहबी राज्य होता है। एक सच्चे इस्लामी शासन का काम न केवल अमन और व्यवस्था को बनाये रखना है, बल्कि शरह के कानूनों को लागू करना भी है। शरह के साथ पिछले पृष्ठों में हम कुछ परिचित हो चुके हैं। शरह का सम्बन्ध सिर्फ प्रार्थना, सामान्य आचार, ज़कात तथा तीर्थयात्रा से नहीं है, बल्कि वह मोमिन की जिन्दगी के प्रत्येक पक्ष में गहरा दखल देती है। उसके तौर-तरीके, भोजन, वेशभूषा, विवाह इत्यादि समस्त आचार-विचार को शरह अनुशासित करती है। अल्लाह ने मुहम्मद के रूप में एक आदर्श नमूना भेज दिया, जिसकी ज्यों-की-त्यों नकल सबको करनी चाहिए।" हमने (अल्लाह ने) तुम्हें (मुहम्मद को) सब मामलों में सही-सही रास्ते पर चलाया है" (कुरान 14/17)। इस्लामी राज्य का काम है कि यथासम्भव मुहम्मद के उस आदर्श रूप को लागू करे। क्या अल्लाह ने "अपने पैग़म्बर के सच्चाई के मज़हब के साथ मार्गदर्शन के लिये नहीं भेजा है ताकि वह बाकी सब मज़हबों पर अपने इस मज़हब को हावी कर सके ?" (कुरान 9/33))।

दार्शनिक दृष्टि से इस्लामी राज्य सर्वसत्तावादी राज्य होता है। एक संकीर्ण पंथमीमांसा का अनिवार्य उप-सिद्धांत है एक संकीर्ण राजनीति अथवा एक संकीर्ण नागरिक-शास्त्र। इस्लाम में मनुष्य अथवा मानवजाति की अवधारणा के ऊपर उम्मा की अवधारणा का आधिपत्य है। अतः मुस्लिम राजतंत्र में राजनैतिक अधिकारों के किसी भी अर्थ में पूर्ण अधिकार सिर्फ मुसलमानों को मिलते हैं। कुछ मजबूरियों के कारण गैर-मुस्लिमानों को राज्य में रहने की इजाजत अगर दी भी जाती है तो जिम्मी अर्थात् दूसरे दरजे के नागरिक बना कर।

कुरैश की सर्वोच्चता

"अल-इमारा की किताब" शुरू में ही तेरह अहादीस (4473-4485) द्वारा कुरैश की सर्वोच्चता स्थापित करती है। कुरैश उस कबीले का नाम है जिसमें मुहम्मद पैदा हुए थे। कुरैश की सर्वोच्चता, राजनैतिक और बौद्धिक, सभी मामलों में घोषित है। मुहम्मद कहते हैं–"लोग कुरैश के ताबेदार हैं। जो मुसलमान हैं, वे मुसलमान कुरैश के ताबेदार हैं जो गैर–मोमिन है, और वे गैर–मोमिन कुरैश के ताबेदार हैं।" (4473-4474)। अन्यत्र कहा गया है कि "नेकी में भी और बदी में भी, लोग कुरैश के अनुयायी हैं (4475)।

सिर्फ कुरैश ही ख़लीफ़ा बन सकता है

"अगर दुनिया में सिर्फ दो कुरैश ही बचें तो ख़लीफ़ा का पद कुरैश को ही मिलेगा"–यह मुहम्मद की व्यवस्था है (4473)। मुस्लिम जगत में इस सिद्धांत का बहुत प्रमुख स्थान है। शिया लोगों के अनुसार, सिर्फ मुहम्मद के वंशजों, विशेषकर पैग़म्बर के भतीजे तथा दामाद, अली, और पैग़म्बर की बेटी तथा अली की पत्नी, फातिमा, के वंशजों को ही ख़लीफ़ा बनने का हक़ है। इस प्रकार ख़लीफ़ा का पद पाने के अधिकार को और भी संकुचित किया गया है। नतीजा यह निकला कि छः सौ साल तक सिर्फ कुरैश लोग ही ख़लीफ़ा बनते रहे, यद्यपि इस्लाम का शक्ति-केन्द्र मक्का से हट कर दमिश्क और बग़दाद में जा पहुंचा। चंगेज़ खां के पोते, हलाकू, ने बग़दाद में आखिरी ख़लीफ़ा का वध किया, तब तक कुरैश की यह सर्वोच्चता निर्बाध रही। बाद में मिस्र में जिस ख़िलाफ़त का उदय हुआ वह सांसारिक शक्ति के नाते नाममात्र की थी किन्तु वह भी कुरैश ही के हाथों में रही। तदुपरांत ख़लीफ़ा का पद तुर्की के सुल्तान उस्मान (ईस्वी सन् 1299-1326) को मिला। उसने अपनी अनेक उपाधियों में तीन नयी उपाधियां जोड़ी–दो देशों (इस्लाम के पवित्र देश अल-हिजाज और सीरिया) का रक्षक, अल्लाह के रसूल का उत्तराधिकारी और मोमिनों का बादशाह (अमीर अल-मोमिनीन)।

लेकिन यह भावना कि ख़लीफ़ा किसी कुरैश को ही होना चाहिए या कम से कम किसी अरब को, इतनी बलवान थी कि इस्लाम के पंथमीमांसकों ने तुर्की के सुल्तान को सार्वभौम मान्यता कभी नहीं दी। आज के सऊद बादशाह, जो पैट्रो-डालर से मालामाल हैं, इस भावना को किसी दिन फिर-से उभार सकते हैं। फिलहाल तो वे सबसे पहली और जरूरी बुनियाद जमाने में जुटे हुए हैं। वह बुनियाद है कठमुल्लावाद और इस्लामी एकजुटतावाद को मजबूत बनाना तथा मुस्लिम देशों और मुस्लिम आबादियों के बीच अपने लिए राजनैतिक समर्थन खरीदना। मुस्लिम कठमुल्लावाद के बिना अरब ख़लीफ़ा की अवधारणा प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। और अरब ख़लीफ़ा की अवधारणा अरब साम्राज्यवाद का ही अलंकारिक नाम है। अरबों की छत्रछाया में पनपा मुस्लिम कठमुल्लावाद इस्लामी एकजुटतावाद को बल प्रदान करता है।

मुहम्मद की कृपा से अरब के क़ुरैश एक ऐसी विशेष जाति बन गये जो अभी तक अपने पद पर प्रतिष्ठित हैं। इतिहास में इसकी उपमाएं कम ही मिलती है। वे योद्धा, शासक, शक्तिशाली थैलीशाह और इस्लाम के विद्वान बने। उनकी एक शाखा सैयदों की है। सैयदों को पैग़म्बर का वंशज माना जाता है उनके प्रति मुसलमानों में अत्यन्त आदर भाव है। सैयद लोगों को पाक समझा जाता है।

शासक-वृन्द

इस्लामी शासकों को उम्मा के प्रति इंसाफ करने वाला होना चाहिए और शरह का ईमानदारी से अनुसरण करना चाहिए। मुहम्मद अल्लाह से विनती करते हैं–"ऐ अल्लाह ! मेरे लोगों के ऊपर जो किसी तरह का नियंत्रण करने वाला बने और उनके प्रति कड़ाई करते उसके प्रति तू भी कड़ाई बरत। और जो मेरे लोगों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करे और उनके प्रति दयालु रहे, उसके प्रति तू भी दयालु रह" (4494)।

कुछ अन्य घिसे-पिटे प्रबोधन भी हैं। किसी व्यक्ति को "सत्ता का पद" पाने का लोभ नहीं होना चाहिए (4487-4492)। किसी कर्मचारी को "भेंट नजराने" कबूल नहीं करने चाहिएं (4509-4516)। जैसा कि हम जानते हैं, भेंट-नजराने किसी पद को दिये जाते हैं, पदारूढ़ व्यक्ति को नहीं। सदक़ा विभाग का एक कर्मचारी मुहम्मद के पास आया और बोला–"यह धनराशि आपके लिए है और यह मुझे दी गयी एक भेंट है।" मुहम्मद बोले–"तुम्हें भेंट दी जायेगी या नहीं, यह देखने के लिए तुम अपने मां-बाप के घर में ही क्यों नहीं रह गए" (4510)।

लड़ाई की लूट का माल पाक है। उसे जुटाना एक मजहबी फर्ज है। लेकिन उसका गबन करना संगीन जुर्म है। लूट के माल का गबन करने वाले को मुहम्मद चेतावनी देते हैं–"मैं नहीं चाहता कि कयामत के रोज तुममें से कोई मेरे पास आये ... और मुझे मदद मांगे" (4505-4507)।

शासकों के प्रति आज्ञाकारिता

संकीर्ण पंथमीमांसाएं अपने पक्ष में एक परिपूर्ण इलहाम का दावा करती है और मनुष्य के जीते–जागते विवेक को कोई स्थान नहीं देती। न ही वे मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक बोध को कोई स्थान देती हैं। इसीलिए वे कदम-कदम पर ईश्वर की दुहाई देती रहती हैं। लेकिन उनका चरम उत्कर्ष मनुष्यों द्वारा आतंकशाही स्थापित करने में होता है। मुहम्मद अपने आदेशों की निम्नांकित शृंखला प्रतिष्ठित करते हैं–"जो (मेरे द्वारा नियुक्त) इमाम की आज्ञा का पालन करता है, वह मेरी आज्ञा का पालन करता है और जो उसकी अवज्ञा करता है,

वह मेरी अवज्ञा करता है" (4518)। अल्लाह स्वयं इस शृंखला की हिमायत करता है–"ऐ मोमिनों ! अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करो और तुममें से जो लोग तुम्हारे ऊपर शासक बने हैं उनकी (आज्ञा का) भी" (4517, क़ुरान 4/59)।

कुछ अपवाद भी गिनाए गए हैं। "हरेक मुसलमान का यह फर्ज है कि वह अपने ऊपर तैनात शासक की सुने और उसकी आज्ञा का, पसन्द हो या नापसंद, पालन करे, सिवाय उस समय जब उसे कोई गुनाह करने का आदेश दिया जाए" (4533)। यह एक बड़ी छूट है, जिसका जम कर इस्तेमाल किया गया। लेकिन अन्य अहादीस में इस खाई को पाटने की कोशिश की गयी है।

फूट के खिलाफ चेतावनी

मुहम्मद अपने अनुयायियों से कहते हैं कि उनके बाद और कोई पैग़म्बर नहीं होगा, लेकिन बहुत-से ख़लीफ़ा होंगे। किसी ने उनसे पूछा कि अगर एक से ज्यादा ख़लीफ़ा उठ खड़े हों, तो क्या किया जाये ? मुहम्मद ने कहा–"जिसके प्रति वफादारी की कसम तुमने सबसे पहले ली है, वही दूसरों के ऊपर है" (4543)। दरअसल "जब दो ख़लीफ़ाओं के प्रति वफादारी की कसम ली गयी हो, तब जिसके लिए बाद में कसम ली हो उसको मार डालो" (4568)। मुहम्मद सब तरफ से सावधान थे।

उमर ने इस निर्देश का अक्षरशः पालन किया। जब वे मृत्युशैय्या पर थे तब उन्होंने अपने बाद नया ख़लीफ़ा चुनने के लिए निर्वाचकों का एक छह-सदस्यीय मंडल नियुक्त किया। मंडल के लिए उन्होंने जो मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किये, उनमें से कुछ ये थे :–

1. अगर निर्वाचक मंडल सर्वसम्मति से किसी को चुनता है, तो वह व्यक्ति ख़लीफ़ा नियुक्त होगा।

2. अगर उनमें से पांच किसी एक व्यक्ति के बारे में सहमत हों और छठा उनसे असहमत हो, तो असहमत व्यक्ति को तत्काल मार डालना चाहिए।

3. अगर उनमें से चार किसी एक व्यक्ति के बारे में सहमत हों और दो उनसे असहमत हों तो उन दोनों को मार डालना चाहिए।

4. अगर दोनों तरफ बराबर मत हो तो उनका अपना बेटा अब्दुल्ला बिन उमर, जो निर्वाचक मंडल का सदस्य है, अन्तिम फैसला करेगा।[1]

---

1. ये चारों मुद्दे एस.गफ़्फारी की किताब "शियाइज्म" में पृष्ठ 68 पर दिये हैं।

एक संगठन और एक नेतृत्व

"उम्मा जब एकजुट हो तो उस की एकता को भंग करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को तलवार के घाट उतार दो" (4565)। अगली हदीस कहती है–"उसे मार डालो।" संगठन के लिए एक ही नेता को मानो। "जब तुम एक अकेले नेता के नेतृत्व में चल रहे हो, तो तुम्हारे संगठन या एकता को भंग करने की कोशिश जो भी करे, उसे तुम्हें मार डालना चाहिए" (4567)।

बुरे वक्त के बारे में चेतावनी

मुहम्मद आगे आने वाले उन बुरे दिनों के बारे में चेतावनी देते हैं जब लोग "मेरे द्वारा बतलाए रास्ते को छोड़ कर दूसरों के बतलाए रास्तों पर चलेंगे" और फिर भी "वे लोग देखने में हम जैसे और हमारी ही बोली बोलने वाले होंगे।" उन बुरे दिनों में जीवनयापन करने वाले मोमिन को क्या करना चाहिए ? उसे "मुसलमानों के मुख्य संगठन और उसके नेता के साथ रहना चाहिए" (4553)।

उन दिनों में "बहुत से नेता होंगे जो मेरा मार्गदर्शन नहीं मानेंगे और मेरे रास्तों को नहीं अपनायेंगे। उनमें वे लोग होंगे जिनके इन्सानी शरीरों में शैतानों के दिल होंगे।" एक अनुयायी को जबाब देते हुए मुहम्मद उन दिनों के बारे में कहते हैं–"तुम अमीर (शासक) की बात सुनोगे और उसका हुक्म बजा लाओगे। भले ही तुम्हारी पीठ पर कोड़े पड़ें और तुम्हारी जायदाद छीन ली जाये, तुम्हें उसी को बात सुननी चाहिए और उसी की आज्ञा का पालन करना चाहिए" (4554)।

किसी भी अधिनायकवाद के लिए संकट के समय का यह मनोविज्ञान अपरिहार्य है। वही पंथमीमांसा जो दारुल हर्ब (जहां मुसलमानों का राज्य न हो वह क्षेत्र) के लोगों के खिलाफ लगातार युद्ध का उपदेश देती है, अब पूरी कलाबाजी दिखाते हुए दारुल इस्लाम (इस्लाम के अधीन क्षेत्र) और उसके उलूम-अम्र–शासक लोगों–के प्रति पूर्ण समर्पण का उपदेश दे रही है। इन शासक लोगों में इस्लाम के प्रशासक ही नहीं, अपितु उसके पंथमीमांसक भी शामिल हैं।

केवल विच्छेदवादियों और नवाचार प्रवर्तित करने वालों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि झूठे पैग़म्बरों के खिलाफ भी चेतनावनी दी गयी है। क्यों न दी जाये ? क्या मुहम्मद आखिरी पैग़म्बर नहीं हैं ? फिर भी "कयामत के रोज से पहले अनेक ढोंगी पैग़म्बर प्रकट होंगे। तुम्हें उनके खिलाफ जागरूक रहना है" (4483)।

घुड़सवारी और तीर-अन्दाजी

घोड़ों पर सोलह अहादीस है जिनमें से दो घुड़दौड़ पर है (4610-4611)। एक दूसरी से छः मील दूर दो जगहों के बीच मुहम्मद घुड़दौड़ किया करते थे। अनुवादक हमें भरोसा दिलाते हैं कि वह आज कल की तरह दांव लगाने वाली घुड़दौड़ नहीं होती थी। "इस्लाम के लगभग सभी न्यायविद इस विषय में एकमत हैं कि जिहाद और दूसरे उपयोगी कामों के लिए घोड़ों को सधाना एक बड़ा मज़हबी काम है। उन घोड़ों के बीच अगर दौड़ की होड़ हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं" (टि० 2335)।

तीर-अन्दाजी पर भी कई-एक अहादीस (4711-4714)। मुहम्मद ने मिम्बर पर चढ़ कर उपदेश देते हुए तीन बार दोहराया–"होशियार रहो ! तीर-अन्दाजी में ताकत है" (4711)। यह भी कहा कि "तुम्हारे लिए बहुत-से मुल्कों के दरवाजे खोले जाएंगे और अल्लाह ही तुम्हारे लिए काफी है। लेकिन तुम में से किसी को अपने तीरों से खेलना नहीं छोड़ना चाहिए" (4712)। और फिर कहा कि "जिसने तीर-अन्दाजी सीखी और फिर उसे छोड़ दिया वह हम में से नहीं है अथवा वह अल्लाह के रसूल का हुक्म न मानने का दोषी है" (4714)।

बालिग़ होने की उम्र

इस किताब का महत्त्वपूर्ण विषय है जिहाद। लेकिन इसके पहले हम इसमें वर्णित एक-दो छोटे-मोटे मुद्दों की चर्चा कर ले।

उमर का लड़का जब चौदह बरस का था, तब वह उहुद की लड़ाई में लड़ने गया। लेकिन पैग़म्बर ने उसे स्वीकार नहीं किया। अगले साल जब वह पन्द्रह बरस का था तो ख़ंदक़ की लड़ाई में लड़ने चला और इस बार स्वीकार कर लिया गया। इससे मामला तय हो गया। पन्द्रह बरस के व्यक्ति को बालिग़ माना जाता है और उससे कम उम्र वाले को नाबालिग़ (4605)।

किन्तु अनुवादक हमें बतलाते हैं कि इस्लामी कानून में बालिग़ होने की उम्र अलग-अलग परिस्थितियों और दशाओं में अलग-अलग मानी गयी है। उदाहरणार्थ, विवाह के लिए किसी लड़के का यौवनारम्भ एक दूसरी कसौटी पर कसा जाता है–जैसेकि उसे स्वप्नदोष होना और गर्भाधान करने की उसकी क्षमता। इसी प्रकार किसी लड़की का यौवनारम्भ मासिक धर्म, स्वप्नदोष अथवा गर्भधारण से निश्चित होता है (टि० 2331)।

जिहाद

जिहाद फिर हमारे सामने आता है। शासन से संबंधित इस किताब में 358 अहादीस हैं, जिनमें से 92 जिहाद और मुजाहिदों और शहीदों के बारे में हैं।

बात समझ में आती है। क्योंकि जिहाद इस्लाम का मर्मस्थल है और मुजाहिद लोग इस्लाम की मुक्तिवाहिनी हैं। जिहाद के बिना इस्लाम के कोई मायने नहीं। जिहाद करना मुस्लिम राज्य का मज़हबी फर्ज है। वे सब इलाके जो इस्लाम के अधीन (दार अल-इस्लाम) न हों, उन्हें जीतना मुसलमानों के लिए अपरिहार्य है और इसीलिए उन इलाकों को "युद्ध का क्षेत्र" (दार अल–हर्ब) कहा जाता है। लेकिन दार अल-हर्ब पर हमला कब किया जाये, इसका फैसला इमाम पर छोड़ दिया गया है। फिक़ह के कुछ सम्प्रदायों के अनुसार गैर-मोमिनों के खिलाफ हर साल कम से कम एक अभियान अवश्य होना चाहिए। किन्तु क्योंकि ऐसा करना हमेशा सम्भव नहीं होता, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि इस्लामी राज्य अपनी फौज को हमेशा तैयार रखे और जिहाद के लिए प्रशिक्षण देता रहे।

जिहाद सच्चे मतान्तरण का सबूत है

जब मुहम्मद मक्का छोड़कर मदीना में जा बसे, तब इस्लाम लाने वालों की भीड़ मदीना में जुटने लगी। "जो लोग मुहम्मद के प्रति वफादारी की कसमें खाते थे वे अपनी वफादारी के सबूत के तौर पर अपने घर-गांव छोडकर मदीना में आ बसते थे। उनके पास न घर थे न जीविका के साधन। अपनी पुरानी निष्ठाओं से उखड़ जाने के बाद वे बेताब हो गए और वे इस्लाम के कट्टर तथा तत्पर सैनिक बन गए। मक्का-विजय के उपरांत जब मुहम्मद का दबदबा चारों ओर छा गया तो इस्लाम लाने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसीलिए नियम बदल दिए गये। अब वफादारी का सबूत मदीना में आकर बसना नहीं रह गया, बल्कि जिहाद बन गया। एक व्यक्ति मदीना में आकर बसना चाहता था, मुहम्मद ने उससे कहा–"अब हिज्र नहीं रहा, सिर्फ जिहाद है और ध्येय के प्रति वफादारी। जब तुम्हें (इस्लाम के नाम पर चढ़ाई के लिए) आगे बढ़ने को बुलाया जाये तो तुम (फौरन) ऐसा करना" (4597)।

जिहाद के पुण्यफल

"अल्लाह ने उसके संसार का भार अपने ऊपर ले लिया है जो अल्लाह के रसूलों द्वारा दिए गए सत्य पर यकीन करते हुए अल्लाह की राह में लड़ने जाता है। अल्लाह उस का निगहबान है। अल्लाह या तो उसको जन्नत में दाखिल करेगा या उसे इनाम अथवा लूट के माल के साथ घर वापस भेज देगा" (4626)। अगर वह जिहाद में जान दे देता है तो उसकी देह की दुर्गति नहीं होगी। "अल्लाह की राह में मुसलमान (की देह पर) जो भी घाव लगता है, वह घाव कयामत के रोज ठीक उसी हालत में होगा जिस हालत में वह लगने के रोज था ... और (उसमें से बहते हुए का) रंग खून का रंग होगा, लेकिन उसकी महक कस्तूरी की महक होगी" (4630)।

इस्लाम के विस्तार के लिए जिहाद करना शबाब का सबसे बड़ा काम है और जन्नत के दरवाजे में दाखिल होने का सबसे सरल उपाय। मुहम्मद अपने मोमिनों से कहते हैं–"जन्नत तलवारों की छाया तले है" (4314)।

"उनकी फिक्र मत करो जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं।" वस्तुतः "शहीदों की रूहें उन हरे परिन्दों के जिस्मों में बसती हैं जो सर्वशक्तिमान (अल्लाह) के तख्त से लटकने वाले फानूसों में घोंसले बनाकर रहते हैं। वे जन्नत के फलों को जहां से चाहे खा सकते हैं।" उनकी और कोई इच्छा भी नहीं रहती, सिवाय इसके कि वे फिर पैदा हों जिससे कि वे "तुम्हारी (अल्लाह की) राह में एक बार फिर मारे जायें" (4651)। मुहम्मद की अपने बारे में भी यही इच्छा थी। "मैं अल्लाह की राह में लड़ने और मरने के लिए लालायित हूं। फिर लड़ूं और फिर मारा जाऊं, फिर लड़ूं और फिर मारा जाऊं" (4626)।

दूसरे कामों की तुलना में जिहाद की श्रेष्ठता

जिहाद में शामिल होने पर मोमिन को जो आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होते हैं, वे इस्लाम द्वारा विहित दूसरे सब मज़हबी फर्जों को पूरा करने से मिलने वाले पुण्यों के बराबर होते हैं, जैसेकि रोजे रखना, नमाज़ पढ़ना और हज़ करना। "जो जिहाद के लिए जाता है वह उसके समान है जो रोजे रखता है, नियमित नमाज़ पढ़ता है और कुरान की आयतों में दर्ज अल्लाह की आज्ञाओं का पालन करता है" (4639)।

विभिन्न सद्‌गुणों के बारे में कुछ लोगों में विवाद हो गया। एक ने कहा–"इस्लाम कबूल करने के बाद इसकी मुझे कोई परवाह नहीं कि मैंने हाजियों को पानी पिलाने के सिवाय दूसरा कोई नेक काम नहीं किया।" दूसरे का विचार था कि मस्जिद की देखभाल का काम श्रेष्ठतर है। तीसरा सिर्फ मुजाहिद बनना चाहता था। मुहम्मद से सलाह ली गयी। अल्लाह ने उन पर एक आयत उतारी–"क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाने वालों और पाक मस्जिद की देखभाल करने वालों को उनके बराबर मान लिया है जो अल्लाह तथा आखिरी रोज़ (यौमुल-आख़िरत) पर यकीन करते हैं और जो अल्लाह की राह में जिहाद पर जाते हैं ? अल्लाह की नजर में ये सब लोग बराबर नहीं है, और अल्लाह गलत काम करने वालों को हिदायत नहीं देता" (कुरान 9/19, हदीस 4638)।

जिहाद में मिलने वाला इनाम इस दूनिया में मिलने वाले सब इनामों से बढ़कर है। "अल्लाह की राह में सुबह या शाम जिहाद के लिए जाना इस दुनिया से, और जो इस दुनिया में है उस सबसे, बेहतर इनाम दिलाने वाला है" (4639)।

मुजाहिदों को जन्नत में सबसे ऊंचा मक़ाम मिलेगा

मुसलमान होने के बहुत से इनाम हैं, लेकिन मुजाहिद होने के इनाम सबसे ज्यादा हैं। पैग़म्बर ने कहा था–"जो भी अल्लाह को अपना मालिक कबूल करता है, इस्लाम को अपना मज़हब और मुहम्मद को अल्लाह का रसूल मानता है, वह जरूर जन्नत में दाखिल होने का अधिकारी है। .... (फिर) एक और काम है जिसे करने वाले को जन्नत में दूसरों से सौ-गुना ऊंचा स्थान मिलता है और वह ऊंचाई धरती से लेकर आसमान तक की ऊंचाई के बराबर है ... वह कौन सा काम है ? .... अल्लाह की राह में जिहाद ! अल्लाह की राह में जिहाद" (4645)। लेकिन इतनी ऊंची जन्नत की नेमतों में भी शहीद को कोई दिलचस्पी नहीं होती। इसलिए शहीद "इस दुनिया में फिर से आना चाहेगा और उस को जो गौरव मिला है उसके लिए दस बार मरना चाहेगा" (4635)।

एक शहीद की कहानी

जन्नत का वायदा लुभावना था। उहुद की लड़ाई में एक मोमिन ने मुहम्मद से पूछा–"अल्लाह के रसूल ! अगर मैं मारा गया तो मैं कहां जाऊंगा ? मुहम्मद ने जबाब दिया–जन्नत में। उस आदमी के हाथ में कुछ खजूर थे। खजूर फैंक कर वह तब तक लड़ता रहा जब तक कि मारा न गया" (4678)।

पहेलियां

मुस्लिम पंथमीमांसा पहेलियां भी प्रस्तुत करती है। दो आदमी, एक मारने वाला और दूसरा मरने वाला, दोनों जन्नत में जाते हैं। साथियों ने मुहम्मद से पूछा–"कैसे ?" उन्होंने जबाब दिया–"एक व्यक्ति अल्लाह की राह (जिहाद) में मारा जाता है और शहीद हो कर मरता है। फिर अल्लाह मारने वाले पर मेहरबान होता है और वह इस्लाम कबूल कर लेता है। वह भी अल्लाह की राह में लड़ता है और शहीद की मौत मर जाता है" (4658-4659)।

एक अन्य पहेली समाधान मांगती है। दो जने जहन्नुम में पहुंचते हैं। उनमें से एक मारने वाला है और दूसरा मारा गया है। किन्तु उनको "एक साथ नहीं रक्खा जाता।" साथियों ने मुहम्मद से पूछा–"वे कौन है ?" मुहम्मद ने जबाब दिया–"एक काफिर और एक मोमिन" (4661-4662)। लेकिन कैसे ? अनुवादक बात स्पष्ट करते हैं–मोमिन कोई बड़ा गुनाह करने पर ही जहन्नुम में जाता है, जबकि काफिर को वहां जाना ही पड़ता है। लेकिन तब भी दोनों के बीच बहुत फर्क रहता है। अल्लाह की नजर में एक गुनहगार मोमिन और एक काफिर बराबर नहीं हैं। इसलिए काफिर की तरह मोमिन को "वहां (जहन्नुम में) हमेशा नहीं रखा जायेगा ... (और फिर) काफिर को जहन्नुम में सबसे भयंकर जगह में

रखा जायेगा, जबकि गुनहगार मोमिन अपेक्षाकृत कम तकलीफदेह हालत में रहेगा। और इस प्रकार वे दोनों जहन्नुम में रहते हुए भी कभी एक साथ नहीं होंगे" (टि० 2348)।

यहां हम एक और पहेली की चर्चा करेंगे। इसे इब्न इसहाक द्वारा दी गई एक हदीस से उद्धृत किया जा रहा है ! एक आदमी एक बार भी मुस्लिम प्रार्थना किये बिना जन्नत में जा पहुंचता है। वह अल-असवद था। वह एक गड़रिया था। जैसे ही उसने इस्लाम कबूल किया, उसे जिहाद में शामिल होने के लिए बुलाया गया। अतः एक बार भी नमाज़ पढ़ने का वक्त उसे नहीं मिला। लड़ाई के समय उसे एक पत्थर लगा और वह शहीद हो गया। मुहम्मद उसके शव के पास पहुंचे और उन्होंने शालीनता के साथ अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने बतलाया–"इस समय उसके पास काली आंखों वाली दो हूरें उसकी बीवियां बनी बैठी हैं।"[1]

एक लौकिक स्वर

जन्नत की इस तमाम ललक के बाद किताब का अंत एक लौकिक स्वर के साथ होता है। जाबिर बतलाते हैं–"हम अल्लाह के पैग़म्बर के साथ एक चढ़ाई पर गए। जब मदीना लौटे और अपने घरों को जाने लगे तो पैग़म्बर ने कहा–ठहरो और शाम को देर से अपने घरों में जाओ, जिससे कि अस्त-व्यस्त औरत अपने केश संवार ले और वह औरत जिसका पति प्रवास में था अपने गुप्तांगों के बाल साफ कर सके" (4727)।

एक अन्य हदीस मुजाहिद को "अपने घर में अचानक जा पहुंचने से मना करती है, मानो वह उन की (औरतों की) वफादारी पर शक करता हो और टोह ले रहा हो कि उन्होंने कुछ ऐसा-वैसा तो नहीं किया" (4730)। इसकी एक व्याख्या यह है कि जब मुजाहिद अपने घरों से इतने अरसे तक दूर रहते हैं कि उनके लौटने की आशा नहीं रहती, तो ऐसे में उनकी बीवियां अपने यारों के साथ हो सकती हैं। ऐसी दशा में अचानक पहुंच कर उन्हें पकड़ना नहीं चाहिए, ताकि गृहस्थियां बची रहें और टूटने न पाएं। मुहब्बत में मुब्तला लोगों को अलग होने का अवसर मिलना चाहिए। बात सीधी-सादी और अक्लमन्दी की है।

इब्न अब्बास के अनुसार दो लोगों ने इस आदेश की तरफ ध्यान नहीं दिया और नतीजा यह हुआ कि "उन दोनों ने अपनी बीवियों को अपने यारों के साथ पाया।" (तिरमिजी, जिल्द 2, हदीस 571)।

1. सीरत रसूल-अल्लाह, पृष्ठ 519

11

शिकार और खान-पान

उन्नीसवीं किताब शिकार और क़ुर्बानी करने लायक तथा खाये जाने लायक जानवरों के बारे में है।

मुहम्मद ने भोजन (ताअम) के बारे में अनेक यहूदी प्रतिबंधों को विशेष महत्त्व नहीं दिया और उन प्रतिबन्धों में काफी ढील दी। क़ुरान कहता है–"ऐ मोमिनों! हमने तुम्हे जो अच्छी नेमतें दी हैं उन्हें खाओ" (क़ुरान 2/172)। यही बात एक दूसरी आयत (5/87) में दुहरायी गयी है। फिर भी कुछ रस्मी प्रतिबन्ध इस्लाम में शुरू से ही रहे हैं। कुछ जानवरों को हलूल (जायज) समझा गया, कुछ को मुवाह (स्वीकार योग्य), कुछ को मकरूह (मना, लेकिन जिनके खाने पर कोई सजा नहीं) और कुछ को पूरी तरह हराम (निषिद्ध) ठहरा दिया गया।

जो जानवर "पाक" हैं उनका शिकार किया जाना चाहिए और उनको एक खास अनुष्ठान के साथ एक खास तरीके से हलाल किया जाना चाहिए, ताकि उनके गोश्त को जायज खाना कहा जा सके। जानवर को ज़िबह करते समय उसके गले के आर-पार चाकू चलाते हुए उसकी श्वास-नली काटनी चाहिए और साथ ही बिस्मिल्लाहि-अल्लाहु अकबर ("अल्लाह के नाम पर, अल्लाह सबसे बड़ा है") दुहराते रहना चाहिए। किन्तु अगर कोई बुतपरस्त अथवा इस्लाम का त्याग करने वाला व्यक्ति इस तरीके से जानवर को मारे, तो उसका गोश्त जायज नहीं है।

शिकार

शिकार के बारे में इसी तरह के प्रतिबन्ध हैं। अपने प्रशिक्षित कुत्ते द्वारा पकड़े और मारे गए शिकार को खाने से पहले बिस्मिल्लाहि-अल्लाहो-अकबर दुहराते रहना काफी नहीं है। सिधाए हुए कुत्ते को शिकार के पीछे छोड़ने से पहले, कुत्ते पर अल्लाह का नाम जपना भी जरूरी है (4732-4734)। "जब तुम अल्लाह का नाम लेकर अपने प्रशिक्षित कुत्तों को शिकार के लिए छोड़ो, तो उन कुत्तों द्वारा पकड़े गये शिकार को खा सकते हो। तब भी जबकि शिकार मर गया हो, बशर्तें कि शिकारी कुत्ते ने उस का कोई हिस्सा खा न लिया हो" (4733)। किसी ने पूछा–"अगर मेरे कुत्ते के साथ कोई दूसरा कुत्ता भी हो और मैं यह न जान पाऊं कि शिकार किसने पकड़ा है, तब मैं क्या करूं ?" मुहम्मद ने जबाब दिया–"तब उसे मत खाओ" (4734)।

जो बात शिकारी कुत्ते के बारे में लागू है, वही अन्य किसी भी शिकारी जानवर के बारे में लागू है, चाहे वह बाज हो या चीता हो। प्रशिक्षित कुत्ते की परख यह है कि वह शिकार को तीन बार दबोचता है किन्तु खाता नहीं। प्रशिक्षित बाज की पहचान यह है कि वह बुलाये जाने पर अपने मालिक के पास लौट आता है।

उपरोक्त नियम तीर से मारे गये शिकार के बारे में भी लागू होता है। "जब तुम तीर मारो, अल्लाह का नाम लो और अगर शिकार तीर से मर जाये तो उसे खा लो। शिकार अगर पानी में गिर जाए तो उसे मत खाओ। क्योंकि उस समय तुम्हें मालूम नहीं होता कि शिकार पानी में गिरने से मरा या तुम्हारे तीर से" (4742)।

विधि और निषेध

"यदि तुम किताब वाले लोगों (यहूदियों और ईसाइयों) के देश में हो, तो उनके बर्तनों में मत खाओ। पर अगर उनके बर्तनों में खाना ही पड़े तो इस्तेमाल से पहले उन्हें धो लो" (4743)।

हलाल और हराम गोश्त

तीखे दांतों वाले सभी पशुओं को और तीखे पंजों वाले सभी पक्षियों को खाना मना है (4748-4755)। लेकिन पानी के जानवरों को खाने की इजाजत है, भले ही वे स्वाभाविक मौत मरे हों। इस खास इजाजत का कारण एक किस्सा है। जाबिर हमें इसका आंखों–देखा हाल सुनाते हैं–"अल्लाह के रसूल ने हमें एक चढ़ाई पर भेजा। हमें क़ुरैशों के एक कारवां को पकड़ना था।" चढ़ाई के दौरान खाने के सामान की कमी पड़ गयी और वे भुखमरी की हालत में जा पहुंचे। तभी उन्होंने समुद्र के तट पर "एक बड़े टीले जैसी कोई चीज" देखी। वह अल-अंबर नामक ह्वेल मछली थी। वह मरी हुई थी। लेकिन चूंकि लोग "अल्लाह के रसूल द्वारा अल्लाह की राह में भेजे गये थे" और बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसलिए उन्होंने वह मुर्दा जानवर भी खा लिया। वे "तीन-सौ लोग" उसे महीने भर खाते रहे और तगड़े हो गये। जाबिर हमें बतलाते हैं–"मैंने देखा कि कैसे हमने उसकी आंखों की कोटरों में से मटके पर मटके भरकर चर्बी निकाली और उसके बदन से एक साँड़ के बराबर मांसपिण्ड कतर लिया .... अबू उबैद (मुखिया) ने हम में से तेरह लोगों को बुलाया और उन्हें उसकी आंख की कोटर में बैठाल दिया।" वापस आकर उन्होंने मुहम्मद से यह क़िस्सा बयान किया तो वे बोले कि यह उन लोगों के "वास्ते अल्लाह का किया एक विशेष इन्तज़ाम था।" मुहम्मद ने पूछा–"मांस का कोई टुकड़ा बचा है ?" उन लोगों ने एक टुकड़ा मुहम्मद को दिया "और उसे उन्होंने खाया" (4756)।

गधे

पालतू गधों का गोश्त खाना नाजायज़ है (4763-4778)। क्योंकि वे घिनौने या नापाक होते हैं" (4778) और उनका गोश्त "शैतान के कारनामों का घिनौना रूप है" (4777)।

इस निषेध का आदेश ख़ैबर के रोज़ हुआ था जबकि मुहम्मद के साथियों द्वारा चूल्हों पर चढ़ाए बर्तनों में घरेलू गधों का गोश्त खदबदा रहा था। हुक्म हुआ कि "अपने बर्तनों को फैंक दो।" कुछ ने समझा कि निषेध अस्थायी है, क्योंकि तब तक "लड़ाई की लूट का पंचमांश खजाने में जमा नहीं किया गया था जो कि कानूनन जरूरी होता है" (4768)। प्रावधान यह है कि लड़ाई की लूट का निजी उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि लूट का माल भलीभांति बांट न दिया जाये और उसका पंचमांश ख़ज़ाने में जमा न कर दिया जाये। इसे स्पष्ट करने के लिए हम रफी बिन ख़दीज द्वारा कही गयी एक अन्य हदीस उद्धृत करते हैं–"हमें बकरे–बकरियां और ऊंट मिले। हम में से कुछ लोगों ने जल्दबाज़ी की और उनका गोश्त मिट्टी की बर्तनों में पकाने लगे। उन्होंने (पैग़म्बर ने) हुक्म दिया और वे बर्तन उलट दिये गये" (4847)। अनुवादक हमें बतलाते हैं–"दारुल हर्ब (दुश्मन की ज़मीन) पर रहते हुए लूट के माल का इस्तेमाल जायज़ है, लेकिन दारुल इस्लाम में उसकी इजाज़त नहीं है" (टि० 2388)।

घोड़े

घोड़े का गोश्त हलाल है (4779-4782)।

छिपकलियां, टिड्डियां और खरगोश

छिपकलियों का गोश्त मना नहीं है, लेकिन उसे खाना "निष्ठा के ऊंचे उसूलों के ख़िलाफ़ है" (4783-4800)। एक भुनी हुई छिपकली पैगम्बर के पास भेजी गयी। उन्होंने उसे लेने से इन्कार कर दिया और कहा–"मैं न तो इसे खाता हूं और न इसे खाना मना करता हूं।" इसे न खाने की वजह यह थी–"यह मेरे लोगों के मुल्क में नहीं पायी जाती है मुझे लगता है कि मुझे यह पसन्द भी नहीं है" (4790)।

टिड्डियों का खाना जायज़ है। इब्न अबू औफा और अबू बकर बतलाते हैं'"हम अल्लाह के पैग़म्बर के साथ सात चढ़ाइयों में गये और हमने टिड्डियां खायीं" (4801-4803)।

इसी तरह ख़रगोशों का गोश्त जायज़ है, अनस बतलाते हैं कि उन्होंने और उनके साथियों ने एक ख़रगोश का पीछा किया, उसे पकड़ा और ज़िबह किया,

और "उसका चूतड़ और पिछली दोनों टांगे अल्लाह के पैग़म्बर के पास भेजीं ... और उन्होंने वे क़बूल की" (4801)।

उदात्त भाव से मारो

पैग़म्बर में करुणा का अभाव नहीं था। शद्दाद बिन औस बतलाते हैं–"मुझे दो बातें याद हैं, जो अल्लाह के पैग़म्बर ने कहीं थी : यक़ीनन अल्लाह ने सब के साथ भलाई का आदेश दिया है। इसलिए जब तुम मारते हो तो अच्छी तरह मारो और जब तुम ज़िबह करते हो तो अच्छी तरह ज़िबह करो। इसलिए तुम सब को अपना चाकू हमेशा तेज रखना चाहिए ताकि ज़िबह किया जाने वाला जानवर आराम से मर सके" (4810)।

कुर्बानियां

अगली किताब "कुर्बानियों की किताब" (किताब अल–अज़ाही) है। इसका इससे पहली किताब के साथ का गहरा ताल्लुक़ है।

जानवरों की क़ुर्बानी के लिए क़ुरान अनेक शब्दों का प्रयोग करती है। खुद 'अज़ाही' शब्द 'ज़बह' धातु से बना है, जिसका मतलब होता है, "दो फांक करना या छेदना"। एक दूसरा शब्द है 'नहर' जिसका मतलब है "गले की नली को आहत करना"। यह शब्द ऊंट की छाती में छुरा घोंपने के लिए प्रयुक्त होता है, जैसा कि क़ुर्बानी के समय किया जाता है, और इसीलिए प्रकारांतर से यह शब्द क़ुर्बानी के लिए भी इस्तेमाल होता है।

अनेक धार्मिक परम्पराओं में सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव एक प्रमुख तत्त्व के रूप में मिलता है। यह भाव प्राणीजगत की एकता के प्रति एक गहन दृष्टि का उदय होने पर पनपता है। लेकिन सामी मज़हबों में इस भाव और इस दृष्टि का सर्वथा अभाव है। ओल्ड टैस्टामेंट के कुछ हिस्से पढ़ने पर ऐसा लगता है मानो वह पशुमेध की संहिता हो। आदिकालीन ईसाइयों के नियमित भोजन में गोश्त शामिल होता था। सिर्फ कुछ खास तरह का गोश्त और कुछ खास तहर से प्राप्त गोश्त वर्जित था। जो गोश्त "बुतों को अर्पित किया गया हो या खून से सना हो किसी प्राणी का गला घोंट कर प्राप्त किया गया हो" उस गोश्त से ही उन्हें परहेज करने को कहा गया था। ईसाइयों के उपास्य अपने अनुयायियों पर ज़रूरत से ज्यादा बोझ लादना नहीं चाहते थे (ऐक्ट्स 15/28-29)।

इस्लाम में भी जानवरों की कुर्बानी बहुत बड़ा पुण्यकर्म है। मुहम्मद अपने साथियों से कहते हैं कि "कुर्बान किये गये जानवर के हर एक बाल के एवज में एक इनाम है। यक़ीनन उसका खून जमीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह को क़बूल होता है (तिरमिज़ी, जिल्द 1, हदीस 1392)। लेकिन पुण्य कमाने के लिए यह ज़रूरी है कि क़ुर्बानी अल्लाह को ही दी जाये, अल-लात या अल-उज़्ज़ा या

अल-मनात को नहीं। सिर्फ़ अपना मज़हब बदल देने से ही यह चमत्कार देखा जा सकता है। बाकी आदतें बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। मुहम्मद हमें बतलाते हैं कि जिन लोगों को "अल्लाह ने शाप दिया है" वे वे लोग हैं "जो अल्लाह के सिवाय किसी और को क़ुर्बानी भेंट करते हैं" और वे लोग "जो मज़हब में नया आचार जोड़ने वाले को मिल्लत में शामिल करते हैं" (4876-4878)।

कुछ लोग यह बात तो बढ़-चढ़ कर कहते रहते हैं कि ईसाईयों का उपास्य क्या चाहता है अथवा अल्लाह की क्या मरज़ी है, लेकिन मनुष्य के अंतःकरण की आवाज उन को कभी सुनाई नहीं देती और मानवहृदय में भरी करुणा कभी उन को नहीं छू पाती।

क़ुर्बानी के लिए सही वक्त

ईदुल-अज़ा के रोज क़ुर्बानी के लिए सही वक्त सुबह की नमाज के बाद होता है (4818-4835)। मुहम्मद के जीवनकाल में कुछ लोग मुहम्मद द्वारा नमाज़ पढ़ने के पहले ही अपने जानवरों को ज़िबह कर दिया करते थे। उनसे कहा गया कि उनको दोबारा क़ुर्बानी करनी पड़ेगी। "लोगों को अल्लाह के पैग़म्बर द्वारा (अपने जानवर की) क़ुर्बानी देने के पहले किसी जानवर की क़ुर्बानी नहीं देनी चाहिए। (4837)।

सही उम्र

जिस तरह क़ुर्बानी का सही वक़्त तय है, उसी तरह क़ुर्बान किये जाने वाले जानवर की सही उम्र भी तय है।" सिर्फ जवान जानवर की ही क़ुर्बानी दो। यदि ऐसा न कर पाओ तो किसी मेमने की (जो एक साल से छोटा हो लेकिन छह महीने से बड़ा) क़ुर्बानी दो" (4836)।

सही तरीक़ा

जानवर की क़ुर्बानी अपने हाथ से करना पुण्य का काम है। मुहम्मद ऐसा ही करते थे। मुहम्मद ने "हुक्म दिया कि काली टांगों, काली तोंद और आंखों के पास काले घेरों वाला एक मेमना उनके पास लाया जाये।" फिर वे आयशा से बोले–"मुझे बड़ा चाकू दो।" उन्होंने आयशा से उस चाकू को "पत्थर पर (घिस कर) तेज करने" को कहा। जब वे चाकू तेज कर चुकी तक चाकू और मेमना लेकर मुहम्मद ने "मेमने को जमीन पर लिटाया और क़ुर्बान कर दिया" (4845)। एक दूसरी हदीस आगे बतलाती है कि मेमनों की क़ुर्बानी देते वक्त मुहम्मद "अपने पांव से उनकी बगलें दबा लेते थे" (4841)।

क़ुर्बानी देते समय मुहम्मद कहते थे–"अल्लाह के नाम पर ! ऐ अल्लाह ! मुहम्मद की से ओर और मुहम्मद के कुटुम्ब की ओर से और मुहम्मद की उम्मा की ओर से (यह क़ुर्बानी) मंजूर कर" (4845)।

किसी जानवर को ज़िबह करने के लिए सही औजार है धारदार चाकू। एक साथी ने मुहम्मद को बतलाया–"अल्लाह के पैग़म्बर ! कल हम दुश्मन से मुठभेड़ करने जा रहे हैं। पर हमारे पास चाकू नहीं हैं।" (अनुवादक समझाते हैं कि दुश्मन के ख़िलाफ़ चाकुओं की जरूरत नहीं पड़ती थी, किन्तु लड़ाई की लूट में अपने हिस्से आए जानवरों को ज़िबह करने के लिए उनकी जरूरत होती थी)। पैग़म्बर ने जवाब दिया–"(चाकू जुटाने में) जल्दी करो अथवा सावधानी बरतो। तभी खून बह सकेगा और (उस के साथ) अल्लाह का नाम लिया जा सकेगा" (4846)।

इसी हदीस में यह कहा गया है कि जानवर को मारते वक़्त कील या हड्डी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। "जहां तक कील की बात है, वह हड्डी के समान है और हड्डी अबीसीनिया के लोगों का चाकू है।"

क़ुर्बानी देना फ़र्ज़ है

अनुवादक एक टिप्पणी में एक हदीस उद्धृत करके बतलाते हैं कि इदुल अज़ा के रोज़ जानवर की क़ुर्बानी देना हरेक वयस्क मुस्लिम के लिए फ़र्ज़ है। अबू हुरैरा के अनुसार मुहम्मद ने कहा था–"जो क़ुर्बानी दे सकता है लेकिन देता नहीं उसे हमारी इबादत की जगह के पास नहीं आना चाहिए" (टि० 2378)

बात समझ में आती है। जानवर की क़ुर्बानी का आदेश क्या खुद अल्लाह ने नहीं दिया ? अल्लाह आदेश देता हैं–"क़ुर्बानी वाले ऊंट हमने तुम्हारे लिए अल्लाह के प्रतीक बनाये हैं ... जब वे क़ुर्बानी के लिए कतार में खड़े कर लिये जायें तो अल्लाह का नाम लो और जब वे एक करवट से गिर जायें तो उन्हें खाओ ... हमने जानवर तुम्हारे अधीन कर दिए हैं ताकि तुम शुक्र बज़ा लाओ" (क़ुरान 22/36)।

पात्र और पवित्रता

चेतना के जिस सामान्य स्तर पर श्रद्धा का उद्रेक होता है उस स्तर पर क़ुर्बानी की मुस्लिम प्रथा में कोई दोष नहीं है। हम जो खुद खाते हैं वही अपने देवताओं को अर्पित करते हैं। जानवरों की क़ुर्बानी से हमें गोश्त खाने को मिलता है और हम यह यक़ीन करना चाहते हैं कि इस काम का पुण्य (वह जो भी हो) ईश्वर के पास पहुंचता है। "अल्लाह के पास न तो उनका गोश्त पहुंचता है और न उनका खून, तुम्हारी निष्ठा ही पहुंचती है (क़ुरान 22/37)।

जिसे यह भाये वह ऐसा समझे। लेकिन चेतना के गहन स्तर पर सब कुछ बदल जाता है। तब हमें यह अनुभूति होती है कि पुण्य कमाने की यह पंकिल पद्धति पर्याप्त नहीं है। तब हमें प्राणीमात्र के प्रति एक नयी आत्मीयता, एक नयी निष्ठा का अनुभव होता है। हमें यह बोध होता है कि जानवर की क़ुर्बानी किसी

मानवोचित उपास्य के लिए विहित नहीं हो सकती, न ही कोई मानवोचित उपास्य उस क़ुर्बानी को स्वीकार कर सकता है।

पेय

इक्कीसवीं किताब "पेयों की किताब" (अशरिबा) है। मुहम्मद ने सभी नशीले पेयों का निषेध किया। पेय में नशे की मात्रा चाहे कम हो या ज़्यादा।

ऐसा लगता है कि मुहम्मद के साथियों में पीने की आदत पुरज़ोर थी। इस किताब की अनेक अहादीस बतलाती हैं कि अबू ताल्हा, अबू अयूब, अबू दुजाना, मुआज़ बिन जबाल, साहिल बिन बय्यादा, अबू उबैद और उबैय्य बिन काब शराब पीते थे। सबसे बुरा मामला पैग़म्बर के चाचा, हमज़ा बिन अब्द अल–मुत्तलिब, का है। पैग़म्बर के दामाद, अली, एक दिलचस्प क़िस्सा बयान करते हैं–"बदर की लड़ाई के रोज लूट के माल में से एक ऊंटनी मेरे हिस्से में आयी। और अल्लाह के पैग़म्बर ने ख़म्स (अल्लाह और उसके रसूल के लिए नियत पंचमांश) में से एक ऊंटनी और मुझे दे दी।" अली किसी काम से एक अंसार के घर गये और अपने ऊंट साथ ले गये। ऊंट उन्होंने बाहर बांध दिए। जब वे लौटे तब उन्होंने देखा कि "उनके कूबड़ कतर डाले गये हैं, उनके चूतड़ कटे हुए हैं और उनके कलेजे निकाल लिये गये हैं।" जब अली ने पूछा कि यह सब किसने किया तो लोगों ने हमज़ा का नाम लिया और कहा कि "वह अंसारों के साथ इस घर में एक गाने वाली के साथ नशे में धुत्त पड़ा है।"

अली ने यह बात मुहम्मद को बतलायी। मुहम्मद ने अपना चोग़ा पहना और वहां पहुंचे जहां हमज़ा था और उसे धिक्कारना शुरू किया। "हमज़ा की आँखें लाल थीं। उसने अल्लाह के पैग़म्बर पर एक नजर डाली और फिर उनके घुटनों की तरफ देखा और फिर अपनी आंखें फेर लीं। और फिर उनकी कमर पर एक नज़र डाली और फिर अपनी आंखें घुमायीं और उनके चेहरे को देखा। और तब हमज़ा ने कहा–क्या तुम मेरे पिता के गुलामों के सिवाय कुछ और भी हो ? अल्लाह के पैग़म्बर समझ गये कि वह नशे में है और वे उल्टे पांव बाहर आ गये" (4881)।

शराब निषिद्ध कर दी गयी।

नवीज़

नवीज़ भी हराम क़रार दी गयी। पके हुए और अधपके खजूरों को एक साथ मिला कर एक तरह की शराब बनायी जाती है, जिसे नवीज़ कहते हैं (4896-4912)। मुहम्मद ने वार्निश किये हुए घड़ों, तूम्बों, कच्ची सुराहियों अथवा खोखली डालों में नवीज़ तैयार करना भी मना कर दिया (4913-4995)।

मुहम्मद और शराब

अनेक अहादीस से यह पता चलता है कि मुहम्मद खुद नवीज़ पीते थे। (4971-4982)। आयशा बतलाती हैं–"हमने उनके (मुहम्मद के) वास्ते एक मशक़ में नवीज़ तैयार की ... हमने सुबह नवीज़ बनायी और उन्होंने उसे शाम को पिया और हमने रात में नवीज़ बनायी और उन्होंने उसे सुबह पिया" (4977)। पैग़म्बर का भाई इब्न अब्बास बतलाता है–"रात शुरू होते ही अल्लाह के पैग़म्बर के लिए नवीज़ तैयार की जाती थी और वे उसे सुबह पीते थे और अगली रात और अगले दिन और उससे अगली रात और उसके बाद अगली दोपहर तक पीते थे। अगर कुछ बच रहती थी तो वे उसे अपने नौकर को दे देते थे या फिर उसे फेंक देने का हुक्म देते थे" (4971)।

पैग़म्बर द्वारा पीना और फिर मना करना, इस दोनों के बीच संगति कैसे बैठाई जाये ? मज़हब के मीमांसक इसमें कोई दिक्कत महसूस नहीं करते हैं। वे कहते हैं–"यह निषेध सम्पूर्ण निषेध नहीं है, बल्कि न पसन्दी का द्योतक है। नवीज़ जब तक शराब नहीं बन जाती, उसे पीना हराम नहीं है।" इमाम अबू हनीफा और काज़ी अबू यूसुफ़ के मुताबिक यह नापसन्दी भी नहीं है। यह निषेध "सिर्फ़ इस्लाम की शुरूआत के दौर में ही आवश्यक था जबकि लोगों को शराब के निषेध के लिए तैयार किया जा रहा था" (टि० 2409)।

दूध

मुहम्मद ने दूध पीने को पसन्द किया। अबू बकर बतलाते हैं–"मैंने उनके (पैग़म्बर के) वास्ते थोड़ा-सा दूध दुहा और उनके पास ले गया और उन्होंने उसे पिया" (4983)।

भोजन करते समय का शिष्टाचार

खानपान से सम्बन्धित शिष्टाचार भी बतलाये गये हैं। मुहम्मद कहते हैं–"तुममें से किसी को अपने बायें हाथ से नहीं खाना चाहिए और बांये हाथ से नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शैतान बांये हाथ से खाता है और उसी हाथ से पीता है" (5010)।

एक दूसरी हदीस में वे उमर से कहते हैं कि जो उसकी बीवी उम्म सलमा का उसके पहले पति से पैदा पुत्र था–"बेटे ! अल्लाह का नाम लो और दाहिने हाथ से खाओ और जो तुम्हारे नज़दीक हो उसमें से लेकर खाओ" (5010)।

खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए (5017-5022)। लेकिन ज़मज़म के पानी को खड़े होकर पिया जा सकता है, क्योंकि मुहम्मद ने खुद ऐसा ही किया था (5023-5027)। (ज़मज़म मक्का की मस्जिद के अहाते में स्थित सुप्रसिद्ध

कुआं है)। सामान्यतः अगर कोई खड़े होकर पानी पी ले तो उसे "उलटी कर देनी चाहिए" (5022)।

खाना खा चुकने के बाद अपनी उंगलियां चाटना भी पुण्यकर्म है। अब्दुल्ला बिन काब बतलाते हैं कि "अल्लाह के पैग़म्बर तीन उंगलियों से खाना खाते थे और हाथ पोंछने के पहले उसे चाटते थे" (5040)। आदेश यह है-"जब तुम में से कोई खाना खाता है तो उसे या तो खुद चाटने के बाद हाथ पोंछना चाहिए या किसी और को हाथ चटा देना चाहिए" (5038)।

कुम्हड़ा और खीरा

कुम्हड़ा खाना पुण्य का काम है (5067-5069)। और खजूर के साथ खीरा खाना भी। क्योंकि मुहम्मद ऐसा करते थे (5072)। अनस बतलाते हैं-"मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल ने थाली के गिर्द हाथ घुमाकर कुम्हड़ा उठाया। इसलिए उस दिन से मैं भी कुम्हड़ा पसन्द करने लगा।" (5067)।

लहसुन

मुहम्मद स्वयं लहसुन को उसकी गंध के कारण नहीं खाते थे। लेकिन मुसलमानों को उसे खाने की इजाजत है। फिर भी, जब कभी बड़े लोगों से बात करनी हो तो लहसुन नहीं खाना चाहिए। अबू अयूब अंसारी बतलाते हैं-"पाक पैग़म्बर लहसुन इसलिए नहीं खाते थे कि फ़रिश्ते उनके पास अल्लाह का संदेश लेकर आते रहते थे" (5099)।

चमत्कार द्वारा खिलाना

ईसा मसीह की चमत्कार द्वारा खिलाने वाली कहानी को इस्लाम में भी दोहराया गया है। पैग़म्बर के आशीर्वाद से एक भेड़ का भुना हुआ जिगर और शोरबे तथा गोश्त से भरे दो प्याले 130 लोगों का पेट भरने के लिए काफ़ी रहे (5305)।

दोष मत खोजो

जो खाना तुम्हें दिया जाये उसमें दोष मत खोजो। पैग़म्बर के बारे में कहा जाता है कि "अगर उन्हें कोई चीज पसन्द आ जाती थी तो वे उसे खा लेते थे और नहीं पसन्द आती थी तो उसे छोड़ देते थे" (5121)। बहुत बढ़िया व्यवहार है। वस्तुतः हमें आभारपूर्ण हृदय से भोजन करना चाहिए-उन देवताओं के प्रति आभार जो भोजन में वास करते हैं, उन तत्त्वों के प्रति आभार जिनसे भोजन बना है, उन किसानों के प्रति आभार जिन्होंने भोजन पैदा किया है, और उन माताओं, बहिनों, पत्नियों तथा पाचकों के प्रति आभार जिन्होंने प्रेमपूर्वक भोजन बनाया और परोसा है।

तथापि "स्वर्ग में स्थित अपने पिता" के प्रति "दैनिक आहार देने के लिए" आभार व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है। हमें यह प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हमारी रोटी ईमानदारी से कमाई गई हो। भगवान बुद्ध ने जिसे सम्यक् आजीविका कहा है, वह एक महान आध्यात्मिक सत्य है। लड़ाई की लूट के माल से और भेंट-नजरानों से प्राप्त भोजन में इस सत्य की हानि होती है। भले ही हम भावना से विह्वल होकर शुक्र बजा लायें और भगवान को रिझाने की कोशिश करें, कोई भी देवता लड़ाई की लूट और भेंट-नजरानों से प्राप्त भोजन को हलाल नहीं बना सकता।

इसी प्रकार यह विश्वास करना भी आत्मवंचना है कि हम किसी जानवर को मारते समय अल्लाहो-अकबर ("अल्लाह महान है") की रट लगाकर, देवता की स्तुति अथवा उसका गुणगान कर सकते हैं। वस्तुतः ऐसा करके हम देवता को दूषित करते हैं, उसका प्रत्याख्यान करते हैं। जिसे पसंद हो वह मांसाहार करे। किन्तु उसे यह नहीं समझना चाहिए कि ऐसा करके वह पुण्य कमा रहा है।

✣✣✣

12

परिधान, साज-सज्जा, सामान्य शिष्टाचार, अभिवादन, जादू, कविता, सपने

बाईसवीं किताब परिधान और साज-सज्जा से संबंधित (किताब अल-लिबास वल-जीनाह) हैं। यह किताब जिन अहादीस से शुरू होती है, वे सोने और चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल वर्जित करती हैं (5126-5140)। "जो चांदी के बर्तन में पीता हैं, वह दरअसल अपने पेट में जहन्नुम की आग भरता है" (5126)।

रेशमी-वस्त्र

रेशमी वस्त्र भी निषिद्ध हैं। "रेशमी वस्त्र मत पहनो, क्योंकि इस दुनियां में जो इसे (रेशमी वस्त्र) पहनता है, वह दूसरी दुनिया में इसे नहीं पहन पायेगा" (5150)।

पीले रंग के कपड़े पहनना भी मना है (5173-5178), क्योंकि "ये कपड़े आमतौर पर गैरमोमिन पहनते हैं" (5173)। एक व्यक्ति केशर में रंगे कपड़े पहने हुए था। यह देखकर कि मुहम्मद ने वे कपड़े पसन्द नहीं किये, उसने उनको धो डालने का वायदा किया। लेकिन मुहम्मद बोले-"इन को जला दो" (5175)।

दूसरी ओर यमन के चोग़े बहुत बढ़िया माने गए (5179-5180)। ये मोटे कपड़े से बुने हुए और धारीदार होते थे।

कालीनों के उपयोग की इजाज़त है (5188-5189)।

जूते

जूतों की सिफारिश की गयी है। जाबिर बतलाते हैं कि "एक चढ़ाई के दौरान जिसमें हम सब शामिल थे," पैग़म्बर ने कहा-जूते पहनने की आदत डाल लो क्योंकि जूते पहने हुए व्यक्ति को ऐसा लगता है मानों वह सवारी पर चढ़ा हो"(5230)।

केश

न केवल कपड़े बल्कि केशों को भी केशर द्वारा नहीं रंगना चाहिए (5241)।

मक्का पर जीत के रोज अबू बकर के वयोवृद्ध पिता अबू कुहाफा, जो सौ वर्ष के बूढ़े थे, अपनी बैयत करने के लिए पैगम्बर के पास आए। उनके सिर और उनकी दाढ़ी के बाल जूफा के फूल की तरह सफेद थे। पैगम्बर ने उनसे कहा-"इनका रंग बदल डालों पर इन्हें काला न करो" (5244)।

लेकिन यह बदलना या रंगना आखिरकार क्यों ? पैग़म्बर कारण बतलाते हैं-"यहूदी और ईसाई अपने बाल नहीं रंगते, इसलिए उनसे उल्टा करो" (5245)।

कुत्ते

अनेक अहादीस बतलाती हैं कि "फ़रिश्ते उस घर में नहीं जाते जहां कुत्ता हो" (5246-5251)। वस्तुतः खुद ज़िब्रैल ने यह बात पैगम्बर से कहीं थी। फ़रिश्ते ने एक दिन मुहम्मद से मिलने का वायदा किया था। किन्तु वह पहुंचा नही, क्योंकि इसी बीच एक पिल्ला मुहम्मद के घर में आ घुसा और खाट के नीचे बैठ गया। पैग़म्बर की बीवियों में से एक, मैमूना, बतलाती हैं-"फिर उसी सुबह उन्होंने (मुहम्मद ने) कुत्तों के क़त्ले-आम का हुक्म दे दिया। बाद में उन्होंने बाग़ों की रखवाली करने वाले कुत्तों को भी मार डालने की मुनादी की। लेकिन बड़े खेतों (या बड़े बाग़ों) की रखवाली करने वाले कुत्तों को उन्होंने माफ़ कर दिया" (5248)।

तस्वीरें और प्रतिमाएं

तस्वीरों और प्रतिमाओं के सभी प्रकारों के लिए भी यही व्यवस्था है, फिर चाहे वे पक्षियों की हों, चाहे पशुओं की, चाहे मनुष्यों की। तस्वीरें तथा प्रतिमाएं फरिश्तों को दूर भगा देती हैं। आयशा बतलाती हैं-"हमारे पास एक पर्दा था; जिस पर पक्षियों की तस्वीरें थीं...अल्लाह के पैग़म्बर ने मुझसे कहा-इन्हें बदल दो। (ये) मेरे दिमाग को दुनियावी ज़िन्दगी के (मौज-मजे) की ओर ले जाती हैं" (5255)।

एक पर्दे पर तस्वीरें देख कर वे आयशा से बोले-"क़यामत के रोज अल्लाह सबसे कड़ी सज़ा उन लोगों को देगा जो उसकी सृष्टि की नकल उतारतें हैं" (5261)। उस दिन अल्लाह इन नकल करने वालों से कहेगा-"जो तुमने रचा है उसमें रूह फूंकों" (5268)।

नकली बाल और मुख की बनावट

मुहम्मद के निषेधों में से कुछ का संबंध ऐसी क्रियाओं से है जो बिल्कुल आधुनिक हैं। उन्होंने औरतों को अपने सिरों में नकली बाल लगाने ओर अपनी भौहें उखाड़ने को मना किया (5295-5309)। पैग़म्बर ने "उस औरत पर लानत भेजी जो नकली बाल लगाती है या लगाना चाहती हैं" (5298)।

हमें यह भी बतलाया जाता हैं कि "अल्लाह ने उन औरतों पर लानत भेजी है जो गुदने गोदती है और अपने शरीर पर गुदवाती हैं, जो अपने चेहरों के बाल उखाड़ती हैं, और जो दांतों के बीच में उन्हें सुन्दर बनाने के लिए दरारें बनाती हैं, क्योंकि वे अल्लाह ने जो रचा है उसे बदलने की कोशिश करती हैं" (5301)। उमर का बेटा अब्दुल्ला बतलाता है कि अगर उसने अपनी बीवी में इनमें से कोई भी बात देखी होती तो वह "कभी उसके साथ बिस्तर में नहीं सोया होता।"

मुहम्मद हमें ऐसी औरतों के बारे में भी बतलाते हैं जो आर-पार दिखाने वाले झीनें कपड़े पहनती हैं। "जो औरतें कपड़े पहने हों पर नंगी दिखें वे जन्नत में प्रवेश नहीं पायेंगी" (5310)।

मुहम्मद क़ज़ा को भी नामंजूर करते हैं। क़ज़ा का मतलब है किसी लड़के के सिर का कुछ हिस्सा मुड़वा देना और बाकी हिस्सा बिना-मुंड़ा रहने देना। शायद यह कोई पुरानी आनुष्ठानिक परम्परा रही हो या उन दिनों का विचार-विहीन फैशन हो (5289-5292)।

सामान्य शिष्टाचार और अभिवादन

तेईसवीं और चौबीसवीं किताबें हैं "सामान्य शिष्टाचार की किताब" (अल-आदाब) और "अभिवादनों तथा अभिनन्दनों की किताब" (अस-सलाम)

निजी नाम

यह अजीब बात है कि आदाब की किताब निज़ी नामों से शुरू होती है। मुहम्मद इस मामले में बहुत रुचि लेते थे। उन्होंने कहा कि भोंड़े निजी नामों को हटा कर सुघड़ नाम रखे जाने चाहिएं (5332-5334)। उमर की बेटी का नाम आसिया ("अवज्ञाकारिणी") था। उन्होंने उसका नाम बदल कर जमीला ("भद्र और सुन्दर") रख दिया (5332)। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नियों में से एक का नाम बर्रा से बदल कर जुबैरीया भी रखा (5334)। बर्रा का मतलब होता है "पुण्यवती", जो एक बहुत अच्छा नाम है।

मुहम्मद ने कहा कि अल्लाह को सबसे प्यारे जो नाम है वे है सुभान अल्लाह ("अल्लाह पाक है") और अल–हमीदुलिल्लाह ("अल्लाह गुणवान है") (5389)।

लेकिन नौकरों को निम्नोक्त चार नाम रखना उन्होंने मना किया–अफ़्लाह ("सफल"), रबाह ("लाभ"), यसार ("वैभव"), और नाफ़ी ("कल्याणमय") (5327)।

अल्लाह की नज़र में सबसे बुरा नाम है मलिक अल-अमलाक (राजाओं का राजा)। शाहंशाह भी बुरा नाम हैं जिसका वही मतलब होता है (5338)।

मुहम्मद के नाम पर बच्चों के नाम रखना

जो लोग मुहम्मद के नाम पर अपने बेटों के नाम रखना चाहते थे, उन्हें सिर्फ उनका निजी नाम (मुहम्मद) रखने की इजाजत दी गयी, उनका कुनया (गुणवाचक या उपाधिवाचक नाम) क़ासिम रखने की नहीं। जाबिर बतलाते हैं कि एक व्यक्ति ने अपने नवजात शिशु का नाम मुहम्मद रखा। जब अन्य मुसलमानों ने इस पर आपत्ति की तो वह स्पष्टीकरण के लिए मुहम्मद के पास गया। मुहम्मद बोले–"इसका नाम मेरे नाम पर रख सकते हो, लेकिन मेरा कुनया उसके नाम में मत जोड़ना। क्योंकि मैं क़ासिम हूं। सो इस अर्थ में कि मैं तुम्हारे बीच (लड़ाई की लूट का माल) और ज़कात से मिली रक़में बांटता हूं" (5316)।

तहनीक

नवजात शिशु को मज़हबी अनुष्ठान के साथ आशीर्वाद देने की प्रथा तहनीक है। शिशु के दाहिने और बायें कानों में अज़ान और इक़ामा बोले जाते हैं और उसके तालु पर कुछ चबाये हुए खजूर मले जाते हैं। अबू बकर की बेटी असमा ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा मुहम्मद के पास ले जाया गया। मुहम्मद ने कुछ खजूर मंगाये, "उन्हें चबाया और तब अपनी लार उसके (बच्चे के) मुंह में डाल दी। पहली चीज जो उसके पेट में गयी वह अल्लाह के पैग़म्बर की लार थी...फिर उन्होंने उसे मसला और आशीर्वाद दिया और उसका नाम अब्दुल्ला रख दिया। जब वह (अब्दुल्ला) सात या आठ बरस का हो गया, तो वह उनके (पाक पैग़म्बर के) पास बैयत करने पहुंचा" (5244)।

किसी के घर में घुसने से पहले इजाज़त मांगना

बिना इजाजत किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए। जब कोई तीन बार इजाजत मांगे और वह न मिले तो "उसे लौट आना चाहिए" (5354)।

दूसरे के घर में मत झांको

दूसरे के घर में झांकना मना है। एक आदमी ने दरवाजे के छेद में से अल्लाह के पैग़म्बर को देखा। वे अपने सिर के बालों को संवारने के लिए किसी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने उस व्यक्ति से कहा–"अगर मैं जानता कि तुम झांक रहे हो ते इसे तुम्हारी आंखों में चुभो देता"

(5367)। फिर मुहम्मद ने घोषणा की–"जो लोगों की स्वीकृति पाए बिना उनके घरों में झांकता है, उसकी आंखें निकाल लेने की इजाज़त हैं" (5370)।

अभिवादन और अभिनन्दन

"एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर छः अधिकार हैं। जब तुम उससे मिलो तो उसको सलाम करो, जब वह तुम्हें दावत दे तो उसका बुलावा मंजूर करो, जब वह तुमसे सलाह मांगे तो सलाह दो, और जब वह छींके और कहे कि 'अल्लाह सब प्रकार से प्रशंसनीय' हैं तो तुम कहो कि 'अल्लाह तुम पर मेहरबान हो,' और जब वह बीमार पड़े तो उसे देखने जाओ, और जब वह मरे तो जनाज़े के पीछे चलो" (5379)।

जब किताबी लोग (यहूदी और ईसाई) तुम्हारा अभिवादन करें तो उनसे कहना चाहिए–"आप को भी ऐसा ही" (5380)। एक बार कुछ यहूदियों ने कुछ मुसलमानों का अभिवादन करते हुए कहा–"अस्साम-उ-अलैकुम (तुम पर मौत आये)।" यह उन्होंने "अस्सलाम-उ-अलैकुम (तुम्हें शांति प्राप्त हो)" पर श्लेष करते हुए कहा था। मुहम्मद ने अपने अनुयायियों को यह उत्तर देने की सीख दी कि "तुम पर भी वही बीते" (5380-5388)। पैग़म्बर ने खुद ऐसा ही किया।

प्रथम अभिवादन

"सवारी करने वाले को पैदल चलने वाले का अभिवादन पहले करना चाहिए और पैदल चलने वाले को उसका जो बैठा है" (5374)। और सभी को बच्चों का अभिवादन करना चाहिए (5391-5392)। मुहम्मद ने अपने अनुयायियों को "रास्तों में बैठने से परहेज करने" की भी सीख दी अथवा, अगर ऐसा न हो सके, तो "रास्ता छोड़ कर एक छोर पर बैठो" (5375-5377)।

लेकिन किताबी लोगों के साथ दूसरी तरह का व्यवहार करना चाहिए। "यहूदी और ईसाई जब तक तुम्हारा अभिवादन न करें, तुम उनका अभिवादन मत करो और जब कभी सड़क में उनसे आमना-सामना हो तो उनको तंग से तंग जगह में से निकलने पर मजबूर करो" (5389)।

बुरका

उमर चाहते थे कि मुहम्मद अपनी बीवियों को बुरका पहनने के लिए कहें। पर मुहम्मद ने उमर की बात नहीं सुनी। एक दिन पैगम्बर की बीवी, सीदा मैदान में निपटने के लिए गयी। समय अंधेरे का था। पर वह क़द की लंबी थी। उमर ने "इस उम्मीद के साथ कि बुरके से सम्बन्धित आयत उतरेगी" पुकार कर कहा–"सीदा ! हम तुम्हें पहचान रहे हैं।" उमर की उम्मीद पूरी हो गयी। आयशा

कहती हैं–"अल्लाह ने जो सबसे बड़ा और गौरवशाली है बुरके के सम्बन्ध में आयत उतार दी" (5397)।

यह भी कहा गया कि "घरों में मत घुसो और औरतों से मत मिलो।" एक अंसार ने पूछा–"लेकिन पति के भाई को क्या करना चाहिए ?" पैग़म्बर ने उत्तर दिया–"पति का भाई मौत के समान है" (5400)।

जादू और टोने

"अभिवादनों ओर अभिनन्दनों की किताब" में किए गए वर्गीकरण में कुछ लापरवाही बरती गई है। उसमें जादू, टोने, दवा, ज़हर और अभिचार के बारे में भी अहादीस हैं।

पैग़म्बर को विश्वास था कि "बुरी नज़र का असर एक हक़ीकत है।" उसके उपचार के लिए नहाने का नुस्खा सुझाया गया। "जब बुरी नज़र के असर से बचने के लिए तुम्हें नहाने को कहा जाये तो तुम्हें नहा लेना चाहिए" (5427)।

मुहम्मद जादू-टोने में भी विश्वास करते थे। वस्तुतः वे मानते थे कि एक बार वे खुद एक यहूदी और उसकी लड़कियों द्वारा किए गए टोने से त्रस्त हो गए थे। उस अवधि में उनका हाजमा गड़बड़ा गया था और वे नपुंसक भी हो गये थे। अथवा, इब्न इसहाक के शब्दों में, "वे बीवियों के पास नहीं जा पाते थे।" और टोने के असर में उन्हें यह भी लगता था कि "वे कोई काम कर रहे हैं जब कि वे वैसा काम नहीं कर रहे होते थे।" लेकिन दो फ़रिश्ते आये और सारा भेद खोल गए–बीमारी का स्वरूप, उसे लाने वाले लोग ओर बीमारी जिस तरह लायी गयी थी वह प्रक्रिया। फ़रिश्तों ने मुहम्मद से कहा कि टोने ने उन पर असर डाला है "और लबीद बिन असम वह शख़्स है (जिसने टोना किया है)।" फ़रिश्तों ने समझाया कि कंघी करते समय पैग़म्बर के सिर से छंटे हुए बाल चुरा लिए गये थे, खजूर की एक डाल के गिर्द ग्यारह गांठों में लपेटे गए थे और एक कुएं की तह में रख दिए गए थे। "कंघे और उसमें लगे बालों के ज़रिये ओर खजूर की उस डाल के पटलों के जरिए टोने का संचार हुआ था। और (वह टोना) ज़ी अरवान के कुएं में रखा गया था।" मुहम्मद ने अपने लोगों को उस कुएं पर भेजा और फ़रिश्तों द्वारा बतायी गयी जगह में टोना मिल गया। मुहम्मद ने आयशा को बतलाया–"आयशा ! अल्लाह क़सम ! उसका (कुएं का) पानी मेंहदी की तरह पीला था और उसके पेड़ (यानी कुएं के आसपास के पेड़) शैतानों के सिरों की तरह थे" (5428)।

जब गांठें खोल दी गयीं तो पैग़म्बर ठीक हो गये। उन्होंने "सुबह के स्वामी की शरण ली और गांठे बांध कर मारने वाली औरतों के जंजाल से (यानी टोने की गुप्त प्रक्रिया के प्रभाव से) बच गए" (कुरान, सूरा 113)।

इसी सूरा में पैग़म्बर "घिरते हुए हुए अंधकार के कुप्रभाव" से परे शरण पाने की याचना करते हैं। क्या इस याचना का अर्थ यह था कि उनको अंधेरे में डर लगता था ? उनके जीवनीकार बतलाते हैं कि वे अंधेरे से डरते थे और जब तक रौशनी न कर दी जाती वे किसी अंधेरे कमरे में नहीं बैठते थे।[1]

एक अन्य अवसर पर एक यहूदी औरत ने मुहम्मद को जहर में बुझा गोश्त दे दिया, लेकिन उससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा (5430)। वह यहूदी औरत उस त्रस्त अभागिन के सिवाय कोई नहीं थी जिसके पिता और पति को ख़ैबर की चढ़ाई में पैग़म्बर ने मार डाला था और फिर जिसके साथ विवाह करने का मनोरथ उन्होंने कर लिया था। जब उसे मुहम्मद के लिए गोश्त पकाने का कहा गया, तो उसने उसमें जहर मिला दिया। उसका एक कौर चखते ही उसके असामान्य स्वाद के कारण मुहम्मद ने उसे थूक दिया। वे बच तो गये, पर जहर का प्रभाव कुछ दिन बाद उन पर पड़ा और, कुछ अहादीस के अनुसार, उनकी आखिरी बीमारी की वजह यही थी।

जादू-टोने द्वारा उपचार

मुहम्मद जादू-टोने के द्वारा लोगों का उपचार भी किया करते थे (5442-5457)। इन उपचारों में "बुरी नज़र" और सांप के काटे का उपचार भी शामिल था। अंसारों के एक परिवार को तो उन्होंने जादू-टोने द्वारा सांप के काटे का इलाज करने की अनुमति भी दी थी (5443)।[2]

आयशा बतलाती हैं कि "जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी में पड़ जाता था या उसे कोई चोट लग जाती थी तो रसूल-अल्लाह अपनी तर्जनी जमीन पर रखते थे और फिर अल्लाह का नाम लेते हुए उठाते थे और कहते थे–हमारी जमीन की धूल हममें से किसी की भी लार के साथ मिल कर वह असर करेगी कि अल्लाह की कृपा से हमारी बीमारी ठीक हो जायेगी" (5444)।

अनुवादक महाशय जादू-टोने के इस विषय को पैग़म्बर के घर-आंगन से बाहर निकालकर उसका प्रभाव पूरे मदीने में फैला देते हैं। वे बतलाते हैं कि कुछ मुस्लिम विद्वानों के अनुसार इस हदीस में "धूल" शब्द का आशय "मदीना की पवित्र धूल से है जिस पर मोमिन मुसलमानों की लार गिरी हुई थी" (टी० 2579)।

1. तवक़ात, जिल्द 1, पृष्ठ 156

2. जो जादू-टोना बहुदेववदियों की पद्धति से अलग हो, उसमें उन्हें कोई हर्ज नहीं दिखाई देता था।" (5457), अर्थात जिस जादू-टोने में "अल-लात का नहीं बल्कि का अल-लाह" का नाम लिया जाये।

एक अन्य अवसर पर पैग़म्बर के एक साथी ने ज़हरीले बिच्छू द्वारा काटे गए एक आदमी को सूरा अल–फातिहा की मदद से चंगा कर दिया। कांटे के स्थान पर उन्हें केवल अपनी लार ही लगानी पड़ी।[1]

अपशकुन, हामा और छूत के रोग नहीं होते

मुहम्मद कहते थे कि "अपशकुन नहीं होते, न ही प्रेत-पिशाच होते हैं" और "बरसात बताने वाले सितारे नहीं होते।" कोई हामा भी नहीं होता (5507-5516)। उन दिनों अरबों में यह विश्वास था कि जिस मनुष्य को क़त्ल किया गया हो, उसकी आत्मा हामा नाम की एक चिड़िया बन जाती है, जो तब तक हत्यारे का खून मांगती रहती है जब तक कि हत्यारे का वध न हो जाए।

मुहम्मद ने यह भी सिखलाया कि कोई छूत नहीं फैलती और कोई महामारी नहीं होती। प्लेग के बारे में उन्होंने कहा–"जब तुम सुनो कि किसी इलाके में प्लेग फैल गया है तो उसमें मत जाओ और जब तुम्हारे इलाक़े में प्लेग फैल जाये तो वहां से मत भागो" (5493)। मुहम्मद का कथन है कि बुखार का कारण "नरक से निकलने वाली बेहद तेज़ गर्मी है, उसे पानी से ठंडा करना चाहिए" (5484)।

कोढ़

कोढ़ियों से मत घुलो–मिलो। एक बार एक प्रतिनिधि-मंडल मुहम्मद से मिलने आया। उसमें एक कोढ़ी भी था। पैगम्बर कोढ़ी से नहीं मिले, लेकिन उसके लिए पैगाम भेजा–"हमने तुम्हारी वैयत कबूल कर ली है, अब तुम जा सकते हो" (5441)।

सौभाग्य

यद्यपि मुहम्मद को शकुन-विचार में विश्वास नहीं था तथापि वे शुभ निमित्त और सौभाग्य पर विश्वास करते थे। वे कहते हैं–"कोई फैलने वाली बीमारी (महामारी) नहीं होती, न कोई शकुन-विचार होता है, लेकिन शुभ निमित्त मुझे सुहाते हैं" (5519)।

सौभाग्य के बारे में वे कहते हैं–"अगर दुर्भाग्य आता है तो घोड़े में और औरत में और मकान में वह दिखलाई दे जाता है" (5526)। अनुवादक के अनुसार "घोड़े का दुर्भाग्य यह है कि जिहाद में इस्तेमाल किये जाने की बजाय उसे बुरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाये" (टी० 2602)।

1. लार के कई रूप हैं और वह कई प्रकार काम करती है। जैसा कि कई अहादीस में कहा गया है, लार कामोत्तेजक क़ुश्ता भी है, चमत्कारपूर्ण औषध भी और आध्यात्मिक पुण्य भी प्राप्त करा सकती हैं।

काहीन

मुहम्मद काहीनों के खिलाफ़ थे। काहीन अर्थात् सगुनिये, ज्योतिषी और भविष्यवक्ता। इस विरोध की वजह व्यक्तिगत भी थी, और वैचारिक भी। व्यक्तिगत वजह यह थी कि कई लोगों के कथनानुसार वे स्वयं एक काहीन से बेहतर नहीं थे जबकि वे पैग़म्बर कहलाना चाहते थे। अल्लाह ने उन्हें आश्वासन दिया था कि "मालिक की कृपा के कारण तुम न तो एक काहीन हो, न ही प्रेताविष्ट हो और न दीवाने (मजनून) हो" (कुरान 52/29)।

उनके विरोध का दूसरा कारण अधिक व्यापक क़िस्म का था। मुहम्मद को यक़ीन था कि अदृश्य जगत के बारे में जो ज्ञान अब कुरान और सुन्ना में सुरक्षित है, उसका सच्चा स्रोत जिब्रैल है किन्तु काहीन के ज्ञान का स्रोत जिन्न है जो इस ज्ञान को जन्नत से चुरा कर इसमें झूठ मिला देता है। आयशा ने मुहम्मद से पूछा–"अल्लाह के पैगम्बर ! काहीन कई बार हमें ऐसी बातें बता देते हैं जो सच निकलती हैं।" मुहम्मद ने जवाब दिया–"जिन्न सच का कोई एक लफ़्ज चुरा लाता है और अपने दोस्त (काहीन) के कान में उसे कह जाता है, जैसा कि मुर्गियां करती हैं। और फिर वे (जिन्न) उसमें सौ से अधिक झूठ मिला देता हैं" (5536)। अदृश्य जगत के ज्ञान के लिए कुरान और सुन्ना ही शुद्ध और प्रामाणिक स्रोत हैं। अनुवादक हमें य़कीन दिलाते हैं कि "अदृश्य जगत के बारे में दूसरे सभी माध्यम अधूरे हैं और इस लिए पूरी तरह प्रामाणिक और विश्वसनीय नहीं माने जा सकते" (टी० 2603)।

उल्काएं

मुहम्मद का किसी ऐसे सितारे पर विश्वास नहीं था, जिसके कारण बादल बरसता हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं लगा लेना चाहिए कि वे आज के प्रचलित अर्थ में बुद्धिवादी व्यक्ति थे। मुहम्मद के संसार और आधुनिक बुद्धिवाद के संसार के बीच बहुत फ़र्क़ है। सितारों के बारे में एक दिलचस्प हदीस है जिससे यह पता चलता है कि मुहम्मद, सृष्टि और प्रकृति और कार्यकारण सिद्धांत के बारे में क्या सोचते थे। संयोगवश इसी हदीस से यह भी विदित होता है कि जिन्न किस प्रकार जन्नत से ज्ञान चुरा लेते हैं।

इस्लाम-पूर्व काल में अरब लोग यह विश्वास करते थे कि उल्काएं किसी महान व्यक्ति के जन्म या उसकी मृत्यु की सूचना देती हैं। यह विश्वास भारत समेत अनेक देशों की लोक-कथाओं में पाया जाता है। मुहम्मद ने इसी विश्वास को संवार कर इसका एक अन्य समाधान प्रस्तुत किया। उनका समाधान कुछ जटिल किन्तु उल्लेखनीय है। ऐसा लगता है कि मुहम्मद फ़रिश्तों की एक आनुपूर्वी में विश्वास करते थे। सबसे ऊंची श्रेणी में "अल्लाह के

सिंहासन को उठाने वाले" फ़रिश्ते आते हैं। उनके बाद "जन्नत में रहने वाले" फ़रिश्तों का नंबर आता है। तीसरी श्रेणी में "संसार की जन्नत" में रहने वाले "फरिश्ते" आते हैं जब इन विभिन्न श्रेणियों के मध्य आपस में संवाद होता है, तब जिन्न को मौका मिल जाता है। मुहम्मद बतलाते हैं–"अल्लाह जो सबसे ऊंचा और महिमावान् है जब कुछ करना चाहता है तो हुक्म जारी करता है। तब उसके सिंहासन को उठाने वाले फ़रिश्तें उसकी महिमा का गान गाते हैं। उसके बाद जन्नत में रहने वाले फ़रिश्तें जो पहले वाले फ़रिश्तों के करीब होते हैं। और फिर वह महिमागान उन तक पहुंचता है जो इस संसार की जन्नत में रहने वाले फरिश्तें हैं। फिर जो फ़रिश्ते सिंहासन को उठाने वाले फ़रिश्तों के पास रहते हैं, पहिले वाले फरिश्तों से पूछते हैं–तुम्हारे मालिक ने क्या कहा ? पहिले वाले फरिश्ते उन्हें बतलाते कि अल्लाह ने क्या कहा है। संसार की जन्नत में रहने वाले फ़रिश्तें दूसरी श्रेणी के फ़रिश्तों से तब तक पूछते रहते हैं जब तक जानकारी उन तक नहीं पहुंच जाती। संचार की इस प्रक्रिया में जिन्न बीच में कुछ बातें सुन लेता है और जा कर अपने दोस्तों को बता देता है। जब फ़रिश्ते जिन्नों को देखते हैं, तो वे उल्काओं के द्वारा जिन्नों पर आक्रमण करते हैं। जिन्न जो कुछ चुपके से सुन लेते हैं यदि वे वही बतलाते हैं तो वह सही होता है, लेकिन वे सही के साथ वे झूठ मिला देते हैं और अपनी ओर से कुछ जोड़ भी देते हैं" (5538)।

कुरान में कई-एक स्थानों पर जिन्नों द्वारा जन्नत की खबरें चुरा लेने का उल्लेख है। जिन पाठकों को दिलचस्पी हो वे सूरा हिज्र (15/16-18), सूरा सफ़्फ़ात (37/7-10), सूरा मुल्क (67/5) और सूरा जिन्न (72/8-10) पढ़ सकते हैं।

आंधियां और बादल

हक़ीक़त यह है कि मुहम्मद का संसार अनोखा है, और वह शैतानों और जिन्नों से उतना ही भरा हुआ है जितना कि काहिनों का संसार। आधुनिक लोगों के संसार के साथ मुहम्मद के संसार का बहुत कम सादृश्य है। जैसा कि हम सलात वाले अध्याय में पहले ही देख चुके हैं, मुहम्मद का नज़रिया बादलों और बारिश और आंधी जैसी साधारण बातों के बारे में न तो वैज्ञानिक था, न ही काव्यात्मक। वह नज़रिया जादू-टोनों और अंधविश्वासों से भरा हुआ था। बादल इत्यादि देखकर मुहम्मद भय से भर उठते थे। आयशा हमें बतलाती हैं कि जब वे "काले बादल या आंधी देखते थे तो उनके चेहरे पर भय की भंगिमा उभर आती थी।" आयशा ने उनसे पूछा–"मै जानती हूं कि लोग घने काले बादलों को देखकर इस उम्मीद से खुश हो उठते हैं कि बारिश होगी, लेकिन मै देखती हूं कि आप उन्हें (बादलों को) देखकर बेचैन हो जाते हैं।" उन्होंने जवाब

दिया–"आयशा ! मुझे घबराहट होती है कि इनके द्वारा कोई अनर्थ न हो जाए, उसी तरह जिस तरह आद के लोगों ने एक बादल घुमड़ता हुआ देखा और सोचा कि यह 'बरसात लाने वाला बादल है' लेकिन उस बादल ने उन लोगों को तबाह कर दिया" (कुरान 46/24, हदीस 1963)।

सांप, चींटियां, बिल्लियां

आयशा बतलाती हैं कि पैग़म्बर ने "धारीदार सांप को मार डालने का हुक्म दिया, क्योंकि उससे नज़र कमज़ोर हो जाती है और गर्भ गिर जाता है" (5542)। सांपों की तरह कुत्ते भी "गर्भपात का कारण बनते हैं और नज़र पर बुरा असर डालते हैं।" इसलिए उन्हें भी मार डालना चाहिए (5545)।

चींटियों को कुछ रियायत मिली। पर ऐसा खुद अल्लाह द्वारा हस्तक्षेप के बाद हुआ। "एक चींटी ने पैग़म्बर को काट लिया....उन्होंने हुक्म दिया कि चींटियों की वल्मीक को जला डाला जाये। लेकिन अल्लाह ने उन्हें इलहाम दिया–एक चींटी के काटने के कारण तुमने उन समवायों में से एक समवाय जला डाला जो मेरी महिमा गाते हैं" (5567)।

किताब का अन्त एक करुणापूर्ण स्वर के साथ होता है। उसमें बिल्ली का कत्ल करना मना किया गया है (5570-5576)। प्यासे जानवरों को पानी पिलाना भी पुण्य का काम कहा गया है (5577-5579)।

सही शब्द, कविता, सपने

अगली तीन किताबें बहुत छोटी हैं। उनमें से एक का सम्बन्ध सही सपनों के प्रयोग से है, दूसरी कविता पर (किताब अल-शहर) है और तीसरी सपनों के बारे में (किताब-अल-रूया) है।

मुहम्मद ने एक बार अर्ज नामक जगह में एक कवि को कविता पढ़ते देखा और हुक्म दिया–"पकड़ लो शैतान को !" अल्लाह के रसूल ने आगे कहा "किसी आदमी के पेट में मवाद भर देना बेहतर है, बनिस्बत उसके दिमाग़ में कविता भर देने के" (5611)।

यह प्रसंग का सिर्फ़ एक पहलू है और कवियों के प्रति पैग़म्बर के नजरिये का सकारात्मक पहलू इसमें नहीं मिलता। यह सही है कि पैगम्बर के मन में कवियों के प्रति बहुत मान नहीं था। कुछ लोगों ने खुद उनको एक कवि कहा था। लेकिन उंन्होंने उस गौरव को ठुकरा दिया था, क्योंकि इससे पैगम्बरी की प्रतिष्ठा कम होती थी। वे अपने आप को केवल पैग़म्बर ही कहलाना पसन्द करते थे। उन्होंने आवेश में भर कर कहा था–"यह तो एक प्रतिष्ठित पैग़म्बर का कथन हैं, किसी कवि अथवा काहीन का कलाम नहीं हैं" (कुरान 69/40-42)।

कवियों के बारे में मुहम्मद ने एक उपयोगवादी दृष्टि अपनायी थी। जो असुविधाजनक कवि थे, उनको मुहम्मद ने उनकी हत्या करवा कर रास्ते से हटा दिया था। मरवान की बेटी असमा, सौ-साल का बूढ़ा कवि अबू अफाक और काब इब्न अशरफ़ मारे जा चुके थे। इन हत्याओं ने दूसरे कवियों को बेहतर व्यवहार करने का सबक़ सिखा दिया। दूसरी ओर चापलूस क़िस्म के कवियों को मुहम्मद ने अपने दरबार में रखा। इनमें काब इब्न मालिक, हस्सान इब्न साबित और काव इब्न जुहैर शामिल थे। जुहैर अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि का पुत्र था। शुरू में काब इब्न जुहैर ने मुसलमानों के विरोध में कविताएं लिखीं और वह बदनाम हो गया। जब मक्का जीत लिया गया तो काब इब्न जुहैर के भाई ने, जो पहले ही मुसलमान बन चुका था, उसे सावधान किया कि इस्लाम के अन्य विरोधियों का जो हस्र हुआ उससे वह सबक सीखे और उसे सलाह दी कि या तो वह आत्मसपर्मण कर दे या फिर कहीं और जाकर शरण ले। उसने काब को लिखा कि रसूल-अल्लाह ने मक्का में उन कई कवियों को मार डाला है जिन्होंने उन पर व्यंग्य कसा था और कुरैश क़बीले के इब्न अलज़िवारा तथा हुबैरा बिन अबू वाहब आदि कवि जो बच गए थे दूर भाग गए। इब्न इसहाक़ के अनुसार काब के भाई की सलाह थी–"अगर तुम्हें अपनी ज़िन्दगी में कोई काम करना है तो फ़ौरन रसूल के पास पहुंच जाओ। क्योंकि प्रायश्चित्त के भाव से अपने पास आने वाले व्यक्ति को वे नहीं मारते। अगर तुम ऐसा नही कर सकते तो किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ।"[1]

काब ने अपने भाई की सलाह मानी और एक दिन वह बिना अपना परिचय दिए मुहम्मद के पास आ पहुंचा। काब ने पैग़म्बर से पूछा–"ऐ रसूल ! काब बिन जुहैर एक तौबा करने वाले मुसलमान के रूप में आपसे शरण मांगने आया है। अगर वह आपके सामने हाज़िर हो तो क्या आप उसे क़बूल करेंगे ?" सकारात्मक उत्तर पाकर उसने कहा–"मैं ही जुहैर का बेटा काब हूं।" मुहम्मद के आसपास मौजूद कुछ लोगों ने उसे मार डालने की इजाजत चाही। लेकिन उसे बख़्श दिया गया।

फिर काब ने पैगम्बर से उनकी प्रशंसा में रचित एक क़सीदा पढ़ने की इजाजत चाही। इजाज़त खुशी-खुशी दे दी गयी। वह पढ़ने लगा–"गठन में और मिज़ाज में वे सभी पैग़म्बरों को पीछे छोड़ गये हैं। और कोई भी पैग़म्बर न तो ज्ञान में उनके जैसा था न कुलीनता में।" फिर जब काब ने ये पंक्तियां पढ़ी कि "दरअसल पैग़म्बर दुनिया को राह दिखाने वाली रौशनी है। और अल्लाह के शस्त्रागार से निकली एक तलवार (सुयूफ अल्लाह) है", तो पैगम्बर इतने आनंद

1. सीरत रसूल–अल्लाह, पृष्ठ 597

विभोर हो उठे कि उन्होंने अपना चोग़ा उतार कर काब को उढ़ा दिया। मुस्लिम जगत में यह कविता "चोगे की कविता" (कसीदत-अल-बुर्दा) के नाम से प्रसिद्ध हुई। शायर के परिवार में यह चोग़ा एक बहुमूल्य विरासत साबित हुआ और अरबी खलीफ़ा मुआविया ने उसे शायर के वंशजों से 40,000 दरहम में खरीदा। यह "खिरक़ये-शरीफ़ (पाक चोग़ा) क्रमशः उमय्यों की और बाद में अब्बासियों की जायदाद बना। कुछ लोगों का कहना है कि बग़दाद पर जब़ तातारों का हमला हुआ तो यह चोगा जला दिया गया। कुछ दूसरों का यक़ीन है कि यह उस्मान-अली खलीफ़ाओं के हाथों में जा पहुंचा। झूठा हो या सच्चा, उस्मान-अली चोग़ा संकटकाल के समय एक राष्ट्रीय झंडा बना कर बाहर निकाला जाता रहा।"

शतरंज

शतरंज खेलना भी मना है। मुहम्मद कहते हैं–"जो शतरंज खेलता है वह उसके जैसा है जो सूअर के खून और गोश्त से अपना हाथ रंग ले" (5612)।

सपने

अगली किताब सपनों के बारे में है और यह भी छोटी है। बुरे सपने को हुल्म कहा जाता है, साधारण सपने को मनाम और जन्नत के सपने को अल-रूया। मुहम्मद बतलाते हैं कि अच्छे सपने अल्लाह की ओर से आते हैं और बुरे सपने शैतान की ओर से (5613)। अगर कोई बुरा सपना (हुल्म) देखे, तो उसे दो काम करने चाहिएः "उसे अपनी बायीं तरफ़ तीन बार थूकना चाहिए" (5615-5616) और सपना "किसी को बताना नहीं चाहिए" (5618)। लेकिन अच्छा सपना अपने यार-दोस्तों को सुनाया जा सकता है (5618-5619)।

मुहम्मद का कथन है कि "एक मोमिन द्वारा देखा गया सपना पैग़म्बरी वाणी का छियालीसवां भाग है" (5622-5630)। अन्य अहादीस में वह सत्तरवां भाग बन जाता हैं (5632-5634)। अनुवादक हमें समझाते हैं कि छियालीसवें और सत्तरवें भाग के बीच जो अंतर है वह सपना देखने वाले की "नेकी पर निर्भर करता है" (टि० 2618)।

मनोविश्लेषकों के लिए एक बुरा समाचार है। मुहम्मद अपने अनुयायियों को सलाह देते हैं कि "शैतान तुम्हारे साथ नींद में जो बेकार की खिलवाड़ करता है, उसे लोगों को मत बताओ" (5641)।

मुहम्मद एक आत्मतृप्ति से भरी बात भी कहते हैं–"जिसने मुझे सपने में देखा उसने दरअसल मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में कभी दिखाई नहीं देता" (5635)।

मुहम्मद के सपने

मुहम्मद अपने कई-एक सपने भी सुनाते हैं और उनके अर्थ भी समझाते हैं। एक बार एक सपने में उनके हाथों में "दो चूड़ियां पहनायी गईं।" इस पर उन्हें अपने ऊपर एक "बोझ-सा" महसूस होने लगा। (अनुवादक बतलाते हैं कि "चूडियां औरतों का पहनावा है")। फिर मुहम्मद द्वारा चूड़ियों पर फूंक लगवाई गयी और चूड़ियां अदृश्य हो गयी। "मैंने दो चूड़ियों को दो झूठ बोलने वाले लोग माना जो मेरे बाद आयेंगे। उनमें से एक सना का निवासी अनसी होगा और दूसरा यमामा का निवासी मुसैलिमा" (5650)।

ये दोनों व्यक्ति पैग़म्बर के समय मौजूद थे। दोनों अपने आप को पैग़म्बर कहते थे। मुसैलिमा अल–कज़्ज़ाब (जिसे मुस्लिम मीमांसक "ज़्यादा झूठा" कहते है) का तो यह दावा भी था कि वह और मुहम्मद पैग़म्बरी में साझीदार हैं। बाद में अनसी और मुसैलिमा, दोनों ने विद्रोह किया और दोनों ही मार डाले गये।

13

मुहम्मद के बारे में मुहम्मद

अठाइसवीं किताब "पैग़म्बर के श्रेष्ठ गुणों" के बारे में (किताब अलफज़ाइल) हैं।

आत्मस्तुति

पुस्तक का प्रारम्भ पैगम्बर की आत्म-वंदना से होता है–"सचमुच अल्लाह ने इस्माइल के वंशजों में कीनान क़बीले को प्रधानता दी और कीनानों में कुरैश को प्रधानता दी और कुरैश में बनू हाशिम क़बीले को प्रधानता दी और बनू हाशिम में मुझे प्रमुख बनाया" (5653)।

"मैं मक्का के उस पत्थर को पहचानता हूं जो पैग़म्बर के रूप में मेरे प्रकट होने से पहले मुझे सलाम किया करता था। और उसे मैं अभी भी पहचानता हूं" (5654)। सो ऐसा लगता है कि पत्थर सलाम कर सकता है, पर सलाम पा नहीं सकता। यह मूर्तिपूजा का विपर्यय है।

"महशर के दिन आदम वंशजों में मैं सबसे प्रमुख हूंगा। और मैं सबसे पहला मध्यस्थ माना जाऊंगा और सबसे पहला व्यक्ति हूंगा जिसकी मध्यस्थता स्वीकार की जायेगी" (5655)।

मुहम्मद अपने से पूर्व पांच या छः पैगम्बरों का होना स्वीकार करते हैं। अपने और पूर्ववर्ती पैग़म्बरों के बीच के अन्तर को प्रकट करने के लिए वे एक उपमा का प्रयोग करते हैं। उनके अनुसार अन्य सब पैग़म्बरों का मज़हब उस "सुन्दर और भव्य" भवन की तरह हैं जिसमें एक ईट की कमी रह गयी है। "मैं वह आखिरी ईट हूं" (5673-5676)। उनके आने के बाद मज़हब की इमारत पूरी हो जाती है और किसी भावी पैग़म्बर के लिए कोई स्थान अथवा काम नहीं रह जाता। वे कहते हैं–"मैं पैग़म्बरों की श्रृंखला का समापन करने के लिए आया हूं" (5677)। उनके आने के बाद पुराने सब मज़हब रद्द हो गये और किसी भी नये मजहब की संभावना समाप्त हो गयी। अतएव कोई नया मज़हब या नया इलहाम अनिवार्यतः एक अनिष्टकारी आविष्कार ही हो सकता है।

अपने पैग़ाम को वे "धरती पर बरसने वाली वर्षा" बतलाते हैं। उस पैग़ाम को स्वीकार करने वालों को तीन कोटियों बांटने के लिए मुहम्मद एक अन्य उपमा इस्तेमाल करते हैं। पहली कोटि के लोग "उस उर्वर भूखंड के समान हैं

जो सोत्साह वर्षा-जल को ग्रहण करता है" और "वनस्पति तथा घास को प्रचुर मात्रा में" उपजाता है। ये लोग पैग़म्बर के पैग़ाम को आत्मसात कर लेते हैं और उसे अपनी बुद्धि द्वारा विकसित करके दूसरों के कल्याण का माध्यम बन जाते है। दूसरी कोटि के लोग "कठोर और बंजर जमीन" के समान हैं जो खुद कुछ नहीं पैदा करती, लेकिन दूसरों के लाभ के लिए जल को जज्ब़ करके रखती हैं। इन लोगों को पैग़ाम की गहरी समझ नहीं होती लेकिन ये लोग "मज़हब की जानकारी प्राप्त करते हैं और उसे दूसरों को प्रदान करते हैं।" तीसरी कोटि उन लोगों की है जो ऐसी बंजर जमीन के समान हैं जो न तो बरसात के पानी को जज्ब़ करती हैं और न संचित करके रखती है। ये लोग "अल्लाह के उस मार्गदर्शन को स्वीकार नहीं करते जिसे लेकर मुझ (मुहम्मद) को भेजा गया है" (5668)।

एक अन्य उपमा में मुहम्मद मोमिनों को बतलाते हैं कि मैं तो तुम लोगों को जहन्नुम की आग से बचाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम लोग हो कि उसकी तरफ दौड़े चले जा रहे हो। "मेरा और तुम्हारा उदाहरण इस तरह से है–मैं उस व्यक्ति की तरह हूं जो आग जलाता है और जो कीट-पतंग उसमें गिरने लगते हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है। मैं तुम सबको आग से बचा कर रखना चाहता हूं। लेकिन तुम मेरे हाथ से निकले जा रहे हो" (5672)।

मुहम्मद के नाम

इस किताब में कुछ आगे चलकर मुहम्मद कहते हैं–"मैं मुहम्मद हूं और मैं अहमद हूं और मैं अल–माही (मिटा देने वाला) हूं, जिसके द्वारा अविश्वास मिटा दिया जायेगा। और मैं हाशिर (बटोरने वाला) हूं, जिसके चरणों में मानवजाति को बटोरा जाएगा। और मै आक़िब (सबसे अंत में आने वाला) हूं, जिसके बाद कोई और पैग़म्बर नहीं आयेगा।" वे मुकफ्फ़ी (पैगम्बर-परम्परा में अन्तिम) भी है, और तौबा तथा रहम के पैगम्बर भी है (5810-5813)। कुछ लोगों को इन वाक्यों में वेदांत की ध्वनि सुन पड़ती है। "समन्वय" के लिए आतुर रहने वाले अनेक हिन्दू इस हदीस के आधार पर यह सिद्ध कर सकते हैं कि वेदांत और पैग़म्बरी एक ही बात है। उन्हें इसकी परवाह नहीं कि यह "समन्वय" झूठा है। सत्य यह है कि तत्त्व के नाते इन दोनों दृष्टियों में बहुत बड़ा अंतर है।

जन्नत के हौज़ पर मुहम्मद की मौजूदगी

तैंतीस अहादीस (5680-5712) हमें मुहम्मद के इस आश्वासन का ब्यौरा देती हैं कि वे अपने मोमिनों का इंतजार जन्नत में एक हौज़ के किनारे करेंगे। "मैं तुम सबसे पहले हौज़ कैसर पर पहुंच जाऊंगा" (5712)। हौज कैसर अथवा

हौज, जन्नत का एक बहुत बड़ा जलाशय है "जिसकी परिक्रमा में एक महीना लग जाता है" (5684)।

मुहम्मद के सभी अनुयायी इस हौज़ पर हाज़िर किये जायेंगे, सिवाय उनके जिन्होंने पैग़म्बर की आज्ञा नही मानी या उनके मज़हब में "नवाचार" जोड़ा है। अनुवादक द्वारा उद्धृत कुछ विद्वानों के अनुसार ये वे लोग हैं "जो पाक पैग़म्बर की मृत्यु के बाद इस्लाम का परित्याग कर बैठे थे और जिन्हें हजरत अबू बकर की फौज ने मारा था" (टि० 2630)।

पैगम्बर की दोहरी भूमिका

जब कोई उम्मा अल्लाह के प्रकोप से पार पा जाती है, तो वह (अल्लाह) अपने पैग़म्बर को "आने वाली दुनिया का अग्रदूत और प्रतिदानदाता बनाकर" वापिस बुला लेता है। लेकिन जब अल्लाह किसी उम्मा को नष्ट करना चाहता है तो वह अपने जीते-जागते पैग़म्बर के हाथों उस को दंड देता है। अल्लाह "उसे (उम्मा को) नष्ट कर देता है और पैगम्बर इस विनाश को देखता है और यह विनाश पैग़म्बर की आंखों को ठंडक पहुंचाता है, क्योंकि उम्मा ने पैग़म्बर को झूठा बनाया और उसके आदेश को ठुकराया" (5679)।

चाटुकारिता

यह किताब हमें यह भी बतलाती है कि मुहम्मद के अनुयायी उनके बारे में क्या सोचते थे। इस विषय में कई अहादीस हैं। इन में से अधिकांश अनस द्वारा कही गई। अनस नौ-दस साल तक पैग़म्बर का नौकर था। उसने मुहम्मद को सर्वाधिक पराक्रमी, साहसी और "लोगों में सबसे अधिक उज्ज्वल और उदार और बहादुर समझा" (5715-5717)।

किन्तु आयशा बतलाती हैं कि अगर पैग़म्बर को "दो में एक काम चुनना होता था तो वे अधिक आसान काम को चुनते थें, बशर्ते कि वह गुनाह न हो" (5752)।

मुहम्मद की उदारता

लड़ाई की लूट के माल को मुहम्मद मुक्त भाव से बांटते थे। न केवल अपने अनुयायियों के बीच बल्कि अन्य महत्वपूर्ण मुखिया लोगों में भी, ताकि उनको इस्लाम की ओर "झुकाया जाए"। इसे उनकी उदारता कहा गया। अनस कहते हैं कि पैग़म्बर "इस्लाम के नाम पर जो कुछ भी मांगा जाए" उसे जरूर देते थे। एक व्यक्ति उनके पास आया और मुहम्मद ने उसे भेड़ों और बकरियों का एक बड़ा रेवड़ दे दिया। "वह अपने लोगों के बीच लौट कर गया और बोला–मेरे

भाइयों! इस्लाम अपना लो, क्योंकि मुहम्मद इतना ज्यादा दान देता है कि मानों उसके पास कोई कमी ही न हो" (5728)। अनस आगे कहते हैं इस व्यक्ति ने "सांसारिक स्वार्थ के कारण इस्लाम को अपनाया, लेकिन बाद में यह पक्का मुसलमान बन गया, यहां तक कि इस्लाम इसे संसार से प्रियतर लगने लगा" (5729)।

यह एक अन्य हदीस से पता चलता है कि अल्लाह ने पैग़म्बर को हुनैन की लड़ाई में जीत दिला दी, तो उन्होंने सफवान बिन उमय्या को सौ ऊंट दिये। फिर उन्होंने उसे सौ ऊंट और दिये और सौ और। पाने वाला हक्का-बक्का रह गया। उसने कहा–"वह (मुहम्मद) मेरी नज़र में लोगों के बीच सबसे घृणास्पद व्यक्ति था। लेकिन वह मुझे देता ही चला गया और अब वह मेरे निकट सब लोगों से बढ़ कर अज़ीज है" (5030)।

मुहम्मद ने लूट के माल में से जो देने का वचन दिया, वह उनकी मौत के बाद भी पूरा किया गया। किसी से उन्होंने वायदा किया था कि "अगर हमें बहराइन से दौलत मिलती है तो मैं तुम्हें अमुक राशि दूंगा।" बहराइन से दौलत पहुंचने पर अबू बकर ने उस व्यक्ति को मुट्ठी–भर सिक्के दिये। सिक्के पाने वाला हमें बतलाता है–"उन्होंने मुझे सिक्के गिनने को कहा। मैने गिना तो पांच–सौ दीनार थे। और वे (अबू बकर) बोले–इससे दुगना यह और लो" (5731)।

पैग़म्बर लोग भी लोगों को अपने पंथ में लाने के लिए लौकिक प्रलोभन देते रहते हैं। मीरखोंद द्वारा फारसी में लिखी गयी पैग़म्बर की जीवनी में एक हदीस उद्धृत है, जिसके अनुसार मुहम्मद अपने मोमिनों से कहते हैं–"अगर में मूलफ़त कुलूब को दौलत दूं तो नाराज मत होओ।" उनके "दिलों में ईमान जमाने के लिए" ऐसा किया जाता है। मूलफ़त कुलूब का मतलब है नाममात्र के मुसलमान। महात्मा गांधी ने एक अन्य सन्दर्भ में ऐसे लोगों को "भात के लोभी ईसाई" कहा है। ऐसे लोगों को स्थूल प्रकार के आर्थिक और राजनैतिक प्रलोभन दिखला कर पटाया जाता है। भारत में और एशिया तथा अफ्रीका के दूसरे देशों में, अपने नये अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, तेल के बल पर धनी बने अरब शेख अपनी एक बहुत पुरानी और पाक परम्परा का अनुसरण कर रहे हैं।

पीटर को लूट कर पॉल को दे दो। पैग़म्बरी पंथ–मीमांसा में ये दोनों ही काम पुण्यकर्म माने गए हैं। एक काम को जिहाद की संज्ञा दी गई है और दूसरे काम को सदका अथवा परोपकार कहा गया है।

पैग़म्बर के शारीरिक लक्षण : सुगन्ध

पैग़म्बर के शारीरिक लक्षणों के बारे में बहुत-सी अहादीस हैं। उनके मुख, उनकी भाव-भंगिमा, उन का रंग-रूप, उनके केश, उनकी आंखें और यहां तक कीं उनकी एड़ियों तक का वर्णन मिलता है।

पैग़म्बर का शरीर मुलायम था। अनस ने "जरी या रेशम को छू कर कभी इतना मुलायम नहीं पाया जितना कि रसूल-अल्लाह की देह को" (5759)। उनका पसीना "मोतियों जैसा चमकता था।" उनकी देह खुशबूदार भी थी। अनस ने "कस्तूरी अथवा अंबर को सूंघ कर कभी इतना सुगन्धित नहीं पाया जितना कि रसूल-अल्लाह को" (5760)। उसकी मां ने पैग़म्बर के पसीने को एक बोतल में एकत्रित कर लिया। वह मुहम्मद से बोली–"यह तुम्हारा पसीना है। हम इसे अपने इत्र में मिला लेते हैं और वह इत्र सर्वाधिक सुगन्धित बन जाता है" (5761)।

पैग़म्बर का रंग-रूप

अल-बरा का कथन हैं कि मुहम्मद "न तो बहुत लम्बे थे और न बहुत नाटे कद के" (5771)। उसके मत में मुहम्मद का मुख भी बहुत सुन्दर था। "वे एक लाल परिधान पहन लेते थे और तब अल्लाह के रसूल जितने खूबसूरत लगते थे उतना खूबसूरत मैंने किसी अन्य को नहीं देखा" (5770)।

पैगम्बर के केश

पैगम्बर के केशों के बारे में अनेक अहादीस हैं। उनके कानों की लोरों में बाल उग आते थे। वे अपने बालों में मांग निकालते थे। इस विषय में इब्नअब्बास का कथन है–"किताबी लोग (यहूदी और ईसाई) अपने केशों को माथे पर लटकने देते थे। और बहुदेववादी लोग अपने बालों के बीच मांग निकाल कर उन्हे सिर पर ही सम्भाले रहते थे। रसूल-अल्लाह उन सब मामलों में किताबी लोगों जैसा व्यवहार बरतते थे जिन के बारे में उनको अल्लाह का आदेश नहीं मिला था। अतएव रसूल अल्लाह ने पहिले अपने केशों को माथे पर लटकने दिया, और फिर वे मांग निकालने लगे" (5768)।

अनुवादक हमें बतालाते हैं कि इस मामले में एक इलहाम के परिणामस्वरूप ही पैग़म्बर ने यहूदी तौर-तरीक़े पर चलते हुए सहसा बहुदेववादियों का तौर तरीक़ा अपना लिया। इस विषय में एक हदीस का मिलना ही अनुवादक के लिए "इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि रसूल–अल्लाह को अल्लाह की ओर से वही (इलहाम) आई थी। कुरान में पहिले ही इस विषय पर कुछ कहा जा चुका था। अतएव उन्होंने (अल्लाह के) आदेश का पालन किया" (टि० 2639)।

मुहम्मद के कुछ केश सफ़ेद हो गए थे। किन्तु वे उनको रंगते नहीं थे। अबू बकर और उमर आयु में उनसे छोटे थे। वे दोनों अपने केशों को "शुद्ध मेंहदी" में रंगते थे (5779-5789)।

मुहम्मद के (कटे हुए) केशों को इकट्ठा किया गया। अनस बतलाते हैं कि पैग़म्बर जब "अपने बाल नाई से कटवाते थे तो उनके साथी उन्हें घेर लेते थे और इस ताक में रहते थे कि एक भी बाल किसी व्यक्ति की हथेली के सिवाय कहीं और न गिरने पाए" (5750)।

पैग़म्बरी की मुहर

उनके अनुयायी विश्वास करते थे कि मुहम्मद के पास "पैग़म्बरी की मुहर" पार्थिव रूप में भी मौजूद हैं और उसे उनकी पीठ पर उभरी रसौली में देखा जा सकता है। अब्दुल्ला बिन सरजिस बतलाता हैं कि उसने "पैग़म्बरी की मुहर को उनके कन्धों के बीच बांए कन्धे के पास देखा जिस पर मस्सों-जैसे कई निशान थे" (5793)। एक अन्य व्यक्ति, जाबिर, ने भी मुहर को "उनकी पीठ पर देखा, मानों वह कबूतर का अण्डा हो" (5790)।

वही के प्रभाव में शारीरिक परिवर्तन

आयशा के अनुसार मुहम्मद पर जब कोई इलहाम उतरता था तो "उनके माथे पर पसीना आ जाता था" (5764)। उबादा के अनुसार इलहाम के प्रभाव से "उनके चेहरे का रंग बदल जाता था" (5766) और उनका सिर झुक जाता था (5767)। खुद मुहम्मद के अनुसार कभी-कभी वही "मुझ पर ऐसे उतरती है जैसे कोई घंटी बज रही हो और वह मेरे लिए सबसे प्रचंड होती है...और कई बार एक आदमी की शक्ल में एक फ़रिश्ता आता है और बोलता है..." (5765)। उनका संकेत उनके एक बहुत सुन्दर और नौजवान अनुयायी दिह्या कलबी की ओर है। वस्तुतः मुहम्मद की बीवी उम्म सलमा ने एक बार जिब्रैल को मुहम्मद से बात करते देखा और उसको भ्रम हुआ कि वह फ़रिश्ता दिह्या कलबी है (6006)।

अल्लाह ने मुहम्मद को चालीस साल की उम्र में पैग़म्बर नियुक्त किया था। और वे तिरेसठ साल की उम्र में मरे (5794-5798)। वे मदीना में दस बरस रहे (5799-5809)।

पैग़म्बर के पास सर्वश्रेष्ठ ज्ञान था

पैग़म्बर के पास सर्वश्रेष्ठ ज्ञान था और इसलिए उनके अनुयायियों के लिए यह जरूरी था कि वे आज्ञाकारी भाव से उनका अनुसरण करें। कई बार मुहम्मद कोई ऐसा काम कर देते थे अथवा कोई ऐसी बात कह देते थे जिसे उनके कुछ

साथी उचित नहीं समझते थे। जब यह बात पैग़म्बर को बतलायी गयी, तो उन्होंने खड़े होकर एक भाषण दिया–"उन लोगों को क्या हो गया है जिन्हें मेरी ओर से एक मामले में मंजूरी दी गई और फिर भी जिन्होंने उसको नापसन्द किया और उससे बचने की कोशिश की ? अल्लाह की क़सम ! उन लोगों के बीच मैं ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वाला हूं" (5814)।

अल्लाह में सच्ची आस्था की परख यह है कि मोमिन अल्लाह के रसूल के हर फैसले को खुशी-खुशी क़बूल करे। एक बार जुबैर और एक अंसार के बीच विवाद हो गया। मुहम्मद ने अपना फैसला सुनाया। लेकिन अंसार ने स्पष्ट कह दिया कि उन्होंने जुबैर का पक्ष लिया है। जुबैर उनकी बुआ का लड़का था। पैग़म्बर क्रोध से लाल-पीले हो गए और अल्लाह ने उन पर यह आयत उतारी–"परवरदिगार की क़सम ! वे लोग तब तक सच्चे मोमिन नहीं बनेंगे, जब तक कि वे अपने बीच उठे विवाद में तुम्हें न्यायाधीश नहीं बनाते और तुम जो फ़ैसला करो उसे नापसंद करना नहीं छोड़ते और उसे खुशी–खुशी पूरी तरह नहीं मान लेते" (कुरान 4/65, हदीस 5817)।

लेकिन एक अन्य हदीस कुछ असाधारण-सी है जिसमें पैग़म्बर का स्वर अपेक्षाकृत सौम्य है। एक बार मुहम्मद ऐसे लोगों के पास से गुजरे जो खजूर के पेड़ों में क़लम लगा रहे थे अर्थात नर पेड़ से मादा पेड़ को संयुक्त कर रहे थे। जिससे कि उपज अधिक हो सके। मुहम्मद बोले–"मैं इसे उपयोगी नहीं समझता।" नतीजा यह हुआ कि लोगों ने क़लम लगाना बंद कर दिया और फसल घट गयी। मुहम्मद एक व्यवहार-कुशल व्यक्ति थे। जब उन्होंने यह बात सुनी तो बोले–"अगर वे लोग उपयोगी समझें तो उन्हें कलम लगानी चाहिए। मैंने तो सिर्फ़ अपनी निजी राय व्यक्त की थी। मेरी निजी राय का अनुसरण मत करो। पर जब मैं तुमसे अल्लाह की ओर से कुछ कहूं तब उसे स्वीकार करो। अल्लाह सबसे ऊंचा और महिमाशाली है। उसके साथ मैं झूठ का नाता नहीं मानता" (5830)।

यह हदीस अपने प्रकार का एकमात्र उदाहरण है। किन्तु उन मुस्लिम सुधारकों के लिए जो लौकिक विचार को मुल्लाओं के शिकंजे से छुड़ाना चाहते हैं, यह उदाहरण एक वरदान बन गया। हमें नहीं लगता कि इस प्रकार बच कर निकलना हमें बहुत दूर ले जा सकता है। लेकिन मुस्लिम सुधारकों और "नवाचार–प्रवर्तकों" ने इसका यथासाध्य उपयोग किया है।

चमत्कार

इस किताब में अनेक चमत्कार भी हैं, जिनमें से अधिकांश ईसा मसीह के चमत्कारों के अनुरूप हैं। थोड़ा सा पानी मुहम्मद के पास लाया गया। लेकिन

जब उन्होंने उस पानी के बर्तन में अपना हाथ डाला, तो हरेक उस पानी से वुज़ू कर पाया। उत्साह से अभिभूत अनस बतलाता है–"मैंने देखा कि उनकी उंगलियों से पानी की धारें फूट रही हैं और लोग तब तक वुज़ू करते रहे जब तक कि आखिरी आदमी ने वुज़ू नहीं कर ली।" वुज़ू करने वालों की संख्या के बारे में उसने दो अनुमान दिये हैं। एक बार वह उनकी संख्या "पचास से अस्सी के बीच" बतलाता है (5656)। दूसरी बार कहता है कि संख्या तीन-सौ थी (5658)।

एक अन्य अवसर पर पैग़म्बर ने किसी को आधा वस्क जौ दिया। वह उसके परिवार के लिए और उसके मेहमानों के लिए काफ़ी रहा। उस व्यक्ति ने कौतुहल–वश उसे तोल लिया। तब वह चुक गया। जाबिर ने मुहम्मद को यह कहते सुना–"अगर तुमने उसे तोला नहीं होता तो तुम उसमें से खाते रहते और वह तुम्हारे लिए उतना ही रहता" (5661)।

उहुद के रोज़ लड़ाई के मैदान में साद ने देखा कि जिब्रैल और मिकैल (नाम के फ़रिश्ते) "सफेद कपड़े-पहने" पैग़म्बर के दाहिने और बांये खड़े हैं (5713-5714)।

अन्यान्य पैग़म्बर

इस किताब के आखिर में ईसा, इब्राहीम और मूसा जैसे अन्य पैग़म्बरों की विशेषताओं के बारे में अहादीस हैं।

मुहम्मद का परिचय जिस दुनिया से था वह बहुत बड़ी नहीं थी। वे अपने क़बीले को, उससे जुड़े अन्य कबीलों को, अरब के बद्दुओं को, और पड़ौसी देशों के यहूदियों और ईसाइयों को जानते थे। यहूदियों और ईसाइयों से उन्होंने अपना नेतृत्व मानने के लिए कहा। इस प्रयास में उन्होंने उन लोगों के कुछ विचार और आचार भी स्वीकार कर लिये और उनके पैग़म्बरों को भी मान्यता दी। लेकिन जब वे इस प्रयास में विफल रहे तो उन्होंने इन पैग़म्बरों का एक अन्य प्रकार से उपयोग किया। उन्होंने इन पैग़म्बरों को इन्हें मानने वालों के विरुद्ध खड़ा कर दिया। उनके अनुसार वे जो कह रहे थे वह केवल अल्लाह की आवाज नहीं थी, अपितु वह उनसे पहले आने वाले सभी पैग़म्बरों की आवाज भी थी। अतएव जो लोग उनकी बात पर विश्वास नहीं करते थे, वे वस्तुतः अपने ही पैग़म्बरों पर विश्वास नहीं करते थे और फलस्वरूप वे लोग मज़हब से मुकरने वालों के समान ही थे।

यद्यपि उन्होंने अन्य पैग़म्बरों को अपने हिसाब से ही मान्यता दी, तथापि उन्होंने उस मान्यता का बहुत लाभ उठाया । वे पैग़म्बरों की परम्परा से जुड़

गये। अपने और ईसा के बारे में बोलते हुए मुहम्मद कहते हैं–"मज़हब के नाते पैग़म्बर भाई-भाई हैं। उनको जन्म देने वाली माताएं ही अलग-अलग हैं। उनका मज़हब एक है। हमारे (ईसा और मेरे) बीच कोई और पैग़म्बर नहीं है" (5836)। मुहम्मद पैग़म्बरों में सबसे पीछे आए और उन्होंने पूर्ववर्ती सभी इलहाम निरस्त कर दिए।

अल-ज़िम्मा

मूसा की "विशेषताओं" से सम्बन्धित कुछ अहादीस हैं, जो एक दिलचस्प बात बतलाती हैं–जिम्मी लोगों का आविष्कार उमर के जमाने में नहीं हुआ बल्कि वे मुहम्मद के समय में भी विद्यमान थे। यहूदी लोग पहले ही दूसरे दर्जे के नागरिक बन चुके थे और मुहम्मद के अपने जमाने में उनके मोमिन गुंडों द्वारा यहूदियों को सताया जाता था। उदाहरण के लिए, एक यहूदी अपना माल बेच रहा था। एक अंसार ने उसे माल की वह क़ीमत देनी चाही जो उसे स्वीकार नहीं थी। इस पर विवाद उठ खड़ा हुआ। विवाद के दौरान यहूदी ने कहा–"उस अल्लाह की क़सम जिसने मनुष्यजाति में से मूसा को चुना !" अंसार ने उसके मुंह पर घूंसा जमाया और मूसा की दुहाई देने के लिए उसे धिक्कारा "जबकि अल्लाह का पैग़म्बर हमारे बीच विद्यमान है।" यहूदी मुहम्मद के पास गया और उनको सारा क़िस्सा सुनाया। उसने विनती की–"अबुल-क़ासिम ! मैं इकरार नामे के आधार पर एक जिम्मी हूं (और इस प्रकार आपका संरक्षण चाहता हूं)।" मुहम्मद ने अंसार को डांटा और उससे कहा–"अल्लाह के पैग़म्बरों के बीच भेदभाव मत करो" (5853-5854)।

उदारता के प्रसंग में यह उदाहरण मुहम्मद की उदारता की पराकाष्ठा है। वे उस विराट सत्य तक नहीं पहुच पाए, जो यह घोषणा करता है–विभिन्न समवायों के बीच भेद मत करो, क्योंकि वे सभी एक ही मानव–समाज के अंग हैं; विभिन्न देवी-देवताओं के बीच भेद मत करो, क्योंकि वे सभी एक ही परम सत्य को व्यक्त करते हैं; अल्लाह और अल्लात के बीच भेद मत करो, क्योंकि एक में दूसरा है अर्थात वे दोनों एक ही हैं। अनन्य आराध्य-देव की धारणा एक अनन्य उम्मा की धारणा को जन्म देती है। दूसरे सभी मज़हबों का भी यही मार्ग है। वे सब या तो यह या वह की बात कहते हैं। यह-वह को वे कभी एक नहीं समझते।

पैग़म्बर के साथी (सहाबा)

उनतीसवीं किताब "साथियों की खूबियों" के बारे में (किताब फज़ाइल अल-सहाबा) है। यह मुहम्मद के साथियों, सहायकों और सगे-सम्बन्धियों का गुणगान करती है। अबू बकर, उमर और उस्मान इत्यादि उनके साथी थे। फ़ातिमा, अली, हसन और हुसैन उनके कुटुम्बी थे। खदीज़ा, आयशा, सलमा और जैनब उनकी बीवियां थी। मुहम्मद के जीवनकाल में कुछ घटनाएं घटी थीं जिनको मुसलमान बहुत महत्त्वपूर्ण मानते हैं, जैसे कि बदर की लड़ाई, हुडैबा में मार्च 628 में पेड़ के तले ली गई वफ़ादारी की प्रतिज्ञा (बैयत अल-रिज़वान)। इन घटनाओं के साथ कुछ वफ़ादार अंसारों तथा अन्य लोगों के नाम जुड़े हुए हैं। (पेड़ के तले जिन लोगों ने प्रतिज्ञा की थी उन से मुहम्मद ने वायदा किया था कि वे जहन्नुम की ज्वाला में कभी नहीं पड़ेंगे)।

इन सब लोगों का गुणगान इसलिए नहीं किया गया कि अन्य लोगों की तुलना में इन की दृष्टि अधिक व्यापक थी अथवा इन में अधिक गहरी मानवता थी अथवा इन में न्याय की प्रवृति अधिक उदार थी। इस गुणगान का आधार केवल एक ही है–मुहम्मद के व्यक्तिगत और कृतित्व के प्रति इन लोगों की वफ़ादारी और उपयोगिता। सर्वसत्तात्मक मतवादों और मज़हबों में नेता के प्रति आस्था और भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ गुण समझा जाता है। अनुयायियों को अन्य किसी गुण की जरूरत नहीं पड़ती। वे यदि परित्राण पाना चाहते हैं तो चापलूसी ही उनके लिए पर्याप्त है।

अबू बकर सिद्दीक की खूबियां

अबू बकर सिद्दीक का मूल नाम था अब्दुल काबाह। मुहम्मद ने उनका नाम बदलकर अब्दुल्ला इब्न अवी कुहाफ़ा रख दिया। पर शीघ्र ही वे अबू बकर अर्थात "कन्या के पिता" के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वह कन्या थी आयशा जिसके साथ मुहम्मद की मंगनी उस समय हुई थी जब वह छः साल की थी, और जिसे नौ साल की होने पर उन्होंने ब्याह लिया था। मुहम्मद के बाद अबू बकर इस्लाम के पहले खलीफ़ा बने।

अबू बकर द्वारा सम्पादित सेवाओं के कारण मुहम्मद के मन में उनके प्रति बहुत मान था। उन्होंने कहा था–"अगर मुझे अपना जिगरी दोस्त बनाना होता

कुहाफ़ा के बेटे को अपना जिगरी दोस्त चुनता" (5873)। जब मुहम्मद या कि वे सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं, तो उनका जवाब शा को आयशा के पिता अबू बकर को और उमर को, इसी क्रम से"

द की मौत के बाद खलीफ़ा के पद को लेकर जो विवाद उठा उसमें के पदारोहण का समर्थन करने वाली अहादीस हैं। इनमें से कुछ को के कहने वालों ने गढ़ लिया था। इनके कहने वाले कुछ हद तक इन भी करने लगे थे। मुहम्मद की आखिरी बीमारी के दौरान एक औरत आयी। उसने पूछा कि जब वे नहीं रहेंगे तब उसे किसके पास जाना म्मद ने जवाब दिया–"अबू बकर के पास" (5878)। आयशा इसी बात भी स्पष्ट शब्दों में कहती हैं–"अल्लाह के पैग़म्बर ने अपनी आख़िरी वक़्त मुझसे मेरे पिता (अबू बकर) और मेरे भाई को भी बुलाने के लिए वे एक दस्तावेज लिख सकें। क्योंकि उनको यह डर था कि उनके अन्य उनका उत्तराधिकारी बनने का इच्छुक हो सकता है" (5879)। एक साज़िश करके ही सत्तारूढ़ हुए। मुहम्मद जैसे ही मरे, गद्दी के खुल्लम-खुल्ला शुरू हो गयी। पैग़म्बर के भतीजे, अली, और चाचा, उनकी लाश को भुनाने की सबसे ज्यादा कोशिश की। उन्होंने लाश क़ब्जे में किया और दफ़न की तैयारी में किसी अन्य को हाथ नहीं । उन्होंने कमरें में भीतर से ताला बन्द कर लिया और जिस कमरे मरे थे, उसी कमरे में रात को चुपचाप उन्हें दफ़ना दिया। उनकी बी, आयशा, को भी इस विषय में कुछ नहीं बताया गया। आयशा उस दूसरे घर में सो रही थीं।

अंसारों और मुहाजिरों के बीच संघर्ष छिड़ गया। अंसार लोग बनू भाकक्ष में इकठ्ठे हुए। वे अपने क़बीले के एक आदमी, साद बिन मुखिया बनाना चाहते थे। अबू बकर और उमर को जब इसकी भनक अपने समर्थकों को साथ लेकर फ़ौरन वहां पहुंचे। अबू बकर ने से कहा कि "अरब लोगों में देश और कुल के नाते" कुरैश सर्वोच्च रब लोग कुरैश के कबीले की सत्ता को ही स्वीकार करेंगे।" वे अमीर लोग हैं और तुम हमारे वजीर हो।" अंसारों ने जब विरोध तो यह प्रस्ताव रखा गया कि प्रत्येक पक्ष अपना-अपना अमीर चुने। के निवासियों ने इसे मंजूर नहीं किया और अबू बकर को इस्लाम चुना" गया। इब्न इसहाक़ के अनुसार उमर ने बतलाया–"इस प्रक्रिया

के दौरान हम साद बिन उबादा के ऊपर पिल पड़े ओर किसी ने कहा कि हमने उसे मार डाला हैं। तब मैंने कहा कि उसे अल्लाह ने मारा है।"[1] यही किस्सा तबरी में दोहराया गया हैं।[2]

अगले दिन अबू बकर ने खुद को इस्लाम का खलीफ़ा घोषित कर दिया।

अमर बिन ख़त्ताब की खूबियां

उमर बिन ख़त्ताब और अबू बकर की जोड़ी अभेद्य थी। मुहम्मद ने कहा था–"मैं आया और अबू बकर और उमर भी आ गए। मैने प्रवेश किया और अबू बकर तथा उमर ने भी प्रवेश किया। मैं बाहर निकला ओर अबू बकर और उमर भी बाहर निकल पड़े" (5885)।

उमर मुहम्मद के प्रति वफ़ादार थे। एक बार गहरी नींद में सोये हुए मुहम्मद ने देखा कि वे "जन्नत में हैं और एक औरत एक महल के बाजू में वुजू कर रही है।" (सपने में ही) पूछताछ करने पर उन्हें बताया गया कि वह उमर के वास्ते था। (यह स्पष्ट नहीं है कि यहां "वह" से आशय औरत से है या महल से या दोनों से)। अतः मुहम्मद ने उमर के संकोच का ख्याल करके पीठ फेर ली और वे दूर चले गये । जब उमर को यह सपना सुनाया गया तो वे बिलखने लगे। उन्होंने मुहम्मद से कहा–"क्या मैं कभी आपसे ईर्ष्या कर सकता हूं ?" (5898)।

उमर मतान्ध व्यक्ति थे, संकीर्ण-बुद्धि और नफ़रत को डट कर निभाने वाले। एक बार मुहम्मद को इसके लिए राजी किया गया कि वे एक ऐसे व्यक्ति के लिए जनाज़े की नमाज़ अदा करें जिसे मुसलमान पाखंडी मानते थे। उमर ने "अल्लाह के पैग़म्बर का पल्ला पकड़ लिया और बोले–रसूल-अल्लाह ! क्या आप उसके लिए नमाज़ अदा करने जा रहे हैं जिसके लिए अल्लाह ने नमाज़ मना की है ?" (5904)। लेकिन मुहमम्द अड़े रहे। और ज्यों ही वे नमाज पढ़ने लगे, त्योंही अल्लाह ने यह आयत उतार दी–"तुम कभी भी न तो उनके लिए जनाजे की नमाज़ अदा करो और न उनकी क़ब्र के किनारे खड़े हो, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को अस्वीकार किया और वे पतित विद्रोहियों की दशा

1. सीरत रसूल-अल्लाह, पृष्ठ 297

2. उमर अपने दल-बल के साथ अली के घर पर भी गए, जहां हाशिमी कबीले के लोग इकट्ठे हुए थे। उमर ने उन्हें धमकी दी–"या तो अबू बकर की वैयत करो नहीं तो मैं इस घर में आग लगा दूंगा और तुम सबको जला डालूँगा।" जुबैर तलवार हाथ में लेकर उनकी ओर बढ़ा, किन्तु उसका पैर दरी में उलझ गया। उमर के लोग उस पर टूट पड़े और उसे काबू में कर लिया (तारीख़ तबरी, जिल्द 1, पृष्ठ 529) । आख़िरकार जब अली ने अबू बकर को ख़लीफा मान लिया, तो अबू सूफ़ियां ने उस पर व्यंग्य कसा कि "सिऊं दो अधम वस्तु ही अपना मान-मर्दन और अन्याय इतने धीरज के साथ सहती है–तम्बू की मेख़ और गांव का गधा" (वही, पृष्ठ 527-528)।

में मरे" (कुरान 9/84)। इस्लाम ने अपने शत्रुओं के प्रति अपनी घृणा को क़ब्र के उस पार भी बरकरार रखा है।

दरअसल अल्लाह ने उमर को एक से अधिक बार सच्चा सिद्ध किया। मुस्लिम विद्वान ऐसे पचास मामले गिनाते हैं, जिनमें उमर के विचार कुरान की आयतें बन गए। तथापि उमर केवल तीन बातों का ही विनम्रतापूर्वक उल्लेख करते हैं–"मेरे मालिक ने मेरे निर्णय की तीन बार पुष्टि की–इब्राहीम के मकाम के मामले में, बुर्का लागू करने के बारे में और बदर के क़ैदियों के मामले में" (5903)।

पहली घटना का संबंध इस बात से है कि मुहम्मद और उनके अनुयायी मदीना में अपने प्रवास के प्रथम पन्द्रह महीनों में यरूशलम स्थित यहूदियों के मन्दिर की ओर मुंह फेर कर प्रार्थना करते थे। बाद में अल्लाह के आदेश से यह दिशा बदल कर मक्का की ओर कर दी गयी। उमर ने पहले ही ऐसी सलाह दी थी।

बुर्क़े से संबंधित घटना के बारे में हम पहले ही "अभिवादनों और अभिनन्दनों" की किताब पर विचार करते हुए लिख चुके हैं, और यह दिखा चुके हैं कि किस प्रकार अल्लाह के आदेश ने उमर की राय की पुष्टि की।

तीसरी घटना कुरैश क़ैदियों से जुड़ी है। इन क़ैदियों में पैग़म्बर के चाचा अब्बास भी थे। अबू बकर की सलाह थी कि छुड़ाई लेकर उन्हें रिहा कर दिया जाये। लेकिन उमर की सलाह थी कि उन सबकों क़त्ल कर डाला जाये। मुहम्मद ने इस मामले में अबू बकर की सलाह स्वीकार कर ली। लेकिन अल्लाह का मत साधारणतया उमर के मत से मेल खाता था। अल्लाह ने पैग़म्बर को धिक्कारा और कहा कि छुड़ाई के धन का लोभ उनके मन में कभी भी नहीं आना चाहिए। एक पैग़म्बर के नाते उनका पहला फर्ज़ सारे देश में कत्ले-आम करना था। "पैग़म्बर के लिए यह उचित नहीं है कि वह देश में क़त्ले-आम करने से पहले क़ैदी अपने क़ब्जे में करे...अगर अल्लाह ने पहले की बातों का लिहाज नहीं किया होता तो छुड़ाई का धन लेने के लिए तुम्हें सख्त सजा दी जाती" (कुरान 8/67-68)।

उमर ने अरब साम्राज्यवाद के विस्तार में विशेष भूमिका निभाई। इसके कारण इस्लाम के इतिहास में उमर का बहुत सम्मान किया जाता है। यह सही कि अरब साम्राज्यवाद के सच्चे प्रवर्तक स्वयं मुहम्मद थे। वे एक प्रवीणतम प्रवर्तक थे। उन्होंने इस साम्राज्यवाद का एक सिद्धांत बनाया, इसकी एक विचार-धारा, एक सतत प्रेरणा तथा एक मज़हबी वाग्धारा प्रस्तुत की और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करके वह नमूना सामने रखा जिस की नक़ल आने वाली

पीढ़ियां कर सकें। लेकिन उनके बाद उमर का योगदान ही अत्यधिक रहा। उमर ने नये रास्ते तैयार किए और लड़ाई की लूट के लिए नयी ललक तथा नयी प्रेरणाएं उभारी। उन्होंने प्रत्येक अरब का नाम राज्य की वेतन-पंजी में दर्ज किया। यहां तक कि अरबों के नवजात बच्चे भी इस वेतन-पंजी में स्थान पा गए। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि एक अरब का काम इसके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता कि वह इस्लामी साम्राज्यवाद के उपनिवेश बसाए और साम्राज्यवाद का सैनिक बना रहे।

उमर की यह भूमिका अनेक अहादीस में स्पष्ट की गयी है। एक सपने में मुहम्मद ने देखा कि वे एक तालाब से पानी निकाल रहे हैं। फिर अबू बकर ने मश्क़ सम्भाली। पर वे सिर्फ़ "दो मश्क़" ही खींच पाये। उनके "खीचनें का तरीका कमज़ोर था।" फिर उमर ने पूरी ताकत से पानी खींचा। मुहम्मद ने कहा–"मैंने उससे अधिक ताकत के साथ पानी खींचने वाला कोई और आदमी नहीं देखा" (5890-5896)। हमें बतलाया जाता हैं कि ये अहादीस मुस्लिम एकाधिपत्य के विस्तार में उमर की भावी भूमिका की ओर संकेत करती हैं।

इस्लाम की तवारीख़ों में हम पढ़ते हैं कि उमर को तलवार निकालने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन लड़ाई के मैदान में वे कभी महारथी नहीं रहे। बदर और उहुद की लड़ाइयों में, बहुदेववादियों को मारने वालों की सूची में उनका नाम सिर्फ़ एक बार ही मिलता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति क़ैद हो जाता था या किसी अन्य प्रकार से उनके क़ब्जें में आ जाता था तो उमर की तलवार बड़ी बहादुरी दिखलाती थी। बदर की लड़ाई में पकड़े गए मक्का के निवासी मबद इब्न वहब से उमर की भेंट हुई। उमर ने ताना मारा–"तो तुम अब पिट गये हो।" उस आदमी ने जवाब दिया–"लात और उज़्ज़ा की कसम ! नहीं" उमर ने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग करते हुए कहा–"क्या एक क़ैदी काफिर को एक मोमिन से इसी तरह मुखातिब होना चाहिए ?"[1]

जैसाकि हम पहले ही देख चुके हैं, एक अन्य अवसर पर उमर ने सत्तर अन्य क़ैदियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करने की सलाह दी थी। उन्होंने मुहम्मद से कहा था–"इनको हमें सौंप दो ताकि हम इनके सिर काट सकें।" उन्होंने ने यह भी कहा था–"अकिल को (जो अली के भाई थे) अली को दे दो ताकि वह उसका सिर काट सके और मेरे अमुक-अमुक रिश्तेदार को मुझे दे दो ताकि मैं उसका सिर काट सकूं" (4360)।

1. वाक़िदी, जिस को म्यूर ने अपनी लाइफ महोमेट, खंड 3, पृष्ठ 110 पर उद्धृत किया है।

क़ैदियों को इस प्रकार नृशंसता से क़त्ल करना अपने–आप में घोर क्रूरता २थी। लेकिन किसी आदमी के सगे रिश्तेदारों का क़त्ल जानबूझ कर उसके अपने हाथ से क्यों करवाया गया ? नए मज़हब से इस काम का मेल खाता था। इस प्रकार व्यक्ति के पुराने सम्बन्धों को कमजोर किया जाता था और फलस्वरूप उसकी "मज़हबी चेतना" को मज़बूत बनाया जाता था। साथ ही नये मजहब और नये नेता के प्रति अपनी वफ़ादारी दिखाने का यह सर्वाधिक प्रभावपूर्ण तरीक़ा भी था। अगर कोई व्यक्ति अल्लाह के नाम पर अपने माता-पिता अथवा अपने भाई भतीजे को मार डालता था तो यह गर्व का विषय बन जाता था। वैचारिक बाना इस प्रकार और भी सजीला हो उठता था। इसी मनोदशा के बल पर एक अन्य अवसर पर उमर ने सोहैल के बेटे अबू जन्दल को उसके पिता का क़त्ल करने के लिए तत्पर करना चाहा। उमर ने कहा–"तुम्हारा पिता उन बुतपरस्तों में से एक है जिनका खून बहाना कुत्तों का खून बहाने के बराबर है।" यह किस्सा मीरखोंद द्वारा रचित पैगम्बर की जीवनी में पूरी तरह बयान किया गया है।[1]

इस मामले में उमर भाग्यशाली थे। बदर और उहुद की लड़ाई में जिस एक मात्र व्यक्ति का क़त्ल करने में वे सफल हुए, वह उनका मामा था। उमर ने सईद बिन अल-आस से कहा–"शायद तुम्हें यह ग़लतफ़हमी है कि मैंने तुम्हारे पिता को मार डाला। लेकिन दरअसल मैंने अपने मामा, आस बिन हशाम बिन अल–मुग़ीरा, का क़त्ल किया है।"[2]

मानव स्वभाव और व्यवहार से अत्यन्त विपरीत इस नज़रिये को स्वीकार कर पाना कठिन है। लेकिन यह असाधारण नहीं है। हमारे अपने युग में कम्युनिज्म द्वारा ऐसे ही काम सम्पन्न हुए हैं। कुछ ही दशक पहले रूस में, और चीन में भी, पार्टी के सदस्यों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे अपने माता-पिता और नज़दीकी रिश्तेदारों पर दोषारोपण करें तथा उनके ऊपर पुलिस की ओर से जासूसी करें। यह माना जाता था कि इस प्रकार उनकी "वर्गचेतना" मजबूत होगी। जो ऐसा कुपुत्रोचित आचरण करते थे, उनको पुण्यश्लोक ठहरा कर सम्मानित किया जाता था। समानधर्मा विचारधाराएं और दृष्टियाँ सदा एक–समान आस्थाओं और आचरणों को प्रवृत्त करती हैं।

इस आचार की नीति अनुयायियों के लिए तो वैध थी, पर पैग़म्बर इसके परे थे। यद्यपि उन्होंने अपने मृत माता-पिता और चाचा को दोज़ख की आग में भेज दिया, तथापि अपने जीते-जागते कुटुम्बियों के प्रति वे कृपालु बने रहे। उनके दामाद अबुल आस बिन अल-रबी को बदल की लड़ाई में पकड़ा गया था।

1. मीरखोंद, रौज़त अस्सफ़, जिल्द 2, भाग 2, पृष्ठ 507।
2. सीरत रसूल-अल्लाह, पृष्ठ 739।

दामाद के प्रति उन्होंने दया बरती और उसे उन्होंने बिना छुड़ाई लिए रिहा कर दिया। लड़ाई में मुहम्मद ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया था कि उनके (मुहम्मद के) क़बीले बनू हाशिम के किसी भी सदस्य का वध न किया जाए और उनके चाचा अल-अब्बास को बचाया जाए। लेकिन एक मुसलमान, अबू हुज़ैफ़ा, को जिसने खुद अपने पिता का क़त्ल किया था, यह बात पसंद नहीं आयी। वह उच्चस्वर से बोला–"क्या हम अपने पिताओं और पुत्रों तथा अपने भाइयों और अपने कुटुम्बियों को मारते रहें और अल-अब्बास को छोड़ दें ? अल्लाह की क़सम ! मुझे वह (अब्बास) मिला तो मैं अपनी तलवार उसके भीतर घुसेड़ दूंगा।"

यह बात जब मुहम्मद तक पहुंची तो वे बहुत परेशान हो उठे। उन्होंने उमर से कहा–"ऐ अबू हफ़्स ! पैग़म्बर के चाचा के चेहरे पर क्या तलवार का निशान किया जाना चाहिए ?" उमर ने उत्तर दिया–"मुझे उस शख़्स (हुज़ैफ़ा) का सिर काटने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह की क़सम ! यह एक झूठा मुसलमान है।" अबू हुज़ैफ़ा कहा करता था–"उस दिन वे शब्द कह देने के बाद मैंने अपने-आप को कभी सुरक्षित नहीं समझा। शहीद होकर ही मैं उन शब्दों के लिए पश्चात्ताप कर सकता था। अतएव मैं सदा भयभीत रहता था।" वह अल-यमामा की लड़ाई में शहीद हो गया। यह किस्सा इब्न इसहा ने बयान किया है।[1]

उस्मान बिन अफ्फ़ान

उस्मान बिन अफ्फ़ान मुहम्मद की बेटियों में से एक, रुक़य्या, के प्रति अपनी आसक्ति के कारण मुसलमान बने। उन्होंने रूकय्या से शादी की। जब वह मर गयी, तो मुहम्मद ने अपनी एक अन्य बेटी, उम्म कुलसूम, उसमान को दे दी।

मुस्लिम किम्वदन्तियों के अनुसार उस्मान कुछ छैले किस्म के आदमी थे। जब मुहाजिर लोग मदीना पहुंचे और उन्होंने अपनी मेहनत से मस्जिद बनाई तब यह शिकायत की गयी कि उस्मान मेहनत करने से जी चुराते हैं। मजदूर वर्ग में से मुसलमान बने हुए अम्मार को बहुत भारी काम करने के लिए विवश किया गया था। उस्मान इस्लाम के तीसरे खलीफा बने और अनेक अन्य मुसलमान खलीफाओं की तरह अपने हम-मजहब भाइयों के हाथों मारे गये।

आयशा बतलातीं हैं कि पैगम्बर, अबू बकर और उमर के साथ अपने बिस्तर पर लेटे-लेटे ही मुलाकात करते थे। उस समय उनकी जांघ अथवा पिंडली नंगी रहती थी। लेकिन जब उस्मान आते थे तो पैगम्बर कपड़े ठीक कर लेते थे और जांघ और पिंडली ढक लेते थे। वे कहते थे–"जिसके सामने खुद फरिश्ते शरमाते हैं, क्या मैं उसके सामने न शरमाऊं ?" (5906)।

1. सीरत रसूल-अल्लाह, पृष्ठ 301।

इस हदीस के आधार पर मुस्लिम विद्वानों ने शिष्टाचार के इस नियम का आविष्कार किया है कि अभ्यागत के आने पर "जांघ शरीर का वह भाग नहीं है जिसे ढकना जरूरी हो।" पंथमीमांसा और कानून के जानकार दूसरे विद्वान, जो अधिक प्रवीण हैं, इस निष्कर्ष से सहमत नहीं। दोनों तरफ जो तर्क दिये जाते हैं, उनसे इस्लामी विद्वत्ता की थाह ली जा सकती है–वह विद्वत्ता किस प्रकार सत्य तक पहुंचती है और किस प्रकार सत्य का वर्गीकरण करती है। इस्लामी विद्वत्ता बेमायनी बातों का सूक्ष्म अन्वेषण करती रहती है। मानो नगण्य मामलों पर माथापच्ची करना ही उसका काम है।

इसी शीर्षक के अन्तर्गत एक अन्य दिलचस्प हदीस है। "अल्लाह के पैगम्बर एक बार मदीना के एक बगीचे में (उनके सात बगीचे थे) गए। वे एक तकिये का सहारा लेकर लेट गए। एक आदमी ने आकर उनसे कहा कि दरवाजा खोल दिया जाये। उन्होंने कहा–उसके लिए खोल दो और उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाओ। वह व्यक्ति अबू बकर निकला।" उसी परिस्थिति में उमर और उस्मान भी पैगम्बर के पास पहुंचे और उन्हें भी वही खुशखबरी मिली। यहां हमें एक ही हदीस में खलीफाओं की त्रिमूर्ति के दर्शन हो जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए जन्नत का वायदा है।

अली बिन अबी तालिब

अली बिन अबी तालिब मुहम्मद के भतीजे और दामाद थे। इस दावे के समर्थन में अनेक अहादीस हैं कि इस्लाम में सर्वोच्च स्थान अली और उनके परिवार को उत्तराधिकार के रूप में मिला था। मुहम्मद ने एक बार अली से कहा था–"तुम्हारा मेरे साथ वही रिश्ता है जो आरोन (हारूं) का मूसा के साथ था। केवल यह अन्तर स्पष्ट रहना चाहिए कि मेरे बाद कोई अन्य पैगम्बर नहीं होगा" (5913)।

एक अन्य हदीस हमें बतलाती है कि मुहम्मद अपने परिवार में किन लोगों को गिनते थे और इस प्रकार कम से कम उनके सांसारिक वैभव के वारिस कौन थे। उनका एक मुबाहला (प्रार्थना और शापों के द्वारा परीक्षण की एक प्रक्रिया) ईसाइयों के साथ हुआ। मुहम्मद ने कहा–"हमें अपने बच्चों और तुम्हारें बच्चों को बुला लेना चाहिए।" अपनी तरफ से उन्होंने अली, फातिमा, हसन और हुसैन को बुलाया। उन्होंने कहा–"ऐ अल्लाह ! ये लोग मेरा परिवार है" (5915)।

एक अन्य हदीस के अनुसार मुहम्मद जब अपनी मृत्युशैय्या पर थे, तब उन्होंने मोमिनों से कहा–"मैं अपने पीछे दो गुरूत्वपूर्ण चीजें छोड़े जा रहा हूं–अल्लाह की किताब...(और) अपने परिवार के सदस्य। मेरे परिवार के सदस्यों के प्रति तुम लोगों का जो फर्ज है उसकी मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ।" उन्होंने "मेरे

परिवार के सदस्य" अथवा "मेरे घर के लोग" (अहलुल-वेत) की जो परिभाषा दी उसमें उन की बीवियों को छोड़ दिया और उन लोगों को गिना गया जिनकों जकात का उपभोग करना मना था। अली, अक़िल, जाफ़र अब्बास तथा इन सब के वंशज परिवार में शमिल थे (5920)।

एक अन्य हदीस भी जो अली के दावे को "सिद्ध" करती है। खैबर की लड़ाई के दिन मुहम्मद ने कहा कि जो व्यक्ति "अल्लाह और उसके रसूल को प्यार करता है और जिसे अल्लाह और उसके रसूल प्यार करते हैं" उसके हाथ में वे झण्डा देंगे। फिर उन्होंने अली को बुलाया। अली की आंखें दुख रही थी। उन्होंने अपना थूक लगा कर आंखों का इलाज कर दिया। फिर पैगम्बर ने अली से कहा–"जाओ और उनसे तब तक लड़ो जब तक कि वे इस हकीकत की गवाही न दे दें कि अल्लाह के सिवाय और कोई आराध्य नहीं है और मुहम्मद अल्लाह का पैगम्बर है।" अली ने जिम्मेदारी स्वीकार की और पैगम्बर से कहा–"मैं उनसे तब तक लड़ूंगा जब तक वे हमारे जैसे नहीं बन जाते" (5915-5918)।

अली को झण्डा थमाना और अबू बकर तथा उमर को बाद देना क्या इस आशय को व्यक्त नहीं करता कि पैगम्बर प्रतीकात्मक तौर पर इस्लाम का भावी नेतृत्व अली को सौप रहे थे ?[1] उमर अपने मन में खलीफा बनने की आकांक्षा छुपाए हुए थे। उमर ने कहा–"मैंने कभी भी नेतृत्व नहीं चाहा, सिवाय उस रोज (खैबर के रोज) के" (5917)।

अल्लाह पक्षपाती है। केवल इसीलिए कि उसके पैगम्बर अली को प्यार करते थे, अली को अनेक सुविधाएं मिलीं। जिन कामों के करने अथवा न करने के लिए दूसरों को दण्ड दिए जाते थे, उनके विषय में अली को अनदेखा कर दिया गया। अपने नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ने के बाद अली ने लूट के माल में से अपने लिए एक लौंडी चुनी। तब तक पैगम्बर के पंचमांश को खजाने में जमा नही किया गया था। यह एक संगीन जुर्म था, जिसकी लौकिक तथा परलौकिक,

1. मुहम्मद की मौत के बाद अली के दल को पक्का यकीन था कि मुहम्मद अली को खलीफा का पद सौपना चाहते थे। किन्तु पैगम्बर के जीवनकाल में अली स्वयं इस विषय में आश्वस्त नहीं थे। जब मुहम्मद मरने लगे तो उनके चाचा अब्बास, अली को एक ओर ले जाकर, बोले–"तीन रात बीतते-बीतते तुम को उन लोगों के मातहत बनना पड़ेगा। मैं यह जानता हूं कि अब्दुल–मुत्तलिब की औलाद जब मौत के निकट होती है तो उनके चेहरों का रंग कैसा हो जाता है। मेरा मन कहता है कि पैगम्बर बचेंगे नहीं। इसलिए आओ, उनके पास जाकर पूछें कि खलीफा-पद किसे मिलेगा।" किन्तु अली ने जाने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा–"मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। क्योंकि अगर उन्होंने इस समय हमें 'ना' कह दिया तो लोग फिर कभी हमें खलीफा नहीं बनाएगें।" (तबक़ात, जिल्द 2 पृ. 2928-293; तारीख तबरी, जिल्द 1, पृ. 521)।

दोनों तरह की सजाएं थी। नेतृत्व में दूसरे नंबर पर नियुक्त खालिद बिन वलीद ने मुहम्मद से इसकी शिकायत की। शिकायत सुनकर पैगम्बर उबल पड़े। "उनका चेहरा गुस्से से लाल हो उठा।" अली के खिलाफ शिकायत सुनना उन्हें पसन्द नहीं था। क्योंकि "अली अल्लाह और उसके पैगम्बर से प्यार करते हैं और अल्लाह और उसके पैगम्बर अली से प्यार करते हैं" (तिरमिजी, जिल्द 2 हदीस 1582)।[1] अधिकारी जब प्रथम रिपोर्ट को ही दर्ज करने से इनकार कर दें तो आप समझ सकते हैं कि न्याय की दशा क्या होगी।

लड़ाई में अली बहादुर भी था और चालाक भी। खन्दक की लड़ाई के दौरान नब्बे वर्ष के अम्र बिन अब्दु वुद और अली द्वन्द्वयुद्ध के लिए तैयार हुए। युद्ध के बीच अली ने अम्र से कहा–"क्या हम इस बात पर सहमत नहीं हुए कि मेरी या तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आयेगा ?" अम्र ने पूछा–"किन्तु हुआ क्या है ?" अली ने कहा–"देखो तुम्हारे पीछे तुम्हारा भाई आ रहा है।" अम्र ने जैसे ही पीछे की ओर देखा, अली ने उस "जघन्य व्यक्ति पर वार करने का मौका हथिया लिया।" अम्र ने कहा–"लड़के ! तूने मुझे धोखा दिया है।" लेकिन "विजय के स्वामी और पात्र ने घोषणा की कि लड़ाई तो धोखाधड़ी है।" यह किस्सा मीरखोंद द्वारा दिया गया है।[2]

अली मुहम्मद के सबसे श्रेष्ठ सेनापति ही नहीं अपितु जल्लाद भी थे। जब मुहम्मद सजा सुनाते थे तो बहुधा सजा देने के लिए अली को चुना जाता था। शराब पीने के दोषी लोगों को कोड़े मारने के लिए अली को ही कहा जाता था (4231)। व्यभिचारियों को कोड़े लगाने के लिए भी (4225)। अल्लाह के पैगम्बर का आदेश पाकर अली लोगों के सिर काटने का काम भी करते थे (6676)। सबसे घिनौनी घटना बनू कुरैजा के कैदियों को लेकर घटी। वे आठ-सौ थे। उन सबके सिर मदीना के बाजार में अली और जुबैर ने एक ही रोज में काट डाले (उपरोक्त, पृ॰ 126)। फारसी में लिखी गई पैगम्बर की जीवनी के रचनाकार मीरखोंद बयान करते हैं–"रसूल-अल्लाह ने यथोचित जगह में एक खाई खोदने का हुक्म दिया और वे लोग (कैदी) छोटी-छोटी टोलियों में लाये गये। रसूल–अल्लाह के हुक्म से अली और जुबैर उनके सिर काटते गये...उस रोज शाम तक बनी कुरैजा के जो लोग बच गए थे उनकी जिन्दगी की लौ, मशाल की रौशनी में बुझाई गयी।"[3]

---

1. एक अन्य अवसर पर इसी प्रकार शिकायत सुन कर मुहम्मद ने क्रुद्ध होकर कहा–"सच मानो, अली मेरा है, और मैं अली का हूं" (तिरमिज़ी, जिल्द 2 हदीस 1569)।
2. रौजत अस्सफ़ा, जिल्द 2, भाग 2, पृष्ठ 456
3. वही, पृष्ठ 477-478

साद बिन अबी वक्कास

साद बिन अबी बक्कास ने तेरह बरस की उम्र में ही मुहम्मद का पल्ला पकड़ा था और वह लगभग सभी चढ़ाइयों में उनके साथ रहा। वह उन दस लोगों में से एक था, जिनसे उनकी जिन्दगी में ही जन्नत का वायदा मुहम्मद की ओर से किया गया था। रात के समय वह मुहम्मद के द्वारपाल या संतरी का काम करता था। आयशा हमें बतलाती हैं कि जब से उसे यह जिम्मेदारी सौंपी गयी, "अल्लाह के पैगम्बर ऐसी गहरी नींद सोये कि मैंने उनके खर्राटे सुने" (5925)।

साद कुरान की कई आयतों का प्रेरक भी बना। हम एक उदाहरण देते हैं। उसकी मां ने कसम खायी थी कि "वह उस समय तक उसके साथ बात नहीं करेगी जब तक कि वह इस्लाम को त्याग नहीं देता और उसने खाना-पीना छोड़ दिया था और कहा था कि अल्लाह ने तुम्हें अपने माता–पिता से अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया है और मैं तुम्हारी मां हूं और मैं तुम्हें इस्लाम त्यागने का आदेश देती हूं।" किन्तु यह तो बहुदेववादियों का सदाचार था। अल्लाह ने अब एक नयी आचार-संहिता सिखायी और कुरान की यह आयत उतार दी–"हमने इंसान को अपने मां-बाप के साथ नेकी करने का हुक्म दिया है। पर वे (मां-बाप) यदि मेरे साथ ऐसा कुछ शरीक करने के लिए तुझ पर दबाव डालें जिसका तुझे ज्ञान न हो, तो उनकी आज्ञा मत मान" (कुरान 29/8; हदीस 5933)।

ज़ैद बिन हारिस की खूबियां

ज़ैद बिन हारिस मुहम्मद का गोद लिया हुआ बेटा था और उसने मुहम्मद की अधिकतर चढ़ाइयों में हिस्सा लिया था। मुहम्मद ने ज़ैद की बीवी को अर्धनग्न अवस्था में देख लिया, और वे उसके प्रति अत्यन्त आसक्त हो उठे। यद्यपि इस विषय में बहुत बड़ा अपवाद फैला तथापि उन्होंने ज़ैद से उसे तलाक दिलवा दिया और खुद उससे शादी कर ली। ऊंचे आसमान से उतरी हुई एक आयत ने इस शादी को सुगम बना दिया (कुरान 33/36-40)। तब तक चली आई अरब प्रथा के अनुसार जैद को समाज में मुहम्मद का बेटा माना जाता था। लेकिन इस शादी के बाद वह फिर अपने असली पिता के नाम से पुकारा जाने लगा। इसका आदेश भी अल्लाह के एक इलहाम द्वारा दिया गया "ऐ मोमिनो ! उनको उनके बापों के नामों से पुकारो। क्योंकि अल्लाह के मत में यही अधिक सम्यक् है" (कुरान 33/5; हदीस 5956)।

खदीजा की खूबियां

खूबियां की सूची में पैगम्बर की सिर्फ चार बीवियों का उल्लेख है–खदीजा, आयशा, सलमा और जैनब।[1] खदीजा पूर्व समय में मुहम्मद की मालकिन थी और उनसे पन्द्रह वर्ष बड़ी थी। वह उनकी पहली बीवी बनी। उसने ही सबसे पहले उन्हें पैगम्बरी का बीड़ा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। मुहम्मद के अनुसार खदीजा अपने समय की सर्वश्रेष्ठ स्त्री थी, उसी प्रकार जिस प्रकार इमरान की बेटी मैरी अपने समय की सर्वश्रेष्ठ स्त्री थी (5965)।

आयशा कहती हैं–"मुझे कभी किसी औरत से इतनी जलन नहीं हुई जितनी कि खदीजा से थी। उन्होंने (मुहम्मद ने) मुझसे शादी की उसके तीन साल पहले वह मर चुकी थी। मैं अक्सर उनसे उसकी प्रशंसा सुनती थी। और उनके अल्लाह ने...जन्नत में जवाहरातों का एक महल देने की खुशखबरी उसे सुनाने का हुक्म उन्हें दिया था। और वे जब भी कोई भेड़ ज़िबह करते थे तो उसका गोश्त वे उसकी सहेलियों को पेश करते थे" (5971)। एक बार आयशा जलन से भर कर मुहम्मद से बोली–"तुम उस लाल मसूढ़ों वाली और बूढ़ी कुरैश औरत को क्यों याद करते हो–वह तो बहुत दिन हुए मर चुकी–जब कि अल्लाह ने उसके बदले में एक बेहतर औरत तुम्हें दे दी है ?" (5976)।

---

1. मुहम्मद ने अनेक औरतों से शादी की थी। मीरखोंद हमें ग्यारह औरतों और चार रखैलों का ब्यौरा देते है। अत-तबरी तेईस नामों का उल्लेख करते हैं और उनके अतिरिक्त पांच और नाम गिनाते हैं, जिनके सामने शादी के प्रस्ताव रखे गये थे पर सफल नहीं हुए थे। कुछ औरतों के साथ शादी की रस्म पूरी नहीं की गयी। मसलन, अस्मा बिन्त अलनामन को कोढ़ था और इसलिए उसे उसके घर लौटा दिया गया। एक अन्य औरत शन्वा बिन्त उमर अल-ग़फ़ारिया को शादी के कुछ दिन बाद ही मुहम्मद की पैगम्बरी के बारे में उस समय शक हो गया जब उसका नवजात शिशु इब्राहीम मर गया। वह संभवतः कुरैजा या किनाना कबीले की थी उसे घर से निकाल दिया गया। मुहम्मद ने उस दिह्या कलबी की एक बहन से भी ब्याह किया था, जिसके जवानी से भरे जमाल को देखकर मुहम्मद इतने अभिभूत हो उठे थे कि खुद जिब्रैल को उनके पास उसी शक्ल में आना पड़ता था।

आयशा बतलाती हैं कि पैगम्बर को तीन चीजें सबसे ज्यादा पसंद थीं–औरत, इत्र और भोजन। मुहम्मद खुद कहते हैं कि "दुनिया में औरतें और इत्र ही ऐसे आनन्द हैं , जिनकी मैं कद्र करता हूं।" एक अन्य हदीस बतलाती हैं कि वे औरतों को सबसे ज्यादा पसन्द करते थे। मुहम्मद कहते हैं–"जिब्रैल एक बर्तन लेकर मेरे पास आये। मैंने उसमें से खाया और मैथुन करने की मेरी शक्ति चालीस मर्दों के बराबर हो गई" (तबकात, जिल्द 2, पृ. 147, 164)।

एक अन्य हदीस मुहम्मद के यौनाचार तथा उनके घर की औरतों की ज़िंदगी के बारे में कुछ और प्रकाश डालती हैं। आयशा बतलाती हैं कि "जब अल्लाह के पैगम्बर यात्रा पर जाते थे" तो वे यह तय करने के लिए कि उनकी कौनसी बीवी उनके साथ जाएगी "बीवियों के नामों की पर्चियां डालते थे।" एक बार भाग्य के फेर से हफ़्सा और आयशा चुनी गयीं। "जब रात आयी तो अल्लाह के पैग़म्बर आयशा को अपने ऊंट पर बैठा कर सफर करने, लगे।" हफ्सा ने आयशा से पूछा कि क्या वह उसके साथ जगह बदलने को तैयार है, क्योंकि तब "तुम वह देख सकोगी जो तुम अक्सर नहीं देख पाती ओर मै वह देख सकूंगी जो मैं अक्सर नहीं देख पाती।" उदारता के आवेश में आयशा मान गयीं। लेकिन उसने हफ्सा और पैगम्बर को एक साथ देखा तो वे झल्लाहट से हाथ-पांव पटकने लगीं (5991)। अनुवादक स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि आयशा की हैसियत प्रमुख और ऊंची थी, तब भी आखिरकार वह एक औरत थी और "इसलिए वह जलन से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकती थी।" मुहम्मद के अपने व्यवहार के बारे में अनुवादक का कहना है कि "यात्रा के समय औरतों के बीच सभी मामलों में पूरा न्याय करना जरूरी नहीं है" (टि० 2734)। नियम के भीतर भी नियम ! किन्तु अपनी सुविधा को कभी नहीं भुलाया जाता।

अपनी आखिरी बीमारी के वक्त भी मुहम्मद आयशा के बारे में व्यस्त रहे। यह सोचकर कि आयशा की बारी नजदीक नहीं हैं, उन्होंने पूछा–"मैं कल कहां

रहूंगा ?" आयशा बतलाती हैं -"और जब मेरी बारी आयी तो अल्लाह ने उन्हें उनके जन्नत वाले मकाम में बुला लिया। उस समय उनका सिर मेरी गर्दन और छाती के बीच में था" (5985)।[1]

एक बार मुहम्मद ने उनसे कहा–"आयशा ! जिब्रैल आए हैं और तुम्हें बधाई दे रहे हैं।" उन्होंने जवाब दिया–"अल्लाह उन्हें शांति और आशीर्वाद दे।" वे आगे बोलीं–"वे वह देख रहे हैं जो मैं नहीं देख पाती" (5997)। यह विषय विवादास्पद हो सकता है कि क्या आयशा मुहम्मद के फरिश्तों पर हमेशा यकीन करती थी। किन्तु इस विषय में कोई सन्देह नहीं कि पैगम्बर की मुंहलगी बीवी का पद उन्हें पसन्द था।

वस्तुतः आयशा अपने पैगम्बर को ज़रा ज्यादा ही जानती थी। इस विषय में इब्न इसहाक ने एक दिलचस्प किस्सा बयान किया है। अपनी आखिरी बीमारी के दौरान, मौत से थोडे ही दिन पहले, मुहम्मद ने देखा कि आयशा सिरदर्द से परेशान हो कर रो रही हैं। मुहम्मद ने उनसे कहा–"क्या यह तुम्हारे लिए दुख का विषय होगा कि तुम मुझसे पहले मर जाओं ताकि मैं तुम्हें कफन में लपेट सकूं और तुम्हारे जनाजे पर नमाज पढ़ सकूं ओर तुम्हे दफना सकूं ?" आयशा ने उत्तर दिया–"मेरा मन कहता है कि यदि ऐसा हुआ तो तुम तुरंत मेरे घर में लौट कर अपनी बीवियों में से एक किसी के साथ सोहागरात मनाओगे।" पैगम्बर मुस्कराये और अपनी बीवियों की बारियां निभाते हुए उन का दर्द बढ़ता गया। मैमूना के घर में उनका दर्द बहुत तेज हो गया और आयशा के अनुसार उन्होंने "सभी बीवियों को वहीं बुलाया और सबसे मेरे घर में देखभाल किये जाने की इजाजत चाही, जिसके लिए वे सब तैयार हो गयी।"[2] और उनके घर में ही मुहम्मद उनकी छाती पर सिमट कर आखिरी नींद सो गये।

फातिमा की खूबियां

फातिमा मुहम्मद की पहली बीवी खदीजा की कोख से पैदा हुई थी। उसका ब्याह उनके भतीजे अली के साथ हुआ था। उसके बच्चों में से दो बेटे बचे

1. मुहम्मद के मरने के कुछ ही पहले आयशा का भाई एक हरी दातुन लिये उनके घर में आया। मुहम्मद ने एकटक उधर देखा और आयशा ने संकेत समझ लिया। उन्होंने अपने भाई के हाथ से दातुन ले ली, उसे अपने मुंह में चबाकर कोमल बना दिया और पैगम्बर ने उससे दांत साफ किये और फिर दम तोड़ दिया। "पैगम्बर मेरे कमरे में, मेरी बारी में ओर मेरी छाती पर मरे और अन्तिम क्षणों में हम दोनों की लार घुल-मिल गयी"–यह कहते हुए आयशा इन बातों को "अल्लाह की ओर से मिली सौग़ात और मेहरबानी मानती थी।" (सही बुख़ारी शरीफ़, हदीस 1650; तबक़ात, जिल्द 1 पृष्ठ 282)

2. सीरत रसूल-अल्लाह पृष्ठ 678-679

थे–हसन और हुसैन, जिनसे सैय्यद कहलाने वाले मुहम्मद के वंशजों का सिलसिला चला। सैय्यद का अर्थ है "प्रभु वर्ग"।

मुस्लिम पंथमीमांसा का हवाला देते हुए अनुवादक हमें विश्वास दिलाते हैं कि फातिमा "जन्नत की औरतों में अगण्य है ओर उसके दो बेटे, इमाम हसन और हुसैन, जन्नत के जवानों में प्रधान हैं" (टि० 2751)। स्वयं मुहम्मद फातिमा को अल-बतुल अर्थात् "कुमारी" कहते थे।

फातिमा के बारे में अहादीस हमें एक दिलचस्प कहानी बतलाती हैं। मक्का की विजय के बाद अली ने मुहम्मद के एक विरोधी और बनू मखजूम के एक महत्वपूर्ण मुखिया, मरहूम अबू जहल, की बेटी के पास शादी का प्रस्ताव भेजा। अली की बीवी फातिमा ने मुहम्मद से इसकी शिकायत की। मुहम्मद ने प्रस्ताव रद्द कर दिया और मस्जिद के मिम्बर पर चढ़ कर घोषणा की–"मैं उनको इजाजत नहीं दूंगा, मैं उनको इजाजत नहीं दूंगा। इसका एक ही विकल्प है कि अली मेरी बेटी को तलाक दे (और तब उनकी बेटी से ब्याह करे)। क्योंकि मेरी बेटी मेरा अंग है और जो उसे परेशान करता है वह मुझे परेशान करता है, और जो उसका अपमान करता है वह मेरा अपमान करता है" (5999)।

नतीजा यह निकलता है कि अगर किसी औरत का पिता पर्याप्त रूप में प्रबल प्रभाव वाला हो तो बहुपत्नी प्रथा के होते हुए भी उस औरत का पति किसी अन्य औरत से शादी नहीं कर सकता। खदीजा के मामले में स्थिति यह थी कि वह खुद प्रभावशालिनी थी और, एक मालकिन के नाते, नकेल उसके हाथ में थी। इसीलिए, यद्यपि वह उम्र में मुहम्मद से बहुत बड़ी थी, तब भी जब तक वह जिन्दा रही, वह उनकी एकमात्र बीवी रही। उसकी मौत के बाद ही मुहम्मद बहुविवाह के पथ पर आगे बढ़ पाए।

ज़ुबैर और ताल्हा की खूबियां

ज़ुबैर जब पन्द्रह या सोलह बरस का था तब मुसलमान बना था। वह रिश्ते में मुहम्मद का भाई और अबू बकर का दामाद था। अपने राजनैतिक रिश्तों के कारण वह बाद में अरब का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। वह एक हजार गुलामों का मालिक होने का गर्व करता था। इस्लाम-पूर्व के अरब देश में कभी किसी के पास इतने गुलाम नहीं थे। इतने बड़े पैमाने पर और इतने पक्के तौर पर गुलामी की प्रथा इस्लाम के उत्कर्ष के साथ ही शुरू हुई।

ज़ुबैर के बारे में मुहम्मद ने कहा था–"हर पैग़म्बर का एक मददगार होता है और मेरा मददगार ज़ुबैर है" (5938)। उत्तराधिकार की लड़ाई में ज़ुबैर, आयशा की मदद से, अली के खिलाफ लड़ा और चौसठ बरस की उम्र में अली के एक समर्थक के हाथों मारा गया।

उहुद की लड़ाई में ताल्हा ने मुहम्मद की जान बचायी थी, और मुहम्मद द्वारा लड़ी गई सभी लड़ाइयों में वह शामिल हुआ था। ऊंटों की लड़ाई के रोज (जिसमें आयशा ने एक ऊंट पर बैठ कर अली के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था) ताल्हा की हत्या मरवान बिन हकम ने प्रतिशोध लेने के लिए की। ताल्हा पर यह आरोप था कि तीसरे खलीफा उस्मान की हत्या में उसका हाथ था।

साद बिन मुआज़ की खूबियां

बदर की लड़ाई में लगे घाव के फलस्वरूप जब साद बिन मुआज मरा तो मुहम्मद ने कहा कि "सबसे मेहरबान का आसन उसकी मौत से हिल उठा" (6033-6035)। अनेक मुस्लिम हदीसकार इसे अक्षरशः सत्य मानते हैं। कई–एक हदीसकार इसे एक रूपक समझते हैं और इसका अर्थ यह करते हैं कि अल्लाह, अपने जन्नत वाले घर में, अपने एक प्यारे दोस्त को पा कर खुश हो गया।

उसके बारे में अन्य अहादीस भी हैं, जिनमें से कुछ इब्न इसहाक़ द्वारा दर्ज हुई हैं। साद एक मोटा आदमी था। लेकिन उसका जनाजा उठाया गया तो बहुत हल्का निकला। मुहम्मद ने कहा कि फरिश्तें अदृश्य रह कर उसे कंधा दे रहे हैं। इसी मौके पर उन्होंने यह भी कहा–"विलाप करने वाली हर औरत झूठी है, सिवाय उस औरत के जिसने साद बिन मुआज के लिए विलाप किया।"[1] साद, बनू और नामक कबीले का मुखिया था और उसने अल अक़ावा की पहली प्रतिज्ञा के बाद मदीना में इस्लाम कबूल किया था। आस्थाहीन दृष्टि से देखने पर वह एक मक्कार और मतान्ध परपीड़क दीख पड़ता है। बदर की लड़ाई के रोज वह कुछ अन्य अंसारों के साथ मुहम्मद के छप्पर का पहरा दे रहा था। मुसलमान सैनिक जब पराजित शत्रुओं को बन्दी बनाने लगे तो वह बिगड़ उठा। मुहम्मद ने उससे कहा–"लगता है कि ये लोग जो कर रहे हैं उससे तुम नाखुश हो।" इब्न इसहाक के अनुसार उसने जवाब दिया–"हां ! अल्लाह की कसम ! अल्लाह ने पहली बार काफिरों को पराजित किया है और उन्हें जिन्दा रखने की बजाय कत्ल करना चाहता हूं।"[2]

काब इब्न अशरफ़ नाम के कवि की हत्या का षडयन्त्र साद बिन मुआज़ की सलाह से रचा गया था। बनी कुरैजा के आठ-सौ लोगों के क़त्ल में भी उसकी भूमिका प्रमुख थी। कुरैजा कबीला कुछ समय पूर्व साद के कबीले, औस, के साथ संधिबद्ध था।

---

1. सीरत रसूल-अल्लाह पृष्ठ 469
2. वहीं पृष्ठ 301

बिलाल

एक रात मुहम्मद ने जन्नत में अपने आगे-आगे चलते हुए बिलाल के कदमों की आहट सुनी। अगले दिन उन्होंने बिलाल से पूछा कि वह कौनसा काम है जिसके कारण वह इतना बड़ा पुरस्कार पाने (अर्थात जन्नत में मुहम्मद से पहले पहुंचने) की आशा करता है। बिलाल ने उत्तर दिया कि उसने ऐसी पात्रता पाने के लिए कुछ भी नहीं किया, सिवाय इसके कि "मैं दिन में और रात में पूरी वुजू करता हूं और वैसा पाक होकर प्रार्थना करता हूं जैसा आदेश अल्लाह ने मुझे दिया है" (6015)।

बिलाल की अदना हैसियत के अनुरूप "साथियों की किताब" में उसका जिक्र बस इतना ही हुआ है (वस्तुतः पूरी किताब में यह सबसे छोटा ब्यौरा है)। हम भी उसकी उपेक्षा कर सकते थे। किन्तु उसकी भूमिका को देखते हुए नैतिकता का जो आकार वह हमारे सामने उभारता है, उस के कारण हम बिलाल के विषय में कुछ विस्तार से लिख रहे हैं। वह अबीसीनियाई जाति का एक गुलाम था जिसे उसके मालिक, मक्का के उमय्या बिन खलफ़, ने मारा-पीटा था। अरब में दास-मुक्ति की प्रथा पुरानी थी। अतः अबू बकर ने छुड़ाई देकर उसे मुक्त करवा लिया और फिर उसे मुसलमान बना लिया।

हमें यह बात पसन्द आई कि बिलाल उत्पीड़न से बच गया। किन्तु "मुसलमान बनने" का मतलब हमारी समझ में नहीं आया। क्या इससे वह एक बेहतर इन्सान बन गया ? क्या वह, अधिक क्षमाशील, अधिक दयालु और करुणावान बन गया ? क्या वह, उसका अवसर आने पर, अपने उत्पीड़क से कम उत्पीड़क साबित हुआ ? इस्लाम के इतिहास के प्रारंभिक पर्व में हमें उसका जो संक्षिप्त ब्यौरा मिलता है, उससे ऐसी कोई छवि नहीं निखरती।

मुहम्मद का एक महत्वपूर्ण साथी, अब्दुल रहमान, हमें एक किस्सा सुनाता है, जिसका वर्णन इब्न इसहाक़ ने किया है और जिसे तबरी ने भी दुहराया है। बदर की लड़ाई के रोज अब्दुल रहमान "जिरह-बख्तर लिए जा रहा था," जिन्हें, उसके कथानुसार, उसने "लूटा था।" उसी समय उसे उसका पुराना दोस्त उमय्या बिन खलफ और खलफ का बेटा मिल गये। उमय्या को कुरैश की पराजित सेना के साथ भागते हुए पकड़ा गया था। उसने सोचा कि अगर वह एक कैदी के रूप में अब्दुल रहमान के हाथों में पड़ जाये तो उसकी जिन्दगी बच सकती है। उस अवस्था में वह परित्राण पा जाएगा और बाद में यथायोग्य छुड़ाई देकर रिहा हो जाएगा। इसलिए उसने कहा–" ऐ अब्दुल रहमान ! क्या तुम मुझे अपना कैदी नहीं बनाओगे ? मैं इन जिरह-बख्तरों से ज्यादा कीमती हूं।" अब्दुल रहमान ने जवाब दिया–"अल्लाह की कसम ! मैं ऐसा ही करूंगा।" फिर उसने वे जिरह-बख्तर फेंक दिये और अपने दोस्त तथा उसके बेटे को, जो अब उसके कैदी बन गये थे, संभाल लिया।

तभी बिलाल ने अपने पुराने उत्पीड़क को देखा और वह चीत्कार कर उठा–"ओ काफिरों के सरदार उमय्या बिन खलफ ! अगर तू जिन्दा है तो मैं जिन्दा नहीं हूं।" मुसलमान उस जगह इकट्ठे हो गये। अब्दुल रहमान ने बहुत समझाया कि कैदियों को उसने परित्राण दे दिया है। किन्तु बिलाल चीखता रहा और मुसलमानों ने "उन दोनों को अपनी तलवारों से टुकड़े-टुकड़े कर डाला और वे मर गये।" परवर्ती काल में अब्दुल रहमान यह कहा करता कि "बिलाल पर अल्लाह मेहरबान हो क्योंकि मैं अपने जिरह-बख्तर भी खो बैठा और मुझे अपने कैदियों से भी हाथ धोना पड़ा।"[1]

इसी किस्म का एक दूसरा वाक़या है जिससे पता चलता है कि बिलाल को परपीड़न में कितना आनन्द आता था और क्रूरता करने के लिए उसे किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। खैबर की लड़ाई के रोज, भयंकर नरसंहार के बाद, मुहम्मद ने बिलाल को हुक्म दिया कि वह पराजित कबीले के मुखिया की नौजवान बीवी, सफ़ीय्या, को उनके पास लाये। सफ़ीय्या के पति, पिता और भाई कुछ क्षण पूर्व ही वध किया गया था। बिलाल, सफ़ीय्या और उसकी बहिन को उस युद्धक्षेत्र के बीच से घसीटते हुए ले आया जहां उनके सगेसम्बन्धियों और आत्मीयों की लाशें बिछी थीं। वे दोनों व्यथा और सन्ताप से आर्तक्रन्दन करती रहीं। बिलाल बोला कि उसने जानबूझ कर ऐसा किया क्योंकि "वह चाहता था कि उनका दुख और आक्रोश बढ़कर व्यक्त हो।"[2] मतान्तरण में रत मजहबों के सैनिकों और मुल्लाओं द्वारा किए जाने वाले मतान्तरण अधिकांशतः इसी कोटि के होते हैं। वे व्यक्तियों के अन्तर में कोई परिवर्तन नहीं करते।[3]

1. सीरत रसूल-अल्लाह पृष्ठ 302-303

2. विलिमम म्यूर, लाइफ आफ महोमेट, जिल्द 4, पृष्ठ 68

3. अधिकांश मतान्तरण इसी तरह के होते हैं। एक उल्लेखनीय उदहारण हैं। जब मक्का जीता गया तो इस्लाम के एक कट्टर विरोधी, अबू जहल के बेटे अकरम, ने मुसलमान बनने का निश्चय किया। उसने मुहम्मद से वायदा किया–"मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि जहालत के दिनों में मैंने अल्लाह अकबर के मज़हब में रोड़े अटकाने के लिए जितने दरहम खर्च किये थे उनमें से हरेक दहरम के बदले दो दरहम मैं अब मज़हब के प्रसार के लिए खर्च करूंगा; काफिर होते हुए अल्लाह अकबर के जिन दोस्तों को मैंने कत्ल किया था, उनमें से हरेक के बदले अब मैं मज़हब के दो दुश्मनों को क़त्ल करूंगा" (मीरखोंद, जिल्द 2, पृष्ठ 611-612)। मुहम्मद को इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा।

वस्तुतः वे व्यक्तियों को अक्सर और भी बुरे आदमी बना देते हैं। पूर्व युगों के अनुरूप आज भी सुनियोजित रूप से मतान्तरण करना वस्तुतः एक आक्रामक राजनीति का अंग है।

अबू दुजाना की खूबियां

अनस बतलाता है–"अल्लाह के पैगम्बर ने उहुद के रोज अपनी तलवार उठायी और वे बोले–इसे मुझ से कौन लेगा ? मौजूद लोगों में से हरेक ने यह कहते हुए अपना हाथ बढ़ाया कि मैं लूंगा, मै लूंगा। वे (अल्लाह के रसूल) बोले–इसके द्वारा करणीय कर्म करने के लिए इसे कौन लेगा ? तब लोगों ने अपने हाथ हटा लिये। सिमाक बिन खरशा अबू दुजाना बोला–इसे लेने और इसके द्वारा करणीय कर्म करने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। उसने तलवार ले ली और वह बहुदेववादियों के सिरों को धड़ से अलग करता रहा" (6040)।

दो अब्दुल्ला

खूबियों की सूची में दो अब्दुल्लाओं के नाम आते हैं। उनमें से एक उमर का बेटा था और दूसरा अबू बकर की बेटी असमा से जुबैर द्वारा उत्पन्न बेटा था। दोनों को उमय्या राजवंश के सेनापति हज्जाज ने मारा। अब्दुल्ला बिन उमर की हत्या का प्रबन्ध करने के बाद हज्जाज ने उसके जनाजे की नमाज भी पढ़ी। अब्दुल्ला इब्न जुबैर की लाश मदीना के बाहर मक्का की ओर जाने वाली सड़क पर लटकती पायी गयी (6176)। वह नौ बरस तक खलीफा होने का आडम्बर करते रहने के बाद, बहत्तर वर्ष की उम्र में मरा।

अनस और हुरैरा की खूबियां

खूबियां की सूची में मुहम्मद के चाकर और दस बरस तक उनका अंगरक्षक रहने वाले अनस का नाम भी है, और उस अबू हुरैरा का भी जिसके द्वारा ही गई अहादीस का आधिक्य उसकी हैसियत से मेल नहीं खाता। अपने जीवनकाल में हुरैरा को लोग "झूठ बोलने वाला हुरैरा" कहा करते थे। वह समझाता है–"तुम्हे ऐसा लगता है कि अबू हुरैरा अल्लाह के पैगम्बर से प्राप्त बहुत सारी अहादीस प्रसारित करता है...मैं एक गरीब आदमी था और अल्लाह के पैगम्बर की सेवा किया करता था...जबकि मुहाजिर लोग बाजार की खरीद-बेच में व्यस्त रहते थे ...मैं उन (मुहम्मद) से सुनी हुई किसी भी बात को कभी नहीं भूला" (6083)।

हस्सान बिन साबित की खूबियां

खूबियों की सूची में एक दिलचस्प व्यक्ति है हस्सान बिन साबित। वह एक कवि था जिसे मुहम्मद ने काफिर कवियों द्वारा विरूद्व लिखी गई निंदात्मक कविताओं का प्रत्युत्तर देने के लिए अपनी सेवा में रखा था। मुहम्मद ने उससे

कहा–"काफिरों के विरुद्ध व्यंग्य लिखो। जिब्रैल तुम्हारे साथ है" (6074)। एक अन्य अवसर पर मुहम्मद ने उससे कहा–"हस्सान ! अल्लाह के पैगम्बर की ओर से जवाब दो।" और खुद उन्होंने अल्लाह से विनती की–"ऐ अल्लाह ! रूप-अल कुदूस (पाक रूह) के द्वारा उसकी मदद कर" (6073)।

इस किस्से का पूरा ब्यौरा हमें आयशा से मिलता है। उनके अनुसार मुहम्मद ने कहा था–"कुरैश के खिलाफ व्यंग्य लिखो, क्योंकि व्यंग्य उनके लिए तीर के घाव से ज्यादा पीड़ादायक है।" इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मुहम्मद ने दो शायरों, इब्न रवाहा और काव बिन मालिक, को बुलवाया और उन्हें व्यंग्य लिखने के लिए नियुक्त किया। उनकी रचनाओं से असंतुष्ट होकर पैगम्बर ने हस्सान बिन साबित को बुलवाया। हस्सान ने उनसे कहा–"अब आपने इस शेर को बुलवा लिया है जो अपनी पूंछ से दुश्मनों पर प्रहार करता है...मैं अपनी वाणी से उन्हें इस तरह चाक-चाक कर दूंगा जैसे चमड़ा चीरा जाता है।" फिर उसने अबू सूफियां पर व्यंग्य लिखने का अपना इरादा जाहिर किया। वह मुहम्मद से बोला–"मुझे अबू सूफियां के खिलाफ व्यंग्य लिखने की इजाजत दीजिए।" लेकिन एक मुश्किल थी। अबू सूफियां भी उसी वंश का था जिसमें मुहम्मद ने जन्म लिया था। और मुहम्मद को लपेट में लिए बिना अबू सूफियां पर सफल व्यंग्य कैसे लिखा जा सकता था ? वंशावली के विषय में हस्सान की मदद के लिए अबू बकर को नियुक्त किया गया। वे कुरैश की वंशावली अच्छी तरह जानते थे। सारी पेचीदगियों को समझ कर हस्सान मुहम्मद के पास पहुंचा और उन्हें भरोसा दिलाया–"कसम उसकी जिसने आपको सच के साथ भेजा है ! मैं उनके नामों के बीच से आपका नाम इस प्रकार बचा कर निकाल लूंगा जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है।"

हस्सान ने मुहम्मद को पूरी तरह संतुष्ट कर दिया। आयशा बतलाती हैं–"मैंने अल्लाह के पैगम्बर को यह कहते सुना कि हस्सान ने उन (कुरैश) पर व्यंग्य लिखे और मुसलमानों को सन्तुष्ट किया और काफिरों को बेचैन कर दिया" (6079-6081)।

मुहम्मद, हस्सान के प्रति कृतज्ञ रहे। इसीलिए हस्सान ने जब आयशा के खिलाफ अफवाह फैलाने में हिस्सा लिया तो मुहम्मद ने उसको हटाया नहीं। अफवाह फैलाने में शामिल बाकी सब लोग तो कोड़ों से पीटे गये, पर हस्सान को बख्श दिया गया। उसे माफ करने वालों में आयशा ने पहल की। वे बोली–"उसे छोड़ दो, क्योंकि उसने अल्लाह के पैगम्बर की पैरवी की है" (6075)।

मुहम्मद शायरों और शायरी के खिलाफ थे। लेकिन शायर और शेर जब उनके पक्ष में होते थे तो बात बदल जाती थी।

केन्द्र में मुहम्मद

प्रत्येक प्रसंग के केन्द्र में मुहम्मद आसीन हैं। वे अपने अनुयायियों से कहते हैं–"मैं अपने साथियों की सुरक्षा और निरापदा का स्रोत हूं...और मेरे साथी मेरी उम्मा की सुरक्षा का स्रोत है" (6147)।

कोई भी प्रसंग जब-जब मुहम्मद की ओर अभिमुख होता है तब-तब वह बेहतर बन जाता है। किन्तु ज्योंही वह उनसे दूर होने लगता है त्योंही उसकी कोटि और गरिमा घटने लगती है। "मेरी उम्मा में सर्वश्रेष्ठ वे होंगे जो मेरी पीढ़ी के निकटतम हैं। उनके बाद वाले उनसे कम श्रेष्ठ होंगे और उनके बाद वाले उनसे भी कम" (6150)। इस पद-क्रम और व्यवस्था-क्रम में सबसे पहला स्थान पैगम्बर का है, उसके बाद उनके साथियों (सहाबा) का, और फिर साथियों के अनुगतों (ताबियून) का। मुस्लिम मीमांसकों ने इस विषय में सुस्ती नहीं बरती। उन्होंने प्रत्येक पर्व का अविकल कालनिर्णय किया है। एक महत्वपूर्ण मत के अनुसार, पहला पर्व साथियों के जीवनकाल से जुड़ा है (अर्थात 120 वर्ष, क्योंकि अंतिम साथी हिजरी सन् 110 में मरा); दूसरे पर्व साथियों के अनुगतों के जीवनकाल तक विस्तृत है (हिजरी सन् 170 तक); और तीसरा पर्व अनुगतों के बाद आने वाले अनुयायियों के जीवनकाल तक सीमित है (हिजरी सन् 220 तक)।

किताब के अन्त में पैगम्बर मुसलमानों की आने वाली पीढ़ियों को सावधान करते हैं–"मेरे साथियों की निन्दा मत करना, मेरे साथियों की निन्दा मत करना" (6167)।

15

सद्‌गुण, नियति, ज्ञान, अल्लाह की याद

तीसवीं किताब "सद्‌गुणों, सदाचारों और नाते-रिश्ते जोड़ने" के बारे में है।

इस किताब में निरूपित अनेक सिद्धांत सुचारु हैं। उनमें कमी केवल यही हैं कि उन सब को साम्प्रदायिक मोड़ दे दिया गया है। बहुदेववादियों के साथ मुसलमान का वैर स्थायी है। किन्तु मुसलमान को मुसलमान के प्रति वैर का भाव नहीं रखना चाहिए। "किसी मुसलमान के लिए यह जायज़ नहीं है कि वह अपने भाई के साथ अपने व्यवहार में तीन दिन से अधिक अवधि तक मनमुटाव बरते" (6205)।

"एक मुसलमान, दूसरे मुसलमान का भाई है। वह न तो उसका उत्पीड़न करता है, न उसका अपमान करता है, और न ही उसे नीचा दिखाता है...एक मुसलमान का सभी कुछ, ईमान में उसके साझीदार के लिए अगम्य है–उसका जीवन, उसकी जायदाद और उसकी इज़्ज़त" (6219)।

मुसलमानों को अपने बीमार भाई की तीमारदारी के लिए जाना चाहिए। "जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई के पास जाता है तो जब तक वह वहां से लौट नहीं आता तब तक फलों से लदे जन्नत के बाग़ में बसेरा करता है" (6229)। वस्तुतः मुसलमान की बीमारी कोई बीमारी ही नहीं है। वह एक पुरस्कार है। "जब एक मुसलमान बीमार पड़ता है तो उसका मुआवजा उसे यह मिलता है कि उसके छोटे-मोटे गुनाह मिट जाते हैं" (6235)। अगर उसे दर्द होता है, यहां तक कि कांटा लगने का भी दर्द, तो "अल्लाह उसके पद को उन्नत करता है अथवा उस दर्द के कारण उसके पापों को धो-पोंछ देता है" (6238)। यह विचार अनेक अहादीस में व्याप्त हैं (6233-6245)।

मोमिनों को आपस में विद्वेष नहीं पालना चाहिए। "जन्नत के दरवाजे सिर्फ़ दो दिन खोले जाते हैं–सोमवार को और बृहस्पतिवार को। और तब अल्लाह के हरेक सेवक को, जिसने अल्लाह के साथ और किसी को नहीं जोड़ा है, माफ कर दिया जाता है, सिवाय उस आदमी के जिसके दिल में अपने भाई के प्रति विद्वेष है" (6222)।

संक्षेप में सभी मुसलमानों को आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे के प्रति हमदर्दी रखनी चाहिए।

"एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए ईंट की तरह है, एक ईंट दूसरी को सहारा देती है" (6257)। सभी मुसलमान मिलकर एक शरीर हैं। "सारे मोमिन मिलकर एक व्यक्ति की तरह हैं। जब किसी व्यक्ति के सिर में दर्द होता है तो उसका सारा शरीर बुखार और बेचैनी से भर जाता है" (6260)।

अन्य सद्गुण

दान और क्षमा को सराहा गया है (6264)। गाली, पीठ पीछे निन्दा और अपवाद फैलाने का निषेध किया गया है (6263, 6265 और 6306)। सच बोलना पुण्य का काम है, क्योंकि "सच बोलने से जन्नत मिलती है" (6307)। लेकिन तीन प्रसंगों में झूठ बोलने की इजाज़त है–"युद्ध में, लोगों के बीच मेल-मिलाप कराने के लिए और पति की बातें पत्नी को तथा पत्नी की बातें पति को बताने में" (6303)।

अहिंसा

एक प्रकार की अहिंसा का भी उपदेश दिया गया है। "जब तुममें से कोई अपने भाई से लड़े, तो भाई के चेहरे को बचाना चाहिए" अर्थात चेहरे पर चोट नहीं मारनी चाहिए (6235)। चेहरे को इसलिए बचाना चाहिए कि खुद पैगम्बर ने बतलाया है–"अल्लाह ने आदम को अपने ही अनुरूप बनाया है" (2872)।

इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपने तीर साथ लेकर बाजार अथवा मस्जिद में जाता है तो उसे सावधानी बरतनी चाहिए ताकि "उनकी तीखी नोंके किसी मुसलमान को कोई नुकसान न पहुंचाये" (6332)।

कर्मफल

अगर मुसलमानों के प्रति अल्लाह के पक्षपात को हम भुला दे, तो निम्नोक्त को कर्मफल के सिद्धान्त का सम्यक् निरूपण कहा जा सकता है। "हकदारों को अपने हक महशर के रोज मिल जायेंगे, यहां तक कि सींग रहित भेड़ सींगवाली भेड़ से अपना बदला पा जायेगी" (6252)। इसीलिए एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान को नही सताना चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। "एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। उसे न तो उसका उत्पीड़न करना चाहिए, न उसका नुकसान। और जो अपने भाई की जरूरत पूरी करता है, अल्लाह उसकी जरूरत पूरी करेगा। और जो किसी मुसलमान को मुश्किलों में रहत पहुंचाता हैं, अल्लाह महशर के रोज उस पर आने वाली मुश्किलों से उसे राहत देगा। और जो किसी मुसलमान की बेवकूफियों को जाहिर नही करता, अल्लाह महशर के रोज उसकी बेवकूफियों पर परदा डाल देगा" (6250)।

पराजित प्रजा

जजिया, लड़ाई की लूट और जिहाद के रहते हुये जितनी दयालुता बरती जा सकती है, उतनी दयालुता कुछ मोमिनों ने काफिरों के साथ भी जायज मानी है। जब हिशाम ने देखा कि "सीरिया के किसानों को धूप में खड़े रहने के लिए विवश किया गया है...(और) जजिया प्राप्त करने के लिए पकड़ कर रखा गया है, तो उसे पैगम्बर के ये शब्द याद आ गये–अल्लाह उन्हें सतायेगा जो इस दुनिया में लोगों को सताते हैं" (6328)। स्पष्ट है कि हिशाम ने "लोगों" की परिभाषा का विस्तार करके उसमें मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य मनुष्यों को भी शामिल कर लिया था।

अल्लाह के साथ पैगम्बर का करारनामा

मुहम्मद अपनी गलतियों के विषय में कुछ अधिक उदार थे। यदि वे अपने अनुयायियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, तो इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ता था–न तो लौकिक तौर पर और न पारलौकिक तौर पर। उनके द्वारा किया गया दुर्व्यवहार दरअसल दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाता था। "ऐ अल्लाह ! मैंने तुझ से करार किया है, जिसके खिलाफ मैं कभी नही जाऊंगा। मैं एक बनी नू इंसान हूं और इसलिए जब मैं किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाऊं या धमकाऊं या लानत दूं या पीटूं तो इसे उसके लिए आशीर्वाद, उसकी शुद्धि और उसे महशर के रोज अपने पास बुलाने का कारण बना दे" (6290)। हमारे विचार में गलती करना मानवीय स्वभाव है, पैगम्बरी स्वभाव नहीं। कम से कम ऐसे गम्भीर प्रसंगों में तो इसे पैगम्बरी स्वभाव नहीं माना जा सकता।

सुकर्म और हृदय को कोमल बनाने की किताब

चौदहवी किताब सुकर्म और हृदय को कोमल बनाने (अल-जुहद व अल-रक़ाइक़) के विषय में है। साथ ही उसमें सद्गुणों की चर्चा भी है।

यहां उन कर्मों का उल्लेख किया गया है, जो सुकर्म और पुण्यप्रद समझे जाते हैं। विधवाओं, अनाथों और गरीबों के साथ दयालुतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए (7107-7108)। गरीबों और मुसाफ़िरों को दान देना चाहिए (7112-7113)। मस्जिदें बनाने के पुण्य को महत्व दिया गया है। "जो अल्लाह के लिए एक मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर बनायेगा" (7110)।

अपने कामों का आडम्बरपूर्ण दिखावा निंदनीय माना गया है। "अगर कोई पाखंडपूर्ण प्रदर्शन करता है, तो अल्लाह उसको प्रदर्शन का पात्र बना देगा" (7115)। इसलिए किसी को अपनी चूकों और कमियों का प्रचार नहीं करना

चाहिए। "मेरी उम्मा के सभी लोग अपने गुनाहों की माफी पा जायेंगे, सिवाय उनके जिन्होंने उन का प्रचार किया है" (7124)।

पंथमीमांसा की दृष्टि से भयंकर पाप, बहुदेववाद, को अनदेखा नही किया गया। सबसे ऊंचा और महान अल्लाह कहता–"मैं एक अकेला हूं। मुझे किसी सहभागी की जरूरत नहीं। अगर कोई ऐसा काम करता है जिसमें वह मेरे साथ किसी और को जोड़ता है, तो मैं उसे उस के साथ छोड़ दूंगा जिसे वह अल्लाह के साथ जोड़ता है" (7114)। यही एक स्थल है जहां अल्लाह मनुष्य को इतनी आसानी से छोड़ देता है और उसको पकड़ता नहीं और बहुदेववाद के भयंकर पाप के लिए उसे दोज़ख की आग में नही भूनता।

मुहम्मद ने छींकने और जम्हाई लेने को भी नापसन्द किया। उन्होंने कहा–"जम्हाई लेना शैतान का काम है" (7129)।

सांसारिक वैभव की असारता

किताब के आरम्भ में ही अनेक अहादीस "सांसारिक वैभव की असारता" दिखलाती है और यह भी बतलाती हैं कि कैसे सांसारिक वैभव नष्ट हो जाता है और सिर्फ नेक काम ही रह जाते हैं।

मुहम्मद ने अबू उबैदा को बहराइन के क़बीलों से ज़जिया वसूल करने के लिए भेजा। जैसे ही उनके लौट कर आने की खबर मिली, अंसार लोग मुहम्मद के इर्दगिर्द इकट्ठे हो गये। मुहम्मद मुस्कराये और बोले–"मुझे लगता है की तुम लोगों ने बहराइन से माल लेकर अबू उबैदा के आ जाने की खबर सुनी है।" वे बोले–"हां" मुहम्मद मानो उच्चस्वर से विचार करते हुए कहने लगे कि नयी दौलत उन्हें भ्रष्ट कर सकती है। "अल्लाह की कसम ! मैं तुम्हारी गरीबी को लेकर चिन्तित नहीं होता। मुझे तुम्हारे बारे में चिन्ता यह है कि तुम्हे सांसारिक वैभव दिया जाएगा जैसा कि तुमसे पहले आने वालों को दिया गया था, और तुम एक–दूसरे के साथ वैसी ही होड़ लगाने लगोगे जैसी ये लोग लगाते थे, और वह तुम को उसी प्रकार बर्बाद कर देगा जिस प्रकार उन लोगों को बर्बाद किया था" (7065)।

इस विचार को उमर ने भी उस समय दोहराया जब वे मदीना वालों में "पवित्र पंचमांश" बांट रहे थे। वह उस लूट के माल का हिस्सा था जिसकी कीमत तीन करोड़ दरहम थी। (लूट में जो अनेक बांदियां और बड़ी तादाद में बढ़िया पारसी घोडे मिले थे वे इसके अलावा थे। हरेक सिपाही के हिस्से में नौ घोड़े आए थे) यह लूट ईरान के एक प्रदेश से साद के नेतृत्व में लड़ी गई जलोला की लड़ाई में मिली थी। उमर का विचार उस समय सराहनीय समझा

गया था। आज भी समझा जाता है। उमर के "पुण्यवान" होने का "प्रमाण" देने के लिए इस कथानक को इतिहास में बार-बार दोहराया गया है। किन्तु मूल विषय तो जिहाद, आगजनी, विध्वंस, लूटपाट और जज़िया इत्यादि का है। मुस्लिम मीमांसकों तथा विद्वानों, यहाँ तक कि सूफियों को भी, इस सवाल ने कभी नहीं सताया कि उपरोक्त कुकर्म किस प्रकार उचित और सदाचार-सम्मत कहे जा सकते हैं। ये लोग एक मच्छर को मारने का विषय लेकर विवाद उठा सकते हैं। किन्तु एक पूरे ऊंट को उदरसात् करने में इन्हें किसी कठिनाई का बोध नहीं होता।

अनेक अहादीस बतलाती हैं कि काफिरों के विरुद्ध जिहाद करना केवल एक सत्कर्म ही नहीं अपितु एक लाभप्रद व्यवसाय भी था। उतवा बिन गज़वान कहता है–"मैं उन सातों में सातवां था जो अल्लाह के रसूल के साथ रहते थे। हमारे पास पेड़ के पत्तों के सिवाय खाने को कुछ नहीं था...हमें एक चादर मिली जिसे फाड़ कर हमने दो टुकड़े कर लिया। उसे मैंने तथा साद बिन मलिक ने बांट लिया। मैंने अपने टुकड़े के आधे हिस्से का तहमद बना लिया। साद ने भी ऐसा ही किया। और आज हमारे बीच ऐसा कोई नहीं है जो किसी न किसी शहर का हाकिम न हो" (7075)।[1]

पंथमीमांसा नैतिकता पर हावी

पैगम्बर के नैतिक उपदेशों पर पंथमीमांसा हावी हैं। उदाहरण के लिए, "सद्गुणों और सदाचारों की किताब" ऐसी अहादीस से शुरू होती है जो मोमिनों को आदेश, देती है कि वे अपने माता–पिता के साथ सद्व्यवहार करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले सद्व्यवहार का पात्र कौन है ? मुहम्मद उत्तर देते हैं–"तुम्हारी मां, फिर तुम्हारी मां, और फिर तुम्हारी मां, उसके बाद तुम्हारे पिता, फिर तुम्हारे निकट के रिश्तेदार, निकटता की कोटि के अनुसार" (6181)।

---

1. "सातों में सातवां" का संकेत उन सात जलों की ओर है जिन्हें मुहम्मद ने, मदीना प्रवास के दूसरे वर्ष में, कुरैश के एक कारवां पर छापा मारने के लिए भेजा था। दल का मुखिया था अब्दुल्ला बिन जहश। कारवां के साथ चलने वाले कुरैश सशंक न हों, इसलिए इन छापामारों में से एक ने अपना शिर मूंड लिया। क़ुरैयश समझे कि वह हाजियों का दल है। कारवां के रखवाले जब निःशक होकर खाना पकाने लगे तो छापामारों ने हमला कर दिया। एक कुरैश मारा गया, दो पकड़ लिए गए और कारवां का सारा माल छापामारों के हाथ में आ गया। यह रक्तपात उस मास में हुआ जिसे अरब के लोग पवित्र मानते थे और जिसमें, परम्परा के अनुसार, रक्त निषिद्ध था। यह दूसरी बात है कि परम्परा का प्रवर्तन बहुदेववादियों द्वारा हुआ था। उतबा "सातों में सातवां" बिल्कुल नहीं था। वह छापामार दल में शामिल तो हुआ था, किन्तु दल ने मारकाट मचाई तो वह मौके पर मौजूद नहीं था। उससे जब पूछा गया कि वह पीछे क्यों रह गया तो उसने सफाई दी कि वह अपने भटके हुए ऊंट को खोज रहा था।

किन्तु नैतिकता यदि इस्लामी पंथमीमांसा से टकरा जाये, तो पंथमीमांसा ही जीतती है। हम पहले ही इसकी चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार अल्लाह ने साद बिन अबी बक़्क़ास को यह आदेश दिया था कि यदि उसके माता-पिता बहुदेववादी हों तो वह उनकी आज्ञा न माने (कुरान 29/8, 31/15)।

बात केवल उनकी आज्ञा न मानने तक सीमित नहीं है। जरूरत पड़ने पर उनका और भी सक्रिय रूप में विरोध करना पड़ता है। एक अंसार, अब्दुल्ला इब्न उबय्य, का बेटा मुहम्मद से कहता है–"अगर आप सचमुच चाहते हैं कि उसे (मेरे पिता को) मार डाला जाये तो मुझे हुक्म दीजिए और मैं उसका सिर लाकर आपके सामने रख दूंगा, किन्तु अगर आप किसी अन्य को उसे मार डालने के लिए कहेंगे तो मैं बाद में हत्यारे को सहन नहीं कर पाऊंगा...मैं उसे (हत्यारे को) मार डालूंगा–और इस प्रकार एक काफिर के लिए एक मोमिन की हत्या मेरे हाथ से होगी और मै जहन्नुम में जाऊंगा।" निष्ठा और पुत्रोचित कर्तव्य का कैसा अनूठा संयोजन है।[1]

इसी प्रकार कई अन्य अहादीस हैं, जिनमें इस बात की प्रशंसा की गई है कि एक मुहाजिर, अबू होज़ैफ़ा, ने किस प्रकार अपने पिता की हत्या में हमज़ा की सहायता की। बदर की लड़ाई में होज़ैफ़ा ने अपनी तलवार से अपने पिता को घायल करने में पहल की थी।

इस्लामी जनश्रुति में "रिश्तों को मजबूत बनाने" के लिए मुहम्मद की तारीफ की जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि मोमिनों को, उनके पुराने जीवन से पूरी तरह विमुख करने के लिए और नए नेता तथा नई उम्मा के साथ नाता सुदृढ़ करने के लिए, रिश्तों के विरुद्ध विद्रोह करना सिखाया जाता है। मदीना की एक कवयित्री, अस्मा बिन्त मरवान, की हत्या के लिए उसके अपने कबीले के एक व्यक्ति, उमैर इब्न अदी, को चुना गया। यह हत्या करके उमैर ने इस्लाम के प्रति अपने उत्साह और अपनी निष्ठा का परिचय दिया। उस सोती हुई कवयित्री की देह में, जिसकी छाती से उसका बच्चा चिपका हुआ था, तलवार घोंपकर वह, समाचार सुनाने के लिए, मुहम्मद के पास पहुंचा। पैगम्बर ने कृतज्ञता के साथ–"तुमने अल्लाह और उसके पैगम्बर की सेवा की है।"

मुहम्मद की मां जहन्नुम में

इसी पंथमीमांसा से प्रेरित होकर मुहम्मद अपने पिता को, अपने उदात्तहृदय चाचा, अबू तालिब, को और यहां तक कि अपनी मां को भी जहन्नुम की ज्वालाओं में झोंकने के लिए तैयार हो गए।

1. यह कहानी इब्न इसहाक़ ने दी है और तबरी ने भी दोहराई है। यहां पर प्रस्तुत विवरण सीरत रसूल-अल्लाह पृष्ठ 491-492 से लिया गया है।

इस मामले में बहुदेववादी लोग, जिनके पास पंथमीमांसा नहीं थी, मुसलमानों से बहुत बेहतर सिद्ध हुए। मक्का को जीतने के बाद मुहम्मद अरब में सर्वोच्च, बन गये और छोटे छोटे क़बीलों को उनकी ताकत और पैगम्बरी की धाक माननी पड़ी। यमन में रहने वाले एक कबीले के दो मुखिया, जो परस्पर भाई थे मुहम्मद के पास आये और उन्होंने इस्लाम अपनाने की इच्छा व्यक्त की। उनका मतान्तरण कर दिया गया। उनको किसी जानवर के दिल का गोश्त खाने में घिन होती थी। किन्तु यह सिद्ध करने के लिए कि पुराने बहुदेववाद से उनका विच्छेद वास्तविक है उन्हें वह गोश्त खाने के लिए विवश किया गया। बाद में जब वे मुहम्मद से बातचीत कर रहे थे, तो उनकी दिवंगता मां का प्रसंग उठा और मुहम्मद ने उनसे कहा कि वे नरक में हैं। दोनो भाई गुस्से से भरकर उठे और चल पड़े। मुहम्मद ने उन्हें फिर से फुसलाने के लिए पुकार कर कहा–"वापस आ जाओ। खुद मेरी अपनी मां भी तुम्हारी मां के पास वहीं पर हैं।" किन्तु प्रयास असफल रहा। दोनों भाइयों ने जाते-जाते कहा–"इस आदमी ने हमें न केवल जानवरों का दिल खाने के लिए विवश किया, बल्कि यह भी कहा कि हमारी मां नरक में है। इसका अनुसरण भला कौन करेगा ?"[1]

सार्वभौम दृष्टि का अभाव

पैगम्बर के नैतिक उपदेशों का एक अन्य पक्ष यह है कि, पंथमीमांसा की प्रधानता के कारण, इन उपदेशों में सार्वभौम दृष्टि का अभाव है। आस्था, औचित्य और न्याय, केवल मुसलमानों के परस्पर सम्बन्धों तक ही सीमित रहते हैं। काफिरों और गैरमोमिनों के लिए एक अलग नैतिक संहिता तथा अलग नियमों की की व्यवस्था है।[2] काफिर पुरुषों के जीवन जब्त किए जा चुके हैं। काफिर स्त्रियों को रखैल और बंदी बनाना वैध है। काफिरों के बच्चों को गुलाम बनाना चाहिए और धन-दौलत तथा जायदाद लूटपाट के लिए है।

मुददा छोटा हो या बड़ा, सभी में सांप्रदायिक दृष्टि का प्रसार है। जब दो मुसलमान मिलें, तो उन्हें एक-दूसरे का अभिवादन करना चाहिए। "दोनों में से जो पहले अभिवादन करे वह श्रेष्ठतर है" (6210)। किन्तु मुहम्मद अपने अनुयायियों को सलाह देते हैं कि वे यहूदियों और ईसाइयों का कभी पहले अभिवादन न करें (5389)। इसी प्रकार, यदि मार्ग मे कोई मुसलमान मिल जाय तो शिष्टता के

1. तबक़ात, जिल्द 2, पृष्ठ 100, साथ में देखें विलियम म्यूर कृत लाइफ आफ महोमेट जिल्द 4, पृष्ठ 228-229।

2. कुरान खुल्लमखुल्ला भेदभावपूर्ण नैतिकता का उपदेश देता है। "मुहम्मद अल्लाह के पैगम्बर हैं और जो लोग उनके अनुयायी हैं, वे काफिरों के प्रति कठोर तथा आपस में मेहरबान हैं" (कुरान 48/29)।

साथ एक ओर हट कर उसे रास्ता देना चाहिए (5376)। किन्तु यदि कोई यहूदी या ईसाई मिल जाये तो उसे एक ओर ठेल देना चाहिए (5386)।

जब एक मुसलमान मरे तो दूसरे मुसलमानों को जनाजे के पीछे चलना चाहिए। वस्तुतः "एक मुसलमान के ऊपर दूसरे मुसलमानों के" जो पांच-छः अधिकार हैं, उनमें से यह एक है (5379)। इसी प्रकार एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करनी चाहिए। किन्तु गैर-मुसलमानों के प्रति ऐसा शिष्टाचार बरतना अल्लाह की ओर से मना है (कुरान 9/84)। यह और बात है कि कुछ मुसलमान पैगम्बर के शिक्षापदों पर पूरी तरह नहीं चल पाते। मुहम्मद स्वयं इस प्रसंग में बहुत पक्के थे। वे बड़ी सतर्कता के साथ गैर-मुसलमानों की अन्त्येष्टि से दूर रहे। मुस्लिम परम्परा में मुखैरीक नाम के एक यहूदी का उल्लेख मिलता है। वह एक विद्वान रबी था। उसने मदीना में मुहम्मद को सात बागीचे भेंट किए थे (अन्य अहादीस के अनुसार ये बागीचे उस लूट का हिस्सा थे जो मुसलमानों को मदीना के यहूदियों से मिली थी)। वह सब्बात का दिन होने पर भी मुसलमानों की ओर से लड़ा था और मारा गया था। उसके शव को मुसलमानों की कब्रों के पास दफनाने की इजाजत तो मुहम्मद ने दे दी। किन्तु दफनाने के समय वे न तो वहां आए और न उन्होंने दुआ की। उन्होंने कहा कि यद्यपि मुखैरीक "यहूदियों में सर्वश्रेष्ठ था", फिर भी मुसलमानों द्वारा जनाजे की नमाज का हकदार नहीं हो सकता।

अर्न्तमुखी भावना का अभाव

मुहम्मद की आचार संहिता में अन्तर्मुखी भावना का भी अभाव है। उस संहिता में इस सत्य का संकेत तक नहीं मिलता कि मनुष्य का बाह्याचार उसके विचारों तथा उसकी आकांक्षाओं से उद्भूत होता है, और उसके विचार तथा उसकी आकांक्षाएं उसके अहम्भाव तथा उसकी अविद्या में जड़ जमाए हुए हैं। यह माना कि मुहम्मद से कई-सौ साल पूर्व ही मध्य एशिया में बौद्धधर्म का प्रसार हो चुकने पर भी मुहम्मद भारतीय योगपद्धति से अपरिचित रहे। किन्तु जिस सामी परम्परा से उनका परिचय था और जिसको अनेक अंशों में उन्होंने अपनाया था, वह परम्परा अर्न्तमुखी भावना से सर्वथा अपरिचित नहीं थी। उस परम्परा के ईसा मसीह ने उपदेश दिया था कि "दुष्ट विचार, हत्या, व्यभिचार, झूठी गवाही और देवनिन्दा का उदय "हृदय में होता है।" किन्तु मुहम्मद ने ईसा मसीह से कुछ नहीं सीखा। यह कहना पड़ेगा कि मुहम्मद ने एक बाह्याचारी मज़हब की ही स्थापना की।

अन्तर को शुद्ध किए बिना किसी श्रेष्ठ सदाचार की सृष्टि नहीं हो सकती। मजहबी निष्ठा कभी भी अन्तर की शुद्धि, आत्मबोध और अन्तर के सुसंस्कार का

स्थान नहीं ले सकती। अशुद्ध हृदय तो मनुष्य की तृष्णा, हिंसावृत्ति तथा कामुकता को आवृत्त ही कर पाता है। अशुद्ध हृदय निष्ठा का बाना ओढ़ कर एक अल्लाह नामधारी ऐसे पिशाच की पंथमीमांसा ही प्रस्तुत कर सकता है जो काफिरों के खून का प्यासा रहता है। अशुद्ध हृदय में जिहाद, लूटखसोट और कर-संग्रह की भूख ही भरी रहती है।

जहां दार्शनिक चिन्तन का अभाव है और अन्तर को सुसंस्कृत बनाने का अभ्यास नहीं किया जाता, वहां उदात्त भावों का उदय ही नहीं हो पाता। ऐसा मज़हब हमारे ऊपर एक बाह्याचार ही लाद सकता है, और बाह्याचार के विरुद्ध हमारे अन्तर में अनास्था और विद्रोह रहते हुए भी हमें उस का पालन करने पर विवश करता रहता है। उदाहरण के लिए, मुहम्मद ने यह नियम बनाया कि वे बारी-बारी से अपनी बीवियों के पास जाएंगे। किन्तु हुआ वही जो होना था। उनको इस नियम का पालन बोझ-सा लगने लगा। उन्होंने कहा—"नियम का पालन करने का सामर्थ्य तो मुझ में है। किन्तु ऐ अल्लाह ! जो सामर्थ्य (अर्थात् प्रत्येक बीवी से प्रेम करना) मुझ में नहीं है, उसका तू मालिक है।"[1] अतएव अल्लाह को आड़े आना पड़ा। उसने एक अधिक सुविधाजनक आयत उतार दी।

नियति

इकतीसवी किताब "नियति की किताब" (कद्र) है। इसमें इक्यावन अहादीस हैं (6390-6441)।

मुहम्मद को विश्वास है कि सब कुछ पूर्वनियत है। "बुरा वह है जो अपनी मां की कोख में ही बुरा बना" (6396)। प्रत्येक व्यक्ति, अवस्थाओं के एक क्रम को पार करता है। "तुम में से कोई भी जिन तत्वों से बना है उनको मां की कोख में चालीस दिन तक रक्त के रूप में संजोया जाता है। तब वह मांस का पिण्ड बन जाता है और चालीस दिन के बाद अल्लाह, चार बातें उसे बतलाने के लिए, अपना फरिश्ता उसके पास भेजता है—उसकी आजीविका, उसकी मृत्यु, उसका आचरण, उसका सौभाग्य और दुर्भाग्य।" फलस्वरूप, यह भी हो सकता है कि एक बहुत नेक आदमी जो जन्नत में जाने का अधिकारी है और जो जन्नत से केवल एक हाथ दूर है, सहसा नियति के फंदे में फंस जाता है और जहन्नुम के निवासी की तरह आचरण करने लगता है। और हां, उसका ठीक उल्टा भी हो सकता है" (6390)।

पैगम्बर हमें यकीन दिलाते हैं कि "अल्लाह ने यह भी नियत कर रखा है कि कौन कितना व्यभिचार करेगा" (6421)।

---

1. तबकात, जिल्द 2, पृष्ठ 280

इस अवस्था में एक सुपरिचित पहेली सामने आती है—नियति और पुरुषार्थ के बीच संगति कैसे बैठायी जाए। एक दिन मुहम्मद ने अपने अनुयायियों से कहा कि "तुममें से ऐसा कोई नहीं है जिसका स्थान जन्नत या जहन्नुम में नियत न किया गया हो।" बुद्धि ने अनुयायियों को पूछने के लिए विवश किया—"फिर हम शुभ कर्म क्यों करें ? क्यों न हम अपनी नियति पर निर्भर रहें ?" मुहम्मद ने उत्तर दिया—"नहीं शुभ कर्म तो करो ही, क्योंकि प्रत्येकके लिए वही सुकर होता है जिस के लिए उसको बनाया गया है" (6400)।

यह पंथमीमांसा एक अन्य पहेली तथा उसका समाधान प्रस्तुत करती है। यदि मनुष्यों का सब-कुछ पहले से ही नियत है, तो क्या उनको दण्ड देना अन्याय नहीं है ? मुहम्मद उत्तर देते हैं—"सब कुछ अल्लाह, ने पैदा किया है और उस की शक्ति के अधीन है। अल्लाह जो कुछ करता है, उसके विषय में प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। किन्तु (उसके बन्दों से) जवाब तलब किया जाएगा" (6046)।

ज्ञान

बत्तीसवीं किताब इकतीसवीं से भी छोटी है। यह "ज्ञान की किताब" (इल्म) है।

"ज्ञान" शब्द का यहां एक विशेष अर्थ है। यहां ज्ञान का अर्थ है वह ज्ञान जो कुरान में मिलता है। "कुरान पढ़ो" और उसके विषय में विवाद मत करो—ज्ञान यह है। पैगम्बर मोमिनों को चेतावनी देते हैं—"वस्तुतः तुमसे पूर्व की मिल्लतें किताब को लेकर विवाद करने के कारण तबाह हो गईं" (6443)।

मुहम्मद उन लोगों के विरुद्ध भी चेतावनी देते हैं जो मानते हैं कि कुरान के कुछ अंश केवल रूपक हैं और जो उन अंशों के मनमाने अर्थ करते हैं। जो लोग "भ्रम में पड़ना चाहते हैं वे ही रूपक दीख पड़ने वाली आयतों के साथ माथापच्ची करते हैं और उनकी व्याख्या करते हुए भेद उपजाते हैं।" दूसरी ओर जो लोग "ज्ञान के नाते सही हैं, वे कहते हैं हम अपने मालिक से मिली हर बात पर ईमान लाते हैं" (6442)।

वे "बाल की खाल निकालने" के विरुद्ध भी चेतावनी देते हैं। कहते हैं—"जिन्होंने बाल की खाल निकालना चाहा, वे तबाह हो गए" (6450)।

किन्तु ये सब चेतावनियां देते रहने पर भी मुहम्मद अपने अनुयायियों के बारे में सशंक हैं और सोचते हैं कि अनुयायी लोग यहूदियों और ईसाइयों के मार्ग पर चलेंगे। वे मोमिनों को उलाहना देते हैं—"तुम लोग इंच-दर-इंच ओर पद-प्रति-पद उस रास्ते पर चलोगे जिस पर तुम्हारे से पहले के लोग चले थे, यहां तक कि यदि वे लोग छिपकली के बिल में घुसे थे तो तुम भी वहीं उन के पीछे जाओगे।"

इस किताब में विद्वानों के विषय में एक प्रशंसात्मक उल्लेख है। "वस्तुतः अल्लाह लोगों से ज्ञान छीन कर उनको ज्ञान से विहीन नहीं करता। वह विद्वानों को लोगों से दूर करके लोगों को ज्ञान से विहीन करता है" (6462)।

अल्लाह की याद

तैतीसवीं किताब "अल्लाह की याद" के बारे में (किताब उल-जिक्र) है। मोमिनों का प्रबोधन किया गया है कि वे अल्लाह को याद करें। मुहम्मद ने इस विचार के विरुद्ध विद्रोह किया था कि अल्लाह का कोई दृश्य रूप है। किन्तु फिर भी उन्होंने अल्लाह के श्रव्य नाम बचा कर रखे थे। मुहम्मद हमें बतलाते है—"अल्लाह के निन्यानबे नाम हैं। जो उन्हें याद रखेगा, वह जन्नत में जाएगा" (6475)।

निन्यानबे ही क्यों ? मुहम्मद समझाते हैं—"अल्लाह विषम (वित्र) है, वह विषम संख्या से प्रेम करता है" (6476)।

अल्लाह हमें बतलाता है कि यदि कोई मोमिन "एक बालिश्त भर मेरी ओर बढ़ता है, तो मैं उसे एक हाथ अपनी ओर खींचता हूं...यदि वह मेरी ओर चलता है, तो में उसकी ओर दौड़ता हूं" (6471)।

यह कथन रहस्यवादी परम्परा से लिया गया है। किन्तु उस परम्परा में इस कथन का जो अर्थ है वह इसके उस अर्थ से बहुत भिन्न है जो पैगम्बरी परम्पराओं में लगााया गया है। रहस्यवादी परम्परा में "मेरी ओर चलने" का अर्थ है सत्य के पथ पर चलना; मैत्री, करुणा, भ्रातृभाव, शुद्धि और विवेक के पथ पर बढ़ना। पैगम्बरी परम्परा में इस कथन का अर्थ है अल्लाह के द्वारा अपने किसी मुंहलगे के मुख से कहलाए गए आदेशों का पालन करते हुए, बहुदेववादियों और काफिरों के प्रति विद्वेष का पोषण करना। हमारा कर्त्तव्य केवल यही रह जाता है कि हम उस इलहाम का अनुसरण और अनुमोदन करें जो हमें नहीं मिला। इस जिहाद में, जो हमें जोश के साथ लड़ने के लिए कहा जाता है, यदि हम जीत जाते हैं तो हमारे हिस्से में लूट का माल, गुलाम और साम्राज्य आते हैं और यदि हार जाते हैं तो जन्नत।

मुहम्मद का आराध्यदेव, उनके शिक्षापदों के समान, साम्प्रदायिक है। वह आराध्यदेव न तो सार्वभौम है, न ही सही अर्थों में प्रबुद्ध। मुहम्मद का आराध्यदेव एक कबीले का देवता है जो, जिहाद के माध्यम से, दूसरों की धरती दबाकर और बलात् मतान्तरण करके सार्वभौम बनना चाहता है। मुहम्मदी मत (कलमा) का केवल एक ही अर्थ है—"अल्लाह नामक देवड़े के अतिरिक्त कोई अन्य आराध्य नहीं और मुहम्मद इस देवड़े का पैग़म्बर है।"

कई-एक पंथमीमांसक ईश्वर को "ऊंचा उठाते हैं" किन्तु मनुष्य की अवमानना करते हैं। ईश्वर को लेकर ये मीमांसक आंसू बहाते रहते हैं, किन्तु अपने पड़ौसी देहधारियों के लिए उनकी आंखे सूखी रहती हैं और इन का हृदय क्रूर बना रहता है। पड़ौसी देहधारियों को वे अनेक प्रकार से कोसते हैं– जाहिल, काफिर, बहुदेववादी, इत्यादि। इस कोटि के पंथमीमांसकों तथा इस प्रकार की पंथमीमांसाओं के प्रति हमें सतर्क रहना चाहिए।

सोने से पहले अल्लाह का नाम जपना

फातिमा अली की बीवी और पैगम्बर की बेटी थी। अली हमें बतलाते हैं कि "चक्की पीसने के कारण उसके हाथ में एक घट्ठी उभर आई थी।" मियां-बीवी ने सुना कि "अल्लाह के रसूल के हिस्से में कुछ युद्धबन्दी आए हैं।" फातिमा पाक पैगम्बर के पास इस आशा से पहुंची कि वे उसको एक गुलाम दे देंगे। किन्तु उस समय मुहम्मद के पास कोई फालतू गुलाम नहीं था। अतएव वे फातिमा से बोले–"क्या मैं तुम्हे तुम्हारे द्वारा मांगे गए से बेहतर वस्तु दे सकता हूं ? जब तुम बिस्तर पर सोने जाओ तो चौंतीस बार तकबीर (अल्लाहो-अकबर) जपो और तैंतीस बार तसबीह (सुभान अल्लाह) जपो और तैंतीस बार तहमीद (अल-हमदुलिल्लाह) जपो। नौकर की तुलना में तुम्हारे लिए यह अधिक लाभप्रद है" (6577)।

किन्तु नौकर के बदले में अल्लाह का नाम सदा सन्तोषप्रद नहीं रहा। पैग़म्बर का दस्तूर था कि वे युद्धबन्दियों को गुलाम और रखैल बनाकर अपने मुहंलगे मोमिनों के बीच बांटते रहते थे। उदाहरण के लिए, उन्होंने अली को हिलाल की बेटी रैता भेंट में दी। उस लड़की को बनू हवाजीन के साथ लड़े गए युद्ध में लूटा गया था। बनु हवाजीन मुहम्मद की धाय का कबीला था। उसी लूट में प्राप्त दो और लड़कियों को भेंट में दिया गया–एक उस्मान को मिली जो मुहम्मद के दूसरे दामाद थे, और दूसरी उमर को मिली जिन्होंने उसे अपने बेटे अब्दुल्ला को दे दिया।[1]

सुबह-सुबह अल्लाह को सुमरो और शैतान से बचो

इस संदर्भ में हम एक और हदीस सुनाते हैं। मुहम्मद मोमिनों से कहते हैं–"जब तुम मुर्गे की बांग सुनो तो अल्लाह की रहमत मांगो, क्योंकि मुर्गा फरिश्तों को देखता है। और जब तुम गधों का रेंकना सुनो तो शैतानो से बचने के लिए अल्लाह की शरण मांगो, क्योंकि गधा शैतान को देखता है" (6581)। शैतान वाद वस्तुतः अल्लाहवाद का दूसरा पक्ष है।

1. सीरत रसूल-अल्लाह, पृष्ठ 593

16

जन्नत, जहन्नुम, उन के वासी, आख़िरी रोज़

अगली चार किताबें हमें जन्नत तथा जहन्नुम और उनके वासियों के बारे में बतलाती हैं। उनमें फैसले के रोज का भी विवरण है, और आखिरी वक्त में होने वाली तबाही तथा उस वक्त के आने की सूचना का भी।

चौंतीसवीं किताब "दिल पिघलाने वाली अहादीस" (अल-रिकाक) की किताब कहलाती है। इसमें मुहम्मद हमें बतलाते हैं कि वे "आग (जहन्नुम) के द्वार पर खड़े थे और जिन्होंने प्रवेश किया उनमें औरतों का बहुमत था" (6596)। दूसरी ओर, "जन्नत के वासियों में" औरतों का "अल्पमत रहेगा" (6600)।

मुहम्मद कहते हैं कि उन्होंने, औरतों द्वारा पैदा की गई समस्याओं के सिवाय, मोमिनों की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। "औरतों द्वारा पुरूषों को पहुंचाए जाने वाले नुकसान को छोड़कर मैंने लोगों के लिए क्लेश का को कोई कारण नहीं रहने दिया" (6604)। एक अन्य हदीस में वे अपनी उम्मा को बतलाते हैं–"यह संसार मधुर और हरा-भरा (लुभावना) है और वस्तुतः अल्लाह तुम्हें इस का खलीफा बनाएगा–यह जानने के लिए कि तुम क्या करते हो। अतएव औरतों के मोहजाल से बचना। वस्तुतः बनी इस्राइल की पहली परीक्षा औरतों को लेकर ही हुई थी" (6606)।

गरीब लोग

गरीब लोगों के प्रति मुहम्मद को रुख बेहतर है। "मुझे जन्नत को देखने का मौका मिला और मैंने वहां गरीब लोगों को बहुमत में पाया" (6597)। यद्यपि कम्युनिस्ट लोग जन्नत को "मादक द्रव्य" से अधिक कुछ नहीं मानते, तो भी गरीबों के प्रसंग में वे मुहम्मद को अपना मसीहा कह सकते हैं।

फैसले का रोज

सैतीसवी किताब (अल-कियामा वल जन्ना वन्नार) फैसले के रोज का और जन्नत तथा जहन्नुम का ब्यौरा देती है। उस में मुहम्मद हमें बतलाते हैं कि आख़िरी रोज "अल्लाह, जो ऊंचा और महिमावान है, धरा को अपनी मुट्ठी में ले

लेगा...और आकाश को दांये हाथ में समेट कर कहेगा—मैं मालिक हूं; संसार के बादशाह कहां हैं ?" (6703)।

सृष्टि

मुहम्मद हमें बतलाते हैं कि अल्लाह ने "शनिवार को धरती बनाई, और रविवार को पहाड़ बनाए, और सोमवार को पेड़ बनाए, और मंगलवार को वह सब बनाया जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और बुधवार को प्रकाश पैदा किया, और बृहस्पतिवार को विचरने वाले पशु पैदा किए, और शुक्रवार को अस्त्र (दोपहर बाद की नमाज़) के बाद आदम को पैदा किया, जो शुक्रवार के अन्तिम प्रहर (अर्थात दोपहर बाद और रात के बीच) में अन्तिम रचना थी" (6707)।

संहार

आखिरी रोज—संसार के संहार की बेला—का भी वर्णन किया गया है। मुहम्मद ने कहा कि उस दिन "धरा एक रोटी के समान रह जाएगी...और सर्वशक्तिमान उसको अपनी हथेली पर इस प्रकार धर लेगा जैसे तुम लोग सफर के समय रोटी हाथ पर धर लेते हो, और यह सब जन्नतवासियों के सम्मान में एक भोज होगा।" फिर वे हंसने लगे "जब तक कि उन की दाढ़ें नहीं दिखने लगीं।" तब उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या वे यह जानना चाहते हैं कि "उस (रोटी) के साथ सालन क्या होगा।" मुहम्मद ने उन्हें बतलाया—"बालाम और मछली।" बालाम "बैल है, उसके और मछली के विशालकाय जिगरों से सत्तर हजार लोगों के पेट भर जाएंगे" (6710)।

काफिर

महशर के रोज, जबकि जन्नत के वासी उपरोक्त भोजन का मजा ले रहे होंगे, "काफिर लोग मुंह के बल रेंगते हुए इकट्ठे किए जाएंगे" (6737)।

मोमिन को दोहरी दाद दी जाएगी। अल्लाह "उसे इस दुनिया में नेमतें देगा और परलोक में पुरस्कार देगा" (6739)। अगली हदीस में पुरस्कार वितरण को कुछ सन्तुलित किया गया है। अल्लाह इस दुनिया में काफिरों को पुरस्कृत करता हैं, और परलोक में मोमिनों को (6740)। इस दुनिया में पुरस्कार पाने के कारण ही काफिर में "कोई सद्गुण नही रह जाता जिसके लिए उसे परलोक में पुरस्कृत किया जा सके" (6739)।

यह व्यवस्था भी न्यायसंगत नहीं। वस्तुतः यह भी ठगाई है। परलोक की तुलना में यह दुनिया भला क्या है ? "एक मच्छर" के बराबर भी नहीं (6698)। जहन्नुम की ज्वाला यदि दूर से भी झुलस दे तो इस दुनिया की मौज के क्या मायने रह जाते हैं ? कुछ भी नहीं। किन्तु इसमें अल्लाह क्या कर सकता हैं ?

काफिर ही हिसाब-किताब में कच्चा है, आगापीछा नहीं देखता। महशर के दिन अल्लाह उस काफिर से, जो सब से कम कष्ट भुगत रहा है, पूछेगा कि यदि उस (काफिर) के पास संसार का सारा सोना हो तो क्या वह उस (सोने) को देकर (बदले में) उस आग से छुटकारा चाहेगा जो उसकी बाट जोह रही है। काफिर "हां" कहेगा, किन्तु "उससे कहा जाएगा—तुमने झूठ बोला; तुम से जो मांगा गया था (अल्लाह के एकत्व में विश्वास) वह इस की तुलना में बहुत कम था, किन्तु तुमने उसकी परवाह नहीं की" (6733-6736)।

अल्लाह का धैर्य

अल्लाह बहुत धैर्य दिखलाता है। वह "बहुत आपत्तिजनक बातें सुनकर भी धैर्य धारण किए रहता...उसके साथ शर्क जोड़ा जाता है (बहुदेववाद), उसे एक बेटे का बाप बतलाया जाता है (ईसाइयत)। किन्तु फिर भी वह (लोगों) का परित्राण करता है और उनको पोषण पहुंचाता है" (6731)।

महुम्मद के शाप

अल्लाह भले ही धैर्यवान हो, किन्तु उसका पैगम्बर यह सब सहन नहीं कर सकता। मुहम्मद काफिरों का मुख तक देखना नहीं चाहते थे। "जब अल्लाह के रसूल ने लोगों को 'दीन' से विमुख होते देखा तो उन्होंने कहा—ऐ अल्लाह ! इन्हें सात अकालों द्वारा सता जैसाकि तूने यूसुफ के काण्ड में किया था। अकाल से पीड़ित होकर वे सब कुछ खाने पर विवश हुए थे। यहां तक कि उन्हें, भूखके मारे, खालें और मुर्दे भी खाने पड़े थे" (6719)।

चांद के दो टुकड़े करना

शाप देने के सामर्थ्य के अतिरिक्त, चमत्कार दिखलाना भी मुहम्मद के बस की बात थी। उदाहरणार्थ, "चांद के दो टुकड़े किए गए" जिनमें से एक टुकड़ा पर्वत के उस पार रहा और दूसरा इस पार। मुहम्मद ने अपने साथियों से कहा—"इसके साक्षी रहना" (6725)।

यहूदी विद्वान

मुहम्मद का दावा था कि प्रकृति के ऊपर उनका प्रभुत्व है। किन्तु यहूदी विद्वानों को समझाने में उनका यह प्रभुत्व बेकार रहा। मुहम्मद को कहना पड़ा—"यदि यहूदियों के दस विद्वान मेरा अनुसरण करें तो धरती पर ऐसा कोई यहूदी नहीं बचेगा जो इस्लाम कबूल न करे" (6711)।

शैतान और पैगम्बर

मुहम्मद ने शैतान का देवत्व तो छीन लिया, किन्तु शैतान की शैतानी करने की क्षमता वे नहीं छीन पाए। शैतान उनके अनुयायियों के बीच विभेद के बीज

बोता रहा। मुहम्मद ने कहा–"वस्तुतः शैतान अपनी यह आशा सर्वथा खो चुका है कि अरब प्रायःद्वीप में कोई व्यक्ति उसकी भक्ति करेगा, किन्तु लोगों के बीच विभेद के बीज बोने की उसकी आशा बनी हुई है" (6652)।

सबका अपना-अपना शैतान : करीन

मुहम्मद यह तो नहीं मानते थे कि सबका अपना-अपना आराध्य होता है, किन्तु वे यह अवश्य मानते थे कि सबका अपना-अपना शैतान होता है "तुममें से कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ कोई जिन्न (शैतान) न जुड़ा हो। साथियों ने पूछा–अल्लाह के रसूल ! क्या आप के साथ भी (जुड़ा है) ? तब उन्होंने कहा–हां, किन्तु उससे पार पाने में अल्लाह मेरी सहायता करता है और इस प्रकार मैं उसके प्रहार से बचा रहता हूं और वह मुझसे नेकी के सिवाय कुछ नहीं करा सकता" (6757)।

इस्लाम की पंथमीमांसा में इस धारणा को करीन कहा जाता। करीन (बहुवचन कुराना) का शब्दिक अर्थ है "जो जुड़ा हुआ है" और इस का आशय उस शैतान से है जो अपरिहार्य रूप में प्रत्येक मनुष्य से जुड़ा हुआ है। कुरान में इस धारणा का उल्लेख है ("हमने उसके हिस्से में एक शैतान दिया जो उस का साथी रहेगा" 43/36; 41/25 भी देखिए) किन्तु इसका पूरा विस्तार सुन्ना में हुआ है। कुरान मैं शैतानों को केवल काफिरों के साथ जोड़ा गया है। सुन्ना में उन को मुसलमानों के साथ भी घनिष्ठ बनाया गया हैं।

ज्ञानपरक मीमांसा प्रत्येक मनुष्य में निगूढ़ परमात्मा को देखती है। पैगम्बरी मीमांसा मनुष्य के भीतर केवल शैतान ही देख पाती है। पूर्वोक्त मीमांसा का मर्म और उस की दृष्टि बहुदेववादी है। परोक्त मीमांसा बहुशैतानवादी है, अथवा अधिक सही कहें तो शैतान ही उस के लिए सर्वव्यापी है।

उपदेश देने में संयम बरतना

अब्दुल्ला बिन मसूद हमें बतलाते हैं कि "अल्लाह के रसूल यह सोच कर कि कहीं हम लोग ऊब न उठें कई-एक नियत दिनों पर हमें उपदेश नही देते थे" (6775)। अधिकतर उपदेश झाड़ने वालों के लिए यह व्यवहार अनुरकणीय है।

जन्नत (अल-जन्ना अर्थात् "उद्यान")

अड़तीसवीं किताब को "जन्नत की किताब" कहा गया है–जन्नत का "बयान, उसकी नेमतें और उसके वासी।" किन्तु इस किताब का दो-तिहाई भाग जहन्नुम तथा उसके वासियों के बारे में है। पैगम्बर की युगान्त-मीमांसा में, जन्नत और जहन्नुम जुड़े हुए हैं। कुरान में "जन्नत" शब्द 64 बार आया है। यह उल्लेख "जहन्नुम" शब्द से, जो 76 बार आया है, कम पड़ता है। अन-नार अर्थात

"आग" कुरान में जहन्नुम का दुलारा नाम है। इस शब्द का प्रयोग वहां और भी प्रचुर है– 121 बार

"जन्नत में एक पेड़ है जिसकी छाया को एक बढ़िया और तेज-रफ्तार घोड़े पर चढ़ा हुआ घुड़सवार सौ साल तक सफर करके भी पार नहीं कर पाता" (6784)।

जन्नत के वासी अपने आनन्द को अल्लाह से यह कह कर व्यक्त करते हैं–"ऐ मालिक ! हम प्रसन्न क्यों न हो जबकि तूने हमें वह दिया है जो तूने अपने द्वारा सृष्ट औरों को नहीं दिया ?" (6787)। वस्तुतः दूसरों को जन्नत के बाहर देख कर जो सुख मिलता है वह अपने-आप को जन्नत में प्रविष्ट पाकर नहीं मिलता।

जन्नत में सौन्दर्य-सदन का एक पर्याय भी प्राप्त होता है–एक गलियारा जहां जन्नत के वासी "प्रत्येक शुक्रवार के दिन जाते हैं, जहां उत्तर से बहने वाला पवन उनके चेहरों तथा वस्त्रों पर सुगन्ध बिखेरता है और उन के सौन्दर्य तथा लावण्य को बढ़ाता है" (6792)। परमानन्द का चिरंतन कुञ्ज।

ऊंच-नीच का क्रम

जन्नत ऊंच-नीच के क्रम से विहीन नहीं है। उसमें पैगम्बरों के लिए विशेष निवास हैं। जन्नत के निम्नतलों पर वास करने वाले "ऊपर के निवास स्थानों को इस प्रकार निहारते है। जैसे तुम लोग आकाश के नक्षत्र निहारते हो" (6782)। धरा पर ऊंच-नीच का जो क्रम हैं वही जन्नत में दोहराया जाएगा। "मेरी उम्मा का जो पहला समवाय जन्नत में जाएगा वह रात के पूरे चांद के समान होगा। फिर उनके बाद अन्य लोग होंगे। वे विशेष रूप से चमकने वाले सितारों के समान होंगे...उनके बाद अन्य कोटि के लोग" (6796)।

काल्विनवाद[1]

उन मजहबों में जहां पंथमीमांसा ही प्रधान हैं, सदाचार का स्थान गौण हो जाता है। वहां आस्था के आधार पर ही मनुष्य की परख होती है। मनुष्य जन्म लेता है उस के बहुत पूर्व ही वह भगवान के निकट प्यारा या पराया बन जाता हैं–काल्विन तथा लथूर की इस स्थापना को मुहम्मद ने एक हजार बरस पहले प्रतिपादित किया था। मुहम्मद ने कहा था–"अपने आचार के कारण ही तुम लोगों में से किसी का उद्धार नहीं होगा" (6760)। उन्होंने सलाह दी थी कि अपने आचार में "संयम बरतो।" किन्तु यदि संयम नहीं बरत पाते तो "जितना कर

1. सोलहवी सदी ईसवी के ईसाई सुधारक, जॉन काल्विन मानते थे कि किस मनुष्य को स्वर्ग में जाना और किसको नरक में, यह उसके जन्म के पहले ही भगवान नियत कर देते हैं।

सकते हो करो और सुखी रहो, क्योंकि अपने आचार के आधार पर ही कोई जन्नत में प्रवेश नही पा सकेगा" (6770)। भगवान की कृपा से ही उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार के लिए या तो "भगवान के एकमात्र बेटे" द्वारा मर कर किया गया प्रायश्चित जरूरी है, या भगवान के अन्तिम पैगम्बर द्वारा पाया गया मध्यस्थता का सामर्थ्य।

अल्लाह का कद

मुहम्मद हमें जन्नत के निवासियों का कद बतलाते हैं। संयोगवश वे आदम और अल्लाह का कद भी बतला देते हैं। इस प्रकार, जो अपरिमेय है उसका परिमाण मिल जाता है। "अल्लाह अकबर ने, जो महामहिम है, आदम को अपने अनुरूप और अपने कद का, साठ हाथ लम्बा, बनाया...इस प्रकार जो भी जन्नत में जाएगा वह आदम के अनुरूप बन कर जाएगा, उसका कद साठ हाथ होगा।" मुहम्मद आगे कहते हैं कि आदम के बाद आने वाले लोग "आज तक कद घटते गए" (6809)।

जन्नत में निवासस्थान तथा नित्यकर्म

मोमिन को जन्नत में जो निवासस्थान मिलेगा वह "खोखले किए गए मोती का तम्बू होगा जिसकी चौड़ाई चारों ओर से साठ मील होगी" (5805)।

जन्नत के निवासी खान-पान करेंगे किन्तु "न तो पेशाब करेंगे, न पाखाना, न उन्हें नज़ला होगा न वे थूकेंगे" (6795)। तो वे जो खाना खाएंगे, उसका क्या होगा ? पाचन की सारी क्रिया बदल जाएगी। "वे (खाना खाते समय) डकार लेंगें और उन्हें पसीना आएगा और उनका पसीना कस्तूरी के समान होगा" (6798)। "उनके कंघे सोने के बने होंगे, और उनकी अंगीठियों का ईंधन अगरू होगा, और उन का पसीना कस्तूरी होगा, और उनका आकार एक ऐसे व्यक्ति का होगा जो उनके पिता की लम्बाई के अनुरूप साठ हाथ लम्बा होगा" (6796)।

बीवियां

"सही मुस्लिम" जन्नत में मोमिनों को केवल दो बीवियां देती है। यह संख्या धरती पर मोमिनों को मिलने वाली बीवियों की संख्या से कम है। किन्तु ये (दो) बीवियां इतनी सुन्दर होंगी कि "उनकी पिण्डलियों की मज्जा (पिण्डलियों के) मांस में से दिखलाई देगी" (6797)।

कुरान की जन्नत

"सही मुस्लिम", जन्नत और उसकी नेमतों का बयान करने में, कंजूसी से काम लेती है। अतएव हम इस धुंधली छबि को संवारने के लिए कुरान तथा अन्य हदीसों और भाष्यों का सहारा लेना पड़ रहा है।

कुरान में मोमिनों तथा मुजाहिदों (जिहाद करने वालों) को "अदूषेय जल की नदियां, ऐसे दूध की नदियां जिनका स्वाद नहीं बदलता, ऐसी शराब की नदियां जो पीने वाले को प्रसन्न कर दे (और) शुद्ध तथा स्वच्छ शहद की नदियां" (47/15) देने का वायदा किया गया है। खाने के लिए "उनको वे ही फल मिलेंगे जिनकी वे कामना करेंगे" (56/20-21)। वे लोग "ऊंचे सिंहासनों पर लेट कर आराम करेंगे; और बाग (के पेड़ो) की छाया उन पर नीचे उतर आएगी; फलों के गुच्छे नीचे झुक जाएंगे। और उनके बीच चांदी तथा बिल्लोर के पानपात्र फिराए जाएंगे और वे ऐसी शराब के प्याले पीएंगे जिसमें जन्जबिल"[1] (अदरक) मिली हो, और वहां सल्सबील नाम का फव्वारा होगा। और उनके इर्द गिर्द सदा स्वस्थ रहने वाले जवान (विलुदानुम मुख लदून) होंगे–ऐसे जवान जिन्हें देखकर तुम समझोगे कि मानों मोती बिखरे हों। वे (जवान) बढ़िया रेशम और भारी कमख्वाब के सब्ज परिधान पहिने हुए होंगे, और उनके हाथों की शोभा चांदी के कंगन बढ़ा रहे होंगे (76/13-21)। "ढके हुए मोतियों" जैसे जवान गुलाम (गिलमान) उनकी सेवा करेंगे (52-54)।

हूरें

हूरों का वायदा भी किया गया है–ऐसी हूरों का जिनकी छातियां भरी हुई होंगी, और नजरें झुकी हुई। वे हूरें जो "ऊंची और दुर्लभ सेजों पर सदा हाजिर रहेंगी और कभी ना नहीं कहेंगी, जो सदा कुंआरी तथा प्यारी तथा हम-उम्र रहेंगी" (56/33-40)।

धरा पर जो नहीं दिया गया उसका वायदा जन्नत में किया गया है–रेशमी वस्त्र, शराब, सोने के बर्तन। किसी के मन में यह विचार उठ सकता है कि धरा पर मोमिनों को मिलने वाली स्त्रियों की संख्या बहुत काफ़ी थी। किन्तु ऐसा लगता है कि उस संख्या का सीमा निर्धारण सुविधाजनक नहीं रहा। अतएव जन्नत में मोमिन को असंख्य स्त्रियां मिलेंगी।

हमने इस विषय का यहां उल्लेखमात्र किया है। पूरा वर्णन पाने के लिए पाठक को कुरान की निम्नोक्त आयतें देखनी होंगी–2/25; 4/13; 9/11; 10/9-10; 47/15; 52/17-24; 55/46-76; 56/15-40; 66/8; 76/12-22। इस प्रकार की आयतें और भी हैं।

---

1. अरबी का "जन्जबिल" शब्द संस्कृत के "श्रृंगवेर" शब्द का अपभ्रंश है। श्रृंगवेर अर्थात अदरक का आयात अरब में भारतवर्ष से होता था और अरब के व्यापारी उसे सीरिया मे ले जाकर बेचते थे। "जन्जविल" शब्द ही अंग्रजी का "जिन्जर" बना।

अन्य अहादीस

तफ़सीर मज़हरी, तफ़सरी कादिरी तथा तफ़सीर हक़्कानी इत्यादि (कुरान के) भाष्यों में अन्य अहादीस मिलती हैं जिनको कुरान-परिचय नाम की पुस्तक में उद्धृत किया गया है और जिनमें जन्नत के इन्द्रियसुलभ विषय-भोगों का दिल खोल कर वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए, मोमिन को मिलने वाले एक ही खोखले मोती से बने हुए तम्बू का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। उस तम्बू के प्रत्येक कोने में उसकी बीवियां बसेंगी जिनके साथ वह बारी-बारी से मैथुन करेगा। अब्दुल्ला बिन उमर के अनुसार, जन्नत में एक बाजार होगा जिसमें केवल सौन्दर्य और सुन्दर मुख बेचे जाएंगे। इस बाज़ार में पुरुष अपनी मनपसन्द किसी भी स्त्री को खरीद सकेगा। मोमिन ऊंची सेजों पर लेट कर आराम करेंगे (कुछ भाष्यकारों के मत में "सेजों" का अर्थ है "औरतें")।

गुलामों की संख्या

उपरोक्त व्यक्ति (अब्दुल्ला) द्वारा कही गई एक हदीस के अनुसार, जन्नत के निवासियों में सबसे तुच्छ के पास भी, उसकी सेवा में रत, एक हजार गुलाम होंगे। अनस के अनुसार, गुलामों की संख्या दस हजार होगी। अबू सईद खदुरी के अनुसार, "बहिश्त के सबसे मामूली दर्जे का शख्स वो है जिसके लिए अस्सी हजार खादिम होंगे और बहत्तर बीवियां होंगी।"[1] हजरत अनस कहते हैं कि रसूल-अल्लाह ने यह भी फरमाया–"जन्नत में जमाह (मैथुन) करने के लिए हरेक आदमी को सौ मरदों की ताकत दी जाएगी।"[2]

हूरों की संख्या

अनस ने औरतों के मामले में कंजूसी बरती। अब्दुल्ला बिन उमर के अनुसार, जन्नत के प्रत्येक निवासी के पांच-सौ हूरें तथा चार हजार कुमारी कन्याएं होंगी और आठ हजार ऐसी औरतें होंगी जो पुरुषों के साथ सहवास कर चुकी हों। (जन्नत के निवासी) में इन सब (औरतों) के साथ मैथुन करने की ताकत होगी।

यद्यपि वे गणित का सहारा नहीं छोड़ते, फिर भी अबू हुरैरा (औरतों की) संख्या बहुत बढ़ा देते हैं। उनके अनुसार, प्रत्येक मुस्लिम के पास मोमियों का बना एक महल होगा; प्रत्येक महल के भीतर (लाल) माणिक्य से निर्मित सत्तर मकान होंगे; प्रत्येक मकान में (हरे) पन्नों से बने सत्तर कमरे होंगे; प्रत्येक कमरे में सत्तर सेज रहेंगी; प्रत्येक सेज पर सभी रंगों की सत्तर कालीन बिछी होंगी

1. तिरमिजी, जिल्द 2 पृष्ठ 87
2. वही पृष्ठ 80

और प्रत्येक कालीन पर एक हूर बैठी होगी; प्रत्येक कमरे में सत्तर मेज रहेंगी, और प्रत्येक मेज पर सत्तर रंग के सत्तर पकवान होंगे; प्रत्येक कमरे में सत्तर बांदिया भी रहेंगी। प्रत्येक मोमिन में इतना सामर्थ्य होगा कि वह इन हूरों और बांदियो में से प्रत्येक के साथ मैथुन कर सके।

पारदर्शी परिधान

अबू सईद के अनुसार ये स्त्रियां पारदर्शी पोशाक पहने हुए होंगी। प्रत्येक हूर के परिधान की सत्तर परत होंगी। किन्तु उसका प्रेमी सब परतों के पार देख पाएगा और हूर की टांगों की हड्डियों में (बहती हुई) मज्जा को देख सकेगा। हूर के सिर पर ताज होगा जिस का तुच्छतम मोती पूर्व से लेकर पश्चिम तक प्रकाश फैलाएगा। एक अन्य हदीस के अनुसार जब कोई मोमिन ऐसी किसी हूर को अपने आलिंगन में लेगा तो सत्तर हजार लौंडे हूर की हजारी में खड़े रहकर उसका दामन संभालेंगे। एक अन्य हदीस का उल्लेख आल्डुअस हक्सले ने किया है, जिसके अनुसार मुसलमानी जन्नत में प्रत्येक मैथुन की मदनलहरी छः सौ साल तक रुकी रहेगी।[1]

औरतों को ऐसे पुरस्कार नहीं मिलेंगे

यह कहा जाता है कि मोमिन औरतों को इस प्रकार के पुरस्कारों से वंचित रखा गया है। गिबन लिखते हैं कि मुहम्मद ने जन्नत में जाने वाली औरतों के पुरुष प्रेमियों का विशद विवरण इस लिए नहीं दिया कि वे (मुहम्मद) पतियों के मनों में ईर्ष्या जगाना नहीं चाहते थे अथवा वे पुरुषों के मनों में यह शुबा पैदा करके कि जन्नत में होने वाले विवाह चिरस्थायी होंगे, उनकी शांति भंग करना नहीं चाहते थे।

सर विलियम म्यूर मुहम्मद की मनोदशा का विश्लेषण करते हुए एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। मुहम्मद ने जन्नत के कामोत्तेजक वर्णन उस काल में किए जबकि वे खदीजा के साथ एकपत्नी-व्रत का पालन कर रहे थे। खदीजा उस समय साठ बरस की और उम्र में मुहम्मद से पन्द्रह बरस बड़ी थी। किन्तु मुहम्मद के हरम का विस्तार ज्यों-ज्यों होता गया, त्यों-त्यों यौन-सुख तथा यौन–क्रियाओं के सम्बन्ध में वे संयम बरतने लगे। परवर्ती काल के सूरों में पूर्ववर्ती हूरों का स्थान "पाक बीवियां" (कुरान 2/25; 4/57) ले लेती हैं।

जहन्नुम

मुहम्मद द्वारा दिए गए जहन्नुम के वर्णन भी इतने ही अन्तरंग हैं। जिस आग को हम इस धरा पर जानते हैं, उसका तापमान "जहन्नुम की आग का

1. आल्डुअस हक्स्ले, मोक्ष, लन्दन, 1980 पृष्ठ 112

सत्तरवां भाग है" (6811)। "उनके बीच वे लोग होंगे जिनके टखनों तक ही आग पहुंच पाएगी, कुछ लोगों के घुटनों तक आग पहुंचेगी, कुछ लोगों की कमर तक, और कुछ लोगों की हंसली तक" (6816)।

जहन्नुम की वासियों पर पत्थर बहुत जोर से बरसेंगे। अबू हुरैरा का बयान है–"हम अल्लाह के रसूल के साथ थे। उस समय हमने एक भयंकर शब्द सुना। तब अल्लाह के रसूल ने पूछा–जानते हो यह क्या है ? हमने कहा–यह तो अल्लाह और उसके रसूल ही भली-भांति जानते हैं। तब वे बोले–यह एक पत्थर है जिसको सत्तर साल पहले जहन्नुम की ओर फैंका गया था। तब से लेकर यह नीचे की ओर लुढ़कता आया है और अब सही स्थल पर आ पहुंचा है" (6813)।

जहन्नुम की भूख कभी नही मिटने वाली है। "पापियों को उस (जहन्नुम) में झोंका जाता रहेगा और वह कहता रहेगा–क्या और भी हैं ?" (6825)।

जहन्नुम में "काफिर की दाढ़ उहुद (मदीना के समीप एक पहाड़ी) के बराबर होगी और और उस (काफिर) की खूल का फैलाव तीन रातों के सफर के बराबर होगा" (6831)। अनुवादक समझाते हैं–काफिर को इतनी मोटी खाल इसलिये प्रदान की गई है कि वह "जहन्नुम की ज्वाला में लम्बे समय तक यातना भोगता रहे" (टि० 2999)।

इब्राहीम के बेटे इस्माइल अरबों के पौराणिक पुरखे माने जाते थे। मुहम्मद के मत में जो लोग इस्माइल के पाक मजहब को बदलेंगे उनको कठोर दण्ड दिया जाएगा। मुहम्मद अबू हुरैरा को बतलाते हैं–"बनी काब के भाई अम्र बिन लुहय्य बिन कामा बिन खिन्जिफ़ को मैंने अपनी आंतें आग के बीच घसीटते देखा" (6838)। मुस्लिम विचार के अनुसार अम्र खोजा वंश का पहला बादशाह (200 सन् ईसवी) था जिसने सीरिया से मूर्तियां लाकर (पूजा के लिए) प्रतिष्ठित की थीं।

इसी प्रकार मुहम्मद ने "अम्र बिन आमिर अल-खुजाइ को भी अपनी आंते आग में घसीटते देखा।" यह अम्र पहला व्यक्ति था जिसने देवता की सेवा में पशुओं को नियुक्त किया। सेवा में नियुक्त ये पशु दो प्रकार के होते थे। अलबहीरा नाम के पशु वे होते थे जिनका दूध नहीं दुहा जाता था और दुहा जाता था तो केवल देवता के लिए। अल–साइबा उन पशुओं को कहते थे जिन को लादा नहीं जाता था और जो खुले छोड़ दिए जाते थे (6839)।

अनन्त यातना

मोमिनों और काफिरों को छांट कर जब उनके यथोचित वासस्थान पर भेज दिया जाता हैं तो कहानी सदा के लिए समाप्त हो जाती है। "अल्लाह जन्नत के

वासियों को जन्नत में प्रविष्ट करेगाा और जहन्नुम जाने वालों को जहन्नुम में। तब मुनादी करने वाला दोनों के बीच खड़ा होकर कहेगा–जन्नत के वासियों ! तुम्हारे लिए मौत नहीं है। जहन्नुम के वासियों ! तुम्हारे लिए मौत नहीं है। तुम सब सदा वहीं पर रहोगे" (6829)।

बहुदेववादी (मुशरिफ)

काफिरों को दिया जाने वाला दण्ड महशर के दिन तक रुका नहीं रहता। दण्ड उनके मरते ही तुरन्त मिलने लगता है। पैगम्बर तथा उनके साथी एक यात्रा कर रहे थे। उन्होंने पांच या छः कब्रें देखी। मुहम्मद ने पूछा कि क्या किसी को मालूम है कि कब्रों में दबे लोग किस दशा में मरे। किसी ने उत्तर दिया–"मुशरिक रह कर।" मुहम्मद ने भेद खोला–"ये लोग कब्रों में यातना भोग रहे हैं" (6859)।

बदर की लड़ाई में जो काफिर लड़े और मारे गए थे, उनकी लाशों को मुहम्मद ने तीन दिन तक बिना दफ़नाए पड़ा रहने दिया। फिर वे लाशों के पास जा बैठें और प्रत्येक का नाम लेकर कहने लगे–"क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने तुम से जो वायदा किया था वह सच निकला ?" लाशें सड़ चुकी थीं। उमर को ताज्जुब हुआ कि पैग़म्बर उन (लाशों) के साथ वार्तालाप किस प्रकार कर सकते हैं। मुहम्मद ने उनको बतलाया–"उसकी क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है ! मैं उनसे जो कह रहा हूं उसको तुम भी उतना स्पष्ट नहीं सुन सकते जितना कि वे सुन रहे हैं। किन्तु उन में उत्तर देने का सामर्थ्य नहीं है।" तब उन्होंने "कुरैश के काफिरों" की उन लाशों को (जो चौबीस थीं) "बदर के कुएं में फिकवा दिया" (6869-6870)।

मुहम्मद का अभियान

एक दिन उपदेश देते समय मुहम्मद ने कहा–"देखो मेरे रब ने मुझ को तुम्हें वह सिखाने का आदेश दिया है जो तुम नहीं जानते और जो उसने आज मुझे सिखाया है...अल्लाह ने दुनिया के लोगों की ओर देखा और अरबों तथा गैर-अरबों से उसने नफ़रत व्यक्त की, सिर्फ़ उन लोगों को छोड़कर जो किताबियों में से बचे हुए थे। उसने कहा–मैंने तुझ (मुहम्मद) को तेरा इम्तिहान लेने के लिए और तेरे द्वारा उन लोगों का इम्तिहान लेने के लिए भेजा है। और मैंने तेरे पास किताब भेजी है...वस्तुतः अल्लाह ने मुझे कुरैश को जलाने (मार डालने) का आदेश दिया था। मैंने कहा–मेरे रब ! वे मेरा सिर फोड़ डालेंगे...और अल्लाह ने कहा–तू भी उन लोगों को वैसे ही निकाल बाहर कर, जैसे उन्होंने तुझे निकाल बाहर किया है। तू उनसे लड़ और हम इस (लड़ाई) मे तेरी मदद करेंगे...तू एक फ़ौज भेज, और हम उससे पांचगुनी बड़ी फौज भेजेंगे। जो लोग

तेरा कहना मानते हैं उनको साथ लेकर उनसे लड़ जो तेरा कहना नहीं मानते" (6853)।

ताक-झांक

आयशा द्वारा कही गई एक हदीस है जो फ्रायड[1] के शिष्यों के लिए दिलचस्प होनी चाहिए। पैगम्बर ने भेद बतलाया—"महशर के दिन लोगों को नंगे पांव, नंगे बदन और बिना खतने के इकट्ठा किया जाएगा।" आयशा ने भयभीत होकर और शायद शरारत के भाव से पूछा—"अल्लाह के रसूल ! क्या महशर के दिन मर्द और औरतें पास-पास होंगे और क्या वे एक-दूसरे को देख रहे होंगे ?" पैग़म्बर ने सावधान होकर जवाब दिया—"आयशा ! मामला इतना संगीन होगा कि वे लोग एक-दूसरे को देख नहीं पाएंगे" (6844)।

महशर के दिन किया जाने वाला हिसाब

महशर के दिन किया जाने वाला हिसाब दो प्रकार का होगा—एक सरसरी और दूसरा बारीक। सरसरी हिसाब केवल मोमिनों के लिए है जिन के कसूर अल्लाह माफ़ करना चाहता है। वह सिर्फ़ दिखावा होगा। किन्तु काफिर के लिए तो बस तौबा। उस का हिसाब बारीकी से देखा जाएगा। "जिस का हिसाब बारीकी से देखा जाता है, वह तबाह हुआ" (6874)।

कुरान का जहन्नुम

जैसा कि जन्नत के प्रसंग में देखा गया, कुरान में जहन्नुम का वर्णन "सही मुस्लिम" की तुलना में अधिक विशद है। इसी प्रकार, हदीस के जहन्नुम की तुलना में कुरान का जहन्नुम ज्यादा ज्वालामय हैं।

यद्यपि मुहम्मद अपने अनुयायियों को जहन्नुम में भेजने की धमकी देने से नहीं कतराते, फिर भी जहन्नुम काफिरों के लिए ही नियत स्थान है अर्थात उन लोगों के लिए नियत स्थान जो मुहम्मद की पैग़म्बरी और उन के अभियान के प्रति अनास्थावान् हैं।

जहन्नुम के अनेक नाम हैं और पैग़म्बर बड़े प्रेम से उनका खुलासा करते हैं। जहन्नुम का जो नाम उनको सबसे ज्यादा पसन्द था वह है अन-नार अर्थात "आग"। सात अन्य नामों का बार-बार उल्लेख हुआ है। कुरान की तफसीर करने वालों ने उन नामों को जहन्नुम के सात अलग-अलग अंचलों में बदल डाला है। उनमें से प्रत्येक अंचल की अपनी धधक है, अपना तापमान और अपने निवासी। इन जहन्नुमों में से सबसे हल्का जहन्नुम किसी भी मनुष्य को एक हजार बार जला सकता है। किन्तु कुफ्र और अनास्था की बहुत-सी कोटियों का दण्ड देने

1. मनोविश्लेषण नामक मनोविज्ञान का विख्यात प्रणेता।

के लिए, हल्के जहन्नुम को काफी नहीं समझा जाता। अतएव उत्तरोत्तर बढ़ते हुए धुएं वाले, बढ़ती हुई धधक वाले और बढ़ती हुए दाहशक्ति वाले जहन्नुमों का प्रबन्ध किया गया है।

सात अंचल

आश्चर्य का विषय है कि मुसलमानों को भी जहन्नुम में जाना पड़ेगा। कुरान बतलाता है—"तुममें से एक भी ऐसा नहीं है जिसे इस (जहन्नुम) में नहीं जाना पड़ेगा। यह अल्लाह का विधान है, जिसे पूरा किया जाएगा" (कुरान 19/71)। अतएव अल्लाह के आदेश का, वस्तुतः नहीं तो शब्दशः, पालन करने के लिए जहन्नुम के एक ऐसे अंचल का प्रबन्ध किया गया है जो बहुत कम कष्टदायक है। इसको जहनम कहा गया है। यह नाममात्र का ही जहन्नुम है। वस्तुतः यह मुसलमानों के मार्जन का स्थान है। इसे जन्नत की सीढ़ी (सिरात) भी कहा जा सकता है। मुस्लिम मीमांसक हमें यकीन दिलाते हैं कि मुसलमानों के लिए, यदि उन्होंने बहुत बड़े गुनाह नहीं किए हैं, तो यह जहन्नुम काफी ठण्डा और सुखदायक होगा।

जहन्नुम के असली अंचल और उनमें दी जाने वाली असली यातनाएं तो विविध प्रकार के काफिरों और मुशरिक़ों के लिए नियत है। ईसाइयों के लिए लज़ा नियत है, जहां जलने वाली आग किसी को भी राख बनाए बिना नहीं छोड़ती। यहूदियों के लिए नियत हुतामाह नामक आग और भी भीषण है। इसी प्रकार साबियों के लिए साईर है, मगों के लिए सक़र, बुतपरस्तों के लिए जहीम और मक्कारों के लिए हाबियाह। मक्क़ार वे लोग थे। जिन्होंने मुहम्मद को भांप लिया था तथा जिन्हें मुहम्मद के अभियान पर आस्था नहीं रही थी, किन्तु जो फिर भी, भयभीत होने के कारण, खुलकर नहीं बोल सकते थे। वे लोग मुहम्मद के प्रति उतना ही नपा-तुला मान प्रकट करते थे जितना कि शक्तिशाली के प्रति प्रकट करना पड़ता है।

मुहम्मद काफिरों को जहन्नुम की आग में झोंकने के लिए अत्यन्त आतुर रहते हैं—"उस आग में झोंकने के लिए जो कुछ भी नहीं बचने देती, जो कुछ भी नहीं बख्शती" (कुरान 74/28)। सूरा ग़ाशिया (जिसमें "ज़बर्दस्त घटना" अर्थात फ़ैसलें के दिन का वर्णन है) में मुहम्मद सब प्रकार के काफिरों से बहुत बड़ी यातना का वायदा करते हैं, चाहे वे यहूदी हों, चाहे ईसाई, चाहे मुशरिक चाहे बुतपरस्त, चाहे मक्कार। "क्या तेरे पास जबर्दस्त घटना की ख़बर पहुंच गई ? उस दिन कुछ लोगों के मुख लज्जित, तर-बतर, म्लान होंगे...उनके वास्ते वहां खाने के लिए उस कड़वी जरी के सिवाय कुछ नहीं होगा जो न तो उन्हें पुष्ट कर पाएगी और न उनकी भूख भगाएगी" (कुरान 88/1-7)।

ज़री एक कड़वा और केंटीला पौदा होता हैं जिसकी गन्ध बीभत्स होती है। कुरान के अन्य सूरों में (जैसे 56/52, 17/60, 44/43-46) एक और भी भयावह भोजन, "ज़क्कूम के वृक्ष," का जिक्र है। अन्तिम सूरे की अपनी भाषा में, यह वृक्ष "उन (खाने वालों) के भीतरे पिघले हुए पीतल की तरह, झुलस देने वाले पानी की तरह उबल उठेगा।"

इसी प्रकार की अन्य अहादीस हैं। "यदि काफिर कहेंगे कि वे प्यासे हैं तो उनको पिघले हुए तांबे जैसा पानी दिया जाएगा...जिससे उनकी अंतड़ियां कट जाएंगी...जिससे उनके पेट में जो कुछ है वह सब विलीन हो जाएगा।" कई-एक भाष्यकारों के मत में यह पानी इतना गर्म है कि उसकी केवल एक बूंद संसार के सारे पहाड़ों को पिघला सकती है।

जहन्नुम की आग जैसा भयावह और कुछ नहीं। "यह एक हज़ार बरस से जलती रही जिसके कारण यह लाल हो गई तथा और एक हज़ार बरस तक जलती रहने के बाद यह काली तथा घनी हो गई, और इसमें रौशनी नहीं बची।" इस हदीस के कहने वाले अबू हुरैरा हैं जिनका हवाला तफ़सीर मज़हरी में दिया गया है। इसी तफ़सीर के मुताबिक काफिर लोग आग की इतनी चौड़ी दीवार से घिरे होंगे कि जिस का फ़ासला तय करने में चालीस बरस लग जाएं।

कुरान आप से अनुरोध करता है कि "उस आग से डरो जिसका ईंधन मनुष्य और पाषाण हैं और जो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो ईमान नहीं लाते" (2/24)। कई-एक भाष्यकारों का मत है कि यहां मनुष्यों और पाषाणों का आश्य मुशरिकों और उनके द्वारा पूजे जाने वाले बुतों से है।

एक अन्य हदीस हमें बतलाती हैं कि जहन्नुम में सत्तर हजार बीहड़ होंगे, जिनके प्रत्येक पेड़ में सत्तर हजार टहनियां होंगी; प्रत्येग टहनी पर सत्तर हजार सांपों तथा इतने ही बिच्छुओं का वास होगा। ये सब (जन्तु) काफिरों और मक्कारों का यातना देने वाले हैं। बिच्छू के काटने पर जो सूजन पैदा होगी वह चालीस बरस तक बनी रहेगी।

जहन्नुम मुस्लिम पंथमीमांसा का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका उल्लेख कुरान तथा इस्लाम के मज़हबी साहित्य में बार–बार मिलता है। इस साहित्य में मुस्लिम पंथमीमांसा ने मानवजाति के प्रति अपनी विद्वेष और जुगुप्सा और घृणा का खुल कर उद्घोष किया है।

आखिरी वक़्त

उनतालीसवीं किताब "आखिरी वक़्त के संकटों ओर संकेतों" (अल-फितन व अशरात अस-साह) के बारे में हैं। इस विषय का जन्नत और जहन्नुम से घनिष्ठ सम्बन्ध है।

यह स्पष्ट नहीं है कि आखिरी वक्त से पैग़म्बर का आशय अरब का आखिरी वक़्त है, या उम्मा का, या सारे संसार का। कई-एक अहादीस में वे अरब के विध्वंस की भविष्यवाणी करते हैं। उन्होंने कहा–"जो संकट निकट आ पहुंचा है उस के कारण अरब की तबाही तय है" (6881)। वे एक फ़सील पर चढ़ गए और मदीना-वासियों से बोले–"मैं जो देख रहा हूं उसे तुम नहीं देख पा रहे और मैं तुम्हारे मकानों के बीच तबाही के स्थान उसी तरह देख रहा हूं जैसे बारिश पड़ने के स्थान" (6891)। "बारिश" का अर्थ यहां "प्रलय" है। उन्होंने अरब लोगों के लिए एक ऐसे समय की भविष्यवाणी की "जिसमें बैठा रहने वाला खड़े रहने वाले से बेहतर होगा, और खड़ा रहने वाला चलने वाले से बेहतर, और चलने वाला भागने वाले से बेहतर" (6093)।

उम्मा की तबाही

मुहम्मद कहते हैं–"अल्लाह ने मेरे लिए दुनिया के ओर-छोर एक साथ मिलाए। और मैंने इस (दुनिया) का पूर्वी छोर देखा है तथा पश्चिमी छोर भी।" पराकाष्ठा का यह दर्शन कर लेने के बाद मुहम्मद ने अल्लाह से तीन वर मांगे और "उस ने मुझे दो दिए...मैंने अपने रब से मांगा कि दुर्भिक्ष के द्वारा मेरी उम्मा का नाश न हो और उसने यह मान लिया। और मैंने अपने रब से मांगा कि मेरी उम्मा डूबने (बाढ़) के कारण नष्ट न हो और उसने यह मान लिया। और मैंने अपने रब से मांगा कि मेरी उम्मा के लोगों के बीच में परस्पर रक्तपात न हो, किन्तु उसने यह मंजूर नहीं किया" (6904, 6906)।

काफिरों को मारना पुण्यकर्म है जो मोमिनों को जन्नत में पहुंचाता है। किन्तु दूसरे मोमिन को मारना पापकर्म है जो जहन्नुम की आग का दण्ड जुटाता है। अनुवादक महाशय हमें यक़ीन दिलाते हैं–"हज़रत अली और उनके विरोधियों के बीच जो मारकाट मची, उस पर यह नियम लागू नहीं होता। मारने वाला तथा मारा जाने वाला उसी दशा में जहन्नुम की आग में पड़ता है जबकि शत्रुता व्यक्तिगत विद्वेष के कारण अथवा लौकिक स्वार्थ के कारण पनपी हो। हज़रत अली तथा उनके विरोधियों के प्रसंग में दोनों पक्षों के अधिकांश लोग एक ऊंचे आदर्श से प्रेरित थे जिसके लिए वे एक–दूसरे से लड़ने पर उतारू हुए" (टि० 3009)।

आख़िरी वक़्त के कुछ संकेत

भयंकर तबाही "जो महासागर की उफनती हुई लहरों के समान प्रकट होगी" (6914) अपने आने से पहले अनेक संकेत देगी। "आख़िरी वक्त तब तक नहीं आएगा जब तक इफ़रात नदी सोने के ढेर प्रकट नहीं करेगी" (6920)। वह

(वक़्त) तब तक नहीं आएगा "जब तक हिजाज की धरती ऐसी आग नहीं उगलती जिससे बसेरा के ऊंटों की गर्दनें रौशन हो उठे" (6935)। वह (वक़्त) तब तक नहीं आएगा "जब तक लोग (फिर से) लात और उज्जा की पूजा नहीं करने लगते" (6945)।

आख़िरी वक़्त आने से पहले "काबा एक ऐसे हब्शी के हाथों विध्वस्त होगा जिसकी दो छोटी-छोटी पिण्डलियां हों" (6951)। अनुवादक के अनुसार, यहां आशय अबीसीनिया के ईसाइयों अथवा मुशरिकों से है। उस वक्त से पहले, जज़िया आना बंद हो जाएगा और ईराक के लोग "अपने कफ़ीज तथा दरहम नहीं भेजेंगे" (6961)। (क़फ़ीज ईराक के तुलामान तथा दरहम वहां की मुद्रा का नाम है)।

"आख़िरी वक़्त तब तक नहीं आएगा जब तक मुसलमान यहूदियों से नहीं लड़ेंगे और मुसलमान उन (यहूदियों) को क़त्ल नहीं करेंगे, और जब तक यहूदी लोग अपने आप को किसी पत्थर अथवा पेड़ की आड़ में नहीं छुपाएंगे और पत्थर अथवा पेड़ यह नहीं कहेगा–ऐ मुसलमान ! मेरी आड़ में एक यहूदी छुपा है आकर उसे मार।" केवल एक अत्यन्त कंटीला पेड़ जो शरकद कहलाता है और जो छूने पर पीड़ादायक है, यहूदियों की रक्षा करेगा और उन का भेद नहीं खेलेगा, "क्योंकि वह यहूदियों का पेड़ हैं" (6985)। आख़िरी वक़्त के आने का एक अन्य संकेत यह होगा कि "सूरज पश्चिम से निकलेगा" (7039)।

दज्जाल

मुहम्मद आने वाले वक्त के लिए मुसलमानों को तैयार करते हैं। "छः घटनाएं घटें उसके पहले नेक काम करने में जल्दी करो–सूरज का पश्चिम से निकलना, धुआं, दज्जाल..." (7039)। दज्जाल का उल्लेख अनेक अदाहीस में हुआ है। वह ईसामसीह का एक प्रतिरूप है, जो बायीं आंख से काना है, जिसका चेहरा लाल है, और जिसके माथे पर "काफिर" लिखा हुआ है। उसके पीछे इस्फहान के सत्तर हजार यहूदी ईरानी शाल ओढ कर चलेंगे" (7034)।

इब्न सय्याद

इब्न सय्याद को मुहम्मद के साथी दज्जाल समझते थे। उसके विषय में एक दिलचस्प कहानी कही गई है (6990-7004)। उसने मुहम्मद की पैग़म्बरी के बारे में विवाद किया था। मुहम्मद ने उससे पूछा–"क्या तुम यह गवाही नहीं देते कि मैं अल्लाह का पैग़म्बर हूं ?" किन्तु उसने जवाब दिया–"मैं इस तथ्य की गवाही देता हूं कि तुम जाहिलों के पैग़म्बर हो।" तब दोनों के बीच द्वन्द्व छिड़ा। सैयाद को यह अनुमान लगाना था कि मुहम्मद के मस्तिष्क में कौन सा शब्द है।

सय्याद केवल "धुख" ही कह पाया, जबकि मुहम्मद के मस्तिष्क में "दुखान (धुंआ)" शब्द था। अनुवादक हमें बतलाते हैं–"वह केवल धुल-धुख रटता रहा ओर उसके दावे की पोल खुल गई" (टि० 3030)।

एक अन्य कहानी के अनुसार मुहम्मद तथा उनके साथी सैय्याद से उस समय मिले जब वह बच्चों की टोली के पास बैठा था। बच्चे उठ कर खड़े हो गए। सैय्याद नहीं उठा। मुहम्मद को "यह पसन्द नहीं आया" और वे सैय्याद से बोले–"तुम्हारे नाक पर खाक पड़े, तुम क्या यह गवाही नहीं देते कि मैं अल्लाह का पैग़म्बर हूं ?" सैय्याद ने मानने से इन्कार किया। वस्तुतः उसने अपने लिए वही दावा किया और मुहम्मद से अपने रुतबे का गवाह बनने का अनुरोध किया। "तब उमर बिन खत्ताब ने कहा–अल्लाह के रसूल ! मुझे इसको मार डालने की इजाज़त दें।" मुहम्मद ने उत्तर दिया–"यदि यह वह शख़्स है जिसका शुबा है (अर्थात दज्जाल) तो तुम इसको मार नहीं सकोगे" (6990)। मुहम्मद के इशारे पर नाचने वाले बहुत से गुण्डे उनके साथ रहते थे। इसी कारण उनके दावे को बल मिला था।

प्रारम्भिक ईसाइयों की नाई मुहम्मद भी मानते थे कि आखिरी वक्त कभी भी आ सकता है। एक छोकरे की ओर इशारा करके उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा–"यदि यह छोकरा जिन्दा रहता है तो यह बहुत बूढ़ा नहीं हो पाएगा कि आख़िरी वक़्त आ पहुंचेगा" (7052)।

✣✣✣

17

पश्चात्ताप (तौबा)

अब हम पैतीसवीं किताब लेते हैं जो "पश्चात्ताप करने और करवाने" के विषय में (किताब अल-तौबा) है।

अल्लाह चाहता है कि मोमिन पश्चात्ताप करे। "किसी अरब को निर्जल बीहड़ में खोया हुआ अपना ऊंट मिल जाने पर जितनी खुशी होती है उस से अधिक खुशी" उस (अल्लाह) को "अपने बन्दे के पश्चात्ताप पर होती है" (6610-6619)।

वस्तुतः मोमिन को गुनाह करते देख कर अल्लाह को जो नफ़रत होती है, उससे अधिक खुशी उसे (अल्लाह को) मोमिन को पश्चात्ताप करते देख कर होती है। पैग़म्बर ने उम्मा को बतलाया-"यदि तुम लोग गुनाह नहीं करते तो अल्लाह तुम्हारे अस्तित्व को मिटा देता और तुम्हारा स्थान उन लोगों को दे देता जिन्होंने गुनाह किए और फिर अल्लाह से माफी मांगी" (6620-6622)। मनोविज्ञान के मर्मज्ञ हमें बतलाते हैं कि गुनाह करने में बहुत मज़ा मिलता है, किन्तु पश्चात्ताप से मिलने वाला मजा और भी अधिक है।

गुनाह का दोहरा लाभ

गुनाह करने वाले आदमी को दोहरा लाभ होता है, जिसमें उसका तथा उसके स्रष्टा का साझा है। गुनाह मोमिन को यह समझने में मदद देता है कि वह स्रष्टा द्वारा बनाया गया प्राणी है, और अल्लाह को अपनी दयालुता दिखलाने का मौक़ा देता है। मुहम्मद के अनुसार, अल्लाह का क़ौल है-"एक बन्दे ने गुनाह किया और कहा कि ऐ अल्लाह ! मुझे मेरे गुनाह के लिए माफ कर। अल्लाह अकबर ने कहा-मेरे बन्दे ने गुनाह किया और फिर उसे यह बोध हुआ कि उसका एक मालिक है जो गुनाह माफ करता है...उसने फिर गुनाह किया और कहा कि मेरे रब ! मुझे मेरे गुनाह के लिए माफ़ कर और उसे फिर उसे यह बोध हुआ कि उसका एक मालिक है जो गुनाह माफ करता है।" बन्दे ने तीसरी बार भी गुनाह किया और अल्लाह ने फिर उसे माफ कर दिया। किन्तु अब की बार अल्लाह ने कह दिया-"ऐ बन्दे ! जो जी चाहे कर । मैं तुझे माफ़ कर चुका हूं" (6642)। इस प्रकार गुनाह एक दोहरा वरदान हैं। यह उसके लिए वरदान है जो गुनाह करता है, और उसके लिए भी जो माफ़ करता है। गुनाह मनुष्य में

उसके प्राणी-सुलभ स्वभाव का बोध जगाता है और अल्लाह को यह समझाता है कि उसका सत्व प्रभुत्वपूर्ण तथा क्षमाशील है। यह संयोगमात्र नहीं हैं कि जो पंथमीमांसाएं मनुष्य के स्वभाव को पापप्रवण मानती हैं, वे एक क्षमाशील ईश्वर का जुगाड भी करती हैं।

अल्लाह का क़हर और रहम

अल्लाह कहता है-"मेरे क़हर पर मेरा रहम हावी है" (6666)। इस रहम का सौवां भाग वह "जिन्नों और मनुष्यों और कीटपतंगों पर करता है।" इस भाग को लेकर वे सब परस्पर प्यार करते हैं। किन्तु उसने "निन्यानवे भाग महशर के दिन अपने सेवक (पैगम्बर) के लिए नियत किए हैं" (6631)। रहम का यह भण्डार उस दिन मुसलमानों को जहन्नुम की उस आग से बचाने के लिए आड़े आएगा जो काफिरों के लिए नितान्त वांछनीय है। सामी मज़हबों में "अल्लाह का क़हर" एक महत्वपूर्ण स्थापना है।

नेक काम बुरे कामों को धो देते हैं

एक मुसलमान मुहम्मद के पास आया और बोला-"अल्लाह के रसूल ! मैंने मदीना के पड़ौस में एक औरत के साथ क्रीड़ा की...(और) जो क़सूर किया वह व्यभिचार से कुछ ही कम है...कृपया मेरे बारे में फ़ैसला कीजिए।" वह आदमी चाहता था कि मुहम्मद उस के ऊपर हद्द का दण्ड लागू करें (हद्द वह दण्ड है जिसकी व्यवस्था कुरान तथा हदीस में दी गई है)। अबू बकर तथा उमर का मत था कि उस आदमी ने बड़ा गुनाह किया है। किन्तु अन्य अहादीस के अनुसार उमर ने उसको वही सलाह दी जो पैग़म्बर अक्सर दिया करते थे और जो व्यावहारिक होने के साथ-साथ निष्ठासम्मत भी है-"अल्लाह ने तुम्हारे दोष को छुपाया है। समझदारी इसी में है कि तुम भी उसे छुपा कर रखो।"

इसी बीच मुहम्मद पर एक इलहाम उतर आया-"और दिन के आरम्भ तथा अन्त में और रात के पहले पहर में दुआ करो। निश्चय ही नेक काम बुरे कामों को धो देते हैं" (कुरान 11/115)। तदनन्तर उन्होंने उस आदमी की यह कह कर छुट्टी कर दी कि "अल्लाह ने तुम्हें हद्द लागू होने तथा तुम्हारे गुनाह से माफ़ी दी है।" उस समय उपस्थित किसी व्यक्ति ने मुहम्मद से पूछा कि माफ़ी का वायदा क्या केवल उसी आदमी के लिए है। मुहम्मद ने सारे मोमिनों को आश्वस्त करते हुए कहा-"नहीं, सब के लिए" (6655-6661)।

जिन दो दुआओं का उल्लेख हुआ है वे सुबह तथा शाम की नमाज़ हैं। एक रात में किए गए गुनाहों को धो देती है, दूसरी दिन में किए गए गुनाहों को। इस प्रकार दुआ करने के बाद मोमिन अगले गुनाह करने के लिए तरोताजा तथा तैयार हो जाता है। मुनष्य का स्वभाव ऐसा ही है।

जहन्नुम में मोमिनों के बदले काफिर

अगली पांच अहादीस (6665-6669) बहुत दिलचस्प हैं। वस्तुतः अल्लाह मोमिनों के गुनाह माफ़ नहीं करता, केवल उनको काफिरों के सिर मढ़ देता है। वह मोमिनों द्वारा किए गए गुनाहों का दण्ड काफिरों को देता है। इस प्रकार उसका क़हर तथा उस का रहम दोनों बरक़रार रहते हैं। मुहम्मद अपने अनुयायियों से कहते हैं–"जब महशर का दिन आएगा तो अल्लाह प्रत्येक मुसलमान के हाथ में एक यहूदी या एक ईसाई देकर कहेगा–यह तुम्हारा जहन्नुम से बचने का उपाय है" (6665)। औचित्य तथा न्याय के विषय में अल्लाह का बोध मोमिनों के बोध से बेहतर नहीं हो सकता। इस प्रकार मोमिन लोग अल्लाह की मूर्ति अपने मन के मुआफ़िक तैयार करते हैं।

मुहम्मद का अपने अनुयायियों से वायदा है कि महशर के दिन अल्लाह मुसलमानों से कहेगा–"मैंने दुनिया में उन (तुम्हारे गुनाहों) को ढक कर रखा। और आज मैं उन्हें माफ़ करता हूं।" किन्तु जहां तक काफिरों का सवाल है, उनके गुनाहों को सारी दुनिया पर प्रकट किया जाएगा, और "सारी सृष्टि के सामने उन गुनाहों की सार्वजनिक घोषणा होगी," और यह खबर सुनाई जाएगी कि उन्होंने (काफिरों ने) "अल्लाह के बारे में झूठी बातें कही थीं" (6669)।

"कण्ठे" का क़िस्सा

इस किताब में एक लम्बी हदीस जिसका सम्बन्ध पैग़म्बर की कमसिन बीवी, आयशा, के बारे में फैलने वाले एक अपवाद से है। यह घटना हिजरत के पांचवे वर्ष (दिसम्बर 626) में घटी थी। मुहम्मद ने बनुल-मुस्तलिक़ पर अचानक हमला करके उन्हें हराया था और वे जुबैरीय्या सहित बहुत से कैदी साथ लेकर लौट रहे थे। आयशा, जिसकी उमर उस समय तेरह बरस की थी, इस चढ़ाई में पैग़म्बर के साथ गई थी। उनकी एक सौत, उम्म सलमा, भी साथ थी।

आयशा का बयान है–"अल्लाह के रसूल जब भी यात्रा पर जाते थे तो अपनी बीवियों के नाम पर्चियां डाल कर जिसकी पर्ची निकलती थी उसे साथ ले लेते थे।" अब की बार भाग्य ने आयशा का साथ दिया (बहुत बार ऐसा होने के कारण पर्चियों के बारे में शुबा पैदा होता है) और वे चढ़ाई पर पैग़म्बर के साथ चली गई। लौटते समय आखिरी पड़ाव पर आयशा पीछे रह गई। वे भोर के समय शौच के लिए खेतों में गई थीं। जब वे लौटी तो उन्होंने देखा कि उन का कण्ठा गिर गया है। कण्ठा खोजने के लिए वे फिर उधर चली गईं। वे दूर पर ही थी कि क़ाफ़िले ने मदीना के लिए कूच कर दिया। उनका हौदा उठाने वाला ऊंट काफिले के साथ था। अतएव किसी ने यह खयाल नहीं किया कि वे पीछे रह गई हैं। कहारों ने यह समझकर कि वे भीतर बैठी हैं, हौदा ऊंट पर लाद दिया। आयशा समझती हैं–"उस जमाने में औरतों का वजन हल्का होता था। वे बहुत कम खाती थीं, इसलिए उनकी देह पर मांस नहीं चढ़ पाता था। अतएव मेरे हौदे को ऊंट पर लादते समय कहारों ने वजन की और ध्यान नहीं दिया।"

आयशा अपना कण्ठा ढूंढ कर जब पड़ाव पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि काफ़िला कूच कर चुका है। अतएव यह सोच कर कि भूल मालूम होने पर वे लोग उन्हें लेने के लिए लौटेंगे, वे बैठ कर बाट जोहने लगीं और उसी जगह पर सो गई। वे कहती हैं–"मैं नींद के वशीभूत थी और सो गई।" तब सफवान बिन मुअत्तल सुलमी जकवानी नाम के एक नौजवान सैनिक ने उन्हें देखा। वह भी किसी कारण से पिछड़ गया था। उसने उन्हें पहचान लिया और उन्हें साथ ले चला। आयशा कहती हैं–"अल्लाह की क़सम ! उसने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा, और मैंने उसके मुंह से इन्न लिल्लाही (इन्नलिल्लाही वैन्ना इलैही राजिऊन, 'हम सब अल्लाह के हैं और हमें उस के पास लौट जाना है') के सिवाय एक शब्द भी सुना, और मैंने अपने दुपट्ठे से अपना सिर ढक लिया। उसने अपना ऊंट बैठाया और मैं ऊंट पर सवार हो गई...और जिस ऊंट पर मैं सवार थी उसकी नकेल थाम कर वह आगे-आगे चल पड़ा।"

आयशा और सफ़वान सब लोगों के सामने एक साथ पहुंचे। इस कारण कानाफूसी होने लगी, जिसने शीघ्र ही अपवाद का रूप धारण कर लिया। कानाफूसी में रस लेने वाले केवल वे लोग ही नहीं थे जो मुहम्मद को कम मानते थे, जैसाकि अब्दुल्ला बिन उबय्य जो औफ़ कबीले की खज़रज शाखा के मुखिया और मदीना के प्रमुख नागरिक थे किन्तु जो मुहम्मद को संशय की दृष्टि से देखने लगे थे। कानाफूसी करने वालों में मुहम्मद के समर्थक भी थे, जैसे कि हस्सान नाम का कवि, हम्ना जो जहश की बेटी तथा मुहम्मद की बीवी, जैनब की बहिन थी, और मिस्ताह जो आयशा के पिता अबू बकर का रिश्तेदार तथा आश्रित था।

मुहम्मद बहुत परेशान हो उठे। शायद उनको शुबा भी हो गया था। वे आयशा के प्रति उदासीन हो चले। बात यहां तक बिगड़ी कि आयशा ने अपने पिता के घर चले जाने की इजाज़त मांगी। इजाजत दे दी गयी। आयशा की मां ने धीरज बंधाने के लिए बेटी से कहा–"अल्लाह की क़सम ! यदि कोई औरत सुन्दर हो और उसका पति उसे प्यार करे और उसकी सौते हों तो वे उसके बारे में बहुत सी बातें कहती हैं।"

मुहम्मद ने अपने कुटुम्बियों से सलाह की, विशेषतया अली और उसामा बिन जैद से। उसामा ने कहा–"अल्लाह के रसूल ! वे तुम्हारी बीवियां हैं और हमने उनके बारे में नेकचलनी के सिवाय कुछ नहीं सुना।" अली ने मुहम्मद को सलाह दी कि वे आयशा को तलाक दे दें–"बीवियों के बारे में अल्लाह ने आपके रास्ते में कोई बड़ी रुकावट नही रखी। उसके सिवाय और भी बहुत औरतें हैं।" अली ने यह सुझाव भी दिया की नौकरानी से पूछताछ की जाए। बरीरां नाम की नौकरानी को बुलाया गया। अली ने पीटा और खबरदार किया कि वह सच बोले (इससे पता चलता है कि पैग़म्बर के परिवार वालों के तौर-तरीके उजड्ड थे और काफिरों की तुलना में बेहतर बिल्कुल नहीं थे)। बरीरा इस घटना के बारे में तो कुछ नहीं कह सकी। किन्तु उसने यह बतलाया कि "वे आटा गूंदते-गूंदते सो जाती हैं और बकरी आटा खा जाती है।" इसके सिवाय उसने आयशा में और कोई दोष कभी नहीं देखा था।

इस प्रकार एक महीना बीत गया। मुहम्मद ने मिम्बर पर चढ़कर, अफ़वाहबाजी के लिए, अपने अनुयायियों को फटकारा। उन्होंने फरियाद की–"उस व्यक्ति द्वारा लगाए गए लांछनों से मुझे कौन बचाएगा जिसने मेरे परिवार को लेकर मुझे परेशान कर रखा है ? (क्या उनका संकेत अब्दुल्ला बिन उबय्य की ओर था अथवा ख़जरज क़बीले के ही हस्सान नामक कवि की ओर ?) अल्लाह की क़सम ! मैंने अपनी बीवी में नेकी के सिवाय और कुछ नहीं देखा।" यह सुन कर साद बिन मुआज़ और उसैद बिन हुजैर के दिल दर्द से भर उठे। वे दोनों उठ खड़े हुए और कहने लगे कि पैग़म्बर यदि चाहें तो वे दोषी को दण्ड देंगे। औस कबीले के मुखिया साद बिन मुआज़ ने मुहम्मद से कहा–"मैं आप की इज्जत की रक्षा करना चाहता हूं...यदि वह (दोषी) हमारे खज़रज भाइयों में से है तो आप हुक्म कीजिए और हम आप का हुक्म बजा लाएँगे।" तब मुआज़ तथा खज़रज के मुखिया, साद बिन उबादा, के बीच विवाद उठ खड़ा हुआ। किन्तु मुहम्मद ने उस समय उन्हें शान्त कर दिया।

इसके बाद मुहम्मद अबू बकर के घर पहुंचे। वे मामले को तय करना चाहते थे। उन्होंने आयशा से फिर कहा कि यदि आयशा ने कोई ग़लत काम किया है तो वे स्वीकार कर लें। वे आयशा से बोले–"आयशा ! तुम्हारे बार में मैंने यह सब सुना है और यदि तुम निर्दोष हो तो स्वयं अल्लाह तुम्हारी मानरक्षा करेगा और यदि संयोगवश तुम से कोई चूक हो गई है तो अल्लाह से माफी मांग लो।" किन्तु आयशा आग्रह करती रही कि वे निर्दोष हैं।

और उसी समय एक इलहाम मुहम्मद पर उतर आया। इलहाम ने आयशा को निर्दोष सिद्ध किया। स्वयं आयशा को इलहाम ने अत्यन्त चकित कर दिया।

आयशा बयान करती हैं–"मैं निर्दोष थी। किन्तु मैं अपने-आपको बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं मानती थी, इसीलिए मैंने आशा नहीं की थी कि अल्लाह मेरे मामले में वही मतलू (कुरान की आयत) उतारेगा...मैं तो सोचती थी कि अल्लाह सपने में अपने रसूल को मेरी निर्दोषता का संकेत दे देगा।"

वही की अवस्था से बाहर निकल कर मुहम्मद ने खबर सुनाई–"आयशा ! तुम्हारे लिए खुशखबरी है। वस्तुतः अल्लाह ने तुम्हारी मानरक्षा की है।" सब लोग खुश हुए। आयशा की मां चाहती थी कि आयशा उठ कर पैग़म्बर को धन्यवाद दें। किन्तु आयशा ने इनकार कर दिया। वे बोली–"मैं इनको नहीं बल्कि अल्लाह को धन्यवाद दूंगी और प्रशंसित करूंगी जिसने मेरी मानरक्षा के लिए इलहाम उतारा" (6673)।

अल्लाह ने इलहाम उतार कर केवल आयशा की निर्दोषता ही नहीं सिद्ध की अपितु उन लोगों को दण्ड देने का भी आदेश दिया जिन्होंने एक नेक औरत के विरुद्ध निराधार अपवाद फैलाया था। "जो लोग नेक औरतों पर दोष लगाते हैं और अपने अभियोगों के समर्थन में चार साक्षी पेश नहीं करते उन को अस्सी कोड़ों की मार मारो, और उनकी गवाही को सदा के लिए रदद कर दो, क्योंकि ऐसे लोग दुष्ट अतिचारी है" (कुरान 24/4)। इलहाम ने उन मुसलमानों को भी फटकारा जिन्होंने अपवाद पर अपने कान दिए थे। "और मोमिनों ने, जिन में मर्द और औरतें दोनों हैं, क्यों नहीं उसी समय बात को अपने मनों में संवारा जिस समय उन्होंने यह पहले-पहल सुनी और (क्यों नहीं) कहा कि बात बिल्कुल झूठी हैं ? और, वे इस बात के समर्थन में चार साक्षी क्यों नहीं लाए ? जब वे साक्षी नहीं ला पाए तो अल्लाह की नज़रों में ऐसे लोग अपने-आप झूठे बन गए" (कुरान 24/12-13; 24/16 भी देखिए)

अल्लाह के आदेश का पालन किया गया। हस्सान नाम के कवि, अबू बकर, के रिश्तेदार मिस्ताह और यहां तक हम्ना को भी, जो मुहम्मद की मुहलगी बीवी जैनब की बहिन थी, अस्सी कोड़े लगाए गए। जैनब ने अपवाद फैलाने में अपनी बहिन का साथ नहीं दिया था, यद्यपि आयशा कहती थी कि "वह (जैनब) ही पैग़म्बर की बीवियों में से एकमात्र महिला थी जो उस (आयशा) के साथ स्पर्धा करती थी" (6673)।

किन्तु केवल दण्ड ही नहीं दिए गए। लोगों को चुप करने के लिए दण्डों के साथ पुरस्कार भी यथायोग्य मात्रा में मिलाए गए। मदीना के समीप बीर हा नाम का एक आलीशान महल था। वह हस्सान नाम के कवि को दिया गया। मुहम्मद ने हस्सान को शीरी नाम की एक बांदी भी बख़्शी। वह कॉप्टिक वंश की उन दो बहिनों में से एक थी जिन्हे मिस्र के हाकिम ने भेट में भेजा था। मैरी

नाम की दूसरी बहिन को मुहम्मद ने अपने हरम में रख लिया था। फलस्वरूप यह कवि जो अभी तक सफ़वान की हिजो लिखता रहा था, अब आयशा की शुचिता, कमनीयता तथा शालीनता की प्रशंसा में काव्य रचने लगा। आयशा ने भी उसे माफ़ कर दिया। "आयशा को यह पसन्द नहीं था कि उनके सामने हस्सान की भर्त्सना की जाए और वे कहा करती थी कि यह (हस्सान) वही है जिसने यह कविता भी लिखी है—वस्तुतः मेरी मां और मेरा बाप मुहम्मद की मानरक्षा के लिए कुरबान जाएं" (6674)।[1]

इस घटना के बाद अबू बकर अपने दरिद्र रिश्तेदार, मिस्ताह, की मदद करने से हाथ हटाना चाहते थे। आयशा के शब्दों में, "अबू बकर मिस्ताह को दरिद्र देखकर, रिश्तेदार होने के नाते, मदद दिया करते थे, और उन्होंने कहा—अल्लाह की कसम ! मैं अब उसके ऊपर कुछ खर्च नहीं करूंगा।" किन्तु अल्लाह की ओर से आए एक विशेष इलहाम ने मिस्ताह को मुसीबत से बचा लिया। "तुम लोगों में से जो लोग शालीनता से युक्त हैं और जिनके पास साधनों की प्रचुरता है, उन लोगों को क़सम खाकर अपने ऐसे रिश्तेदारों की मदद करने से मुह नहीं मोड़ना चाहिए जो जरूरतमन्द हैं और जिन्होंने अल्लाह के लिए अपने घरबार छोड़ा है" (कुरान 24/22)।

सफ़वान इस कहानी का नायक पुरुष था। हस्सान ने एक उसकी हिजो में एक कविता लिखी थी। बदले में सफ़वान ने हस्सान को तलवार से घायल कर दिया था।[2] हस्सान के रिश्तेदारों ने सफ़वान को पकड़ लिया और मुहम्मद का भी कहना न मानकर उसे तब तक बन्दी बनाए रखा जब तक हस्सान का घाव न भर गया। सफ़वान ने अपवाद का डट कर विरोध किया। आयशा के अनुसार उस ने कहा—"अल्लाह पाक है। उस एक (अल्लाह) की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है ! मैंने कभी किसी औरत को नंगा नहीं किया।" आयशा आगे बतलाती हैं—"फिर वह अल्लाह की सेवा में शहीद हो गया" (6674-6675)। इब्न इसहाक़ एक अन्य हदीस का हवाला देते हैं, जिसके अनुसार आयशा ने यह भी कहा कि लोगों की जानकारी में सफ़वान "नामर्द था।"[3]

यद्यपि अल्लाह ने इस प्रसंग-विशेष में आयशा की मार्जना कर दी, पर वह पैग़म्बर की सारी बीवियों को डांट पिलाए बिना नहीं रहा। "पैग़म्बर की बीवियों ! यदि तुम में से कोई अशोभनीय आचरण की अपराधिनी है तो तुम्हारी सजा दुगनी कर दी जाएगी। और अल्लाह के लिए यह आसान है।" परदे की प्रथा को और भी सख्त कर दिया गया। अल्लाह ने कहा—"चुपचाप अपने घरों में रहो, और (अपनें रूप का) चौधियाने वाला प्रदर्शन मत करो, जैसाकि पहले जहालत के ज़माने में किया जाता था" (कुरान 33/30, 33)।

इस घटना के बाद मुहम्मद ने भी अपनी गृहस्थी के विषय में अधिक चौकसी बरती। उदाहरण के लिए, जब वे ताबूक़ की चढ़ाई पर चले तो उन्होंने अली को पीछे छोड़ दिया ताकि वे (अली) उनकी गृहस्थी पर नजर रखे। इसके सिवाय हम देखते हैं कि इस मामले के बाद आयशा फिर किसी चढ़ाई पर पैग़म्बर के साथ नहीं जाती। यह स्पष्ट है कि परवर्ती चढ़ाइयों में उम्म सलमा, आयशा के स्थान पर, पैग़म्बर के साथ जाने लगी।

व्यभिचार के मुक़दमों में चार साक्षियों की मांग होने के कारण इस्लामी अदालतों में ऐसे अभियोगों को सिद्ध करना कठिन हो गया।

✣✣✣

1. सीरत रसूल—अल्लाह पृष्ठ 498-499।

2. सफवान ने गीत गाया था—"यह तुम मेरी तलवार की धार देखो/जब तुम मेरे समान एक पुरुष की हिजो करते हो, तो बदले में कविता नहीं कही जाती।" (सीरत रसूल-अल्लाह, पृष्ठ 498)।

3. सीरत रसूल—अल्लाह पृष्ठ 499

18

पश्चात्ताप 2

(काब्र बिन मालिक द्वारा आत्मनिन्दा)

"पश्चात्ताप की किताब" को हम जारी रख रहे हैं। इसमें एक लम्बी हदीस है जिसका शीर्षक है "काब बिन मालिक की आत्मनिन्दा"। 'सही मुस्लिम' में यह सबसे लम्बी हदीस है। मनोविज्ञान की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज ही मानी जाएगी। स्थानाभाव के कारण यहां हम इसे पूरी की पूरी उद्धृत नहीं कर सकते। न ही इस की भरपूर समीक्षा कर सकते हैं। पाठक इसे पढ़ेंगे और इस पर गम्भीर विचार करेंगे तो अच्छा रहेगा। कम्युनिस्ट देशों में "अपने कसूरों को स्वीकार करने" और "आत्मनिन्दा करने" की जो गर्हित प्रणाली पाई जाती है उसके साथ इस हदीस में कही गई कहानी का शिक्षाप्रद साम्य है। नेता के प्रति वफ़ादारी जताने के लिए जो नाटकीय प्रदर्शन किए जाते हैं वे सब इसमें शामिल हैं। इस के सिवाय समझदार पाठक के लिए इस में पर्याप्त जानकारी है कि उम्मा अथवा पार्टी के सदस्यों को किस प्रकार एक जुट और अनुशासन में रखा जाता है।

कुछ विद्वान तथा प्रचारक हमें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मुहम्मद के जीवनकाल में इस्लाम का मर्म था एक ऐसी पंथमीमांसा जो बुतपरस्त और अन्धविश्वासी बहुदेववाद के विरुद्ध एक तथाकथित् उच्चकोटि के एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करती थी। किन्तु इस प्रचार में कोई सार नहीं। अकेले एकेश्वरवाद को लें तो भी उस में वैसी कोई श्रेष्ठता नहीं मिलती जैसीकि मतान्ध लोग उस पर थोपते रहते हैं।[1] फिर पैग़म्बर का एकेश्वरवाद तो अध्यात्म की दृष्टि से विशेषतया थोथा और बर्बर था। इस के सिवाय इस एकेश्वरवाद के साथ शुरू से ही दूसरे प्रकार की और नितान्त लौकिक प्रेरणाएं जुड़ी हुई थीं। मुहम्मद, दण्ड और पुरस्कार, दोनों से काम लेते थे। वे वफ़ादारी के लिए पुरस्कार देते थे जो लड़ाई में लूटे गए माल का एक हिस्सा होता था। और मन्दोत्साह तथा उदासीन तथा निष्ठाहीन लोगों को वे उन के अपराध की कोटि के अनुसार कई

1. इस विषय पर विशद चर्चा के लिए देखिए हमारी पुस्तक, 'दी वर्ड ऐज रैवेलेशन', कम्पैक्स इण्डिया, नई दिल्ली।

प्रकार के दृष्टिगोचर दण्ड देते थे। वे लोगों के मनों में भरे लोभ ओर भय, दोनों से अपना काम निकालना जानते थे।

मतत्याग का दण्ड बहुत कठोर दिया जाता था। साधारणतया तो फ़ैसला सीधी तलवार से ही हो जाता था। किन्तु बहुत बार जटिल प्रकार के मनोवैज्ञानिक दबाव से भी काम लिया जाता था। सामाजिक संगठन और राजनैतिक तथा वैचारिक अनुगमन को सामाजिक बहिष्कार, राजनैतिक विच्छेद और वैचारिक अस्पृश्यता के बल पर सिद्ध किया जाता था। जहन्नुम की ज्वाला का आतंक तो सुदूर भविष्य का आतंक था। किन्तु (मुहम्मद के पास रहने वाले) मुस्टण्डों का आतंक, सरदार के नाराज होने का आतंक, उम्मा के गुण्डों अथवा पार्टी के दादाओं का आतंक, सदा सिर पर मण्डराता रहता था। पैगम्बर को नाराज करने का मतलब केवल अल्लाह को नाराज करना ही नहीं था। अल्लाह की नाराज़गी से पार पाया जा सकता था। किन्तु पैग़म्बर क नाराज़ होने पर उमर, ताल्हा, अली, ज़ुबैर, साद और अब्दुल्ला भी नाराज़ हो जाते थे। ये लोग पैग़म्बर के पहलवान और जल्लाद थे। इनको नाराज करके त्राण पाना कठिन था। इसके सिवाय सालिम बिन उमयार, मुहम्मद इब्न मस्लमा, मुहैयसा, अब्दुल्ला इब्न औनैस के दल[1], तथा अम्र इब्न ओमेया इत्यादि छलघातकों के छुरों के प्रति भी सतर्क रहना पड़ता था।

यदि कोई व्यक्ति पैग़म्बर के कोप का भाजन बन जाता था तो उसे ठोस दण्ड तो भुगतना पड़ता ही था। वह व्यापक रूप से सामाजिक बहिष्कार का भाजन भी बन जाता था। यह बहिष्कार किसी को भी होश में लाने के लिए काफी होता था। अपने ही रिश्तेदार और घनिष्ठतम मित्र पीठ फेर लेते थे। भला कयों ? क्योंकि उनके लिए अपने-आप को बचाने का यही एक रास्ता रह जाता था। किसी अन्य समय आपने भी यह रास्ता चुना था अर्थात अपने रिश्तेदारों ओर मित्रों से मुख मोड़ा था। अब दूसरों की बारी आने पर वे भी उसी रास्ते चले अर्थात आपको भुला बैठे।

पारखी पाठक देख लेंगे कि इस हदीस में जो वातावरण मिलता है। उसका आज के कम्युनिस्ट देशों में मिलने वाले और जाने-माने (कुछ ही अधिक जाने-माने) वातावरण के साथ कितना सादृश्य है। किन्तु हदीस से उदाहरण देने के पूर्व हम पृष्ठभूमि के रूप में कुछ जानकारी प्रस्तुत किए देते हैं।

1. उसने गीत गाया था–"पैगम्बर ने जब भी किसी काफिर को याद किया/मैंने उस काफिर को अपनी जबान और अपने हाथ से धर दबाने में पहल की।" (सीरत रसूल–अल्लाह पृष्ठ 789)।

ताबूक की चढ़ाई

ईसवी सन् 630 की शरद ऋतु के लिए मुहम्मद ने एक चढ़ाई की योजना बनाई थी। यह उन के जीवन की सब से बड़ी चढ़ाई थी। अन्तिम चढ़ाई भी, क्योंकि इसके कुछ ही दिन बाद वे चल बसे थे। दूसरी चढ़ाइयों की योजना बनाते समय मुहम्मद चढ़ाई के समय और आक्रमण के स्थान को गुप्त रखते थे जिससे कि अकस्मात आक्रमण करके पूरा फायदा उठाया जा सके। कई बार ऐसा हुआ था कि जब उन्हें दक्षिण में चोट करनी थी, तो वे उत्तर की ओर चले थे और फिर सहसा लौटकर उन्होंने पूर्व-नियोजित आक्रमण किया था। किन्तु ताबूक की चढ़ाई लम्बी चलने वाली चढ़ाई थी। शत्रु का स्थान बहुत दूर (500 मील) था, और मौसम खुश्क और गरम था। अतएव इस बार मुहम्मद ने पहले ही अपने अनुयायियों को गन्तव्य स्थान के विषय में सावधान कर दिया ताकि वे लोग यथायोग्य तैयारी कर सकें। चढ़ाई उन्हें अरब के सीमान्त तक ले जाने वाली थी और रोम के साम्राज्य द्वारा उस सीमान्त पर तैनात सेनाओं के साथ भी झड़पें हो सकती थीं। इस प्रकार असाधारण रूप से दुष्कर होने के कारण ताबूक की चढ़ाई को "मुश्किलों की चढ़ाई" भी कहा गया।

मुहम्मद जब अपने जीवन की सबसे बड़ी चढ़ाई के लिए तैयार हो रहे थे, तो उन्होंने अपने समर्थकों, सन्धिबद्ध मित्रों और बद्दुओं को बड़ी संख्या में इकट्ठा होने का निमन्त्रण दिया। उन्होंने उन क़बीलों से ज़कात उगाही जिनक़ों वे अपना मातहत बना चुके थे। और उन्होंने अपने उन अनुयायियों से दान देने और उपहार भेजने का अनुरोध किया जो अब अमीर और बलशाली बन चुके थे। वे लोग अब सूबेदार, सेनापति, ठेकेदार तथा व्यापारी कहलाते थे। उन लोगों ने दिल खोलकर धन दिया। मुहम्मद के दामाद, उस्मान, ने एक हजार दीनार भेंट किए, जो बहुत बड़ी रकम थी। उस धन को दरिद्र सैनिकों के लिए घोड़े खरीदने पर खर्च किया गया। फिर भी धन की कमी के कारण बहुत से लोगों को वापिस लौटाना पड़ा। यद्यपि वे लोग वापिस लौटाए गए, किन्तु उनकी भावना को प्रशंसनीय कहा गया। यहां तक कि उनके विषय में एक आयत भी उतर आई। "उन लोगों पर दोष नहीं लगाया जा सकता जो तेरे पास सवारियां पाने की आशा से आए और जो उस समय आंसूभरी आंखे लेकर लौट गए जब तूने उन से कहा—मेरे पास तुम्हारे लिए सवारियां नहीं हैं" (कुरान 9/92)। इस्लाम के इतिहास में आगे चल कर इन लोगों का स्मरण, इनको "रोने वाले" कह कर, आदर के साथ किया गया।.

मुहम्मद ने मुस्लिम संसार के सभी लोगों का आह्वान किया था। इस संसार में अब, भले ही नाम के लिए ही हो फिर भी, सारा अरब शामिल था। उन का

आह्वान अल्लाह का अपना आह्वान था—"तुम सब आगे बढ़ो, चाहे तुम्हारी सज्जा हल्की हो चाहे भारी, और अपने माल तथा अपनी जान के साथ अल्लाह के रास्ते पर जिहाद तथा संघर्ष करो। यदि तुम समझ सकते हो तो तुम्हारे लिए यही श्रेष्ठ है" (कुरान 9/41)।

चढ़ाई का विरोध

आह्वान के प्रति अनेक लोग मन्दोत्साही रहे। वे लोग इस प्रकार की दुष्कर और जोखिम से भरी यात्रा पर ऐसे गरम मौसम में जाना नहीं चाहते थे। अतएव उन्होंने न जाने के लिए अनेक बहाने बनाए। आगे चल कर अल्लाह ने ऐसे लोगों के विषय में कुरान की कई आयतें उतारीं—"जो लोग (ताबूक की चढ़ाई में) पीछे रह गए उन्होंने पैग़म्बर की पीठ पीछे अपनी अकर्मण्यता को सराहा। वे लोग अपने माल तथा अपनी जान को अल्लाह की राह में जिहाद करने और लड़ने के लिए लगाने से मुख मोड़ रहे थे। उन्होंने कहा—गर्मी में बाहर मत निकलो। ऐ मुहमद ! उन लोगों से कहो कि जहन्नुम की आग की गर्मी और भी तेज़ है। शायद वे समझ जाएं" (9/81)।

इस प्रसंग में सब से बड़े अपराधी थे रेगिस्तान में रहने वाले अरब तथा मदीना के पड़ौस में बसने वाले लोग। कुरान में अल्लाह ने दानों को कोसा—"रेगिस्तान में रहने वाले अरब सबसे बड़े बेईमान और मक्कार हैं" (9/971)। और इसके बाद अल्लाह ने, अपने पैग़म्बर को यों सावधान किया—"तेरे आस-पास के कुछ अरब मक्कार हैं...वे मक्कारी करने पर तुले हुए हैं। तुम उनको नहीं जानते, किन्तु हम उन्हें जानते हैं। उनको हम दोहरा दण्ड देंगे, और इसके सिवाय उनको सख़्त सजा पाने के लिए पठाया जाएगा" (9/101)। इन अरबों को भरती से छुटकारा नहीं मिला और इन को कूच करने के लिए विवश किया गया।

किन्तु मदीना में ही, पैग़म्बर की नाक के नीचे, अंसार लोग विरोध कर रहे थे। मदीना के अनेक निवासियों ने बहुत से बहाने बनाए। अल्लाह ने मुहम्मद से कहा—"यदि लूट का माल तुरन्त मिलता दिखाई देता और यात्रा सुकर होती तो ये लोग बेशक तेरे पीछे हो लेते" (9/41)।

पैग़म्बर ने इन हिचकने वालों को चेतावनी दी—"यदि तुम कूच नहीं करते तो अल्लाह तुम्हें सख्त सजा देगा—और तुम्हारी जगह औरों को तैनात करेगा। किन्तु तुम लोग अल्लाह का जरा-सा नुकसान भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि अल्लाह सबसे जबर्दस्त हैं" (9/39)।

किन्तु मुहम्मद ने मामला अल्लाह की धमकियों पर ही नहीं छोड़ा। उन्होंने लौकिक उपाय भी अपनाए। उदाहरण के लिए, इब्न हिशाम द्वारा लिखी गई मुहम्मद की जीवनी में हमें एक बयान मिलता है। मुहम्मद को जब यह मालूम हुआ कि चढ़ाई का विरोध करने वाले कुछ लोग सुवैलिम नाम के यहूदी के घर सभा कर रहे हैं तो उन्होंने ताल्हा को दस आदमियों के साथ यह आदेश देकर भेजा कि उस घर को जला दो। तरीक़ा बहुत कारगर रहा। घिरे हुए लोगों में से अल-दहहाक नाम के एक व्यक्ति ने गीत गाया—"आपको मेरा सलाम, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा मैं भयभीत हूं, आग जिसे घेरती है, उसे जला देती है।"[1]

विशाल सेना का जोड़ना

यद्यपि बहुत से लोग अभी भी अनमने थे, फिर भी आखिरकार एक विशाल सेना जुड़ गई जिसने मदीना के आसपास पड़ाव डाला। कई-एक अहादीस के अनुसार, जो लोग इकट्ठे हुए किन्तु पीछे रह गए उनकी संख्या उतनी ही थी जितनी कि उन लोगों की जिन्होंने कूच किया। कुरान में अब्दुल्ला इब्न उवय्य को "बेईमानों" और "मक्कारों" का नेता कहा गया है। वह एक बड़ी सेना साथ लेकर हाज़िर हुआ। किन्तु अन्ततः वह चढ़ाई पर नहीं गया। शायद उस का बुढ़ापा इसका कारण था (वह कुछ ही महीनों बाद मर गया) अंसारों की संख्या भी (सेना में) बहुत नहीं थी। कई-एक अहादीस के अनुसार, चढ़ाई पर तीस हजार सैनिक गए, जिनमें एक-तिहाई घुड़सवार थे।

अली को मुहम्मद की बीवियों के बीच व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सम्भवतः मदीना हिफ़ाजत के लिए भी पीछे छोड़ दिया गया। किन्तु कुछ लोगों ने कानाफूसी की कि उनको इस लिए पीछे छोड़ा गया है कि वे चढ़ाई में मदद करने की बजाय बोझ बन जाते। अली को ताव आ गया और वे बख़्तर पहन कर मुहम्मद के पास पहुंचे। मुहमद ने उनको यह कह कर शान्त किया—"वे लोग झूठ बोल रहे हैं। मैंने तुम्हें उस के लिए पीछे छोड़ा है जिसको मैं पीछे छोड़े जा रहा हूं। तो तुम जाओ और मेरे तथा अपने परिवार में मेरे प्रतिनिधि बनो। ऐ अली ! क्या तुम इस बात से सन्तुष्ट नहीं हो कि मेरे और तुम्हारे बीच वही नाता है जो मूसा और हारूं के बीच था ?" अली की दिलजमइ हो गई।

कई ईसाई तथा यहूदी कबीलों द्वारा अधीनता स्वीकार

सेना जब गन्तव्य स्थान पर पहुंची तो देखा गया कि वहां कुछ विशेष करने को नहीं था, क्योंकि रूम की जिस सेना का जमाव सीमान्त पर सुना गया था। वह कहीं दिखाई नहीं दी। मुहम्मद ताबूक में दस दिन ठहरे। समय काटने के

1. सीरत रसूल—अल्लाह पृष्ठ 783

लिए उन्होंने तीन यहूदी बस्तियों और दो ईसाई राजाओं का समर्पण स्वीकार किया। इतनी विशाल सेना के बल पर उनसे समर्पण करवाना आसान रहा। ऐला के ईसाई राजा, युहन्ना बिन रूबा; को उन्होंने लिखा—"सलाम आलेकुम ! तुम्हारे लिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूं...मैं यह पत्र लिखने के लिए पहले तुम्हारे खिलाफ नहीं लडूंगा। या तो ईमान लाओ या खराज दो। और अल्लाह तथा उसके रसूल तथा रसूल के दूतों की आज्ञा का पालन करो। दूतों का सम्मान करों और उन्हें श्रेष्ठ पोशाक पहिनाओ...जैद को विशेषतया श्रेष्ठ पोशाक पहिनाओ. किन्तु यदि तुमने मेरे दूतों का विरोध किया और उनको नाराज़ किया तो मैं उस समय तक तुम्हारा कोई तोहफ़ा स्वीकार नहीं करूंगा जब तक मैं तुम्हारे साथ लड़ न लूं और तुम्हारे बच्चों को क़ैद न कर लूं और तुम्हारे बड़े-बूढ़ों को कत्ल न कर दूं। क्योंकि मैं सचमुच अल्लाह का रसूल हूं।" राजा ने तुरन्त अधीनता स्वीकार कर ली और वह खराजगुजार बन गया।

काब का कथन

मुहम्मद जब मदीना लौटे तो वे तय कर चुके थे कि जो लोग उन के साथ जाने से मुकर गए थे उनकी पूरी तरह खबर ली जाएगी। पीछे रह जाने वाले अनेक लोगों में तीन अंसार थे जो अभी तक मुहमद के वफादार अनुयायी रहे थे—मुरारा, हिलाल तथा काब, जो इस अध्याय का विषय है। काब कवि था। उसने ताबूक की चढ़ाई में शामिल न हो पाने के लिए पश्चात्ताप व्यक्त किया। उसने कहा—"मैंने ताबूक की चढ़ाई तथा बदर की लड़ाई को छोड़कर किसी भी अभियान में अल्लाह के रसूल का साथ नहीं छोड़ा। जहां तक बदर की लड़ाई का सवाल है, किसी को भी पीछे रह जाने के लिए दोष नहीं दिया गया, क्योंकि अल्लाह के रसूल और मुसलमान हमला करने के लिए नहीं बल्कि कुरैश का कारवां पकड़ने के लिए निकले थे। यह अल्लाह की मरज़ी थी कि उन (मुसलमानों) की ओर से लड़ाई का इरादा न रहते हुए भी (अल्लाह ने) उनका सामना दुश्मन से करा दिया।"

पैग़म्बर के प्रति अपनी वफ़ादारी का दम भरते हुए काब ने कहा—"अकाबा की उस रात को जब हमने इस्लाम लाने की प्रतिज्ञा की थी, मुझे अल्लाह के पैग़म्बर के पास बैठने का गौरव प्राप्त हुआ था, और वह (अवसर) मेरे लिए बदर की लड़ाई में हिस्सा लेने से बढ़कर था।"[1] काब हमें बतलाता है कि ताबूक की चढ़ाई करते समय "पाक पैग़म्बर का इरादा था कि अरब तथा स्याम (सीरिया)

1. यहां आशय जकाबा की दूसरी प्रतिज्ञा से है। अकाब मक्का में मीना के निकट एक स्थान था जहां ईसवी सन् 620 में मदीना के तिहत्तर पुरुषों तथा दो स्त्रियों ने मुहम्मद को शरण देने तथा उनका परित्राण करने की प्रतिज्ञा की थी।

तथा रूम के ईसाइयों को चुनौती दें।" वह कहता है कि चढ़ाई बड़े पैमाने पर थी जिसमें "दस हजार से अधिक लोग शामिल थे।" वह यह भी बतलाता है कि "अल्लाह के पैगम्बर जब चढ़ाई पर जाते थे तो इसे भेद की बात बना कर रखते थे।" किन्तु यह चढ़ाई दूसरे प्रकार की थी। "अल्लाह के पैग़म्बर ने इस चढाई के लिए अत्यन्त गरम मौसम में कूच किया। सफर लम्बा था और प्रदेश (जिसे सेना को पार करना था) निर्जल था, और उनका सामना एक विशाल सेना से होना था। अतएव उन्होंने मुसलमानों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया, ताकि वे लोग चढ़ाई के लिए यथायोग्य तैयारी कर लें।"

काब के पीछे रह जाने का कोई बहाना नहीं था। न उम्र का, न सेहत का, न सम्बल का। "मेरे पास इतना पर्याप्त सम्बल पहले कभी नहीं था, और मेरी स्थिति इतनी अनुकूल कभी नहीं थी जितनी कि इस मौके पर...इस चढाई के पूर्व मेरे पास कभी सवारी करने के लिए एक-साथ दो घोड़े नही थे।" यद्यपि वह (चढ़ाई में) हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह समर्थ था, फिर भी वह तैयार होने में टालमटोल करता रहा। तब एक दिन सहसा उसे मालूम हुआ कि पैगम्बर प्रस्थान कर गए हैं, और वह सहम उठा। वह बतलाता है—"मैं यह देख कर हक्का-बक्का रह गया कि (पीछे रह जाने वालों में) मेरे जैसा कोई भी नहीं है। वही लोग (पीछे रहे) थे जो या तो मक्कार थे या जिन को असमर्थ होने के कारण अल्लाह ने छूट दे दी थी।"

अब वह भयभीत होकर मुहम्मद के लौटने की बाट जोहने लगा। "जब यह समाचार मेरे पास पहुंचा कि अल्लाह के रसूल ताबूक से लौट रहे हैं तो मैं बहुत परेशान हो उठा। मैंने झूठी कहानियां गढने की कोशिश की और अपने-आप से पूछता रहा कि कल के दिन प्रकट होने वाले क्रोध से मैं अपना त्राण कैसे कर पाऊंगा।" किन्तु बाद में उसने सच बोलने का फैसला किया। उसने अपने मन में कहा—"सच बोलने के सिवाय मेरे बचने का कोई और रास्ता नहीं है।"

अगले दिन मुहम्मद आ पहुंचे और "जो लोग पीछे रह गए थे उन्होंने बहाने सुनाने शुरू किए तथा उनके सामने कसमें खाई, और वे लोग (संख्या में) अस्सी से अधिक थे।" उनके बहाने तथा उनकी वफादारी को कबूल कर लिया गया। जब काब की बारी आई तो मुहम्मद ने उससे पूछा कि वह पीछे क्यों रह गया—क्या उस के पास सवारी नहीं थी ? किन्तु काब ने सच-सच कहा—"अल्लाह की कसम ! मेरे पास इतने अच्छे साधन कभी नहीं थे...जैसे कि उस समय जब मैं पीछे रह गया।" मुहम्मद ने यह कह कर उसे छोड़ दिया कि वह उस समय तक प्रतीक्षा करे जब तक "उसके मामले में अल्लाह फैसला नहीं सुनाता।" (कुरान के शब्दों में "कुछ दूसरे लोग हैं जो अल्लाह के आदेश की बाट जो रहे

हैं, (यह जानने के लिए) कि वह उन्हें सज़ा देगा या उन पर रहम करेगा" (9/106)।

बाद में काब के कुछ मित्र सहानुभूति के कारण उसके पास पहुंचे। दूसरे लोगों की तरह "बहाना बनाने में उसकी अक्षमता" की प्रशंसा मित्र लोग नहीं कर सके। उन्होंने उसे यह भी बतलाया कि दो अन्य "नेक" व्यक्तियों (मुरार बिन अर-रविया आमिरी और हिलाल बिन उमय्या अल-क़ाकिफ़ी) की "दशा भी उस जैसी ही है और उन्होंने वैसा ही वक्तव्य दिया है जैसा तुमने और उनके मामले में भी वैसा ही फैसला किया गया है।" यह सुन कर काब को कुछ राहत मिली।

काब का इम्तिहान

इसके बाद इम्तिहान शुरू हो गया। "अल्लाह के पैगम्बर ने मुसलमानों को हम तीनों के साथ बात करने से मना कर दिया...लोग हम से किनारा करने लगे, और हमारी ओर उनका रुख बदल गया, और ऐसा लगने लगा मानों सारा वातावरण हमारे प्रति विद्वेष से भर उठा है...इसी स्थिति में हम लोगों ने पचास रातें काटीं, और मेरे दोनो दोस्त अपने घरों में बन्द हो कर रह गए, और अपना अधिकतर समय आंसू बहा कर बिताने लगे।" काब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता रहा ताकि पैगम्बर की नजर उस पर पड़ जाए, किन्तु "उन्होंने मुझे देखा और जब मैंने उन की ओर देखा तो उन्होंने मेरी ओर से आंखे फेर लीं।"

काब के नजदीकी रिश्तेदारों तथा मित्रों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। वह बतलाता है—"जब मुसलमानो द्वारा मेरे प्रति किया गया कठोर व्यवहार लम्बे अरसे तक चलता रहा तो मैं पैदल चलकर अबू कुतादा के बाग की दीवार पर चढ़ गया। वह रिश्ते मे मेरा भाई था और मुझे उससे बहुत लगाव था। मैंने उसको सलाम किया किन्तु अल्लाह की कसम ! उसने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया।" काब ने बार-बार अल्लाह की दुहाई दी और बार-बार अल्लाह के पैगम्बर के प्रति अपने प्रेम की बात कही। किन्तु कुतादा "मौन रहा"।

काब जब इस प्रकार मानसिक यातना भोग रहा था तो गस्सान के राजा का एक पत्र उसे मिला। काब कहता हैं कि "मैं पढ़ा-लिखा था, इसलिए पत्र मैंने पढ़ लिया।" पत्र में लिखा था—"हमें यह समाचार मिला है कि तुम्हारा मित्र (मुहम्मद) तुम्हारे साथ क्रूर व्यवहार कर रहा है, और अल्लाह ने तुम्हें उस स्थान के लिए नहीं बनाया जहां तुम्हें नीचा दिखाया जाए और तुम्हें यथायोग्य सम्मान न मिले।" यह पत्र उसे बुरी तरह फंसा सकता था। "पत्र पढ़ कर मैंने कहा कि यह भी एक आफत है, इसलिए मैंने पत्र को जला डाला।"

इस प्रकार जब चालीस दिन बीत गए तो मुहम्मद का एक सन्देश काब के पास पहुंचा। "अल्लाह के रसूल ने आदेश दिया है कि तुम अपनी बीवी से दूर रहो।" काब ने सन्देशवाहक से पूछा—"क्या मैं उसे तलाक दे दूं ?" जवाब मिला—"नहीं, किन्तु उससे दूर रहो और उसके साथ मैथुन मत करो।" काब नौजवान था। इसलिए मुसीबत से बचने के लिए उसने अपनी बीवी को उसके मायके भेज दिया। ऐसा ही सन्देश अन्य दो जनों के पास भी पहुंचा। किन्तु हिलाल की बीवी ने पैगम्बर से अपने पति के पास रहने की इजाजत ले ली क्योंकि वह (हिलाल) "सठिया चुका था।" मुहम्मद ने उसकी बीवी से कहा—"किन्तु उसके पास मत जाना।" बीवी ने उत्तर दिया—"अल्लाह की कसम ! उसमें इस प्रकार की कोई प्रवृति नहीं बची। अल्लाह की कसम ! वह तो रोते-रोते अपने दिन काट रहा है।"

काब को माफ़ी मिली

अन्ततः बुरे दिन बीत गए। पचासवें दिन के प्रातःकाल "साल की पहाड़ी की चोटी पर से" एक उद्घोषक "ऊंची आवाज में यह कहता हुआ आया—काब बिन मालिक ! तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार है।" उस के लिए संसार में शुभ समाचार भला और क्या रहा था ? काब तुरन्त समझ गया। वह बतलाता है—"मैं सजदे में लम्बा लेट गया और मुझे लगा कि राहत मिल गई हैं।" और इसी बीच दूसरे दोस्त शुभ समाचार लेकर दौड़े आए। "असलम कबीले का एक आदमी घोडा दौड़ाता हुआ आया और उसका घोड़ा उसकी आवाज से पहले मेरे पास पहुंच गया।"

काब कृतज्ञता से भर कर मुहम्मद के पास गया और उन्होंने मुस्कराते मुख से उस का स्वागत किया। काब ने उन से यह इजाजत मांगी कि वह अपना सारा धन दान में दे दे। वह अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहता था कि उसे नया जीवन मिला। पैगम्बर ने उसे सलाह दी कि वह धन का एक हिस्सा अपने पास रख ले। काब ने आज्ञाकारी भाव से सलाह मानी। उस ने निवेदन किया—"खैबर की चढ़ाई के वक्त जो जायदाद मेरे हिस्से आई थी उसे मैं अपने पास रख लूंगा" (खैबर में मिली लूट बहुत बड़ी थी और उसने मुहम्मद तथा उनके साथियों को मालामाल कर दिया था) (6670-6672)।

इन तीन आदमियों ने किस प्रकार अपने-आप को अपमानित किया और फलस्वरूप किस प्रकार उन्हें अल्लाह से माफी मिली, इसका उल्लेख कुरान में इस प्रकार किया गया है—"अल्लाह ने उन तीनों पर रहम किया जो पीछे छूट गए थे। उन लोगों ने अपने अपराध को इतना महसूस किया कि धरती बहुत लम्बी-चौड़ी होने पर भी उनके लिए छोटी बन गई, और उनकी रूहें भी उनके

भीतर सिकुड़ कर रह गई। और उन्होंने देखा कि अल्लाह से परे भागने पर कहीं ठिकाना नहीं है और अल्लाह के सिवाय दूसरी शरण नहीं मिल सकती। तब अल्लाह ने उनका लिहाज किया ताकि वे तौबा कर सकें। क्योंकि अल्लाह आसानी से मान जाता है और मेहरबान है।"

स्थायी युद्ध

तब तक अरब प्रायःद्वीप मुहम्मद के अधीन हो चुका था। उनके अनुयायी सुख की सांस लेने लगे थे। वे अपने नए वैभव को चैन से भोगना चाहते थे। उनमें से कुछ लोगों ने तो यह कह कर अपने हथियार भी बेचने शुरू कर दिए थे कि "मजहबी युद्ध खत्म हो गए।" पैगम्बर के जीवनीकार अल—वाकिदी बतलाते हैं कि मुहम्मद ने जब यह सुना तो वे बोले—"मेरी मिल्लत में सच्चाई के लिए जिहाद करने वालों का एक दल कभी नहीं थमेगा, जब तक कि दज्जाल के प्रकट होने का दिन न आ पहुंचे।"[1]

पैगम्बर की बांदी की मार्जना

"तौबा की किताब" के अन्त में एक छोटी किन्तु दिलचस्प हदीस हैं। अनस बयान करता है—"एक आदमी पर अल्लाह के पैगम्बर की बांदी के साथ व्यभिचार करने का आरोप लगा। तब अल्लाह के रसूल ने अली से कहा—जाओ और उस की गर्दन मार दो। अली उस आदमी के पास गए और देखा कि वह एक कुएं में उतर कर अपने शरीर को शीतल कर रहा है। अली ने उससे कहा—बाहर निकलो। और ज्योंही उन्होंने उसका हाथ थामा और उसे बाहर निकाला त्योंही देखा कि उसका लिंग कटा हुआ है। हजरत अली ने उसकी गर्दन नहीं मारी। वे अल्लाह के रसूल के पास आकर बोले—अल्लाह के रसूल ! उसके पास तो मैथुन करने के लिए लिंग तक नहीं है" (6676)।

यह एक दिलचस्प हदीस है जो जितना बतलाती है उतना ही छुपाती है। जिस बांदी का जिक्र किया गया है वह और कोई नहीं बल्कि मुहम्मद की अपनी रखैल, कॉप्टिक जाति की मैरी थी। वह मुहम्मद के हरम में ईर्ष्या का केन्द्र बनी हुई थी। मुहम्मद की अन्य बीवियों ने उसको कभी अपने बराबर की नहीं माना था.। विशेषतया आयशा तथा हफ्जा ने, जो कुरैश के ऊंचे खानदानों की थीं। उस घटना का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं जिसने हरम में खलबली मचाई थी और अफवाहें उठाई थी। हरम में अमन तो हो गया था। किन्तु फिर कोई झंझट पैदा न हो, इसलिए मैरी को, मदीना के ऊपर अंचल में, दूर पर बने हुए

---

1. विलियम म्यूर, लाइफ आफ महोमेट, खण्ड 4, पृष्ठ 201; तवकात, जिल्द 1, पृष्ठ 505।

एक मकान में अलग से रख दिया गया था। लकड़ी और पानी जुटाने में उसकी मदद करने के लिए एक कॉप्टिक गुलाम तैनात था। किन्तु मुहम्मद की बीवियों ने यह अफ़वाह फैला कर बदला लिया कि वे दोनों मिस्र-वासी अनैतिक आचरण कर रहे हैं। मुहम्मद बेचैन हो गए। उन्हें ईर्ष्या भी हुई। और उन्होंने दण्ड देने के लिए अली को भेजा। (इस प्रसंग में चार साक्षी कहां गए ?)। अली जब तलवार हाथ में लेकर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुलाम वास्तव में एक हीजड़ा है। इस कारण उस गरीब की गर्दन बच गई।[1]

1. तारीख तबरी, जिल्द 1, 504।

19

मक्कार लोग (मुनाफ़िक़ीन)

छत्तीसवीं किताब "मक्कारों, उनके लक्षणों तथा उनके विषय में आदेशों" से सम्बन्धित (किताब सिफ़ात अल-मुनाफ़िक़ीन व अखामिहिम) है। यह एक छोटी किताब है जिसमें केवल इक्कीस अहादीस हैं। किन्तु यह कई प्रकार से महत्वपूर्ण है। कुरान में मक्कारों का उल्लेख बहुत बार (पच्चीस बार) हुआ है और उनके विषय में एक पूरा सूरा भी है जिसे सूरा मुनाफ़िक़ीन कहा जाता है। मुहम्मद मक्कारों को बार-बार जहन्नुम की धधकती ज्वाला का भय दिखलाते हैं। उनके बाद आने वाले कुरान के विद्वान, मक्कारों को जहन्नुम के सबसे गरम अंचल में भेजते हैं। अंचल का नाम है हावियाह, जो झुलस देने वाली आग से भरा हुआ एक अतल गढ़ा है। कुरान कहता है–"अल्लाह ने मक्कार औरतों तथा मर्दों तथा ईमान से इनकार करने वालों के लिए जहन्नुम की आग तय की है। वहां उनका निवास होगा...उनके ऊपर अल्लाह की लानत है और उन्हें अन्तहीन दण्ड दिया जाएगा" (9/68)।

"मक्कार" शब्द का उदय किसी नैतिक संहिता में से नहीं हुआ है। इस शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिये किया गया था जो अपने मन में मुहम्मद की पैगम्बरी पर विश्वास खो चुके थे किन्तु जो खुलेआम यह कहने से घबराते थे। वे संशयात्मा और शंका अनुभव करने वाले लोग थे। उन का ईमान ढीला पड़ गया था। उन्होंने ज्यों-ज्यों मुहम्मद को अधिक जाना था त्यों-त्यों उन के मनों में मुहम्मद की पैगम्बरी के प्रति प्रश्न उठने लगे थे। किन्तु इस्लाम की अनूठी मीमांसा में, इस प्रकार के संशयों को सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता था। मुहम्मद की पैगम्बरी के प्रति संशय का अनुभव करना मक्कारी माना गया। इस प्रकार मदीना के उन मुसलमानों को जो संशय करने लगे थे मक्कार ठहराया गया।

मदीना-निवासियों की अपने ही नगर में अवमानना

अनेक मदीना-निवासियों ने मुहम्मद तथा उनके अनुयायियों को अपने नगर में शरण दी थी, उनका परित्राण किया था। उनमें से कुछ लोगों ने (मुहम्मद के मजहब पर) विश्वास से प्रेरित होकर ऐसा किया था; कुछ ने उदारहृदय होने के कारण, और कुछ ने मक्का-निवासियों के प्रति विद्वेष के कारण। किन्तु थोड़ा

समय ही बीता था कि मुहाजरीन (शरणार्थी) नागरिकों के ऊपर हावी हो गए। नागरिकों में से कुछ लोग यह देखकर आकुल तथा आतंकित हो उठे कि उनके अपने नगर में वे लोग दूसरे दर्जे के नागरिक बन कर रह गए हैं। किन्तु साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि स्थिति को बदलने में वे लोग उत्तरोत्तर असहाय होते जा रहे हैं। वे लोग परस्पर कानाफूसी करने लगे—"देखो, हमने अपनी कैसी दुर्दशा कर ली। हमने अपनी धरती के द्वार इन लोगों के लिए खोले और जो कुछ हमारे पास था उसमें इन लोगों को साझीदार बनाया। यदि हमने वह सब जो हमारा था अपने पास रखा होता तो , अल्लाह की कसम ! ये लोग कहीं और चले जाते।" मदीना-निवासियों ने मुहम्मद तथा उनके अनुयायियों को एक अगुंली पकड़ाई थी, किन्तु उन लोगों ने तुरन्त ही पोंहचा पकड लिया। यह वैसा ही हुआ था जैसा कि उस पुरानी कहानी में जिससे ऊंट को तम्बू में गर्दन छुपाने की जगह दी गई थी और उसने आगे बढ़कर बुढ़िया के पूरे तम्बू पर कब्जा कर लिया था।

मुहम्मद को उनके साथ रहते कुछ अरसा बीत चुका था और मदीना-निवासियों को मुहम्मद के विषय में पहले की अपेक्षा अधिक समझने का मौका मिला था। उनमें से कुछ ने यह नतीजा निकाला था कि मुहम्मद मज़हब के नाम पर ढोंग रचाने वाले आदमी से अधिक कुछ नहीं। किन्तु नतीजा निकालने में देर हो गई। क्योंकि मुहम्मद तब तक मजबूत हो चुके थे और मदीना-निवासी कमजोर। जिन लोगों का मुहम्मद पर विश्वास नहीं रह गया था वे मुहम्मद से डरने लगे थे। इसका नतीजा भी वही निकला—इच्छाशक्ति और कर्मशक्ति का क्षय। विरोधी पक्ष को अब भयभीत किया जा सकता था। उस पक्ष के अनेक लोगों को खरीदा भी जा सकता था। मुहम्मद में भले ही उनका विश्वास न रह गया हो, लूट के माल के प्रति वे सभी लालायित थे।

वैचारिक विरोध

मुहम्मद के प्रति विरोध केवल उन्ही लोगों के बीच नहीं उठा जो मुनाफ़िक़ीन अर्थात मुसलमान बनने के बाद विश्वास खोने वाले थे। विरोध उन लोगों के बीच भी उठा जिन्होंने अपने पूर्वजों के धर्म को कभी नहीं छोड़ा था, अथवा जिन्होंने अपना विवेक नहीं खोया था और जिनके पांव नए मजहब का आवेश नहीं उखाड़ पाया था। विरोधी पक्ष के कुछ लोग प्रतिभावान् थे। वे अपने विचारों को काव्य में बद्ध कर सकते थे। अस्मा बिन्त मरवान नाम की एक महिला कवि थी। उसका कबीला था बनी औस। उसने मदीना के मालिक, औफ तथा खज़रज़ नाम के कबीलों का उनके पुराने शूरवीरों के नाम पर आह्वान किया। वह गा उठी—"आप

लोग उस अजनबी के वफादार बन गए जो आप में से नहीं है।"[1] खज़रज़ कबीले में सौ बरस का एक बूढ़ा कवि, अबू अफ़क, था। औस मनात नाम के कबीले के साथ इस कबीले का रिश्ता था। अफ़क ने एक कविता में कहा कि मदीना के विविध कबीले सहृदय पड़ौसी और वफादार मित्र थे। "फिर उनके बीच एक सवार आया जिसने उनको विभक्त कर दिया।" उसकी कुछ कविताएं इब्न हिशाम तथा वाक़िदी ने उद्धृत की हैं और मैक्सीम रोडिन्सन द्वारा लिखित मुहम्मद की जीवनी में मिलती हैं।[2]

मुहम्मद बुरी तरह बौखला उठे। उस समय के कवि हमारे युग के पत्रकारों के समान थे। मुहम्मद उनसे घृणा करते थे और उनका काम तमाम करने के लिए मौके की तलाश में थे।

इसवी सन् 624 में बदर की लड़ाई में मिली विजय ने मुहम्मद को वह मौका दिया। कुरैश के विरुद्ध पाई सफलता से मदीना में उन की शक्ति बढ़ गई। उनके स्थानीय समर्थकों तथा विरोधियों के बीच जो सन्तुलन था उसका पलड़ा काफी हद तक उनके पक्ष में झुक गया। उन्होंने मौके का फायदा उठाया और फुरती से प्रहार किया। सबसे पहले उन्होंने कवियों की खबर ली। कवियों से उनको सबसे अधिक भय लगता था।

कवियों की हत्या

असमा के विषय में उन्होंने कहा—"मुसीबत बनी इस औरत से कौन मेरा पीछा छुड़ाएगा ?" ओमैर इब्न अदी नाम का एक नेत्रहीन और मतान्ध मुसलमान अस्मा के अपने कबीले का सदस्य था। उसने अस्मा की हत्या करने का बीड़ा उठाया और अस्मा जब अपने बच्चे को बाहों में लिए सो रही थी ओमैर ने उसका वध कर दिया। ओमैर जब काम पूरा करके लौटा तो मुहम्मद ने उससे पूछा—"क्या तुमने मरवान की बेटी का मार दिया ?" ओमैर ने हामी भरी तो मुहम्मद ने अपने साथियों के सामने उसकी महिमा गाई। वे साथियों से बोले—"यदि तुम उस आदमी को देखना चाहते हो जिसने अल्लाह और उसके पैगम्बर की मदद की है, तो इस (ओमैर की) ओर देखो।"[3]

---

1. आपके मुखियाओं के मारे जाने के बाद भी आप उससे कल्याण की अपेक्षा करते हैं। जिस प्रकार एक भूखा आदमी जो रसोइए से शोरबा पाने की बाट जोहता है ? क्या आपके बीच कोई ऐसा आत्मसम्मानी पुरुष नहीं है जो उस पर अकमात् आक्रमण करे। और उन लोगों की आशाओं पर पानी फेर दे जो उसकी ओर मुंह बाए बैठे हैं ? (इब्न इसहाक, सीरत रसूल—अल्लाह पृष्ठ 676)

2. मैक्सीम रोडिन्सन, मुहम्मद, (पैलीकन बुक्स, 1973), पृष्ठ 157-158।

3. सीरत रसूल—अल्लाह पृष्ठ 676; विलियम म्यूर, लाइफ आफ महोमेट खंड 3 पृष्ठ 132 भी देखिए।

अगले महीने अबू अफ़क का भी यही हश्र हुआ। मुहम्मद ने उच्चस्वर से कहा–"इस बदमाश से मेरा पीछा कौन छुडाएगा ?" एक अन्य हत्यारा तुरन्त हाजिर हो गया। वह बनी अम्र कबीले का सालिम इब्न उमैर था। अबू अफ़क इसी कबीले के आश्रय से रहता था। सालिम ने एक रात को जब अबू अफ़क सोया पड़ा था, छुरा घोंप कर उसे मार डाला।

इन हत्यारों समेत मदीना के जो लोग मुसलमान बने थे, उनमें से कोई भी बदर में नहीं लड़ा था। इसलिए उन सबको पैगम्बर तथा मज़हब के प्रति अपनी वफ़ादारी दिखलाने की जरूरत थी। वफ़ादारी उन्होंने ये छलघात के काम करके दिखलाई।

छः महीने भी नहीं बीत पाए थे कि प्रहार एक अन्य प्रमुख व्यक्ति पर पडा। काब इब्न अल-अशरफ़ नामक कवि अर्ध-यहूदी था। हम इसके पूर्व ही उसका उल्लेख कर चुके हैं। उसके उच्छेद के लिए मुहम्मद ने अल्लाह से एक विशेष फ़रियाद की। उन्होंने दुआ की–"मेरे रब ! मुझे अशरफ के बेटे से छुटकारा दिला...क्योंकि उसका द्रोह और उसकी कविताएं सब के सामने है।" हत्यारों को भेजते समय उन्होंने कहा–"अल्लाह का आशीर्वाद और सहायता साथ लेकर जाओ।" हत्यारे जब अपना काम करके लौटे तो मुहम्मद ने मस्जिद के दरवाजे पर जा कर उनका स्वागत किया। एक हत्यारे को संयोग से चोट लग गई थी। मुहम्मद ने अपने नियत तरीके से उसका उपचार किया–उन्होंने घाव पर थूका और घाव भर गया।[1]

एक नए भय का प्रसार

पुरानी अरब परम्परा के अनुसार इस प्रकार जानबूझकर की गई हत्याओं का मारे जाने वाले व्यक्ति के कबीले की ओर से बदला लिया जाता था। किन्तु नई परिस्थिति में यह सम्भव नहीं रहा। वातावरण में कुछ नया-नया महसूस होने लगा था–एक नयी आशंका, नए नाते-रिश्ते। उस्मा की हत्या के बाद, हत्यारे ने मुहम्मद से पूछा था कि क्या उसे कोई सज़ा भुगतनी पड़ेगी। मुहम्मद ने उसे आश्वासन दिया था–"उस (अस्मा) के लिए तो दो बकरियां भी नहीं मिमियाएंगी !" यह आश्वासन बहुत सच्चा सिद्ध हुआ। हत्यारे ने अस्मा के पांच बेटों के सामने अपनी करतूत की शेखी बघारी। किन्तु उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। वे सब भयभीत थे। हत्यारे का संरक्षक बहुत शक्तिशाली था।

मानवताप्रवण तथा भावविलासी मनोविज्ञान मनुष्य की प्रेरणाओं में भय को महत्व नहीं देता। किन्तु वास्तव में भय बहुत कारगर हथियार है। दूसरे लोगों के पास सन्देश भेजने के माध्यम अनेक हैं। किन्तु भय के माध्यम से भेजा गया

1. इब्न इसहाक, सीरत रसूल–अल्लाह, पृष्ठ 368।

सन्देश ज्यादा जल्दी पहुंचता है और स्पष्टतर वाणी में बोलता है। इब्न इसहाक़[1] बतलाते हैं–"जिस दिन मरवान की बेटी को मारा गया उसके अगले दिन बनी ख़त्मा के लोग (जो उस के पति का कबीला था) मुसलमान बन गए, क्योंकि उन लोगों ने इस्लाम की शक्ति का परिचय पा लिया था।"

वही लेखक एक अन्य कहानी सुनाता है जिसका भी ऐसा ही असर हुआ था। पैगम्बर ने कहा–"जो भी यहूदी तुम्हारे हाथ लगे उसे मार डालो।" मुहैयिसा बिन मसूद ने, जो नया मुसलमान था, तुरन्त इब्न सुनैना नाम के एक यहूदी व्यापारी को जा दबोचा और उसकी हत्या कर दी। हत्यारे के भाई, हुवैयिसा, ने उसको फटकारा–"अल्लाह के दुश्मन ! तुमने उसे मारा है जिस का दिया खाकर तुम्हारे पेट पर इतनी चरबी चढ़ी है।" मुहैयिसा ने उत्तर दिया–"जिन्होंने उसे मारने का मुझे आदेश दिया है यदि वे तुम्हें मारने का आदेश देते तो मैं तुम्हारा सिर भी काट देता।" यह सुनकर हुवैयिसा का मन इस्लाम की ओर झुकने लगा। वह बोला–"अल्लाह की क़सम ! जो मजहब यह सब करवा सकता है, वह अद्‌भुत है।" फिर वह मुसलमान बन गया।[2]

और भी पूर्ण समर्पण की मांग

आरम्भ में मुहम्मद नए मुसलमानों को बेजा तंग नहीं करते थे। किन्तु यह दौर बहुत दिन तक नहीं चला। मुहम्मद ईसवी सन् 622 की अप्रैल में मदीना पहुंचे थे। दो बरस भी न बीत पाए कि उन्होंने किसी बदले की आशंका किए बिना अपने विरोधियों का सफाया करना शुरू कर दिया। ज्यों-ज्यों उन की सत्ता बढ़ती गई, त्यों-त्यों वे उन स्थानीय लोगों के बारे में खुल कर बोलने लगे जिनकी भावना उनके प्रति पूरी तरह नहीं पनपी थी अथवा जो उन पर संशय करने लगे थे। अल्लाह भी अब उन लोगों से पैगम्बर की सत्ता के प्रति संशयविहीन समर्पण मांगने लगा। लोगों के विरुद्ध अल्लाह द्वारा दी जाने वाली चेतावनी भी अधिक जल्दी-जल्दी आने लगी। अल्लाह ने मुहम्मद को उन "संशयात्मा" लोगों के बारे में सतर्क किया जो पीठ पीछे मुहम्मद का मजाक उड़ाते थे किन्तु सबके सामने उनकी सराहना करते थे। वे लोग निकम्मे ठहराए गए। "मक्कार लोग जब तेरे पास आते हैं तो कहते हैं–हम गवाही देते हैं कि तू सचमुच पैगम्बर है। किन्तु वस्तुतः वे झूठ बोलते हैं–उन लोगों ने अपनी कसमों को (अपना झूठ छिपाने का) परदा बना रखा है...उनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं...वे लोग इतने ही निकम्मे और थोथे हैं जितने कि दिखावे के लिए खडे किए गए लकड़ी के खम्बे...वे दुश्मन हैं, इसलिए उनसे सावधान रहें" (कुरान 63/1-4)।

1. वही, पृष्ठ 676
2. वही, पृष्ठ 369

विभक्त और मनोबल-विहीन विरोधी पक्ष

मुहम्मद के दल का एक साझा नेतृत्व था, साझा उद्देश्य, साझे स्वार्थ साझी विचारधारा तथा साझा भावावेश। किन्तु विपक्ष बुरी तरह बंटा हुआ था। उसके पास कोई विचारधारा नहीं थी, केवल कुछ शिकायतें थीं। विपक्ष लुकाछिपी में रत था, कहता कुछ था और करता कुछ और था। मुहम्मद ने विपक्ष के विभिन्न वर्गों को एक-एक करके चुना और उन पर अलग-अलग करके प्रहार किया। कभी बनू कैनूक़ा की बारी आयी, कभी बनू नज़ीर की, कभी बनू कुरैज़ा की। इन कबीलों ने अकेले में एक-दूसरे की मदद करने का वायदा किया किन्तु मौका आने पर वायदा निभाया नहीं।

इस प्रकार मनोबल पूरी तरह टूट गया। कुरान उन मदीना-निवासियों के प्रति जुगुप्सा प्रगट करता है, जिन्होंने अपने यहूदी मित्रों से वायदा किया था कि "यदि तुम लोगों को देश-निकाला दिया जाता है तो हम लोग तुम्हारे साथ जाएंगे यदि तुम पर हमला होता है तो हम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे...किन्तु अल्लाह गवाह है कि वे लोग झूठे हैं। यदि इन (यहूदियों) को देश-निकाला दिया जाता है तो इनके साथ नहीं जाएंगे, यदि इन (यहूदियों) पर हमला होता है तो वे इनकी सहायता नहीं करेंगे।" मुहम्मद अपने अनुयायियों को मजबूत करते समय विरोधी पक्ष के विषय में बड़ी सूझबूझ की बात कहते हैं–"उन लोगों के दिलों में जो खौफ़ है उसका कारण अल्लाह की अपेक्षा तुम लोग अधिक हो...तुम उन्हें एकजुट समझते हो, किन्तु उन के दिल बंटे हुए हैं। सो इसलिए कि उन लोगों में दिमाग की कमी है" (कुरान 59/11-15)।

अब्दुल्ला इब्न उबय्य

मुहम्मद की बढ़ती हुई सत्ता का विरोध बहुत लोगों ने किया होगा, किन्तु अहादीस में उन सब के विरोध को अब्दुल्ला इब्न उबय्य ने नाम में मूर्तिमान किया गया है।

अब्दुल्ला खज़रज़ क़बीले की औफ शाखा का मुखिया था। वह इस्लाम के आरम्भिक काल में ही मुसलमान बन गया था। एक समय वह मदीना का प्रमुख नागरिक था। एक कहानी के अनुसार मुहम्मद के मदीना आने के कुछ ही पूर्व उसके समर्थक उसे मदीना का बादशाह बनाना चाहते थे। किन्तु मुहम्मद के आने के बाद बात ही बदल गई। अब्दुल्ला का महत्व द्रुतगति से कम होने लगा। फिर भी उसके प्रभाव को देखकर, मुहम्मद के विशिष्ट साथियों ने मुहम्मद को सलाह दी कि अब्दुल्ला के साथ सावधानी से सलूक किया जाए।

मुस्लिम परम्परा में अब्दुल्ला के नाम पर कालिख पोती गई है। किन्तु यदि वह माना जाए कि देशभक्ति, आत्मनिर्भरता और वफ़ादारी, मानवचरित्र के गुण है, और मारने की बजाय बचाना श्रेयस्कर है, तो अब्दुल्ला को बेकार आदमी नहीं कहा जा सकता। उसने मदीना के कैनूका नामक यहूदी क़बीले को क़त्ल होने से बचाया। हिजरी सन् के दूसरे साल में मुहम्मद ने उस क़बीले का घेरा डाला था। जब उन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया तो उनके हाथों को पीठ-पीछे बांध कर कत्ल करने के लिए उन्हें बाहर लाया गया। किन्तु इब्न उबय्य ने कारगर हस्तक्षेप किया। उसने "पैग़म्बर के चोगे की गर्दन में हाथ डाला, पैग़म्बर इतना खफा हुए कि उन का मुंह काला पड़ने लगा।" किन्तु अब्दुल्ला अड़ा रहा और बोला–"नहीं, अल्लाह की कसम ! जब तक तुम मेरे मित्रों के साथ नरमी नहीं बरतते तब तक मैं तुम्हें नहीं छोडूंगा। इनके चार-सौ बख़्तर-बन्द लोगों ने दुश्मनों से मेरी रक्षा की थी। इनको क्या तुम एक ही सुबह में क़त्ल कर दोगे ? अल्लाह की कसम ! मैं वह आदमी हूं जिसे यह आशंका है कि वक्त बदल सकता है।"[1] इब्न उबय्य अभी भी मदीना के जनजीवन में प्रभावशाली था और उसकी फरियाद में धमकी भी थी। मुहम्मद ने इस शर्त पर बात मान ली कि तीन दिन के भीतर वह यहूदी क़बीला, अपना सरोसामान विजेता को सौंप कर, मदीना छोड दे।

यह घटना ईसवी सन् 624 में घटी। तीन साल बाद, मार्च-अप्रैल 627 में, जब मुहम्मद ने कुरैज़ा नाम के यहूदी कबीले को धर दबोचा तो मदीना में मुहम्मद का विरोधी पक्ष अपना प्रभाव खो चुका था। मुहम्मद ने मनमानी की। आठ-सौ या नौ-सौ पुरूषों को पांच-पांच अथवा छः-छः की टोलियों में उन के हाथ पीठ-पीछे बांध कर लाया गया और उनके सिर उड़ा दिए गए। मदीना के बाजार में एक खाई खोदी गई थी। यहूदियों के शव उसमें फैंक दिए गए। इस कहानी को कुछ विस्तार से हम पहले ही कह चुके हैं।

नागरिकों तथा शरणार्थियों के बीच विवाद

बनू कुरैजा के इस दुःखद अन्त के कुछ ही महीने बाद नागरिकों तथा शरणार्थियों के बीच विवाद उठ खड़ा हुआ। उस विवाद में यह स्पष्ट हो गया कि नागरिकों का पक्ष पराजय की ओर बढ़ रहा है।

मुहम्मद, मदीना से आठ दिन के कूच पर रहने वाले बनू मुस्तलिक को लूट कर, लौट रहे थे। लूट में दो-सौ परिवार, दो हजार ऊंट तथा पांच हजार भेड़ें और बकरियां शामिल थे। रास्तें में सिनान नाम के नागरिक तथा जिहजा नाम नाम के शरणार्थी के बीच झगड़ा हो गया। जिहजा उमर का नौकर था। उसने सिनान को पीट दिया। दोनों पक्षों का मिजाज बिगड़ गया और झगड़ा जल्दी ही दूसरे लोगों में फैल गया। इब्न उबय्य ने शरणार्थियों की ढीठता का उल्लेख

1. वही, पृष्ठ 363

करते हुए कहा–"यह देखो तुम लोगों ने अपने साथ क्या कर डाला है। तुमने उनको अपने वतन पर कब्जा करने दिया, और अपनी जायदाद उनके बीच बांटी। अब वे लोग हमारे सिर पर चढ़ने लगे हैं और हमारे ही वतन में हमसे बड़ी संख्या बनते जा रहे हैं। अल्लाह की क़सम ! हमारे और कुरैश के इन आवारागर्दों के बीच यह कहावत सिद्ध हो गई कि कुत्ते को खिलाओं और वह तुम्हें ही निगल जाएगा। किन्तु जब हम मदीना में पहुंचेगे तो बलवान पक्ष बलहीन पक्ष को निकाल बाहर करेगा।"[1]

बाद में जब इब्न उबय्य से पूछा गया कि क्या उसने ऐसा कहा था तो उसने, अपनी स्वाभावगत कमजोरी के कारण, इनकार कर दिया। मुहम्मद उस समय झगड़ा करना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने इनकार को स्वीकार कर लिया। किन्तु यह कांटा उनके मन में खटकता रहा और आगे चल कर एक अधिक उपयुक्त अवसर पर, स्वयं अल्लाह ने कुरान की एक आयत में उस खटके की पुष्टि कर दी (63/7-8)।

अब्दुल्ला की हत्या का प्रस्ताव

उमर ने मुहम्मद को सलाह दी कि अब्दुल्ला को क़त्ल कर दिया जाए। उमर ने कहा–"अब्बाद इब्न विश्र को उसे मार डालने का आदेश दीजिए।" किन्तु मुहम्मद सतर्क थे। उनकी एक छवि बन चुकी थी जिसे वे बचाना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि लोग "यह कहें कि मुहम्मद अपने ही अनुयायियों का कत्ल करते हैं।" किन्तु यद्यपि उन्होंने उमर की सलाह पर तुरन्त काम नहीं किया, फिर भी वे उस पर गम्भीरता से विचार करत रहे। मदीना के दो क़बीलों, औस तथा खज़रज़, के बीच वैमनस्य चला आ रहा था। मुहम्मद ने उस वैमनस्य को बढ़ाने के लिए अब्दुल्ला के बारे में उसैद बिन हुज़ैर से सलाह की। उसैद, औस कबीले के मुखिया में से था और कट्टर मुसलमान था। दूसरी ओर अब्दुल्ला, खज़रज़ क़बीले के मुखियों में से था। किन्तु उसैद ने भी मुहम्मद को यही सलाह दी कि वे अब्दुल्ला के मामले में नरमी और सावधानी बरतें।

इन सब सलाज-मशविरों के फलस्वरूप अब्दुल्ला के क़त्ल की अफ़वाह फैल गई, जो अब्दुल्ला के बेटे ने भी सुनी। बेटा कट्टर मुसलमान था। वह मुहम्मद के पास पहुंचा और उसने अपने हाथ से अपने पिता को क़त्ल करने का प्रस्ताव रखा। मुस्लिम परम्पराएं तथा तवारीख इस कहानी का वर्णन बड़े गर्व के साथ करती हैं।

किन्तु समझदारी बनी रही। अब्दुल्ला एक प्रभावशाली नागरिक था। उसकी हत्या से मुहम्मद की अपनी स्थिति खटाई में पड़ सकती थी। खतरा मोल लेना

1. वही, पृष्ठ 491

महंगा लगा और अब्दुल्ला को बख़्श दिया गया। आगे चल कर अब्दुल्ला की हालत, उसके अपने ढुलमुल और अवसरवादी स्वभाव के कारण, और भी पतली हो गई। वह अपने ही लोगों और मित्रों के बीच अकेला रह गया। तब उमर ने मुहम्मद के फ़ैसले में मौजूद समझदारी को सराहा। मुहम्मद ने छाती फुला कर उत्तर दिया–"यदि मैंने उस दिन उस का कत्ल करवा दिया होता जिस दिन तुमने मुझे ऐसी सलाह दी थी, तो मदीना के अन्य मुखिया बुरी तरह बिगड़ उठते। किन्तु अब यदि मैं उन लोगों को आदेश दूं तो वे स्वयं यह काम कर देंगे।" इब्स इसहाक़ के अनुसार, जिसने यह सारा क़िस्सा बयान किया है,[1] उमर ने चापलूसी की–"मैं जानता हूं कि पैग़म्बर का आदेश मेरे आदेश की अपेक्षा अधिक नेक है।" तबरी ने इस कहानी को दोहराया है।

अब्दुल्ला का नाम अन्तिम बार हमें ताबूक के प्रसंग में सुनाई पड़ता है। उस समय तक वह अपनी हैसियत खो चुका था। ताबूक की चढ़ाई के दो या तीन महीने बाद वह मर गया। उसके साथ ही मदीना में बचाखुचा विरोध भी हवा हो गया।

यह पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के बाद हम फिर "सही मुस्लिम" की ओर मुड़ते हैं।

अब्दुल्ला मदीना-निवासियों का उकसाता है

जैद बिन अर्क़म बतलाता है कि (बनी मुस्तलिक की तबाही के बाद) एक सफ़र से लौटते समय, जिसमे उन लोगों ने "अनेक कष्ट झेले थे", उन लोगों ने अब्दुल्ला को अपने मित्रों से यह कहते सुना–"तुम लोगों के पास जो कुछ है वह उन लोगों को, जो पैग़म्बर के साथ हैं, तब तक मत दो जब तक वे लोग उसका (पैगम्बर का) साथ नहीं छोड़ देते।" उन लोगों ने अब्दुल्ला को यह कहते भी सुना कि मदीना लौटने पर "जो लोग कुलीन है, वे कमीनों को वहां से निकाल बाहर करेंगे।" जैद ने मुहम्मद को समाचार सुनाया। मुहम्मद ने अब्दुल्ला से पूछताछ की। अब्दुल्ला ने कसम खाकर कहा कि उसने वह सब नहीं कहा। मुहम्मद ने पहले तो अब्दुल्ला के इनकार को वैसा ही मान लिया। किन्तु बाद में उन पर एक आयत (63/1) उतरी जिसने गवाही दी कि जैद ने सच बोला था और अब्दुल्ला को झूठा ठहराया (6677)।

मृत काफिरों के लिए जनाजे की नमाज़ मना

अगली दो अहादीस (6679-6680) हमें बतलातीं हैं कि अब्दुल्ला जब मरा तो पैग़म्बर ने उसके बेटे की फरियाद पर "अपना कुर्ता उसके पिता का कफ़न बनाने के लिए दे दिया।" मुहम्मद अब्दुल्ला की क़ब्र पर भी गए। "उसे क़ब्र से

1. वही, पृष्ठ 492

बाहर निकाला, अपनी गोद में लिया और उसके मुंह में अपनी लार डाली।" उमर ऐतराज करते रहे, तो भी उन्होंने अब्दुल्ला के लिए दुआ की।

आतंक फैलाना

विरोधी पक्ष को आतंकित करने का काम उहुद के युद्ध के समय ही शुरू हो गया था। वह युद्ध ईसवी सन् 625 की जनवरी-फरवरी में हुआ। ज़ैद बिन साबित का बयान है–"अल्लाह के रसूल उहुद के लिए रवाना हुए। कुछ लोग जो उनके साथ थे वापिस लौट आए। अल्लाह के रसूल के साथियों में दो दल बन गए। एक दल ने कहा–हम उन्हें (लौटने वालों को) मार डालेंगे। दूसरे दल ने कहा–नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए" (6684)। तब अल्लाह बोल उठा–"मक्कारों के मामले में तुम दो दलों में क्यों बंट गए ?" अतएव वफ़ादार लोग फिर एकजुट हो गए। किन्तु भविष्य में पिछड़ने वालों को एक सन्देश पक्के तौर पर पहुंच गया। इस प्रकार आतंक बहुत पहले ही शुरू हो गया था। मुहम्मद द्वारा किए जाने वाले "जिहादों" का लोगों द्वारा अनुमोदन करवाने के तरीक़ों में से यह एक तरीक़ा था। लोगों को "जिहादों" में शमिल करने का तरीका भी।

मुहम्मद को मारने की कोशिश

कई-एक अहादीस के अनुसार, मुहम्मद जब ताबूक से लौट रहे रहे थे तो अकबा में उन के कुछ विरोधियों ने इस इरादे से एक दल का गठन किया कि मुहम्मद को एक पहाड़ी पर से नीचे धकेल दिया जाए। हुज़ैफ़ा का बयान है कि वे बारह लोग थे। उन सबके मुखों पर नकाब थीं। उनकी झलक ही मिल पा रही थी। मुहम्मद उन लोगों का पहिचान गए। किन्तु उन्होंने हुज़ैफ़ा के सिवाय किसी को भेद नहीं बतलाया। हुज़ैफ़ा को भी हिदायत की गई कि वह भेद न खोले। पैग़म्बर ने उन सब लोगों को शाप दिया (6690)। यहां पर हदीस कुछ गोल-मोल रूप में मिलती है।

एक निराला अरब

जाबिर एक दिलचस्प हदीस सुनाते हैं। एक दिन मुहम्मद ने कहा–"जो भी इस पहाड़ी, मुरार की पहाड़ी, पर चढ़कर जाएगा उसके गुनाह मिटा दिए जाएंगे।" अल्लाह की ओर से मिली इस छूट का अनेकों ने फायदा उठाया "और लोगों का तांता लग गया।" लाल ऊंट के मालिक एक आदमी के सिवाय सब को माफ़ी मिल गई। लोगों ने उस आदमी से कहा कि वह भी जाकर माफ़ी मांगे। किन्तु उस आदमी ने जवाब दिया–"अल्लाह की क़सम ! जहां तक मेरा वास्ता है, तुम्हारे साथी (पाक पैग़म्बर) से माफ़ी मांगने की अपेक्षा मेरे लिए अपनी खोई हुई चीज को खोजना अधिक जरूरी है और वह अपनी खोई हुई चीज को खोजता रहा" (6691)।

"सही मुस्लिम" हमें इस आदमी का नाम नहीं बतलाती। किन्तु यह स्पष्ट है कि वह एक धाकड़ और बुद्धिमान आदमी था। क्या वह कोई (जापान का) जेन विचारक था जो केवल एक दिन की ही चिन्ता करता था–आज का काम आज के लिए काफ़ी है, परलोक की चिन्ता परलोक करता फिरे ? अन्य अहादीस उस आदमी का नाम हर्र बिन क़ैस बतलाती है। उसने "पेड़ के नीचे प्रतिज्ञा" करने से इनकार किया था। मोमिन लोग उसे "मक्कार" कहते थे।

एक अन्य हदीस है जिसके अनुसार जिन लोगों को मुहम्मद अस्वीकार कर देते थे उन को अल्लाह उनकी मौत के समय भी स्वीकार नहीं करता था। एक मुसलमान जो मुहम्मद के लिए लिखने का काम करता था "विद्रोही बन कर भाग गया और किताबी लोगों से जा मिला।" जब वह मरा तो "उन्होंने क़ब्र खोदी और उसमें उसको दफ़ना दिया, किन्तु वे यह देखकर चकित रह गए कि धरती ने उसको उगल कर बाहर फेंक दिया है। उन्होंने फिर कब्र खोदी...किन्तु धरती ने उसे फिर उगल दिया...उन्होंने फिर खोदी...किन्तु धरती ने उसे फिर उगल दिया। अन्त में उन्होंने उसे बिना दफनाए छोड़ दिया" (6693)।

अल्लाह अपने पैग़म्बर को खुश रखने के लिए (लोगों को) बचाता भी है और मारता भी है। जाबिर का बयान है–"अल्लाह के रसूल एक यात्रा से लौटे। ज्योंही वे मदीना के निकट पहुंचे, इतने जोर का झंझावात आया कि मानो वह पहाड़ों को परस्पर दबा कर एकाकार कर देगा। अल्लाह के रसूल ने कहा–एक मक्कार की मौत के मौक़े पर शायद इस झंझावात को छोड़ा गया है। जब वे मदीना पहुंचे तो एक बदनाम मक्कार को मरा पाया" (6684)। अन्य अहादीस के अनुसार, मुहम्मद बनू मुस्तलिक़ पर धावा करके लौट रहे थे। वह व्यक्ति, जिस की मौत ने झंझावात उठाया अथवा जिसकी मौत की झंझावात ने घोषणा की, रुफ्फ़ा था। वह मदीना के एक यहूदी क़बीले, बनी क़ैनुक़ा का एक मुखिया था। उस क़बीले ने ही मुहम्मद के हाथों सब से पहले उत्पीड़न सहा था। किन्तु मुहम्मद जब सर्वप्रथम मदीना में आए थे तो रुफ़्फ़ा ने उमर की आवभगत की थी और उमर को अपना अतिथि बनाया था।

मक्कार की परिभाषा

इस किताब की अन्तिम दो अहादीस में उन लोगों का वर्णन है जिन को न तो किसी मतान्ध मज़हब का सहारा मिला है और न किसी उदार दर्शन का तथा जो साधारण मनुष्यों के समान संशय और प्रलोभन के शिकार होते रहते हैं। इब्न उमर, जिसने अपना पक्ष तय कर लिया था, मुहम्मद के मुख से सुन कर बयान करता है–"मक्कार उस भेड़ के समान है जो दो रेवाड़ों के बीच आवारा घूमती

फिरती हैं। वह एक समय एक रेवड़ की ओर जाती है, दूसरे समय दूसरे रेवड़ की ओर" (6696)।

तफ़सीर की किताब

"सही मुस्लिम" की इक्तालीसवीं और आखिरी किताब "तफ़सीर की किताब (किताब अल-तफ़सीर)" कहलाती है।

कुरान को दूसरे धर्मग्रन्थों की तरह नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि कुरान का स्वर और उसका विषय दूसरे धर्मग्रन्थों से बहुत भिन्न हैं। इसका स्वर आवेश से भरा हुआ है। यह स्वर धमकी देता है ओर लोभ उभारता है; यह (अपनी बात को) समझा कर कभी नहीं कहता, केवल आदेश और फतवे देता रहता है। यह ज्ञानमार्ग के "दिव्यजीवन" (वेदों के ऋत अथवा प्राचीन मिस्र के मात) की चर्चा नहीं करता बल्कि एक ऐसे परलोक की कहानी सुनाता है जो इस लोक की ही एक अतिरंजित और इन्द्रिय-सुलभ प्रतिकृति है।

कहा जाता है कि कुरान की आयतों का उद्गम एक समाधिस्थ चित्त में से हुआ है। किन्तु इसी कारण वे आयतें अध्यात्म की दृष्टि से प्रमाण नहीं मानी जा सकती। योग के शास्त्र हमें बतलाते हैं कि समाधि तो चित्त की किसी भी भूमि पर लग सकती है, किन्तु काम, क्रोध तथा मोह से आविष्ट चित्त की समाधियों से दूर रहना चाहिए–उन समाधियों की आड़ में या तो कोई विक्षिप्त व्यक्ति छुपा रहता है या कोई नृशंस आततायी।

कुरान में "अकस्मात्" की चर्चा होती रहती हैं। कुरान की आयतों का विषय बहुधा बाह्य जगत की घटनाएं है जो कुछ व्यक्तियों अथवा मुहम्मद की जीवनयात्रा से जुड़ी हैं। "तफ़सीर की किताब" कुछ आयतों के विषय में वैसा ही बाह्य ब्यौरा देती है। वह हमें बतलाती हैं कि कौनसी आयत किस समय, किस स्थान पर और किन हालात में उतरी। इन सारी सूचनाओं का अध्यात्म की दृष्टि से कोई महत्व नहीं। फिर भी यदि यह किताब परिपूर्ण होती और जरूरी जानकारी जुटाती, तो यह बहुत काम की हो सकती थी। किन्तु जिस रूप में यह हमें मिलती है वह सरसरी है और महत्व के विषयों की चर्चा पिछले तौर पर करती है। इसमें केवल पचास अहादीस हैं।

उदाहरण के लिए, पहली पांच अहादीस में हमें बतलाया जाता है कि कुरान की निम्नोक्त आयत कब और किस स्थान पर उतरी–"आज के दिन मैंने तुम्हारे मज़हब को मुकम्मल कर दिया है, तुम पर (अपनी) मेहरबानी को मुकम्मल कर दिया है, और अल-इस्लाम को तुम्हारा मजहब बनाया है" (5/4)। उमर का बयान है–यह "जुमे की रात को उतरी थी, जबकि हम लोग अल्लाह के रसूल के साथ अरफात में थे" (7554)। किन्तु इस जानकारी से इस आयत पर कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। आयत का दावा बहुत बड़ा है। किन्तु हदीस उस के विषय कुछ नहीं समझाती।

कुरान की एक अन्य आयत का भी यही किस्सा है–"यदि किसी औरत को अंदेशा हो कि उस का पति उसके साथ दुर्व्यहार करेगा अथवा उसे छोड़ जाएगा, तो उन दोनों के द्वारा आपस में सुलह की शर्ते तय कर लेना कोई गुनाह नहीं" (4/128)। आयशा हमें बतलाती हैं–"यह आयत उस औरत के बारे में उतरी थी जो किसी मर्द के साथ (उसकी बीवी बन कर) बहुत दिन से रही थी। उसे जब मालूम हुआ कि मर्द उसे तलाक देना चाहता है तो उसने कहा कि मुझे तलाक मत दो, मुझे (अपने घर में बीवी की हैसियत से) रखे रहो, और तुमको दूसरी बीवी के साथ रहने की इज़ाजत है। इसी प्रसंग में यह आयत उतरी थी" (7165)।

आयशा ने जिनका जिक्र किया वे कौन थे ? तिरमिज़ी के अनुसार वे स्वयं पैगम्बर थे, और उन की बीवी सौदा थी।[1] कातिब अल-वाकिदी भी अपनी तबकात में लिखते हैं कि मुहम्मद अपनी उस बीवी को तलाक़ देना चाहते थे जो चालीस बरस पार कर चुकी। किन्तु बीवी ने उनके पास जाकर कहा–"मैं आपको मेरे साथ मैथुन करने के लिए नहीं कह रही। मैं अपनी बारी आयशा को देती हूं। किन्तु महशहर के दिन मैं आप की बीवियों के बीच मौजूद रहना चाहती हूं।" मुहम्मद मान गए। महशर का दिन बहुत दूर था।

आख़िरी सूरा

सईद बिन जुबैर बतलाते हैं कि सूरा अन्फाल ("लड़ाई की लूट"), जो कुरान का आठवां सूरा है, बदर की लड़ाई के मौके पर उतारा गया; सूरा अलहश्र ("जोड़ना" अथवा "देशनिकाला") जो उनसठवां सूरा है, "बनू नज़ीर क़बीले के प्रसंग में उतारा गया", और सूरा तौबा ("प्रायश्चित्त"), जिसको सूरा बरात ("अभय") भी कहा जाता है, इसलिए उतारा गया कि "काफिरों और मक्कारों को अपमानित किया जा सके" (7185)। कुरान में सूरा तौबा का नम्बर नौवां है, किन्तु तिथिक्रम में यह आखिरी सूरों में से एक है। सर विलियम म्यूर के अनुसार यह सब से आख़िरी सूरा है। बात समझ में आती है। यह सर्वथा सम्यक् है कि इतनी कटुता, इतनी लानत-मलामत और ऐसी (निन्दनीय) नीयत से भरपूर सूरा उस जीवन का अन्तिम उद्गार बन कर प्रकट हो जिस में काफिरों के प्रति उन्मत्त तथा मतान्ध विद्वेष को मज़हब बना डाला गया हो। काफिर उस समय भी संसार के बहुसंख्यक नर-नारी थे, आज भी हैं।

---

1. तिरमिजी, जिल्द 2, हदीस 899